

सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव याचिका

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु

प्रस्तुतकर्ता:-

म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक नं. 11, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक नं. 7, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर



मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कम्पाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर,



मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
विजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल



(हिन्दी रूपांतरण)

विशेष टीप:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव याचिका का यह हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिए किया गया है। किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आंकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका ही मान्य होगी।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष

याचिका क्रमांक... /2017

1.	म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर जबलपुर (प्र०)	याचिकाकर्ता.....
2.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर	याचिकाकर्ता.....
3.	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. कम्पाउन्ड, पोलोग्राउन्ड, इन्दौर	याचिकाकर्ता.....
4.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बिजली नगर कालोनी, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल	याचिकाकर्ता.....

विषय में:-

“म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आर.जी – 35 (ii) 2015 क्रमांक 2256 – एमपीईआरसी, 2015 दिनांक 17/12/2015)” जो माननीय आयोग के पत्र क्र. 2265 दि. 18.12.2015 के द्वारा के द्वारा एम.पी.पी.एम.सी.एल. को सूचित किया गया, के अनुसार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक के लिए वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यापार हेतु एवं वर्ष 2017-18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता प्रतिवेदन म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वितरण अनुज्ञासिधारी म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत करने विषयक।

उपरोक्त याचिकाकर्ता, आदरपूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं कि :-

1. म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, (यहां और इसके बाद याचिकाकर्ता, म.प्र.पॉवर मै.कं.लि., कंपनी या अनुज्ञासिधारी के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अन्तर्गत हुआ है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं. 15, शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर में स्थित है।
2. म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञासिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लाक क्रमांक 7, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिवंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभाग हैं।
3. म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञासिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी

अधिनियम 2013) के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.पी.एच.पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर म.प्र. में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की इन्दौर तथा उज्जैन संभाग हैं।

4. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) (यहां और इसके बाद ‘याचिकाकर्ता’, ‘म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि.’, ‘कम्पनी’ या ‘अनुज्ञासिधारी’ के रूप में निरूपित है) का गठन कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अंतर्गत हुआ है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय निशा परिसर, विजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल में स्थित है। याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 प्रतिबंध पांचवें में निहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञासिधारी ‘माना गया’ है। याचिकाकर्ता का विद्युत प्रदाय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की भोपाल, गवालियर, होशंगाबाद तथा चंबल संभाग हैं।

5. मध्य प्रदेश शासन (“जी.ओ.एम.पी” या “राज्य शासन”) के आदेश क्रमांक 3679-एफ आर एस-18-13-2002 दिनांक 31 मई 2005, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2005 में प्रकाशित हुआ है, के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ('म.प्र.रा.वि.म. अथवा 'मण्डल') के द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, परेषण, वितरण एवं विद्युत के खुदरा प्रदाय के दायित्वों एवं कार्यों को पुर्णगठित कर पांच कम्पनियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु हस्तांतरित कर दिया है। यह पांच कम्पनियां निम्नानुसार हैः-

- अ. म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र. जेनको)
- ब. म.प्र. पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र. ट्राँसको)
- स. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
- द. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)
- इ. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)

6. उक्त आदेश दिनांक 31/5/2005 के अनुसार 1 जून 2005 से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं पांचों कंपनियों के बीच स्थापित संचालन एवं प्रबंधन के करार समाप्त हो गए हैं। उक्त तिथि से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों यथा पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र ने अपने-अपने अनुज्ञासित क्षेत्र में विद्युत वितरण अनुज्ञासिधारी की हैसियत से स्वतंत्र कार्य संचालन आरम्भ कर दिया है, तथा उक्त तिथि से आदेश में निहित ‘नगद प्रवाह तंत्र’ (कैश फ्लो मैकेनिज्म) को छोड़कर, वे अब न तो मण्डल की तरफ से और न ही उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं।

7. मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 3 जून 2006 को मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 23 (उपधारा (1), (2) तथा (3)) तथा धारा 56 की (उपधारा (2)), सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) तथा (7) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के थोक क्रय एवं थोक विद्युत प्रदाय संबंधी दायित्वों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों तथा बाध्यताओं को राज्य सरकार को अंतरित कर निहित कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी (ट्रेडको) को पुनः अंतरित और पुनः निहित कर दिया गया। तभी से मध्य प्रदेश ट्रेडको द्वारा विद्युत के थोक क्रय तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, के विद्युत प्रदाय संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन किया गया जिसमें याचिकाकर्ता कम्पनी भी शामिल है। अधिसूचना क्रमांक 3474 /एफआरएस/17/तेरह/2002 दिनांक 3 जून 2006 के द्वारा गया “मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना नियम 2006” (अंतरण योजना नियम) अधिसूचित किया।

8. म.प्र.शासन के निर्णयानुसार म.प्र.पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का नाम बदलकर म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, किया गया है। म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी तीनों वितरण कंपनियों, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, की होल्डिंग कंपनी है। कुछ कार्यकलाप एवं शक्तियां

जो पूर्व में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल को प्राप्त थी, याचिकाकर्ता (म.प्र.पा.मै.कं.लि.) को प्रदान की गई है। रजिस्ट्रार आफ कंपनी म.प्र.के द्वारा नामांतण के पश्चात इस आशय का प्रमाण पत्र 10.04.2012 को जारी किया गया है।

9. म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, को वितरण कंपनियों की टैरिफ याचिका एवं उससे संबंधित कार्यवाहियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अन्य गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उपरोक्त हेतु म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा म.प्र.की तीनों वितरण कंपनियों से “प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों से संबंधित” अनुबंध किया गया है।

10. 5 जून 2012 को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ने राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों से “प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों हेतु अनुबंध” पर हस्ताक्षर किया है। इस अनुबंध में समान प्रकृति के निम्नलिखित कार्यों हेतु आपसी सहमति व्यक्त की गयी है:-

- नियामक आयोग के विनियम के अनुसार तीनों वितरण कंपनियों से चर्चा कर उनकी विद्युत आवश्यकताओं का आंकलन एवं लम्बी अवधि/ मध्यम अवधि/ लघु अवधि की विद्युत योजना बनाना एवं विद्युत खरीदी की संभावनाओं का पता लगाना।
- म.प्र. सरकार की अधिसूचना के अनुसार एवं भविष्य में इस हेतु प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुरूप खुदरा टैरिफ आदेश के अनुसार तीनों वितरण कंपनियों को विद्युत का आवंटन करना।
- विजली की आर्थिक, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी लघु एवं मध्यम अवधि खरीदी करना एवं राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विद्युत, यदि कोई है तो, का विक्रय / बैंकिंग।
- दीर्घकालीन एवं मध्यम अवधि के विजली खरीदी के अवसर तलाप कर विजली खरीदी के लिए आपसी खरीदी समझौतों को अंतिम रूप देना।
- म.प्र. पावर मैनेजमेंट क. लि. के खर्चों को तीनों वितरण कंपनियों की विद्युत खरीदी लागत के एक हिस्से के रूप में को शामिल किया गया है।

11. उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता (एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियां), विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 एवं 62 (1) (डी) में निहित प्रावधानों तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम में निहित प्रावधानों के तहत अपने वितरण एवं खुदरा विद्युत प्रदाय व्यवसाय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दर निर्धारण हेतु वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर रही है।

12. एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियां ने वर्तमान सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) याचिका दायर करने के दौरान प्रचलित विनियम के तहत विभिन्न कानूनी एवं विनियमक निर्देशों तथा लागू प्रावधानों सहित माननीय आयोग द्वारा “आयोग के व्यापार नियमों”, दिशा निर्देशों, पूर्व ए॰आर॰आर॰ एवं दर आदेशों और म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (दर निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्ता) विनियम 2015 (जो आगे “विनियम” अथवा “रेग्यूलेशन” से निर्दिष्ट है) के परिपालन का अथक प्रयास किया है।

13. निवेदन है कि जैसे ही खुदरा दर आदेश प्रभावी होता है, मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के संबंध में प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, चक्रण प्रभार तथा पारेषण प्रभार को भी अधिसूचित करके दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावणील किया जावे।

14. यह याचिका माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा रेग्यूलेशन 2256/एमपीईआरसी/2015 दिनांक 17.12.2015 में MPERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations 2015 के अनुसार नियत मानक मापदण्डों के आधार पर दायर की गई है।

इसलिए याचिकाकर्ताओं को वोल्टेज स्तरवार तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के प्रमाणित नुकसान के अलगाव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग ने म.प्र. में वोल्टेज स्तरवार लागत को निर्धारित करने हेतु अपीलीय न्यायाधीकरण (एप्टेल) के निर्णय को संज्ञान में लिया है। हालांकि यह निर्णय वोल्टेज स्तरवार क्रास सब्सिडी अधिभार निकालने के लिए है, न कि उपभोक्ता विद्युत दर हेतु। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा औसत विद्युत की कीमत के आधार पर उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत दर प्रस्तावित की है, जो कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2006 के अनुरूप है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना वितरण लाइसेंस धारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, एप्टेल द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया अनुसार किया जावे। माननीय आयोग की सलाह से क्रास सब्सिडी वोल्टेज स्तर एवं उपभोक्ता श्रेणी स्तर की गणना वितरण लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एप्टेल द्वारा सुझाई प्रक्रिया अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश के अनुसार किया जाये।

15. याचिकाकर्ता ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियमों के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। यथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदानुसार याचिका को संशोधित / पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करें।

16. एप्टेल के फैसले के परिणाम स्वरूप माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु तीनों वितरण कंपनियों के लिए टु-अप लागतों की शेष राशि की स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तुत सकल राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 की टुअप लागतों को माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 12.01.2017 को अनुमोदित किया है। माननीय आयोग द्वारा रु. 1969.47 करोड़ अनुमोदित किये गये हैं। समापन पैरा में माननीय आयोग द्वारा यह दर्शाया है कि “this amount may be claimed by the respondent through the petition to be filed for determination of ARR and Retail supply tariff for future years”. अतः यह राशि वर्ष 2018-19 में शामिल की जाएगी।

सकल राजस्व आवश्यकता की विशेषताएं निम्नानुसार है :-

स.क्र..	सकल राजस्व आवश्यकता मद		पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम	राज्य का योग
1	सकल राजस्व आवश्यकता योग (टू-अप छोड़कर)	Rs Crores	9,877	10,504	11,419	31,800
2	चालू राजस्व दर	Rs Crores	8,376	9,114	10,054	27,545
3	अन्तर (टू-अप छोड़कर)	Rs Crores	1,500	1,390	1,365	4,255
4	प्रदाय की औसत कीमत (टू-अप छोड़कर)	Rs/kWh	6.47	6.56	6.19	6.40
	विगत वर्षों में टू-अप का दर पर प्रभाव					
a	वितरण कंपनियों की टू-अप का प्रभाव वि.व. 2006-07	Rs Crores	119.25	135.92	167.78	422.85
b	उत्पादन कंपनी की टू-अप का प्रभाव वि.व. 2014-15	Rs Crores	-169.19	-186.13	-207.46	-562.78
c	पारेषण कंपनी की टू-अप का प्रभाव वि.व. 2014-15	Rs Crores	123.631	131.73	157.64	413.00
5	योग सकल राजस्व आवश्यकता (टू-अप सहित)	Rs Crores	9,950	10,586	11,537	32,073
6	योग राजस्व अन्तर (टू-अप सहित)	Rs Crores	1,574	1,472	1,483	4,528
7	विद्युत प्रदाय की औसत लागत (टू-अप सहित)	Rs Crores	6.52	6.61	6.26	6.45

17. हालांकि वाणिज्यिक एवं तकनीकी दक्षता में सुधार हेतु सभी संभव प्रयास के बाद भी, वितरण कंपनियाँ खर्चों के वसूली में असमर्थ रहने के कारण वितरण कंपनियाँ वर्तमान टैरिफ में वृद्धि प्रस्तावित करने हेतु मजबूर हैं।
18. याचिकाकर्ता कोयला, तेल एवं गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों में ईंधन की लागत में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित लागतों की वसूली / समायोजन के लिए ऊर्जा लागत समायोजन (एफ.सी.ए) का निर्धारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे। याचिकाकर्ता पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एफ.सी.ए. की गणना करने की वर्तमान प्रक्रिया में ऊर्जा क्रय लागत की वृद्धि से संबंधित वसूली के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करते हैं कि केवल परिवर्तनीय लागतों के स्थान पर औसत ऊर्जा क्रय लागत को गणना के लिये किया जाना चाहिए और इस प्रकार पूर्ण नियत लागत लागतों को उपभोक्ता को स्वीकार्य लागत के रूप में पहुंचाया जाना चाहिये।
19. म.प्र.पा.मै.कं.लि. जबलपुर ने श्री एफ.के. मेशाम, मुख्य महाप्रबंधक (रेवेन्यू मैनेजमेंट), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि..कं.लि. जबलपुर ने श्री जी.पी.सिंह, मुख्य अभियंता (वाणिज्य), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ने श्री पवन कुमार जैन, अति.अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल ने श्री ए. आर. वर्मा, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य), को कम्पनी की ओर से समस्त दस्तावेजों एवं कार्यवाही निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया है। तदानुसार वर्तमान में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं, जो शपथ पत्र द्वारा समर्पित हैं।

प्रार्थना

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनुरोध करते हैं कि :-

- (a) उपरोक्त याचिकाकर्ताओं की एकमुश्त संलग्न सकल राजस्व आवश्यकता /दर याचिका को पूर्ण अभिलेख मानते हुए रिकार्ड में शामिल करे,
- (b) वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. की रु. 9950 करोड़ , म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की रु. 10586 करोड़ तथा प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की रु. 11537 करोड़ सकल राजस्व आवश्यकता को (सभी कंपनियों की टुअप राशियों को शामिल करते हुए) मान्य एवं अनुमोदित करे,
- (c) वर्ष 2017-18 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राशि रु. 1603 करोड़ (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. हेतु रु. 699 करोड़, मध्य क्षेत्र विद्युत वित.कं.हेतु रु. 499 करोड़ तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.कं.हेतु रु. 405 करोड़) को रेग्यूलेटरी असेट्स के रूप में मान्य करें।
- (d) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय करते हुए, माननीय आयोग, म.प्र.पा.मै.कं.लि. के खर्चों को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की पावर क्रय लागत में शामिल करने की अनुमति प्रदान करे,
- (e) वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु याचिकाकर्ताओं (वितरण कंपनियों) द्वारा दर वृद्धि का प्रस्ताव कर विचारण करे एवं अनुमोदन प्रदान करे,
- (f) वित्तीय वर्ष 2017-18 की सकल राजस्व आवश्यकता के आधार पर मुक्त अभिगम वाले ग्राहकों के संबंध में चक्रण प्रभार , वोल्टेज स्तर एवं उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति-अनुदान-अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा पारेषण प्रभार को भी विचारित एवं निर्धारित कर पुनरीक्षित दर आदेश की प्रभावी तिथि से ही प्रभावशील किये जाने हेतु और अनुमोदन प्रदान करे,
- (g) इस याचिका में अनचाहे शेष रह गये तथ्यों/गलतियों/कमियों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंश (अंशों) को जोड़ने /बदलने /सुधार करने/ परिवर्तित करने की एवं पश्चातवर्ती स्थिति में आवश्यक होने पर अन्य प्रस्तुतिकरण अनुमति प्रदान करे,
- (h) तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार जैसा कि माननीय आयोग उन्नित समझे, यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांक – 20 जनवरी-2017

सही/-
(एफ.के.मेशाम)
मुख्य महाप्रबंधक (रेवेन्यू मैनेजमेंट)
म.प्र.पा.मैने.कं.लि.जबलपुर

सही/-
(जी.पी.सिंह)
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर

सही/-
(पवन कुमार जैन)
अति. अधी. अभियंता (वाणिज्य)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.इंदौर

सही/-
(ए.आर.वर्मा)
अधीक्षण अभियंता(वाणिज्य)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.भोपाल

विषय सूची की तालिका

प्रार्थना		07
1	विक्रयों का आंकलन	15
1.1	विक्रयों का आंकलन हेतु अपनाई गई विधि	15
1.2	श्रेणीवार विक्रय का प्रक्षेपण	17
1.2.1	एल.ब्ही.- 1 – घरेलू ...	17
1.2.2	एल.ब्ही. 2 – गैर घरेलू	22
1.2.3	एल.ब्ही. 3.1 – जल प्रदाय ...	24
1.2.4	एल.ब्ही.-3.2 – पथ प्रकाश.....	28
1.2.5	एल.ब्ही. 4.1 – गैर मौसमी औद्योगिक ...	31
1.2.6	एल.ब्ही. 4.2 – मौसमी औद्योगिक ...	36
1.2.7	एल.ब्ही. 5.1 - कृषि ...	40
1.2.8	एल.ब्ही. 5.2 - कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग...	44
1.2.9	एच.ब्ही. 1 रेल्वे कर्पण ...	48
1.2.10	एच.ब्ही. 2 कोयला खदानें ...	48
1.2.11	एच.ब्ही. 3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	50
1.2.12	एच.ब्ही.4 मौसमी ...	57
1.2.13	एच.ब्ही.5 जल प्रदाय उदवहन सिंचाई योजना एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग ..	58
1.2.14	एच.ब्ही.6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता	66
2.	वितरण कंपनी की परिधि पर ऊर्जा की आवश्यकता एवं एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता ..	68
2.1	वार्षिक विक्रय का मासिक विक्रय में परिवर्तन...	68
2.2	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. की हानियां...	69
2.3	वितरण हानियां ...	69
2.3.1	वार्षिक वितरण हानियों का माहवारी हानियों में परिवर्तन ...	70
3.	उपलब्धता का अनुमान...	82
3.1	वर्तमान में पावर मैनेजमेंट कंपनी को उपलब्ध क्षमताओं का विवरण	82
3.2	म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. को आवंटित उत्पादन क्षमता-स्थापित एवं वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की अवधि में क्षमता वृद्धि सभी आवंटित केन्द्र से उपलब्धता ...	88 91
3.2.1	सकल उपलब्धता..	96
3.2.2	सकल उपलब्धता..	96
3.3	बेक डाउन आफ पावर	96
3.4	अन्तर राज्यीय पारेषण हानियां ...	98
3.5	अतिशेष ऊर्जा का प्रबंधन	98
3.6	ऊर्जा संतुलन...	99
3.6.1	ऊर्जा की आवश्यकता के साथ-साथ उपलब्धता एवं कमी का प्रबंधन	99

4.	विद्युत क्रय की लागत ...	100
4.1	म.प्र. वितरण कंपनियों के स्टेशनवार लागत का आंकलन.....	100
4.2	मेरिट आर्डर डिस्पेच (एम.ओ.डी.) ...	106
4.3	आर.पी.ओ. लागत ...	132
4.4	अन्य क्रय लागत का आंकलन	133
4.4.1	अन्तर राज्यीय पारेषण शुल्क ...	133
4.4.2	अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क – म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. की टर्मिनल बेनीफिट रहित नियत लागत (कैश आउट फ्लो)	133
4.4.3	अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क – म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं.लि. की लागतें टर्मिनल बेनीफिट सहित (कैश आउट फ्लो) ...	134
4.4.4	म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. की लागतें ...	135
4.4.5	सकल विद्युत क्रय लागत	136
4.4.6	विद्युत क्रय की वृद्धि ..	139
5.	संचालन एवं संधारण व्यय (वितरण कंपनीवार)	141
5.1	कर्मचारी लागत...	141
5.2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय ...	142
5.3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	143
5.4	संचालन एवं संधारण व्ययों का सार ..	144
6	निवेश योजना (वितरण कंपनीवार)	145
6.1.	पूंजीगत निवेश योजना	145
6.2	योजनावार कैपेटाइलजेशन ..	147
6.3	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	149
6.4	स्थाई परिसम्पत्तियों का संयोजन	150
7.	अन्य आय/व्यय: (वितरण कंपनीवार)	151
7.1	अवमूल्यन..	151
7.2	ब्याज एवं वित्त प्रभार ...	151
7.2.1	परियोजना ऋण पर ब्याज	151
7.2.2	कार्यशील पूंजी पर ब्याज ..	154
7.2.3	उपभोक्ताओं की सुरक्षा निधि पर ब्याज ..	157
7.3	अन्य आय ...	157
7.4	अंशपूंजी पर प्रतिलाभ...	158
7.5	डूबंत एवं संदिग्ध ऋण...	160
8.	एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं. की आय एवं व्यय का ब्यौरा	161
8.1	आय..	161
8.2	व्यय..	162
9.	वार्षिक सकल राजस्व आवश्यकता	167
9.1	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. की सकल राजस्व आवश्यकता	167
9.2	वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता	167

10.	अनुषंगी लाभ (पेंशन, उपदान एवं अवकाश नगदीकरण) प्रावधान ...	170
11 .	बिजली खरीद लागत समायोजन (पी.पी.सी.ए.)	174
12.	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टैरिफ प्रस्ताव.....	178
12.1	टैरिफ प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं	183
12.1.1	एल.व्ही. 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय एवं एल.व्ही. 3.2 पथ प्रकाश की उपश्रेणियों का विलीनीकरण....183	
12.1.2	सभी निम्नदाव श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर प्रोत्साहन.....	183
12.1.3	प्रीपेड मीटर वाले सभी घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट ...	183
12.1.4	एच.व्ही. 6.2 में अपार्टमेन्ट/ कालोनी/टाउन शिप में थोक रहवासी उपयोग हेतु जोड़ा जाना ...	184
12.1.5	एच.व्ही. 3.2 गैर औद्योगिक उपयोग को एच.व्ही. 3.3 शॉर्पिंग मॉल में विलय ...	184
12.1.6	देयकों के ऑनलाइन भुगतान पर उच्चदाव उपभोक्ताओं को छूट ...	184
12.1.7	उच्चदाव एवं निम्नदाव उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मांग पर नियत प्रभार संबंधित अतिरिक्त राशि की सीमा में वृद्धि	184
12.1.8	विद्युत द्वारा चलित वाहनों की चाजिंग हेतु दरे	185
12.1.9	एच.व्ही. 3 श्रेणी के उच्चदाव उपभोक्ताओं के अतिरिक्त खपत पर छूट	185
12.1.10	एच.व्ही. 3 श्रेणी के नवीन उच्चदाव उपभोक्ताओं हेतु छूट	185
12.1.11	वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु छूट	186
12.1.12	केपिटव पावर प्लांट उपभोक्ताओं हेतु छूट	188
12.1.13	ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन....	190
12.1.14	रेल्वे कर्षण उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार में छूट	190
12.1.15	कैशलेश (नगद भुगतान रहित) लेन-देन पर अतिरिक्त व्यय ...	191
12.1.16	अस्थायी अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के खपत के निर्धारण में बदलाव	191
12.1.17	उच्चदाव उपभोक्ताओं द्वारा समान विभव पर संविदा मांग में बढ़ोतरी करने पर लगने वाले अतिरिक्त चार्जेस में रियायत	191
13.	वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागत	192
13.1	आयोग के दिशा निर्देश	192
13.2	वोल्टेजवार हानियां	193
13.2.1	कार्यप्रणाली विषयक	193
13.3	गणना ..	195
13.4	प्रति अनुदान अधिभार का निर्धारण	198
13.5	अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण	199
14.	टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2016-17 का अनुपालन	199
14.1.	वितरण हानियां ...	199
14.2	अमीटरीकृत विद्युत संयोजनों को मीटरीकृत करना...	203
14.3	तकनीकी हानियों को कम किये जाने हेतु पूंजीगत व्यय योजना....	204
14.4.	ग्रामीण फीडरों का कृषि एवं अन्य फीडरों में विभक्तिकरण...	214
14.5	नये टैरिफ के आधार पर पहले बिल के साथ टैरिफ कार्ड जारी करना ...	217
14.6	सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जाना ..	217
14.7	छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन...	218

14.8	एक समान लेखा का संधारण...	219
14.9	25 अश्व शक्ति से अधिक भार वाले निम्न दाव गैर घेरेलू उपभोक्ताओं के लिये अनिवार्य मांग आधारित टैरिफ ...	219
14.10	उपभोक्ताओं को बिल किये जाने हेतु खपत का आंकलन	219
14.11	वोल्टेजवार सप्लाई लागत निर्धारित करने के लिए वितरण तंत्र का तकनीकी अध्ययन_	220
14.12	KWH बिलिंग से KWH बिलिंग पर जाने से उसके प्रभाव का अध्ययन	222
14.13	न्यूनतम खपत की दरों की दरों से बिलों पर प्रभाव का अध्ययन	224
14.14	तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का विभाजन	227
14.15	ट्रेडिंग मार्जिन याचिका	229
14.16	पूंजीगत व्यय योजना हेतु अनुमोदन ..	230
14.17	अन्तर को पाठने हेतु उठाये गये कदम ...	231
14.18	उपभोक्तावार बढ़ी हुई खपत का लेखा-जोखा अलग से रखना	231
15.	टैरिफ गणना	233

तालिकाओं की सूची

तालिका-1	वित्तीय वर्ष 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं बहुवर्षीय टैरिफ वि.व. 2017 से वि.व. 2019 हेतु बिक्री (मि.यू)....	16
तालिका-2	एल.ब्ही.-1 घरेलू यूनिट का आंकलन	18
तालिका-3	एल.ब्ही.-2 गैर घरेलू यूनिट का आंकलन.....	22
तालिका-4	एल.ब्ही.-3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय यूनिट का आंकलन	24
तालिका-5	एल.ब्ही.-3.2 पथ प्रकाश यूनिट का आंकलन	28
तालिका-6	एल.ब्ही.-4.1 गैर मौसमी औद्योगिक यूनिट का आंकलन	32
तालिका-7	एल.ब्ही.-4.2 मौसमी औद्योगिक यूनिट का आंकलन	36
तालिका-8	एल.ब्ही.-5.1 कृषि यूनिट का आंकलन.....	40
तालिका-9	एल.ब्ही.-5.2 कृषि उपयोग के अलावा यूनिट का आंकलन	44
तालिका-10	एच.ब्ही-1 रेल्वे कर्षण के उपयोग का आंकलन.....	48
तालिका-11	एच.ब्ही-2 कोयला खदान के उपयोग का आंकलन.....	49
तालिका-12	एच.ब्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक का आंकलन.....	50
तालिका-13	एच.ब्ही.-4 मौसमी उपभोक्ताओं के उपयोग का आंकलन	57
तालिका-14	एच.ब्ही.-5 सार्वजनिक जल प्रदाय, उद्धन सिंचाई एवं कृषि उपयोग के अलावा का आंकलन.....	58
तालिका-15	एच.ब्ही.-6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता का आंकलन.....	66
तालिका-16	वितरण कंपनियों की महीनेवार बिक्री प्रोफाइल.....	68
तालिका-17	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. की हानियां (एम.पी.एस.एल.डी.सी से प्राप्त पूर्व आंकड़े)	69
तालिका-18	वितरण कंपनियों हेतु हानि स्तर लक्ष्य (म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के अनुसार).....	69
तालिका-19	वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 हेतु राज्य सीमा पर मासिक ऊर्जा की आवश्यकता(मि.यू).....	70
तालिका-20	प्रस्तावित ऊर्जा क्रय एक्स-बस वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक (निर्धारित हानियों का)	80
तालिका-21	प्रस्तावित ऊर्जा क्रय एक्स-बस वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक (वास्तविक हानियों का)	81
तालिका-22	म.प्र. को आवंटित उत्पादन केन्द्र तथा उनकी क्षमता का आवंटित भाग (मेगावॉट)	83
तालिका-23	वित्तीय वर्ष 2017 के लिए आवंटन का प्रतिशत ..	86
तालिका 24 :	वित्तीय वर्ष 2018 के लिए आवंटन का प्रतिशत ...	86
तालिका 25 :	वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आवंटन का प्रतिशत ...	87
तालिका 26 :	म.प्र.पा.में.कं.लि. को आवंटित स्टेशन – स्थापित क्षमता वि.व. 2019 तक (मेगावॉट)	88
तालिका 27:	क्षमता वृद्धि योजना (म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.को आवंटित उपकेन्द्र उनकी क्षमता के साथ) ..	90
तालिका-28	मेगावॉट में क्षमता का सारांश	90
तालिका-29	म.प्र. को आवंटित केन्द्रों की पिछली एवं आंकलित एक्स-बस उपलब्धता (मि.यू.)	92
तालिका 30	सकल उपलब्धता वि. व 2019 तक (मि.यू) ...	96
तालिका 31	पावर का परित्याग (केन्द्रवार) ..	96
तालिका-32	म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी के पास मांग से अधिक उपलब्ध ऊर्जा का वित्तीय वर्ष 2017- से वित्तीय वर्ष 2019 के लिए प्रबंधन	98
तालिका 33 :	वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से खरीद (एक्स बस) ...	99

तालिका 34:	वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी को आवंटित स्टेशनों हेतु कुल नियत एवं परिवर्तनीय लागत.....	100
तालिका 35 :	वित्तीय वर्ष 2018 के स्टेशनवार एम.ओ.डी.	106
तालिका 36:	वितरण कंपनियों को आवंटित केन्द्रों की कुल नियत एवं परिवर्तनीय लागत...	109
तालिका-37	आवंटित केन्द्रों की कुल नियत एवं परिवर्तनीय लागत...	126
तालिका -38	लागत का विभाजन	131
तालिका- 39	वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 की आर.पी.ओ. संबंधी वचनबद्धता	132
तालिका 40	अन्तर राज्यीय पारेषण शुल्क ..	133
तालिका 41	अन्तः राज्यीय लागत – अनुषंगी लाभों के अतिरिक्त ...	134
तालिका -42	सकल अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें एवं वितरण कंपनियों को आवंटन (रु. करोड़) ...	135
तालिका- 43	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की लागतों का विवरण एवं वितरण कंपनियों में आवंटन खर्चों का विवरण एवं वितरण कंपनीवार आवंटन ..	135
तालिका-44 -	वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक के लिए कुल विजली खरीद की लागत...	136
तालिका-45	ख्रोतवार ऊर्जा खरीद लागत का विवरण .. वित्तीय वर्ष 2016	139
तालिका-46	वर्षवार ऊर्जा खरीद लागत का विवरण ..	139
तालिका-47	कर्मचारी लागत ..	141
तालिका 48 :	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विनियमन के अनुसार (रु. करोड़)...	142
तालिका 49 :	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, विनियमन के अनुसार (रु. करोड़)	143
तालिका 50:	संचालन एवं संधारण के व्ययों का सारांश विनियमन के अनुसार (रु. करोड़)	144
तालिका 51 :	योजनावार पूंजीगत व्यय (रु. करोड़)...	145
तालिका 52:	योजनावार पूंजीकरण (करोड़ .रु)...	147
तालिका 53:	पूंजीगत कार्य प्रगति पर (रु. करोड़)...	149
तालिका 54:	स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन(रु. करोड़) ...	150
तालिका 55 :	विनियमन के अनुसार अवमूल्यन (रु. करोड़)...	151
तालिका 56:	परियोजना ऋणों पर ब्याज (रु. करोड़)..	152
तालिका 57	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़)..	154
तालिका 58	विनियमन के अनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (रु. करोड़)..	157
तालिका 59	अन्य आय (रु. करोड़)....	158
तालिका 60:	विनियमन के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ (रु. करोड़)...	158
तालिका 61:	विनियमन के अनुसार डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण (रु. करोड़)...	160
तालिका 62:	अन्य आय (करोड़ .रु)	161
तालिका 63	अन्य आय (करोड़ .रु)...	163
तालिका 64 :	अवमूल्यन (रु .करोड़)	164
तालिका 65:	एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश(करोड़ .रु)...	167
तालिका 66:	विनियम के अनुसार वितरण कंपनियों सकल राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड़) ...	168
तालिका 67:	एकन्तुरी के अनुसार भविष्य योगदान दायित्व की दर ..	170
तालिका 68 :	अनुषंगी लाभ की गणना प्रावधान(करोड़ .रु)...	171
तालिका : 69	वितरण कंपनियों के लिए अनुषंगी लाभ देयता के प्रावधान(करोड़ .रु) ...	172
तालिका- 70	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दर प्रस्ताव का सारांश	180

तालिका 71	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए श्रेणीवार प्रस्तावित राजस्व ...	181
तालिका 72 :	पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई लागत की गणना....	195
तालिका 73 :	मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई लागत की गणना..	196
तालिका 74:	पश्चिम क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई लागत की गणना...	197
तालिका 75 :	म.प्र. राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई लागत की गणना ...	198

1. विक्रयों का आंकलन

1.1 विक्रयों के आंकलन हेतु अपनाई गई विधि

विक्रय के प्रक्षेपण के उददेश्य से, वितरण अनुज्ञसिधारियों ने विगत चार वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2012-13, वि.वर्ष 2013-14, वि.वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के माह अगस्त-2016 तक के उपलब्ध विद्युत के विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदा भार आदि के श्रेणीवार तथा खण्डवार वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया है।

अनुज्ञसिधारियों ने विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए याचिका दायर करते समय वित्तीय वर्ष 2014-15 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विक्रयों का प्रक्षेपण किया था। अब चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं, और यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुज्ञसिधारी द्वारा किये गये विक्रयों के पूर्वानुमानित प्रक्षेपणों तथा जिन्हें माननीय आयोग द्वारा पिछली याचिकाओं के दौरान अनुमोदित किया गया था, से वास्तविक विक्रयों में उल्लेखनीय विचलन हुआ है एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान विद्युत प्रदाय के घटाऊं में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञसिधारी यह आवश्यक समझते हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के विक्रय पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित करना एवं तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण करना उचित होगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण विगत 04 वर्षों की वास्तविक खपत एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान के तहत उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार एवं खपत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

तीनों वितरण कंपनियों द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी एवं उनकी उप-श्रेणी के लिए पृथक-पृथक, 3 वर्ष एवं 2 वर्ष के संयुक्त चक्रवृद्धि विकास दरों (सी.ए.जी.आर.) को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात्, पिछली चक्रवृद्धि विकास दरों से भावी उपभोक्ता के पूर्वानुमानों के लिए श्रेणी / उप-श्रेणी हेतु यथोचित विकास दरे परिकल्पित की गई है।

विगत वित्तीय वर्षों की चक्रवृद्धि विकास दरों का जो प्रति उपभोक्ता प्रति किलो वॉट विक्रय एवं सम्बद्ध भार को प्रयोग करते हुए प्रत्येक श्रेणी/उपश्रेणी की सम्बद्ध भार एवं श्रेणी में विक्रय का पूर्वानुमान किया गया है। विशिष्ट खपत तथा खपत प्रति उपभोक्ता और/ अथवा खपत प्रति किलोवॉट जो मूलभूत पूर्वानुमान समंक हैं, का उपयोग भार एवं विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान हेतु किया जाता है। इस MODEL का उपयोग करने का मूल कारण यह है कि इस आधार से प्रति उपभोक्ता विशिष्ट खपत एवं प्रति इकाई भार खपत का उपयोग कर एक निश्चित विकास चक्र में विद्युत के उपयोग की प्रवृत्ति एवं परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि को सी.ई.ए. द्वारा भी अनुशंसित किया गया है।

प्रक्षेपण हेतु तीनों वितरण कंपनियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक मान्यताओं की आगे के खण्डों में चर्चा की गई है। सकल विक्रय का पूर्वानुमान निम्नानुसार है:-

तालिका-1 वित्तीय वर्ष 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं बहुवर्षीय टैरिफ वि.व. 2017 से वि.व. 2019 हेतु बिक्री (मि.यू)

		East Discom			Central Discom			West Discom			MP State		
TC	Category	FY 17 (RE)	FY 18	FY 19	FY 17 (RE)	FY 18	FY 19	FY 17 (RE)	FY 18	FY 19	FY 17 (RE)	FY 18	FY 19
LV 1	घरेलू	4,067	4,540	5,109	3,815	4,283	4,653	3,686	3,939	4,209	11,568	12,762	13,971
LV 2	गैर घरेलू	916	1,037	1,174	850	956	1,082	938	1,015	1,099	2,703	3,008	3,355
LV 3	जल प्रदाय तथा पथ प्रकाश	357	408	469	335	361	391	417	455	497	1,109	1,224	1,357
LV 4	निम्नदाब औद्योगिक	332	365	404	270	283	299	572	591	611	1,174	1,239	1,313
LV 5.1	कृषि सिंचाई पम्प	5,625	5,920	6,324	6,118	6,286	6,550	7,984	8,544	9,147	19,727	20,750	22,021
LV 5.2	कृषि संबंधी उपयोग	8	9	11	127	127	127	1	1	1	137	138	140
	योग (निम्नदाब)	11,305	12,279	13,491	11,515	12,298	13,101	13,598	14,545	15,564	36,418	39,122	42,156
HV 1	रेल्वे कर्पण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HV 2	कोयला खदाने	443	443	443	35	35	35	0	0	0	477	477	477
HV 3.1	औद्योगिक	1,854	1,865	1,876	2,336	2,632	2,980	2,127	2,149	2,171	6,317	6,646	7,027
HV 3.2	गैर औद्योगिक	228	236	244	400	426	455	355	359	363	983	1,021	1,062
HV 3.3	शॉपिंग माल	9	10	10	18	19	20	49	50	51	76	78	30
HV 3.4	पावर इंटेसिव उद्योग	32	32	33	213	231	252	790	803	817	1,035	1,067	1,102
HV 4	मौसमी	8	9	9	2	2	2	12	12	12	22	22	23
HV 5.1	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई कार्य	91	97	104	179	194	211	464	478	493	734	769	808
HV 5.2	अन्य कृषि	14	15	17	8	10	12	7	7	7	29	32	35
HV 6	थोक रहवासी उपयोगकर्ता	285	286	287	167	174	180	31	31	31	483	490	498
HV 7	स्टार्टअप पावर	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
	योग (उच्चदाब)	2,964	2,993	3,023	3,359	3,722	4,146	3,834	3,889	3,945	10,157	10,604	11,064
	कुल योग निम्नदाब + उच्चदाब	14,269	15,271	16,514	14,873	16,020	17,247	17,432	18,434	19,458	46,575	49,725	53,220

* अंकों को निकटवर्ती अंक में पूर्णांकित किया गया है

1.2 श्रेणीवार विक्रय का प्रक्षेपण

1.2.1 एल.व्ही.-1: घरेलू

1.2.1.1 अमीटरीकृत घरेलू विक्रयों के भावी प्रक्षेपणों हेतु अनुमान

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जारी दर आदेशों में माननीय आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की अनुमानित खपत 75 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह प्रति संयोजन स्वीकृत की थी तथा इसे वर्ष 2015-16 एवं आगामी वर्षों हेतु सतत किया था। तदानुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं हेतु उसी आधार पर ही प्रक्षेपण किया गया है।

शहरी क्षेत्र के अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में याचिका में निरंक यूनिट का प्रक्षेपण किया गया है। (इन क्षेत्रों में समस्त उपभोक्ताओं के संयोजन मीटरीकृत कर दिये गये हैं)

उपभोक्ताओं में वृद्धि को कारक मानते हुए निम्न दाब श्रेणी एल.व्ही.-1 के प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-2 एल.व्ही.-1 घरेलू यूनिट का प्रक्षेपण

क्षेत्र	उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
		FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
शहरी	मीटरयुक्त	2,095	2,325	2,577	2,616	2,885	3,179	2,267	2,420	2,584	6,978	7,630	8,340
शहरी	मीटर रहित	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
शहरी	अस्थायी	19	19	19	21	21	21	22	23	24	62	63	64
शहरी	योग	2,115	2,343	2,595	2,638	2,906	3,201	2,290	2,444	2,608	7,043	7,693	8,404
ग्रामीण	मीटरयुक्त	1,658	2,048	2,438	1,096	1,336	1,411	1,393	1,492	1,598	4,147	4,877	5,447
ग्रामीण	मीटर रहित	291	145	73	79	40	40	0	0	0	371	185	113
ग्रामीण	अस्थायी	3	3	3	1	1	1	3	3	3	7	7	7
ग्रामीण	योग	1,952	2,196	2,513	1,176	1,377	1,452	1,396	1,495	1,601	4,524	5,069	5,567
योग	मीटरयुक्त	3,753	4,373	5,014	3,712	4,221	4,590	3,660	3,913	4,182	11,126	12,507	13,787
योग	मीटर रहित	293	145	73	81	40	40	0	0	0	374	185	113
योग	अस्थायी	22	22	22	22	22	23	25	26	27	68	70	71
योग	योग	4,067	4,540	5,109	3,815	4,283	4,653	3,686	3,939	4,209	11,568	12,762	13,971

1.2.1.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.

बहु-वर्षीय टैरिफ अवधि के लिए श्रेणी हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
मीटरयुक्त	उपभोक्ता	4.78%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	8.52%	एक वर्ष की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	16.48%	दो वर्ष की CAGR मानी गयी है।	12.00%	दो वर्ष की CAGR मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	

1.2.1.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.

वर्गवार अनुमानित विकासदर को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
मीटरयुक्त	उपभोक्ता	7.56%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	4.12%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	2.46%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	7.90%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	1.91%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	

1.2.1.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.लि-

इस श्रेणी हेतु विकास दर का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
---------	--------	------	---------

श्रेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
मीटरयुक्त	उपभोक्ता	3.68%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	2.96%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	2.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
अमीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	3.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.77%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	

1.2.2 गैर घरेलू

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 3 : एल.व्ही. -2 गैर घरेलू इकाई प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
मीटर युक्त	892	1,013	1,150	788	886	1,002	895	972	1,056	2,575	2,871	3,208
अस्थायी	24	24	24	61	70	80	42	42	42	128	136	146
योग	916	1,037	1,174	850	956	1,082	938	1,015	1,099	2,703	3,008	3,355

1.2.2.1 पूर्व क्षेत्र

इस श्रेणी हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया गया है

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
मीटरयुक्त	उपभोक्ता	4.12% 2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	14.56% 3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	4.36% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.30% 3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	4.08% 2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	0.00%

1.2.2.2. मध्य क्षेत्र

इस श्रेणी हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया गया है

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
---------	--------	------	---------

मीटरयुक्त	उपभोक्ता	3.62%	5 माह की भिनता मानी गयी है।	4.34%	5 माह की भिनता मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	3.72%	5 माह की भिनता मानी गयी है।	4.28%	5 माह की भिनता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.73%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	7.57%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.12%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.2.3 पश्चिम क्षेत्र

इस श्रेणी हेतु विकास दरों का अनुमान निम्नानुसार दर्शाया गया है

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
मीटरयुक्त	उपभोक्ता	3.46% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	6.32% 3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	4.00% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	1.30% 5 माह की भिनता मानी गयी है।	0.49% 2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	गयी है।	0.00%	।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	

1.2.3 एल.व्ही.- 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय

भविष्य में विद्युत प्रदाय के घन्टों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 4: एल.व्ही. - 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय हेतु प्रक्षेपित यूनिट

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
नगर निगम	53	56	59	84	89	95	41	44	47	177	189	201
नगर पंचायत	64	75	87	86	94	102	58	62	66	208	230	255
ग्राम पंचायत	99	121	148	57	64	71	149	165	182	305	349	401
अस्थायी	6	6	6	3	3	2	5	6	6	14	14	14
योग	222	257	300	229	249	271	253	276	301	704	782	872

1.2.3.1. पूर्व क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	3.32% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	2.45%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
नगर पंचायत	उपभोक्ता	9.02%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	6.39%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
ग्राम पंचायत		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	8.88%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	0.00%	
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	

1.2.3.2 मध्य क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग		शहरी		ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	0.19%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	1.35%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	5.02%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	
नगर पंचायत	उपभोक्ता	9.01%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate has been considered
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	3.47%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	3.31%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
ग्राम पंचायत		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	5.84%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	उपभोक्ता	4.07%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	4.77%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	6.33%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
अस्थायी	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	6.31%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	

1.2.3.3 पश्चिम क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग		शहरी		ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	2.39%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	5.26%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	4.97%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	2.41%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate has been considered
नगर पंचायत	उपभोक्ता	6.97%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.45%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
ग्राम पंचायत		6.02%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	8.61%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	उपभोक्ता	-3.92%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.44%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	19.84%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	4.07%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	

	औसत भार (किवॉ.) प्रति उपभोक्ता	0.00%	।	0.00%	
--	--------------------------------	-------	---	-------	--

1.2.4 एल.क्षी. 3.2 पथ प्रकाश

विद्युत प्रदाय के घन्टों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यूनिट में भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 5: एल.क्षी. -3.2 पथ प्रकाश यूनिट प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
नगर निगम	64	74	84	48	49	50	63	67	71	176	190	205
नगर पंचायत	56	61	68	52	54	56	42	46	51	149	161	175
ग्राम पंचायत	15	16	17	6	9	14	58	66	74	79	91	105
योग	135	151	169	106	112	120	163	179	195	405	442	485

1.2.4.1 पूर्व क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
नगर निगम	उपभोक्ता	9.98%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	15.00%	Custom growth rate has been considered		
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	3.78%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
नगर पंचायत	उपभोक्ता	7.71%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	17.84%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	2.10%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	14.49%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.35%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार उपभोक्ता प्रति (वॉ.कि)	12.56%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.60%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

1.2.4.2 मध्य क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
नगर निगम	उपभोक्ता	4.00%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.26%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	-2.03%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate considered
नगर पंचायत	उपभोक्ता	2.70%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी	10.00%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग		शहरी		ग्रामीण
			है।		
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वाँ.कि)	0.38%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	1.29%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	60.12%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वाँ.कि)	10.00%	Custom growth rate considered	10.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	5.00%	Custom growth rate considered	10.00%	Custom growth rate considered

1.2.4.3 पश्चिम क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विकास दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्र	संवर्ग		शहरी		ग्रामीण
नगर निगम	उपभोक्ता	5.57%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वाँ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
नगर पंचायत	उपभोक्ता	10.01%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।			5.14%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।			0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
ग्राम पंचायत	उपभोक्ता	2.48%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।			4.42%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	2.68%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।			2.83%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	13.79%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।			5.04%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

1.2.5 : एल.क्ली. 4.1 गैर मौसमी औद्योगिक

अनुमानित प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-6 - निम्नदाब 4.1 गैर मौसमी औद्योगिक यूनिट का प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
25 अश्व शक्ति तक	168	177	187	154	156	158	252	259	267	574	593	612
25 अ.श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	123	143	167	103	110	117	234	241	248	460	493	532
100 अश्व शक्ति से	24	28	32	11	14	19	78	83	88	113	125	139

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
अधिक												
अस्थायी	13	13	13	0	1	1	2	2	2	15	15	15
योग	328	361	400	268	281	295	566	584	604	1,162	1,226	1,299

1.2.5.1 पूर्व क्षेत्र

इस श्रेणी में अनुमानित विक्रय का प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

Area	Category	Urban			Rural		
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	2.70%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।		5.20%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.98%	1 वर्ष की विकास दर मानी गयी है।		1.94%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।		0.00%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
25 अ .श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	8.05%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।		32.25%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।		0.00%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।		0.00%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	10.00%	Custom growth rate		20.00%	Custom growth rate	
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.28%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		2.13%	5 month variation has been considered	

Area	Category	Urban		Rural	
अस्थायी	औसत खपत प्रति कि प्रतिमाह .वॉ.	0.00%	5 month variation has been considered	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति कि प्रतिमाह .वॉ.	0.00%		0.00%	

1.2.5.2 मध्य क्षेत्र

विकास दर का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संघर्ग	शहरी	ग्रामीण
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	2.21%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.35%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.19%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।

25 अ.श. से अधिक से अश्व शक्ति 100 तक	उपभोक्ता	5.86%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.21%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	-1.50%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.85%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.18%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	10.00%	Custom growth rate considered	2.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.26%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate considered
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%		2.19%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	11.70%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate considered

1.2.5.3 पश्चिम क्षेत्र

विकास दर का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण

25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.26%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	3.24%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.68%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.66%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	1.48%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अ.श. से अधिक से अश्व शक्ति 100 तक	उपभोक्ता	2.75%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	3.73%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	1.44%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	5.00%	Custom growth rate	1.00%	Custom growth rate
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	1.30%	3 वर्ष की CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	3.48%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%		6.98%	2 वर्ष की CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.6 मौसमी औद्योगिक

भविष्य के लिए प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 7 : LV-4.2 मौसमी औद्योगिक यूनिट का प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
25 अश्व शक्ति तक	1	1	1	0	0	0	3	3	3	4	4	4
25 अ.श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	2	2	2	2	2	3	4	4	4	8	8	9
100 अश्व शक्ति से अधिक	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
योग	4	4	4	2	3	3	7	7	7	12	13	14

1.2.6.1 पूर्व क्षेत्र

विकास दर का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्गी	शहरी		ग्रामीण	
तक	औसत भार प्रति (वॉ.कि) उपभोक्ता	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
25 अ.श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति (वॉ.कि) उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति (वॉ.कि) उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	2.04%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	13.99%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.6.2 मध्य क्षेत्र

विकास दर का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्गी	शहरी		ग्रामीण	
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate considered
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अ.श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	8.52%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	10.91%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	10.00%	Custom growth rate considered	10.00%	Custom growth rate considered
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.13%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	33.88%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	

1.2.6.3 पश्चिम क्षेत्र

25 अ.श. से अधिक के उपभोक्ताओं में 5 प्रतिशत की नाममात्र की विकास दर प्रक्षेपित की गई है। अन्य श्रेणियों के लिए कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

श्रेणी	संवग	शहरी	ग्रामीण
25 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	5.00% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्गी	शहरी		ग्रामीण	
औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	1.29%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।		1.21%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
25 अ.श. से अधिक से 100 अश्व शक्ति तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	3.28%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
100 अश्व शक्ति से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%		0.00%	
	औसत खपत प्रति कि .वॉ. प्रतिमाह	0.00%		0.00%	

1.2.7 एल.व्ही. 5.1 कृषि निम्नदाव 5.1 कृषि श्रेणी हेतु प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका 8 : LV-5.1 कृषि हेतु यूनिट का प्रक्षेपण

क्षेत्र	उप संवर्गी	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
---------	------------	---------------	--------------	----------------	--------------

		FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
नगरीय	सामान्य मीटरीकृत	4	4	4	8	8	9	2	2	2	13	14	15
नगरीय	अस्थाई मीटरीकृत	1	1	1	3	3	3	0	0	0	4	4	4
नगरीय	सामान्य अमीटरीकृत	375	401	429	256	267	279	196	202	207	828	871	916
नगरीय	अस्थाई अमीटरीकृत	10	11	13	18	18	18	13	14	14	42	42	44
नगरीय	योग	390	417	447	285	296	309	212	217	223	887	931	979
ग्रामीण	सामान्य मीटरीकृत	4	4	4	18	18	18	1	1	1	22	22	22
ग्रामीण	अस्थाई मीटरीकृत	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
ग्रामीण	सामान्य अमीटरीकृत	4,949	5,295	5,666	5,363	5,602	5,852	7,288	7,837	8,430	17,599	18,735	19,947
ग्रामीण	अस्थाई अमीटरीकृत	281	202	206	452	370	370	484	489	494	1,218	1,061	1,070
ग्रामीण	योग	5,235	5,503	5,877	5,833	5,990	6,241	7,772	8,327	8,924	18,841	19,820	21,042
योग	सामान्य मीटरीकृत	7	7	7	25	26	28	2	2	2	35	36	37
योग	अस्थाई मीटरीकृत	3	3	3	3	3	3	0	0	0	6	6	6
योग	सामान्य अमीटरीकृत	5,324	5,697	6,095	5,619	5,869	6,131	7,484	8,039	8,637	18,427	19,605	20,863
योग	अस्थाई अमीटरीकृत	291	213	219	471	387	387	497	502	507	1,259	1,103	1,113
योग	योग	5,625	5,920	6,324	6,118	6,286	6,550	7,984	8,544	9,147	19,727	20,750	22,021

इस श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थायी कृषि उपभोक्ताओं हेतु खपत का आंकलन माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जारी आदेश में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

	नगरीय	नगरीय	ग्रामीण	ग्रामीण
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
श्री फेज	220	220	195	195
सिंगल फेज	230	230	205	205

अमीटरीकृत स्थायी कृषि संयोजनों हेतु निर्धारण अनुसार अनुमानित खपत का माहवार विभक्तिकरण निम्नानुसार है :-

माह	श्री फेज				सिंगल फेज			
	शहरी	शहरी	ग्रामीण	ग्रामीण	शहरी	शहरी	ग्रामीण	ग्रामीण
2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	
अप्रैल	90	90	80	80	90	90	90	90

मई	90	90	80	80	90	90	90	90
जून	90	90	80	80	90	90	90	90
जुलाई	90	90	80	80	90	90	90	90
अगस्त	90	90	80	80	90	90	90	90
सितम्बर	90	90	80	80	90	90	90	90
अक्टूबर	170	170	170	170	180	180	180	180
नवम्बर	170	170	170	170	180	180	180	180
दिसम्बर	170	170	170	170	180	180	180	180
जनवरी	170	170	170	170	180	180	180	180
फरवरी	170	170	170	170	180	180	180	180
मार्च	170	170	170	170	180	180	180	180

1.2.7.1 पूर्व क्षेत्र

पूर्व क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	
	भार	0.00%			0.00%		
	खपत प्रति अ.श.	0.00%			0.00%		
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।		4.87%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	
	भार	7.00%			7.00%		
	खपत प्रति अ.श.	0.00%			0.00%		
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
	भार	0.00%		0.00%	
	खपत प्रति अ .श.	0.00%		0.00%	

1.2.7.2 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	2.40%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	8.03%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	2.30%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	3.54%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है
	खपत प्रति अ .श.	1.76%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	2.11%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	8.95%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	9.12%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है
	भार	4.38%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	4.46%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है
	खपत प्रति अ .श.	4.38%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	4.46%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	5.93%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	खपत प्रति अ .श.	2.91%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.7.3 पश्चिम क्षेत्र

पश्चिम क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
---------	--------	------	--	---------	--

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
सामान्य मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%	0.00%
	खपत प्रति अ .श.	0.00%	0.00%
स्थायी अमीटरीकृत	उपभोक्ता	4.32% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	8.67% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	भार	2.73% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	7.54% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	खपत प्रति अ .श.	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
अस्थायी मीटरीकृत	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार	0.00%	0.00%
	खपत प्रति अ .श.	0.00%	0.00%

1.2.8 एल.व्ही -5.2: कृषि कार्य के अलावा उपयोग हेतु

तालिका 9 : एल.व्ही 5.2 कृषि से संबंधित अन्य उपयोग हेतु यूनिट का प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
25 अ.श. तक	6	8	9	126	126	126	1	1	1	133	134	136
25 अ.श. अ .श. से अधिक से 100 अ.श. तक	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3
अस्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
योग	8	9	11	127	127	127	1	1	1	137	138	140

1.2.8.1 पूर्व क्षेत्र

पूर्व क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	11.04%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	14.61%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%		0.00%	
3 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 5	उपभोक्ता	2.04%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	19.81%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	42.86%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
10 अ .श. से अधिक से .श.अ 20 तक	उपभोक्ता	5.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
से अधिक .श.अ 20	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	

1.2.8.2 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
3 अ .श. से अधिक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
से तक .श.अ 5	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	0.00%
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
10 अ .श. से अधिक से .श.अ 20 तक	उपभोक्ता	4.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
से अधिक .श.अ 20	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	6.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	

1.2.8.3 पश्चिम क्षेत्र

पश्चिम क्षेत्र में इस श्रेणी में भविष्य के प्रक्षेपण हेतु अनुमानित विकास दरों एवं पुनरीक्षित आंकलन निम्नानुसार हैः-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
3 अ तक .श.	उपभोक्ता	5.00% 1 वर्षीय विकास दर मानी गयी है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गयी है

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
3 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 5	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
5 अ .श. से अधिक से तक .श.अ 10	उपभोक्ता	5.00%	Custom growth rate considered
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
10 अ .श. से अधिक से .श.अ 20 तक	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है
	अ .श. से अधिक	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	अ .श. से अधिक	0.00%	
से अधिक .श.अ 20	उपभोक्ता	5.00%	Custom growth rate considered
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	
अस्थायी	उपभोक्ता	5.00%	Custom growth rate considered
	औसत भार प्रति उपभोक्ता (वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	औसत खपत प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	0.00%	

1.2.9 एच.व्ही. 1 - रेल्वे कर्षण

The petitioners are not expecting any sales as the no railway consumer exists for the petitioners. Hence the forecast of sales by all petitioners are NIL for railway traction. The projection of sales for this category is as follows:

तालिका-10 - रेल्वे कर्षण

	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
एच.व्ही. 1 - रेल्वे कर्षण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.10 एच.व्ही.-2. कोयला खदानें

इस श्रेणी हेतु विक्रय प्रक्षेपण निम्नानुसार है :-

तालिका-11 - एच.व्ही-2 कोयला खदानों का प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
132 के.व्ही..	190	190	190	0	0	0	0	0	0	190	190	190

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
33 के.व्ही..	249	249	249	33	33	33	0	0	0	282	282	282
11 के.व्ही..	4	4	4	1	1	1	0	0	0	5	5	5
योग	443	443	443	35	35	35	0	0	0	477	477	477

1.2.10.1 पूर्व क्षेत्र

वित्तीत वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित आंकलन को पुनरीक्षित कर वर्ष 2017-18 हेतु कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.10.2 मध्य क्षेत्र

11 के.व्ही. के खपत हेतु 3.01 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष की विकास दर वृद्धि मानी गयी है। अन्य श्रेणी हेतु कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.10.3 पश्चिम क्षेत्र

इस श्रेणी के कोई उपभोक्ता नहीं है।

1.2.11 एच.व्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

तालिका-12 एच.व्ही.-3 औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक प्रक्षेपण

उप संवर्ग	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
-----------	---------------	--------------	----------------	--------------

		FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
औद्योगिक यूनिट मि.यू.	220 के.व्ही.	101	101	101	0	0	0	1	1	1	101	101	101
	132 के.व्ही.	1215	1215	1215	1113	1326	1580	168	173	179	2497	2715	2973
	33 के.व्ही.	433	440	448	1168	1246	1334	1812	1829	1846	3414	3516	3628
	11 के.व्ही.	105	109	113	55	60	66	146	146	146	305	314	324
	योग	1854	1865	1876	2336	2632	2980	2127	2149	2171	6317	6646	7027
गैर औद्योगिक यूनिट मि.यू.	132 के.व्ही.	0	0	0	3	3	3	37	38	39	40	41	42
	33 के.व्ही.	139	143	148	276	289	304	198	202	205	613	634	657
	11 के.व्ही.	90	93	96	122	134	148	119	119	119	330	346	363
	योग	228	236	244	400	426	455	355	359	363	983	1021	1062
शॉपिंग मॉल मि.यू.	132 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 के.व्ही.	9	9	9	15	16	17	46	47	48	70	72	74
	11 के.व्ही.	1	1	1	2	2	3	3	3	3	6	6	7
	योग	9	10	10	18	19	20	49	50	51	76	78	81
सघन विद्युत उपयोग मि.यू.	132 के.व्ही.	0	0	0	32	38	45	290	298	307	321	336	352
	33 के.व्ही.	32	32	33	182	194	208	500	505	510	714	731	750
	योग	32	32	33	213	231	252	790	803	817	1035	1067	1102

1.2.11.1 पूर्व क्षेत्र

औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही.3.1 में विक्रय प्रक्षेपण के पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण
440/220 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%
	भार (कि(वॉ.	0.00%		0.00%
	खपत (मि (.यू.	0.00%		0.00%
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%
	भार (कि(वॉ.	0.00%		0.00%
	खपत (मि (.यू.	0.00%		0.00%
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	1.97%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.09% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	2.33% 2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	5.00% नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	5.51%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	6.98% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	1.13%	1 वर्षीय विकास दर मानी गयी है।	10.57% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	2.81%	1 वर्षीय विकास दर मानी गयी है।	8.40% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

गैर औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही. 3.2 में विकास प्रक्षेपण का पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%
	भार (कि(वॉ.	0.00%		0.00%
	खपत (मि (.यू.	0.00%		0.00%

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	9.82%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	17.57%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	3.73%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	12.08%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	7.63%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	7.72%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	2.38%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	13.93%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।

1.2.11.2 मध्य क्षेत्र

इस औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही.3.1 में विक्रय प्रक्षेपण के पूर्वानुमान निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
440/220 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%		0.00%	
	खपत (मि (.यू.	0.00%		0.00%	
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	15.87%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	23.32%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी		ग्रामीण	
	खपत (मि (.यू.	19.01%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	8.98%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	12.80%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	6.77%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	7.79%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	2.12%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	15.78%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	7.75%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	20.00%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	6.97%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	60.51%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	5.71%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	42.39%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

गैर औद्योगिक श्रेणी एच.व्ही. 3.2 में विकाय प्रक्षेपण का पूर्वानुमान निम्नानुसार है :-

श्रेणी	क्षेत्र	शहरी		ग्रामीण	
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	25.99%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	6.27%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	
	खपत (मि (.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	2.48%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	11.54%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	5.32%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	14.49%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	4.60%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	12.83%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	4.74%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	18.56%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	4.97%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	15.73%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

	खपत (मि (.यू.	9.64%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	29.21%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
--	---------------	-------	------------------------------------	--------	----------------------------

1.2.11.3 पश्चिम क्षेत्र

The assumptions for sales forecast for the **Industrial category HV 3.1** are as given below:

Area	Category	Urban		Rural	
440/220 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%		0.00%	
	खपत (मि (.यू.	0.00%		0.00%	
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	खपत (मि (.यू.	3.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	1.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	11.81%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.48%	5 माह की मिल्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	1.07%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	1.66%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी	0.00%	

Area	Category	Urban		Rural	
			है।		
	खपत (मि (.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	

The assumptions for sales forecast for the **Non- Industrial category HV 3.2** are as given below:

Area	Category	Urban		Rural	
132 के .व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.00%	
	खपत (मि (.यू.	2.47%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	
33 के .व्ही.	उपभोक्ता	6.13%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	1.78%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	1.18%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
11 के .व्ही.	उपभोक्ता	1.33%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी

Area	Category	Urban			Rural	
					है।	
भार (कि(वॉ.		2.40%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	10.00%	Custom growth rate considered	
	खपत (मि (.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।	0.71%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	

1.2.12 एच.व्ही.-4 मौसमी

तालिका-13 इस श्रेणी हेतु विक्रय प्रक्षेपण निम्नानुसार है:-

क्षेणी	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
33 के.व्ही.	7	8	8	1	1	1	9	9	9	18	18	19
11 के.व्ही.	1	1	1	0	0	0	2	2	2	4	4	4
योग	8	9	9	2	2	2	12	12	12	22	22	23

1.2.12.1 पूर्व क्षेत्र

इस श्रेणी हेतु पूर्वानुमानित विक्रयों के अनुमान निम्नानुसार हैं :

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	
	खपत (मि (.यू.	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	
	खपत (मि (.यू.	0.00%	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	खपत (मि (.यू.	16.84%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
			-10.99% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

1.2.12.2 मध्य क्षेत्र

इस श्रेणी हेतु कोई विकास दर नहीं मानी गयी है।

1.2.12.3 पश्चिम क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या एवं भार की प्रस्तावित गणना हेतु 5 प्रतिशत की नाम मात्र वृद्धि मानी गयी है, जबकि ग्रामीण विक्रित यूनिट (33 के.व्ही.) हेतु 11 प्रतिशत की वृद्धि मानी गयी है।

1.2.13 एच व्ही -5 जल प्रदाय, उद्वहन सिंचाई एवं कृषि से संबंधी अन्य उपयोग

भविष्य के प्रक्षेपण निम्नानुसार है -

तालिका – 14 :- एच.व्ही.-5 जल प्रदाय, उदवहन सिंचाई एवं कृषि से संबंधी अन्य उपयोग

	उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र		
		FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
जल प्रदाय / सिंचाई - यूनिट मि.यू.	132 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 के.व्ही.	4	4	5	3	5	8	88	97	107	95	106	119
	11 के.व्ही.	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
	योग	4	4	5	4	6	10	88	97	107	96	108	121
सिंचाई - यूनिट (मि.यू.)	132 के.व्ही.	0	0	0	58	64	71	279	283	288	337	347	358
	33 के.व्ही.	77	82	87	104	110	116	84	85	87	265	277	289
	11 के.व्ही.	10	11	12	13	14	15	12	12	12	35	38	40
	योग	87	93	99	175	188	201	376	381	387	637	661	687
अन्य कृषि - यूनिट मि.यू.	132 के.व्ही.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 के.व्ही.	14	15	17	7	7	8	5	5	5	26	28	30
	11 के.व्ही.	0	0	0	2	2	4	2	2	2	3	4	5
	योग	14	15	17	8	10	12	7	7	7	29	32	35

1.2.13.1 पूर्व क्षेत्र

उच्चाव जलप्रदाय श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकासदर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
---------	--------	------	---------

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि(वॉ.	0.00%	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	खपत (मि (.यू.	0.00%	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	14.29% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार (कि(वॉ.	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	7.37% 5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	खपत (मि (.यू.	9.73% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	12.56% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार (कि(वॉ.	0.00% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%
	खपत (मि (.यू.	8.69% 3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	3.03% कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

उच्चदाव कृषि श्रेणी हेतु 11.46 प्रतिशत 3 वर्षीय CAGR वृद्धि दर ग्रामीण विक्री के प्रक्षेपण (33 के.व्ही.) में मानी गयी है

उच्चाव सिंचाई के अतिरिक्त प्रयोजन की श्रेणी हेतु प्रक्षेपित वृद्धि दर निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	12.50%	1 वर्षीय विकास दर मानी गयी है।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	8;13%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(कि.वॉ)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट (मि.यू.)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

1.2.13.2 मध्य क्षेत्र

उच्चदाब जलप्रदाय श्रेणी में विक्रय पूर्वानुमान की विकासदर निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.33%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	
	यूनिट मि.यू.	10.75%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	13.19%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	22.47%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
	भार(वॉ.कि)	2.24%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	7.74%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
	यूनिट मि.यू.	5.03%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	15.98%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	6.90%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	2.71%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	यूनिट मि.यू.	6.68%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

उच्चदाब कृषि हेतु अनुमानित बिक्री हेतु वृद्धि का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है :-:

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%		0.00%	

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
	यूनिट मि.यू.	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	10.00%	Custom growth considered	15.47%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	14.71%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
	यूनिट मि.यू.	7.08%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।	15.62%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%		0.00%	
	यूनिट मि.यू.	0.00%		21.01%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

उच्चदाव कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य श्रेणी के लिए विकास प्रतिशत प्रक्षेपण हेतु निम्नानुसार है

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी		ग्रामीण	
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%		0.00%	
	यूनिट मि.यू.	0.00%		0.00%	
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	6.90%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।

	भार(वॉ.कि)	9.19%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	
	यूनिट मि.यू.	9.64%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।	12.94%	2 वर्षीय CAGR माना गया है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	44.22%	3 वर्षीय CAGR माना गया है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	10.00%	Custom growth rate taken
	यूनिट मि.यू.	10.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	10.00%	Custom growth rate taken

1.2.13.3 पश्चिम क्षेत्र

यह माना गया है कि उच्चदाब जल प्रदाय हेतु बिक्री के प्रक्षेपण में कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है जो निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी	ग्रामीण
132 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%	0.24% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
	यूनिट मि.यू.	0.00%	1.51% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	23.91%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%	4.17% 3 वर्षीय CAGR माना गया है।
			3.38% वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।

क्षेत्र	संवर्ग		शहरी		ग्रामीण
	यूनिट मि.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	5.63%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।
	भार(वॉ.कि)	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.00%	
	यूनिट मि.यू.	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	0.76%	5 माह की भिन्नता मानी गयी है।

33 के.व्ही. के शहरी क्षेत्र के भार प्रक्षेपण हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि दर मानी गयी है तथा उच्चदाब कृषि हेतु 33 के.व्ही. शहरी एवं ग्रामीण विक्रित यूनिट प्रक्षेपण हेतु प्रत्येक के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि मानी गयी है। आगे यह माना गया है कि उच्चदाब अन्य कृषि श्रेणियों में कोई वृद्धि प्राप्त नहीं होगी।

1.2.14 थोक रहवासी उपयोगकर्ता भावी प्रक्षेपण निम्नानुसार है

तालिका 15 एच.व्ही.-6 थोक रहवासी उपयोगकर्ता – प्रक्षेपण

उप श्रेणी	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			म.प्र. राज्य		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
33 के.व्ही.	258	258	258	153	158	163	24	24	24	435	440	445
11 के.व्ही.	27	28	29	15	16	18	7	7	7	48	50	53
योग	285	286	287	167	174	180	31	31	31	483	490	498

1.2.14.1 पूर्व क्षेत्र

11 के.व्ही. शहरी विक्रित यूनिट के प्रक्षेपण हेतु 5 प्रतिशत की वृद्धि दर मानी गयी है।

1.2.14.2 मध्य क्षेत्र

श्रेणी हेतु विक्रय पूर्वानुमानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	संवर्ग	शहरी			ग्रामीण		
33 के.व्ही.	उपभोक्ता	0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।		0.00%	कोई विकास दर नहीं मानी गई है।	
	भार(वॉ.कि)	1.57%	वर्ष दर वर्ष विकास दर मानी गयी है।		2.41%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।	
	यूनिट (.यू.मि)	3.14%	2 वर्षीय CAGR मानी गयी है।		5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	
11 के.व्ही.	उपभोक्ता	11.87%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।		5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	
	भार(वॉ.कि)	7.18%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।		5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	
	यूनिट (मि (.यू.	18.16%	3 वर्षीय CAGR मानी गयी है।		5.00%	नाम मात्र की विकास दर मानी गई है।	

1.2.14.3 पश्चिम क्षेत्र

33के.व्ही. ग्रामीण विक्रित यूनिट के प्रक्षेपण हेतु नाममात्र 1.83 प्रतिशत की वृद्धि दर मानी गयी है।

2 विद्युत वितरण कंपनी की परिधि में ऊर्जा आवश्यकता एवं एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता

2.1 वार्षिक बिक्री से मासिक बिक्री में रूपांतरण

वितरण कंपनियों द्वारा वार्षिक बिक्री को मासिक बिक्री में परिवर्तित करने हेतु पूर्व के वर्षों में परिलक्षित विक्रय रूपरेखा का प्रयोग किया जाता है। जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के मासिक विक्रय की गणना के लिए भी किया गया है। सभी वितरण कंपनियों की रूपरेखा नीचे दर्शाई गई तालिका में दी गयी है:-

तालिका 16: माहवार वितरण कंपनियों की बिक्री विवरणिका

वि.व 17	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
पूर्व क्षेत्र	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%
पश्चिम क्षेत्र	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%
मध्य क्षेत्र	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%
वि.व 18	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
पूर्व क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%
पश्चिम क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%
मध्य क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%
वि.व 19	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
पूर्व क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%
पश्चिम क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%
मध्य क्षेत्र	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%

2.2 मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की हानियां

अन्तर राज्यीय पारेषण घाटे (एम.पी.पी.टी.सी.एल.हानियां) की गणना के लिए अक्टूबर-15 से सितम्बर-16 तक के (52 सप्ताह) वास्तविक आंकड़े एम.पी.एस.एल.डी.सी. आन लाईन पोर्टल से प्राप्त किये गये हैं, एवं उसी के औसत को आगामी वर्षों के लिए उपयोग किया गया है। म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि. की हानियों की गणना औसत 2.87 % है, एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए इसी को मान लिया गया है।

तालिका - 17 मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की हानियां (पूर्व आंकड़े, एम.पी.एस.एल.डी.सी. से प्राप्त)

	सितम्बर-16	अगस्त-16	जुलाई - 16	जून-16	मई-16	अप्रैल -16	मार्च -16	फरवरी - 16	जनवरी- 16	दिसम्बर 15	नवम्बर- 15	अक्टूबर - 15	औसत
म.प्र.पॉवर ट्रांस.कं.की हानि	3.08%	2.84%	2.69%	2.68%	2.74%	2.59%	2.83%	2.95%	3.03%	3.00%	3.25%	3.00%	2.87%

2.3 वितरण हानियां

माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए माननीय आयोग ने एम.पी.पी.एम.सी.एल. को रेग्यूलेशन क्र. 2256/एम.पी.ई.आर.सी.-2015/2256 दि. 17.12.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि विद्युत की दर और बिजली की व्हीलिंग और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धान्तों और विधियों के लिए नियम और शर्तों को अधिसूचित किया है। अधिनियमों में अधिसूचित वितरण हानि को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका -18: वितरण कंपनियों (एम.पी.ई.आर.सी. के नियम एवं शर्तों के अनुसार) हेतु हानि स्तर लक्ष्य (%)

हानि के लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19
पूर्व क्षेत्र	18.00%	17.00%	16.00%
मध्य क्षेत्र	19.00%	18.00%	17.00%
पश्चिम क्षेत्र	16.00%	15.50%	15.00%

वितरण कंपनियों की वास्तविक हानि पूर्व क्षेत्र के लिए 22.65% मध्य क्षेत्र के लिए 25.13% एवं पश्चिम क्षेत्र के लिए 22.58 % देखी गयी है। तथापि इस याचिका के लिए माननीय विद्युत नियमक आयोग द्वारा निर्धारित हानि अधिनियम के लक्ष्य हेतु ऊर्जा संतुलन की गणना तथा वितरण कंपनियों की ऊर्जा खरीद लागत की गणना को माना गया है, एवं आयोग के विनियमन “विद्युत खरीदी की लागतों की गणना हानियों एवं निर्धारित विद्युत के चक्रण, तरीके एवं स्थायी दर के सिद्धान्त पर नियम एवं शर्तें” के अनुसार हैं।

2.3.1 वार्षिक वितरण स्तर का मासिक हानि के रूप में रूपांतरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान संचयी वार्षिक हानियों के मासिक हानि से मानक विचलन स्तर के आधार पर वार्षिक वितरण हानि स्तर को मासिक हानि में बदला गया है। इस विधि में वितरण कंपनी की वास्तविक मासिक हानि के स्तर एवं विगत कुछ वर्षों के लिए संचयी वार्षिक हानि को लिया जाता है एवं प्रत्येक माह की हानि को वार्षिक हानि के प्रगामी औसत स्तर के मानक विचलन से गणना की जाती है। मासिक मानक विचलन से मासिक हानि स्तर की गणना म.प्र. विद्युत नियमक आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक हानि स्तर के आधार पर की जाती है।

परिणाम स्वरूप वितरण कंपनी की सीमा पर वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता की मात्रा मध्य प्रदेश विद्युत नियमक आयोग द्वारा निर्धारित हानि स्तर की तुलना में अधिक है।

तीनों वितरण कंपनियों एवं म.प्र.राज्य की परिधि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है

तालिका -19 * प्रदेश की परिधि में मासिक ऊर्जा, आवश्यकता (मि.यू. .) वित्तीय वर्ष 2017-2019

वित्तीय वर्ष 2017 के लिए राज्य की परिधि पर मासिक ऊर्जा आवश्यकता													
पूर्व क्षेत्र	अप्रैल - 16	मई -16	जून-16	जुलाई -16	अगस्त -16	सितम्बर - 16	अक्टूबर - 16	नवम्बर - 16	दिसंबर - 16	जनवरी - 17	फरवरी - 17	मार्च -17	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%	100%
विक्रय	1,142	1,142	999	999	1,070	1,213	1,427	1,356	1,213	1,284	1,284	1,142	14,269

(मि.यू. .)													
वितरण हानियां	20.78%	20.37%	14.39%	16.25%	19.58%	20.65%	19.42%	18.84%	19.78%	16.66%	15.01%	14.27%	18.00%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,483	1,476	1,201	1,228	1,370	1,574	1,823	1,720	1,557	1,587	1,556	1,371	17,944
बाहरी हानियां	38	38	31	31	35	40	47	44	40	41	40	35	460
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,522	1,514	1,232	1,259	1,405	1,614	1,870	1,764	1,597	1,627	1,596	1,406	18,404
मध्य क्षेत्र	अप्रैल - 16	मई -16	जून-16	जुलाई -16	अगस्त -16	सितम्बर - 16	अक्टूबर - 16	नवम्बर - 16	दिसंबर - 16	जनवरी - 17	फरवरी - 17	मार्च -17	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	100%
विक्रय (मि.यू. .)	1,190	1,190	1,041	1,041	1,115	1,264	1,487	1,413	1,264	1,339	1,339	1,190	14,873
वितरण हानियां	19.55%	19.06%	17.59%	17.11%	19.09%	20.13%	20.36%	20.03%	19.30%	20.02%	18.45%	17.30%	19.00%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर	1,523	1,514	1,301	1,293	1,419	1,630	1,923	1,819	1,613	1,723	1,690	1,481	18,928

विद्युत की आवश्यकता													
बाहरी हानियां	39	39	33	33	36	42	49	47	41	44	43	38	485
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,562	1,552	1,334	1,326	1,456	1,671	1,972	1,866	1,654	1,767	1,733	1,519	19,413
पश्चिम क्षेत्र	अप्रैल - 16	मई -16	जून-16	जुलाई -16	अगस्त -16	सितम्बर - 16	अक्टूबर - 16	नवम्बर - 16	दिसंबर - 16	जनवरी - 17	फरवरी - 17	मार्च -17	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%	100%
विक्रय (मि.यू. .)	1,395	1,395	1,220	1,220	1,307	1,482	1,743	1,656	1,482	1,569	1,569	1,395	17,432
वितरण हानियां	16.07%	22.33%	17.60%	7.01%	4.90%	7.88%	22.22%	23.01%	22.13%	22.27%	14.88%	11.69%	16.00%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,711	1,849	1,525	1,351	1,415	1,656	2,307	2,215	1,959	2,078	1,898	1,626	21,589
बाहरी हानियां	44	47	39	34	36	42	59	57	50	53	48	42	551
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,754	1,896	1,564	1,385	1,452	1,698	2,366	2,271	2,009	2,131	1,946	1,667	22,141

म.प्र. राज्य	अप्रैल - 16	मई -16	जून-16	जुलाई -16	अगस्त - 16	सितम्बर - 16	अक्टूबर - 16	नवम्बर - 16	दिसंबर - 16	जनवरी - 17	फरवरी - 17	मार्च -17	कुल	
विक्रय (मि.यू. .)	3,726	3,726	3,260	3,260	3,493	3,959	4,657	4,425	3,959	4,192	4,192	3,726	46,575	
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	4,717	4,838	4,027	3,872	4,205	4,859	6,053	5,753	5,129	5,388	5,143	4,478	58,462	
बाहरी हानियां	121	124	103	99	108	124	155	147	131	138	132	115	1,496	
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	4,838	4,962	4,130	3,971	4,312	4,983	6,208	5,900	5,260	5,525	5,275	4,593	59,958	

वित्तीय वर्ष 2018 के लिए राज्य की परिधि पर मासिक ऊर्जा आवश्यकता

पूर्व क्षेत्र	अप्रैल - 17	मई -17	जून-17	जुलाई -17	अगस्त -17	सितम्बर - 17	अक्टूबर - 17	नवम्बर - 17	दिसंबर - 17	जनवरी - 18	फरवरी - 18	मार्च -18	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	100%
विक्रय (मि.यू. .)	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,374	1,374	1,374	1,374	1,222	1,222	15,271
वितरण हानियां	19.78%	19.37%	13.39%	15.25%	18.58%	19.65%	18.42%	17.84%	18.78%	15.66%	14.01%	13.27%	17.00%

पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,568	1,560	1,452	1,484	1,545	1,565	1,735	1,722	1,742	1,678	1,463	1,450	18,965
बाहरी हानियां	41	40	38	38	40	41	45	45	45	43	38	38	491
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,609	1,600	1,490	1,523	1,585	1,606	1,780	1,767	1,787	1,721	1,501	1,488	19,456
मध्य क्षेत्र	अप्रैल - 17	मई -17	जून-17	जुलाई -17	अगस्त -17	सितम्बर - 17	अक्टूबर - 17	नवम्बर - 17	दिसंबर - 17	जनवरी - 18	फरवरी - 18	मार्च -18	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	100%
विक्रय (मि.ग्र. .)	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,442	1,442	1,442	1,442	1,282	1,282	16,020
वितरण हानियां	18.55%	18.06%	16.59%	16.11%	18.09%	19.13%	19.36%	19.03%	18.30%	19.02%	17.45%	16.30%	18.00%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,620	1,610	1,582	1,573	1,611	1,632	1,841	1,833	1,817	1,833	1,598	1,577	20,127
बाहरी हानियां	42	42	41	41	42	42	48	47	47	47	41	41	521

एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,662	1,652	1,623	1,614	1,653	1,674	1,889	1,881	1,864	1,881	1,640	1,617	20,648
पश्चिम क्षेत्र													
अप्रैल - 17	मई -17	जून-17	जुलाई - 17	अगस्त - 17	सितम्बर - 17	अक्टूबर - 17	नवम्बर - 17	दिसंबर - 17	जनवरी - 18	फरवरी - 18	मार्च -18	कुल	
विक्रय रूपांकन	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	100%
विक्रय (मि.यू.)	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,659	1,659	1,659	1,659	1,475	1,475	18,434
वितरण हानियां	15.57%	21.83%	17.10%	6.51%	4.40%	7.38%	21.72%	22.51%	21.63%	21.77%	14.38%	11.19%	15.50%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,798	1,942	1,832	1,624	1,588	1,639	2,182	2,204	2,180	2,183	1,773	1,710	22,657
बाहरी हानियां	46	50	47	42	41	42	56	57	56	56	46	44	586
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,845	1,993	1,879	1,666	1,629	1,682	2,238	2,261	2,236	2,240	1,819	1,754	23,242
म.प्र. राज्य													
अप्रैल - 17	मई -17	जून-17	जुलाई - 17	अगस्त - 17	सितम्बर - 17	अक्टूबर - 17	नवम्बर - 17	दिसंबर - 17	जनवरी - 18	फरवरी - 18	मार्च -18	कुल	

विक्रय (मि.यू.)	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	4,475	4,475	4,475	4,475	3,978	3,978	49,725
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	4,986	5,113	4,866	4,681	4,744	4,836	5,758	5,760	5,739	5,694	4,835	4,736	61,749
बाहरी हानियां	129	132	126	121	123	125	149	149	148	147	125	123	1,598
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	5,115	5,245	4,992	4,802	4,867	4,961	5,907	5,909	5,887	5,842	4,960	4,859	63,347
वित्तीय वर्ष 2019 के लिए राज्य की परिधि पर मासिक ऊर्जा आवश्यकता													

पूर्व क्षेत्र	अप्रैल - 18	मई - 18	जून-18	जुलाई - 18	अगस्त - 18	सितम्बर - 18	अक्टूबर - 18	नवम्बर - 18	दिसंबर - 18	जनवरी - 19	फरवरी - 19	मार्च -19	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%	100%
विक्रय (मि.यू.)	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,486	1,486	1,486	1,486	1,321	1,321	16,514
वितरण हानियां	18.78%	18.37%	12.39%	14.25%	17.58%	18.65%	17.42%	16.84%	17.78%	14.66%	13.01%	12.27%	16.00%
पारेपण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की	1,675	1,666	1,552	1,586	1,650	1,672	1,853	1,840	1,861	1,793	1,564	1,550	20,264

आवश्यकता													
बाहरी हानियां	43	43	40	41	43	43	48	47	48	46	40	40	522
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,718	1,709	1,592	1,627	1,693	1,715	1,901	1,887	1,909	1,839	1,604	1,590	20,786
मध्य क्षेत्र	अप्रैल - 18	मई - 18	जून-18	जुलाई - 18	अगस्त - 18	सितम्बर - 18	अक्टूबर - 18	नवम्बर - 18	दिसंबर - 18	जनवरी - 19	फरवरी - 19	मार्च -19	कुल
विक्रय रूपांकन	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%	100%
विक्रय (मि.यू. .)	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,552	1,552	1,552	1,552	1,380	1,380	17,247
वितरण हानियां	17.55%	17.06%	15.59%	15.11%	17.09%	18.13%	18.36%	18.03%	17.30%	18.02%	16.45%	15.30%	17.00%
पारेषण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,723	1,713	1,683	1,673	1,713	1,735	1,958	1,950	1,932	1,949	1,700	1,677	21,408
बाहरी हानियां	44	44	43	43	44	45	50	50	50	50	44	43	552
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	1,768	1,757	1,726	1,717	1,758	1,780	2,008	2,000	1,982	2,000	1,744	1,721	21,960

पश्चिम क्षेत्र	अप्रैल - 18	मई -18	जून-18	जुलाई - 18	अगस्त - 18	सितम्बर - 18	अक्टूबर - 18	नवम्बर - 18	दिसंबर - 18	जनवरी - 19	फरवरी - 19	मार्च -19	कुल	
विक्रय रूपांकन	8%	8%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	8%	100%	
विक्रय (मि.यू. .)	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,756	1,756	1,756	1,756	1,561	1,561	19,509	
वितरण हानियां	15.07%	21.33%	16.60%	6.01%	3.90%	6.88%	21.22%	22.01%	21.13%	21.27%	13.88%	10.69%	15.00%	
पारेपण हानि	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	
प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	1,892	2,043	1,927	1,710	1,672	1,726	2,295	2,318	2,292	2,296	1,866	1,799	23,835	
बाहरी हानियां	49	52	50	44	43	44	59	60	59	59	48	46	613	
एक्स-बस उर्जा की आवश्यकता	1,941	2,095	1,976	1,754	1,715	1,770	2,354	2,378	2,351	2,355	1,914	1,846	24,448	
म.प्र. राज्य	अप्रैल - 18	मई -18	जून-18	जुलाई - 18	अगस्त - 18	सितम्बर - 18	अक्टूबर - 18	नवम्बर - 18	दिसंबर - 18	जनवरी - 19	फरवरी - 19	मार्च -19	कुल	
विक्रय (मि.यू. .)	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,794	4,794	4,794	4,794	4,262	4,262	53,271	

प्रदेश की सीमा पर विद्युत की आवश्यकता	5,290	5,422	5,162	4,969	5,036	5,133	6,105	6,108	6,086	6,039	5,130	5,027	65,507
बाहरी हानियां	136	140	133	128	130	132	157	157	157	155	132	129	1,687
एक्स-बस ऊर्जा की आवश्यकता	5,426	5,561	5,295	5,097	5,166	5,265	6,263	6,265	6,243	6,194	5,262	5,156	67,193

वित्तीय वर्ष 2017-19 के दौरान एक्स-बस ऊर्जा की खरीदी की जाना है, नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका – 20 – प्रस्तावित ऊर्जा क्रय एक्स-बस वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक (मानक हानियों के आधार पर)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य प्रदेश		
	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19									
कुल विक्रित यूनिट निम्न दाब श्रेणी मि.यू.	11,305	12,279	13,491	11,515	12,298	13,101	13,598	14,545	15,564	36,418	39,122	42,156
कुल विक्रित यूनिट उच्च दाब श्रेणी मि.यू.	2,964	2,993	3,023	3,359	3,722	4,146	3,834	3,889	3,946	10,157	10,604	11,064
कुल विक्रित यूनिट वितरण कंपनियों द्वारा मि.यू.	14,269	15,271	16,514	14,873	16,020	17,247	17,432	18,434	19,509	46,575	49,725	53,271

वितरण हानि (%)	18.00%	17.00%	16.00%	19.00%	18.00%	17.00%	16.00%	15.50%	15.00%	17.67%	16.83%	16.00%
वितरण हानि मि.यू.	3,160	3,149	3,167	3,512	3,529	3,545	3,537	3,572	3,641	10,210	10,249	10,354
वितरण प्रणाली में निवेशित यूनिट मि.यू.	17,429	18,420	19,681	18,385	19,549	20,793	20,970	22,006	23,150	56,784	59,975	63,625
पारेषण हानि (%)	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
पारेषण हानि मि.यू.	515	545	582	543	578	615	620	651	685	1,678	1,774	1,882
मध्य प्रदेश की सीमा में निवेशित यूनिट मि.यू.	17,944	18,965	20,264	18,928	20,127	21,408	21,589	22,657	23,835	58,462	61,749	65,507
पश्चिम क्षेत्र ग्रिड की हानियां	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%
पूर्व क्षेत्र ग्रिड की हानियां	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
बाह्य हानियां मि.यू.	460	491	522	485	521	552	551	586	613	1,496	1,598	1,687
कुल खरीदी यूनिट मि.यू.	18,404	19,456	20,786	19,413	20,649	21,960	22,141	23,242	24,448	59,958	63,347	67,193

तालिका – 21 – प्रस्तावित ऊर्जा क्रय एक्स-बस वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक (वास्तविक हानियों के आधार पर)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य प्रदेश		
	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
कुल विक्रित यूनिट निम्न दाब श्रेणी मि.यू.	11,305	12,279	13,491	11,515	12,298	13,101	13,598	14,545	15,564	36,418	39,122	42,156
कुल विक्रित यूनिट उच्च दाब श्रेणी मि.यू.	2,964	2,993	3,023	3,359	3,722	4,146	3,834	3,889	3,946	10,157	10,604	11,064
कुल विक्रित यूनिट वितरण कंपनियों द्वारा मि.यू.	14,269	15,271	16,514	14,873	16,020	17,247	17,432	18,434	19,509	46,575	49,725	53,271
वितरण हानि (%)	22.65%	22.65%	22.65%	25.13%	25.13%	25.13%	22.58%	22.58%	22.58%	23.45%	23.45%	23.45%
वितरण हानि मि.यू.	4,178	4,472	4,836	4,992	5,377	5,789	5,084	5,376	5,690	14,255	15,225	16,315
वितरण प्रणाली में निवेशित यूनिट मि.यू.	18,447	19,743	21,350	19,866	21,397	23,037	22,517	23,811	25,199	60,829	64,951	69,586
पारेषण हानि (%)	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
पारेषण हानि मि.यू.	546	584	631	588	633	681	666	704	745	1,799	1,921	2,058
मध्य प्रदेश की सीमा में निवेशित यूनिट मि.यू.	18,993	20,327	21,981	20,453	22,030	23,718	23,183	24,515	25,945	62,628	66,872	71,644
पश्चिम क्षेत्र ग्रिड की हानियां	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%	3.77%
पूर्व क्षेत्र ग्रिड की हानियां	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
बाह्य हानियां मि.यू.	460	491	522	485	521	552	551	586	613	1,496	1,598	1,687
कुल खरीदी यूनिट मि.यू.	19,453	20,818	22,503	20,938	22,551	24,270	23,734	25,101	26,557	64,125	68,470	73,331

3 उपलब्धता का आंकलन

यह अनुभाग म.प्र. राज्य की भविष्य के वर्षों की आवश्यकताओं के लिए विद्युत की उपलब्धता एवं संबंधित व्यय का विवरण देता है। प्रक्षेपण निम्न कारकों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है:-

- वर्तमान में म.प्र. को आवंटित दीर्घ कालिक उत्पादन क्षमता
- वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2019 में आने वाली म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी, केन्द्रीय उपक्रम, संयुक्त उद्यम, यू.एम.पी.पी, सासन और निजी क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धा बोली के अन्तर्गत आने वाली नवीन क्षमता वृद्धियां
- पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता आवंटन का प्रभाव

उपरोक्त उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आगामी वर्षों में विद्युत की खरीद का पूर्वानुमान तैयार गया है। यह आगामी हिस्सों में वर्णित है।

3.1 वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का म.प्र. की वितरण कंपनियों को आवंटन

मध्य प्रदेश को विभिन्न केन्द्रों में आवंटित भाग म.प्र. की तीनों वितरण कंपनियों को आवंटित क्षमताओं को निम्न दर्शित तालिका में स्टेशनवार दर्शाया गया है। राज्य हेतु आवंटित केन्द्रीय अंचल स्टेशनों से संबंधित, पश्चिम क्षेत्रीय पावर कमेटी के पत्र क्र. प.क्षे./ पीसी /Comml/I/6/Alloc/2014/10874 Dt. 03-12-2014 एवं पूर्व क्षेत्रीय एन.टी.पी.सी. कहलगांव-2 द्वारा पत्र क्र. GOI Mop 5/31/2006-Th.2 Dt. 21-02-2007। डीव्हीसी द्वारा आदर पूर्वक 500 मेगावॉट की उपलब्धता का निम्नानुसार दर्शित ऊर्जा खरीदी का अनुबंध दर्शाया है।

- 400 मे.वा. ऊर्जा का PPA दिनांक 03.03.2006, (MTPS इकाई एवं CTPS इकाई प्रत्येक से 200 मेगावाट)
- 100 मे.वा. ऊर्जा का पी.पी.ए. PPA दिनांक 14.5.2007 (दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.)

म.प्र. शासन के पत्र दिनांक 21 मार्च 2016 के अनुसार बुदेलखण्ड क्षेत्र को विशिष्ट आवंटन 200 मेगावॉट भी शामिल है।

तालिका -22 म.प्र. को आवंटित स्टेशनों एवं उनकी संबंधित क्षमता की हिस्सेदारी (मेगावॉट में)

पावर स्टेशन	क्षेत्र	स्वामित्व	क्षमता (मे.वा.)	म.प्र. का भाग (%)	म.प्र. का भाग (मे.वा.)
केन्द्रीय सेक्टर					
एनटीपीसी कोरबा	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	2,100.00	23%	481.91
एनटीपीसी कोरबा -III	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	500.00	15%	76.33
एनटीपीसी विंध्याचल I	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	1,260.00	35%	443.39
एनटीपीसी विंध्याचल II	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	1,000.00	32%	318.21
एनटीपीसी विंध्याचल III	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	1,000.00	25%	245.21
एनटीपीसी विंध्याचल IV यूनिट 1&2	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	1,000.00	28%	284.06
एनटीपीसी विंध्याचल V	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	500.00	28%	141.69
एनटीपीसी सीपत स्टेज - 1	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	1,980.00	17%	337.75
एनटीपीसी सीपत स्टेज II	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	1,000.00	19%	187.23
एनटीपीसी मोयदा स्टेज -1 Unit 1 & Unit 2	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	1,000.00	18%	184.06
एनटीपीसी कवास	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	656.20	21%	140.17
एनटीपीसी गंधार	पश्चिम क्षेत्र	एनटीपीसी	657.39	18%	117.19
एनटीपीसी कहलगांव 2	पूर्वी क्षेत्र	एनटीपीसी	1,500.00	5%	74.00
काकरापार	पश्चिम क्षेत्र	NPC	440.00	26%	114.13
तारापुर	पश्चिम क्षेत्र	NPC	1,080.00	21%	231.83
एनटीपीसी लारा STPS, रायगढ़ Unit 1	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	800.00	8%	63.80
एनटीपीसी लारा STPS, रायगढ़ Unit 2	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	800.00	8%	63.80
एनटीपीसी गाडरवारा STPS, Unit 1	पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय	800.00	50%	400.00
म.प्र. जेनको					
अमरकंटक चचाई एक्सटेंशन	राज्य	जेनको	210.00	100%	210.00
सारणी पावर हाऊस 2 & 3	राज्य	जेनको	830.00	100%	830.00
सतपुड़ा पावर हाऊस सारणी यूनिट-10	राज्य	राज्य	250.00	100%	250.00
सतपुड़ा पावर हाऊस सारणी यूनिट-11	राज्य	राज्य	250.00	100%	250.00
विरसिंहपुर पावर हाऊस 1 & 2	राज्य	जेनको	840.00	100%	840.00
विरसिंहपुर पावर हाऊस एक्सटेंशन	राज्य	जेनको	500.00	100%	500.00

श्री सिंगाजी पावर हाऊस फेज-1 Unit 1	राज्य	राज्य	600.00	100%	600.00
श्री सिंगाजी पावर हाऊस फेज-1 Unit 2	राज्य	राज्य	600.00	100%	600.00
बरगी जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	90.00	100%	90.00
बाणसागर जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	315.00	100%	315.00
बाणसागर टोंस सिलपारा जल विद्युत	राज्य	जेनको	30.00	100%	30.00
बाणसागर देवलोंद जल विद्युत	राज्य	जेनको	60.00	100%	60.00
बाणसागर झिन्ना पावर हाऊस	राज्य	जेनको	20.00	100%	20.00
विरसिंहपुर जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	20.00	100%	20.00
मरहीखेड़ा जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	60.00	100%	60.00
राजघाट जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	45.00	51%	23.00
गांधीसागर जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	115.00	50%	58.00
राणाप्रताप एवं जवाहर सागर जल विद्युत	राज्य	जेनको	271.00	50%	136.00
पेंच जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	जेनको	160.00	67%	107.00
ज्वाइंट वैचर हाइडल एवं अन्य हाइडल					
एनएचडीसी इंदिरा सागर	राज्य	JV	1,000.00	100%	1,000.00
ओंकारेश्वर जल विद्युत पावर हाऊस	राज्य	JV	520.00	100%	520.00
सरदार सरोवर जल विद्युत	पश्चिम क्षेत्र	JV	1,450.00	57%	827.00
अन्य (लघु एवं सूक्ष्म)	राज्य	अन्य	30.00	100%	30.00
UPPMCL(रिहंद माताटीला)	राज्य	Others	330.60	17%	55.00
दामोदर बैली कार्पोरेशन					
DVC (एमपीटीसी, सीटीपीएस)	पूर्वी क्षेत्र	DVC	1,000.00	40%	400.00
DVC डीटीपीएस यूनिट 1	पूर्वी क्षेत्र	JV	50.00	100%	50.00
DVC डीटीपीएस यूनिट 2	पूर्वी क्षेत्र	JV	50.00	100%	50.00
IPPs					
टोरेंट पावर GPP	पश्चिम क्षेत्र	निजी	1,147.50	9%	100.00
बीएलए पावर Unit 1 & Unit 2	राज्य	निजी	32.00	100%	32.00
जेपी बीना पावर Unit 1 & Unit 2	राज्य	निजी	500.00	70%	350.00
लेंको अमरकंटक	पश्चिम क्षेत्र	निजी	300.00	100%	300.00
यूएमपीपी सासन Unit 1 to Unit 6	पश्चिम क्षेत्र	निजी	3,960.00	38%	1,485.00

झाबुआ पावर	पश्चिम क्षेत्र	निजी	1,600.00	13%	210.00
जय प्रकाश पावर निगरी Unit 1 & Unit 2	पश्चिम क्षेत्र	निजी	1,320.00	38%	495.00
एम.बी.पावर Unit 1	पश्चिम क्षेत्र	निजी	600.00	35%	210.00
एम.बी.पावर Unit 2	पश्चिम क्षेत्र	निजी	1,600.00	13%	210.00
कैप्टिव	राज्य	-	17.00		17.00
अपरांपरिक ऊर्जा					
सौर ऊर्जा - गैर परंपरागत	राज्य	निजी	1,025.00		1,025.00
सौर ऊर्जा के अलावा - गैर परंपरागत	राज्य	निजी	2,218.00		2,218.00

म.प्र. शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.03.2016 के तहत सभी पावर स्टेशन म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी को आवंटित किये गये हैं एवं तदानुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत खरीदी लागत को समरूप रखने हेतु याचिकाकर्ताओं ने माहवार ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध पावर स्टेशनों को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में आवंटित किया है।

कुल विद्युत उपलब्धता एवं लागत के आवंटन हेतु याचिकाकर्ताओं ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की राज्य की सीमा पर माहवार ऊर्जा आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2017, वित्तीय वर्ष 2018 एवं वित्तीय वर्ष 2019 को नीचे दिये गये तालिका में आधार माना है :-

तालिका 23 : वित्तीय वर्ष 2017 के लिए आवंटन का प्रतिशत

वि. व. 17	अप्रैल -16	मई -16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त -16	सितम्बर -16	अक्टूबर -16	नवम्बर -16	दिसम्बर 16	जनवरी -17	फरवरी -17	मार्च -17	योग
पूर्व (मि.यू.)	1,483	1,476	1,201	1,228	1,370	1,574	1,823	1,720	1,557	1,587	1,556	1,371	17,944
मध्य (मि.यू.)	1,523	1,514	1,301	1,293	1,419	1,630	1,923	1,819	1,613	1,723	1,690	1,481	18,928
पश्चिम (मि.यू.)	1,711	1,849	1,525	1,351	1,415	1,656	2,307	2,215	1,959	2,078	1,898	1,626	21,589
	4,717	4,838	4,027	3,872	4,205	4,859	6,053	5,753	5,129	5,388	5,143	4,478	58,462
पूर्व	31.45%	30.51%	29.83%	31.71%	32.58%	32.38%	30.12%	29.89%	30.35%	29.45%	30.25%	30.61%	30.69%
मध्य	32.28%	31.28%	32.30%	33.40%	33.76%	33.54%	31.76%	31.62%	31.45%	31.98%	32.86%	33.08%	32.38%
पश्चिम	36.27%	38.21%	37.87%	34.89%	33.66%	34.08%	38.12%	38.49%	38.20%	38.57%	36.90%	36.31%	36.93%

तालिका – 24 : वित्तीय वर्ष 2018 के लिए आवंटन का प्रतिशत

वि. व. 18	अप्रैल -17	मई -17	जून -17	जुलाई -17	अगस्त -17	सितम्बर -17	अक्टूबर -17	नवम्बर -17	दिसम्बर -17	जनवरी -18	फरवरी -18	मार्च -18	योग
पूर्व (मि.यू.)	1,568	1,560	1,452	1,484	1,545	1,565	1,735	1,722	1,742	1,678	1,463	1,450	18,965
मध्य (मि.यू.)	1,620	1,610	1,582	1,573	1,611	1,632	1,841	1,833	1,817	1,833	1,598	1,577	20,127
पश्चिम (मि.यू.)	1,798	1,942	1,832	1,624	1,588	1,639	2,182	2,204	2,180	2,183	1,773	1,710	22,657
	4,986.47	5,112.76	4,865.90	4,681.01	4,744.02	4,836.29	5,757.59	5,760.08	5,738.93	5,694.31	4,834.74	4,736.47	61,749
पूर्व	31.44%	30.51%	29.85%	31.71%	32.57%	32.37%	30.13%	29.90%	30.36%	29.47%	30.26%	30.62%	30.71%
मध्य	32.49%	31.50%	32.51%	33.60%	33.96%	33.74%	31.97%	31.83%	31.66%	32.19%	33.06%	33.28%	32.60%
पश्चिम	36.07%	37.99%	37.64%	34.69%	33.48%	33.90%	37.90%	38.27%	37.98%	38.34%	36.68%	36.10%	36.69%

तालिका – 25 : वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आवंटन का प्रतिशत

वि. व. 19	अप्रैल -18	मई -18	जून -18	जुलाई -18	अगस्त -18	सितम्बर -18	अक्टूबर -18	नवम्बर -18	दिसम्बर -18	जनवरी -19	फरवरी -19	मार्च -19	योग ख
पूर्व (मि.यू.)	1,675	1,666	1,552	1,586	1,650	1,672	1,853	1,840	1,861	1,793	1,564	1,550	20,264
मध्य (मि.यू.)	1,723	1,713	1,683	1,673	1,713	1,735	1,958	1,950	1,932	1,949	1,700	1,677	21,408
पश्चिम (मि.यू.)	1,892	2,043	1,927	1,710	1,672	1,726	2,295	2,318	2,292	2,296	1,866	1,799	23,835
	5,290	5,422	5,162	4,969	5,036	5,133	6,105	6,108	6,086	6,039	5,130	5,027	65,507
पूर्व	31.66%	30.73%	30.07%	31.92%	32.77%	32.57%	30.35%	30.13%	30.58%	29.69%	30.48%	30.84%	30.93%
मध्य	32.57%	31.59%	32.60%	33.68%	34.02%	33.80%	32.06%	31.92%	31.75%	32.28%	33.15%	33.37%	32.68%
पश्चिम	35.77%	37.67%	37.32%	34.40%	33.20%	33.62%	37.58%	37.95%	37.66%	38.02%	36.37%	35.79%	36.39%

3.2 मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी को आवंटित स्टेशनो का विस्तृत विवरणस् -स्थापित एवं क्षमता वृद्धि वित्तीय वर्ष -2017 वित्तीय वर्ष 2019

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्टेशन की सूची जिनमें म.प्र राज्य का हिस्सा है। निम्नांकित तालिका में बहुवर्षीय टैरिफ अवधि यथा वित्तीय वर्ष 2019 तक क्रियाशील होने की संभावना वाले भविष्य की क्षमता वृद्धियों तथा वर्तमान में म.प्र.पा.में.कं.लि. को आवंटित विद्यमान स्थापित क्षमताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 26 : म.प्र.पा.में.कं.लि. को आवंटित स्टेशन – स्थापित क्षमता वि.व. 2019 तक

स्थापित	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
केन्द्रीय सेक्टर	3,235	3,377	3,377	3,377
एनटीपीसी कोरबा	482	482	482	482
एनटीपीसी कोरबा -III	77	77	77	77
एनटीपीसी विंध्याचल I	443	443	443	443
एनटीपीसी विंध्याचल II	318	318	318	318
एनटीपीसी विंध्याचल III	245	245	245	245
एनटीपीसी विंध्याचल IV यूनिट 1	142	142	142	142
एनटीपीसी विंध्याचल IV यूनिट 2	142	142	142	142
एनटीपीसी विंध्याचल V	-	142	142	142
एनटीपीसी सीपत स्टेज - 1	338	338	338	338
एनटीपीसी सीपत स्टेज II	187	187	187	187
एनटीपीसी मोयदा स्टेज -1 Unit 1	92	92	92	92
एनटीपीसी मोयदा स्टेज -1 Unit 2	92	92	92	92
एनटीपीसी –कवास	140	140	140	140
एनटीपीसी –गंधार	117	117	117	117
एनटीपीसी – कहलगांव 2	74	74	74	74
काकरापार	114	114	114	114
तारापोर	232	232	232	232
म.प्र. जेनको	4997	4997	4997	4997
अमरकंटक चचाई एक्सटेंशन	210	210	210	210
सारणी पावर हाऊस 2 & 3	980	830	830	830
सतपुड़ा पावर हाऊस सारणी यूनिट 10-	250	250	250	250
सतपुड़ा पावर हाऊस सारणी यूनिट 11-	250	250	250	250
विरसिंहपुर पावर हाऊस 1 & 2	840	840	840	840
विरसिंहपुर पावर हाऊस एक्सटेंशन	500	500	500	500
श्री सिंगाजी पावर हाऊस फेज-1 Unit 1	600	600	600	600
श्री सिंगाजी पावर हाऊस फेज-1 Unit 2	600	600	600	600
बरगी जल विद्युत पावर हाऊस	100	90	90	90
बाणसागर जल विद्युत पावर हाऊस	315	315	315	315
बाणसागर टोंस सिलपारा जल विद्युत	30	30	30	30

स्थापित	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
बाणसागर देवलोंद जल विद्युत	60	60	60	60
बाणसागर द्विन्ना पावर हाऊस	20	20	20	20
बिरसिंहपुर जल विद्युत पावर हाऊस	20	20	20	20
मरहीखेडा जल विद्युत पावर हाऊस	60	60	60	60
राजघाट जल विद्युत पावर हाऊस	23	23	23	23
गांधीसागर जल विद्युत पावर हाऊस	58	58	58	58
राणाप्रताप एवं जवाहर सागर जल विद्युत	136	136	136	136
पेंच जल विद्युत पावर हाऊस	107	107	107	107
ज्वाइंट वैन्चर हाइडल एवं अन्य हाइडल	2,432	2432	2432	2432
एनएचडीसी इंदिरा सागर	1,015	1,000	1,000	1,000
ओकारेश्वर जल विद्युत पावर हाऊस	520	520	520	520
सरदार सरोवर जल विद्युत	827	827	827	827
अन्य (लघु एवं सूक्ष्म)	30	30	30	30
UPPMCL(रिहंद माताटीला)	55	55	55	55
दामोदर वैली कार्पोरेशन	500	500	500	500
DVC (एमपीटीसी, सीटीपीएस)	400	400	400	400
DVC डीटीपीएस यूनिट 1	50	50	50	50
DVC डीटीपीएस यूनिट 2	50	50	50	50
IPPs	3,019	3,019	3,019	3,019
टोरेंट पावर GPP	100	100	100	100
बीएलए पावर Unit 1 & Unit 2	16	16	16	16
बीएलए पावर Unit 2	16	16	16	16
जेपी बीना पावर Unit 1	175	175	175	175
जेपी बीना पावर Unit 2	175	175	175	175
लेको अमरकंटक	300	300	300	300
यूएमपीपी सासन Unit 1	247	247	247	247
यूएमपीपी सासन Unit 2	248	248	248	248
यूएमपीपी सासन Unit 3&4	495	495	495	495
यूएमपीपी सासन Unit 5&6	495	495	495	495
एससाआर पावर से कंसेसल ऊर्जा	30	30	30	30
जय प्रकाश पावर निगरी यूनिट - 1	248	248	248	248
जय प्रकाश पावर निगरी यूनिट 2	247	247	247	247
एम.बी.पावर यूनिट 1	210	210	210	210
केप्टिव	17	17	17	17
गैर पारंपरिक ऊर्जा	1,397	2,768	3,244	3,244
गैर पारंपरिक ऊर्जा – सौर	550	550	1025	1025

स्थापित	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
गैर पारंपरिक ऊर्जा – सौर ऊर्जा के अलावा	847	2,218	2,218	2,218
कुल	15,580	17,093	17,568	17,568

तालिका 27: क्षमता वृद्धि योजना (म.प्र.पा.में.कं.लि. को आवंटित स्टेशन, उनकी क्षमता सहित) मेगावॉट में

स्टेशन	CoD	वि वर्ष. 17	वि वर्ष. 18	वि वर्ष. 19
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस राजगढ़ यूनिट 1	Jun-17	-	64	64
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस राजगढ़ यूनिट 2	Sep-17	-	64	64
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस राजगढ़ यूनिट 3	Apr-18	-	-	64
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस राजगढ़ यूनिट 4	Sep-18	-	-	64
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ यूनिट 5	Apr-19	-	-	0
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस यूनिट- 1	Sep-17	-	400	400
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस यूनिट 2	Apr-18	-	-	400
जेनको श्री सिंगा जी फेस-1, यूनिट 1	Sep-18	-	-	594
जेनको श्री सिंगा जी फेस -2, यूनिट 2	Dec-18	-	-	594
झाबुआ पावर	May-16	210	210	210
एम पावर यूनिट.बी.2	Apr-16	210	210	210
योग		420	948	2,727

तालिका 18 क्षमता का सारांश (मेगावॉट में)

विवरण	वि वर्ष. 17	वि वर्ष. 18	वि वर्ष.19
मौजूदा क्षमता (मेगावॉट में)	17,093	17,568	17,568
अतिरिक्त क्षमता (मेगावॉट में)	420	948	2,727
कुल क्षमता (मेगावॉट में)	17,513	18,516	20,295

3.2.1 समस्त आवंटित केन्द्रों से उपलब्धता

वि.व 2017 से वि.व. 2019 तक सभी आवंटित केन्द्रों से अनुमान का आधार नीचे तालिका में उल्लेखित है :-

स्टेशन	आधार
जेनको एसटीपीएस फेस -1 (इकाई 1 एवं इकाई 2)	PLF Taken at 82.5%
जेनको - एसटीपीएस एक्सटेंशन (इकाई 10 एवं 11)	PLF Taken at 75%
यूएमपीपी सासन	PLF Taken at 90%
जेपी पावर निगरी	PLF Taken at 82.5%
एमबी पावर	PLF Taken at 82.5%
बीएलए पावर	PLF Taken at 65%
झाबुआ पावर	PLF Taken at 82.5%
एनटीपीसी लारा, एसटीपीएस रायगढ़ (इकाई 1 एवं इकाई 2)	PLF Taken at 82.5%
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीसी, (इकाई 1)	PLF Taken at 82.5%

तालिका 29 म.प्र. के लिए आवंटित स्टेशनों के पूर्वानुमान एवं भविष्य के लिए अनुमानित एक्स-बस उपलब्धता (मि.यू.)

स्टेशन	वास्तविक एक्स बस उपलब्धता-	अनुमानित एक्स बस उपलब्धता		
	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
केन्द्रीय सेक्टर	19,535	21,231	22,877	25,002
एनटीपीसी कोरबा	3,621	3,534	3,524	3,560
एनटीपीसी कोरबा -III	573	553	558	557
एनटीपीसी विंध्याचल I	2,639	2,714	2,701	2,685
एनटीपीसी विंध्याचल II	2,010	2,111	2,063	2,061
एनटीपीसी विंध्याचल III	1,779	1,732	1,749	1,753
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई 1	2,050	922	1,013	1,014
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई - 4 Unit 2	-	922	1,013	1,014
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई - 5	396	762	976	830
एनटीपीसी सीपत स्टेज - 1	2,210	2,220	2,408	2,242
एनटीपीसी सीपत स्टेज II	1,480	1,302	1,365	1,382
एनटीपीसी माउदा एसटीपीएस स्टेज -1 इकाई 1	94	615	615	615
एनटीपीसी माउदा एसटीपीएस स्टेज -1 इकाई Unit 2	-	615	615	615
एनटीपीसी खवास -	50	298	298	298
एनटीपीसी गंधार -	29	249	249	249
एनटीपीसी कहलगांव 2	387	309	360	352
काकरापार	449	777	704	643
TAPS	1,767	1,598	1,608	1,658
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 1	-	-	249	299
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 2	-	-	111	300

स्टेशन	वास्तविक एक्स बस उपलब्धता-	अनुमानित एक्स बस उपलब्धता		
	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ इकाई 3	-	-	-	300
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ इकाई 4	-	-	-	174
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई 1	-	-	697	1201
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई 2	-	-	-	1201
म जेनको .प्र.	19,067	25,359	25,506	28,025
एटीपीएस चचाई एक्सटेंशन	1,611	1,524	1,529	1,555
एसटीपीएस सारणी फेस 2-एवं फेस 3-	3,139	3,760	3,345	3,415
जेनको सतपुड़ा टीपीएस एक्सटेंशन इकाई -10	945	1,171	1,470	1,177
जेनको सतपुड़ा टीपीएस एक्सटेंशन इकाई -11	945	1,171	1,470	1,202
एसजीटीपीएस विरसिंहपुर - PH 1 & 2	3,066	3,347	3,347	3,254
एसजीटीपीएस विरसिंहपुर - Extn	3,350	3,313	3,313	3,367
एमजेनको श्री.पी. सिंगाजी एसटीपीएस फेस -1 इकाई 1	3,978	4,038	4,038	4,038
एमजेनको श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस.पी. -1 इकाई 2	-	4,038	4,038	4,038
एमजेनको श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस.पी. -2 इकाई 1	-	-	-	1,999
एमजेनको श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस.पी. -2 इकाई 2	-	-	-	1332
बरगी जल विद्युत	270	468	481	406
बाणसागर टोंस जल विद्युत	553	1,133	1,166	949
बाणसागर टोंस जल विद्युत -सिलपरा	53	108	118	99
बाणसागर टोंस जल विद्युत -देवलोंद	105	216	128	121
बाणसागर टोंस जल विद्युत - बाणसागर IV (झिन्ना)	58	105	99	99
विरसिंहपुर जल विद्युत	15	33	36	28
मरही खेरा जल विद्युत	95	105	100	100
राजघाट जल विद्युत	18	33	35	28

स्टेशन	वास्तविक एक्स बस उपलब्धता-	अनुमानित एक्स बस उपलब्धता		
	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
CHPS-गांधी सागर	188	159	168	172
CHPS-राणासागर एवं जवाहर सागर	429	376	362	389
पैंच टीएचपीएस	251	263	262	259
JV Hydel & Other Hydel	4,124	6,663	6,157	5,900
NHDC – इंदिरा सागर	1,968	3,035	2,646	2,550
ओंकारेश्वर HPS	953	1,296	1,273	1,174
सरदार सरोवर	1,193	2,245	2,059	2,059
अन्य (लघु सूक्ष्म)	10	42	64	64
यूपीपीएमसीएल (रिहन्द माताटीला)	-	45	114	53
दामोदर व्हेली कार्पोरेशन	2,355	2,622	2,611	2,364
डी .सी.व्ही. (MTPS, CTPS)	2,081	2,096	2,084	2,087
डी .सी.व्ही. DTPS Unit 1	137	263	263	139
डी .सी.व्ही. DTPS Unit 2	137	263	263	139
IPPs	17,637	21,376	22,949	22,110
टोरेंट पावर	70	710	710	710
बीएलए पावर Unit 1	52	49	79	49
बीएलए पावर Unit 2	0	49	79	49
जेपी बीना पावर Unit 1	925	842	842	842
जेपी बीना पावर Unit 2	-	842	842	842
लेंको अमरकंटक	1,993	1,992	2,012	1,952
यूएमपीपी सासन Unit 1	5,433	1,604	1,805	1,805
यूएमपीपी सासन Unit 2	5,433	1,604	1,805	1,805
यूएमपीपी सासन Unit 3&4	-	3,209	3,610	3,209

स्टेशन	वास्तविक एक्स बस उपलब्धता-	अनुमानित एक्स बस उपलब्धता		
	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
यूएमपीपी सासन Unit 5&6	-	3,209	3,610	3,209
Concessional Energy from Essar Power	-	-	-	-
झावुआ पावर	-	1,281	1,404	1,404
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1-	2,818	1,608	1,655	1,696
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 2	-	1,608	1,655	1,696
एमबी पावर इकाई 1	878	1,361	1,404	1,404
एमबी पावर इकाई 2	-	1,361	1,404	1,404
केप्टिव	34	47	36	36
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा	2,220	3,294	5,501	5,365
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर	804	912	1,314	1,336
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	1,416	2,382	4,187	4,299
कुल उपलब्धता	64,938	80,448	85,601	89,037

3.2.2 सकल उपलब्धता

तालिका 30 : सकल उपलब्धता (मि.यू)

विवरण	वि .व. 16	वि .व. 17	वि .व. 18	वि .व. 19
योग	64,938	80,448	85,601	89,037

3.3 ऊर्जा का हटना (Backdown of Power)

राज्य की आवश्यकता की पूर्ति होने तथा पावर एक्सचेंज से विद्युत बिक्री के बाद याचिकाकर्ताओं को परिवर्तनीय लागत बचाने के लिए आंशिक पावर को बेक डाउन करना होता है। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए परिवर्तनीय लागत के आधार पर माहवार मेरिट आर्डर आर्डर सिद्धान्त को लागू किया है, और उसके पश्चात सभी उत्पादन केन्द्र को एम.पी.पावर मैनेजमेंट को आवंटित मानते हुए याचिकाकर्ताओं ने जिन स्टेशनों / केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत एम.ओ.डी. सिद्धान्त में अधिक है उन्हें आंशिक तौर पर बेक डाउन किया है (ऐसे उत्पादन केन्द्र जिनकी परिवर्तनीय लागत रु. 2.43 से अधिक है) जब मांग की पूर्ति करने हेतु उन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं होती है एवं बाजार में बिजली की दरें उनके चलाने के औचित्य को सही ठहराते। यह मांग के उतार चढ़ाव को दर्शाता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि सस्ते विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा पूर्णतः उपयोग की जाती है तथा महंगे ऋणों से विद्युत खरीदी को टाला जाता है। पावर खरीदी लागत में कमी या अधिक दर पर बिक्री की जाती है, जो भी स्थिति हो, के परिणाम स्वरूप लाभ को अंततः उपभोक्ताओं के हिस्से में जोड़ा जाता है। निम्न तालिका ऐसे स्टेशनों को दर्शाती है, जिनसे आंशिक तौर पर पावर बेक डाउन किया गया है।

तालिका 31: ब्रेक डाउन आफ पावर – पावर स्टेशन

स्टेशन	मानक उपलब्धता (एम .यू.)			ब्रेक डाउन (MU)			कुल उपलब्धता (MU)		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
जेपी बीना पावर इकाई 1	842	842	842	648	691	592	194	150	249
जेपी बीना पावर इकाई Unit 2	842	842	842	677	691	641	165	150	200
म जेनको.प्र. – श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस 1-इकाई 1-	4,038	4,038	4,038	2,344	3,316	3,316	1,694	721	721
म जेनको.प्र. – श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेस1-, इकाई 2	4,038	4,038	4,038	2,344	3,316	3,316	1,694	721	721
एसटीपीएस सारणी –फेस 2 & 3	3,760	3,345	3,415	2,812	2,007	1,606	948	1,338	1,808
एनटीपीसी माउदा इकाई 1	615	615	615	472	430	268	143	185	347
एनटीपीसी माउदा इकाई 2	615	615	615	615	430	210	-	185	405
बीएलए पावर इकाई 1	49	79	49	49	79	29	-	-	20

स्टेशन	मानक उपलब्धता (एम .यू.)			ब्रेक डाउन (MU)			कुल उपलब्धता (MU)		
	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19	FY 17	FY 18	FY 19
बीएलए पावर इकाई 2	49	79	49	49	79	49	-	-	-
झाबुआ पावर	1,281	1,404	1,404	1,140	1,263	1,226	141	141	178
म जेनको.प्र. - श्री सिंगा जी फेस -2, इकाई 1	-	-	1,999	-	-	1,285	-	-	714
म जेनको.प्र. - श्री सिंगा जी फेस -2, इकाई -2, Unit 2	-	-	1,332	-	-	1,332	-	-	-
टोरेंट पावर	710	710	710	710	710	710	-	-	-
योग	16,838	16,606	19,947	11,859	13,013	14,582	4,979	3,592	5,365

वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि के लिये म.प्र. को आवंटित केन्द्रों से मेरिट आर्डर डिस्पैच और ब्रेक डाउन लागू करने के पश्चात सकल उपलब्धता निम्न लिखित तालिका में उल्लेखित है :-

श्रेणी	वि वर्ष. 17	वि वर्ष. 18	वि वर्ष. 19
पूर्व एक्स बस उपलब्धता हटना पहले (MU)	80,448	85,601	89,037
स्टेशनों की कम हटना (MU)	11,859	13,013	14,582
स्टेशनों से उपलब्धता (MU)	68,590	72,588	74,455

3.4 अन्तर्राजीय पारेषण हानियां

अन्तर्राजीय पारेषण हानियों की गणना पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्रीय स्टेशनों के लिये पृथक पृथक की गई है। पश्चिम क्षेत्र के लिये POSOCO/ NLDC की वेब साइट पर उपलब्ध पिछले 52 सप्ताहों के समंकों (27 जुलाई-2015 से 07 अगस्त-2016) को लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा बहुवर्षीय दर अवधि वि.व 2016-17 से वि.व 2018-19 तक के लिये 3.77% के औसत हानि स्तर को माना गया है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र के लिये वि.व 2015-16 एवं बहुवर्षीय दर अवधि वि.व 2016-17 से वि.व 2018-19 तक के लिये औसत पारेषण वितरण हानियां 2.09% ली गई हैं।

3.5 अधिक उपलब्ध विद्युत का प्रबंधन

विद्युत उपलब्धता की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संबंधित वर्ष के अधिकांश महिनों में प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत की उम्मीद है। वर्तमान में एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. अतिरिक्त विद्युत को पावर एक्सचेंज (IEX) के माध्यम से प्रचलित दरों पर विक्रय करती है। म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी, अतिरिक्त पावर को उस समय पर प्रचलित बाजार दर पर विक्रय करने का प्रयास करती है।

पिछले 36 माहों (अक्टूबर-2013 से सितम्बर-2016) में पावर एक्सचेंज (IEX) की दर रु. 2.43. प्रति यूनिट देखी गयी है। अतिरिक्त पावर से राजस्व गणना करने हेतु (IEX) की दर रु. 2.43 प्रति यूनिट ली गयी है।

वितरण कंपनियों की अतिरिक्त विद्युत जैसे सकल विद्युत उपलब्धता तथा विद्युत की आवश्यकता साथ ही साथ विद्युत की विक्री से प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है। वितरण कंपनियों की कुल पावर खरीदी लागत की गणना करते समय म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी को आवंटित केन्द्रों की परिवर्तनीय विद्युत खरीदी लागत में से इस राजस्व को घटाया गया है।

तालिका 32 : वित्तीय वर्ष 2017- से वित्तीय वर्ष 2019 के लिए म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. की अतिरिक्त ऊर्जा का प्रबंधन

विवरण	यूनिट	वि.व.17.	वि.व..18	वि.व..19
एक्स बस विद्युत की उपलब्धता-	मि.यू.	68,590	72,588	74,455
एक्स बस वितरण कंपनियों की विद्युत आवश्यकता-	एम.यू.	59,958	63,347	67,193
अधिक विद्युत उपलब्धता	एम.यू.	8,631	9,241	7,262
आर.पी वचन बद्धता के कारण अतिरिक्त आधिक्य .ओ.	एम.यू.	1,515	247	740
अधिक विद्युत उपलब्धता का प्रबंधन				
कुल अधिक विद्युत विक्रय (IEX) के माध्यम से	मि.यू.	10,147	9,488	8,002
अधिक उपलब्ध विद्युत की दर (IEX) के माध्यम से				
IEX	दर प्रति यूनिट	2.43	2.43	2.43
अधिक उपलब्ध विद्युत विक्रय की दर के माध्यम से प्राप्त राजस्व	रु. करोड़ में.	2,466	2,306	1,945

3.6 ऊर्जा का संतुलन (एनर्जी बैलेंस)

3.6.1 ऊर्जा की आवश्यकता - उपलब्धता एवं कमी का प्रबंधन

यह प्रस्तुत है कि तीनों वितरण कंपनियों हेतु ऊर्जा की एक्स-बस आवश्यकता की गणना की गई है ताकि वितरण कंपनीवार पावर खरीदी की योजना हेतु ऊर्जा की कमी अथवा अधिकता सुनिश्चित की जा सके। तदानुसार विभिन्न रूपों से ऊर्जा की व्यवस्था करने का वितरण कंपनीवार विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 33 : वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न रूपों से एक्स बस खरीद (मि.यू.)

विवरण	पूर्व क्षेत्र (.यू.एम)		
	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
एक्स बस विद्युत आवश्यकता	18,404	19,456	20,786
म.प्र. को आवंटित स्टेशनों से क्रय	18,404	19,456	20,786
अपेक्षित से कमी			
शेष एस के माध्यम से क्रय .पी.पी.टी.	-	-	-
विवरण	मध्य क्षेत्र		
	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
एक्स बस विद्युत आवश्यकता	19,413	20,649	21,960
म.प्र. को आवंटित स्टेशनों से क्रय	19,413	20,649	21,960
अपेक्षित से कमी			
शेष एस के माध्यम से क्रय .पी.पी.टी.	-	-	-
विवरण	पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
एक्स बस विद्युत आवश्यकता	22,141	23,242	24,448
म.प्र. को आवंटित स्टेशनों से क्रय	22,141	23,242	24,448
अपेक्षित से कमी			
शेष एस क्रय के माध्यम से .पी.पी.टी.	-	-	-
विवरण	मध्य प्रदेश राज्य		
	वि.व.17	वि.व.18	वि.व.19
एक्स बस विद्युत आवश्यकता	59,958	63,347	67,193
म.प्र. को आवंटित स्टेशनों से क्रय	59,958	63,347	67,193
अपेक्षित से कमी			
शेष एस के माध्यम से क्रय .पी.पी.टी.	-	-	-

4. विद्युत क्रय की लागत

4.1 म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी को आवंटित केन्द्रों की लागत की विस्तृत जानकारी :

सभी केन्द्रों की नियत एवं परिवर्तनीय लागत लागत निम्न प्रक्रिया अनुसार नियत की गई है :-

- म.प्र.राज्य को आवंटित विद्युत केन्द्रों की लागत विगत 12 माहों के देयक के आधार पर (सितंबर-2015 से अगस्त-2016 तक) लिए गये हैं।
- आगे, माननीय आयोग से याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन करते हैं कि इसे विचारण में लेते हुए अप्रैल 2017 से जून-2017 तक की अवधि के ऊर्जा लागत समायोजन प्रभार की अनुमति प्रदान की जाये।

म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि.को आवंटित स्टेशनों की नियत एवं परिवर्तनीय लागत का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 34: वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 के लिए एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि. को आवंटित स्टेशनों हेतु नियत एवं परिवर्तनीय लागतें

स्टेशन	नियत लागत (Rs Cr)	रिमार्क	चर लागत (Rs/unit)	रिमार्क
केन्द्रीय सेक्टर				
एनटीपीसी कोरबा	175.48	सितंबर-15 से अग- 16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.30	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी कोरबा -III	92.63	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.30	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी विंध्याचल I	182.92	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.78	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी विंध्याचल II	135.91	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.78	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी विंध्याचल III	226.45	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.72	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी विंध्याचल MTPS, Stage - 4 Unit 1&2	302.26	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.81	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी विंध्याचल MTPS, Stage – 5	96.15	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.75	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर

स्टेशन	नियत	रिमार्क	चर लागत	रिमार्क
एनटीपीसी सीपत स्टेज - 1	320.91	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.37	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी सीपत स्टेज II	213.31	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.24	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी मउदा एसटीपीएस स्टेज -1 इकाई 1&2	213.91	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.49	अक्टूबर के एमओडी 16 के आधार पर
एनटीपीसी खवास	74.67	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.19	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी गंधार	72.26	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.44	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी कहलगांव 2	80.34	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.08	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
काकरापार	-	-	2.41	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
टीएपीएस	-	-	2.90	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 1	57.56	एनटीपीसी कोरबा III (92.63/77X63.80)/12 x9 के अनुसार उसी अनुपात में ली	1.30	एनटीपीसी कोरबा III के बराबर लिया गया है
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 2	28.78	एनटीपीसी कोरबा III (92.63/77X63.80)/12 x6 के अनुसार उसी अनुपात में ली	1.30	एनटीपीसी कोरबा III के बराबर लिया गया है।

स्टेशन	नियत	रिमार्क	चर लागत	रिमार्क
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई 1-	240.61	एनटीपीसी कोरबा III (92.63/77X 400)/12x6 के अनुसार उसी अनुपात में ली	1.30	एनटीपीसी कोरबा III के बराबर लिया गया है
म जेनको .प्र.				
एटीपीएस - चचाई एक्सटेंशन -	204.25	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.73	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एसटीपीएस - सारनी फेस 2 & 3	367.14	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.55	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एम जेनको.पी. - एसटीपीएस एक्सटेंशन इकाई 10-	260.85	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.22	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एम जेनको.पी. - एसटीपीएस एक्सटेंशन इकाई 11	260.85	Taken as per unit 1	2.22	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर फेस 1 & 2	382.34	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.47	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर - एक्सटेंशन	441.56	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.19	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एमजेनको श्री सिंगाजी .पी. 1-एसटीपीएस फेसइकाई 1-	440.58	नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दि. 10.11.14 के आधार पर	2.69	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
एमजेनको श्री सिंगाजी .पी. 1-एसटीपीएस फेसइकाई 2	420.80	नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दि. 18.03.15 के आधार पर	2.69	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
बरगी जल विद्युत	8.20	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	0.63	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
बाण सागर टोंस एचपीएस	66.26	सितंबर-15 से अग-16 के	0.92	सितंबर-15 से अग-16 के

स्टेशन	नियत	रिमार्क	चर लागत	रिमार्क
		वास्तविक बिल के आधार पर		वास्तविक बिल के आधार पर
बाण सागर टोंस एचपीएस - सिलपरा	2.26	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	0.90	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
बाण सागर टोंस एचपीएस - देवलोंद	2.49	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.27	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
बाण सागर टोंस एचपीएस - Bansagar IV (झिन्ना)	3.75	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.21	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
बिरसिंहपुर एच .एस.पी.	1.53	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	1.06	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
मरही खेड़ा HPS	11.06	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.17	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
राजघाट HPS	0.96	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	2.25	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
गांधी सागर CHPS-	2.81	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	0.77	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
राणासागर एवं जवाहर सागर CHPS-	-	-	1.51	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
पेंच टीएचपीएस	9.85	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	0.50	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
संयुक्त हाइडल एवं अन्य हाइडल				सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
इंदिरा सागर NHDC -	548.53	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर	0.47	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
ओंकारेश्वर HPS	404.45	सितंबर-15 से अग-16 के	0.38	सितंबर-15 से अग-16 के

स्टेशन	नियत	रिमार्क	चर लागत	रिमार्क
		वास्तविक बिल के आधार		वास्तविक बिल के आधार पर
सरदार सरोवर	162.96	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	0.82	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
अन्य (लघु सूक्ष्म)	29.50	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर ($Rs\ 4.61 \times 64$)/10	-	-
यूपीपीएमसीएल (रिहंद माताटीला)	-		0.40	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार पर
दामोदर वैली कार्पोरेशन				
डी .सी.व्ही.(एमटीपीएस सीटीपीएस)	389.83	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.23	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
डीटीपीएस इकाई 1	53.35	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.41	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
DVC डीटीपीएस इकाई 2	53.35	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.41	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
IPPs				
बीएलए पावर इकाई 1	19.52	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.43	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
जेपी बीना पावर इकाई 1	267.87	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.71	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
जेपी बीना पावर इकाई 2	267.87	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	2.71	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
लेंको अमरकंटक	285.12	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	1.68	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
यूएमपीपी सासन इकाई 1	31.64	As per quoted tariff	1.56	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
यूएमपीपी सासन इकाई 2	31.76	As per quoted tariff	1.56	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
यूएमपीपी सासन इकाई 3&4	63.40	As per quoted tariff	1.56	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया

स्टेशन	नियत	रिमार्क	चर लागत	रिमार्क
यूएमपीपी सासन इकाई 5 & 6	63.40	As per quoted tariff	1.56	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
झाबुआ पावर	246.49	As per MB power unit 1	2.80	As per MOD Oct'16
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1	202.10	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	0.84	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 2	202.10	Taken as per unit 1	0.84	प्रति यूनिट 1 के रूप में लिया
एमबी पावर इकाई 1	246.49	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	1.92	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
एमबी पावर इकाई 2	246.49	यूनिट 1 के अनुसार	1.92	यूनिट 1 के अनुसार
टोरेंट पावर	52.00	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार	-	-
केप्टिव पावर	-	-	2.29	सितंबर-15 से अग-16 के वास्तविक बिल के आधार
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा				
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर	844.58	Calculated as per the weighted average cost (Rs 6.43*1314 MU)/10	-	-
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	2344.83	Calculated as per the weighted average cost (Rs 5.60*4187 MU)/10	-	-

4.2 मैरिट आर्डर डिस्प्यूच

जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है कि सभी संयंत्र एम.पी.पी.एम.सी.एल. को आवंटित माने गये हैं एवं ऊपर दिये विवरण अनुसार चुनिंदा संयंत्रों के बैक डाउन के पश्चात सभी संयंत्रों में संयुक्त एम.ओ.डी. लगायी गयी है हालांकि, समझने की सुविधा के लिए एम.पी.पी.एम.सी.एल. एवं वितरण कंपनियों को आवंटित प्रत्येक स्रोत की लागतें पृथक - पृथक दर्शायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए लागू किया गया एम.ओ.डी. नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :-

तालिका 35 : वित्तीय वर्ष 2018 के स्टेशनवार एम.ओ.डी.

स्टेशन	रु. प्रति यूनिट	उपलब्धता (.यू.एम)
काकरापार	2.41	704
टीएपीएस	2.90	1608
अन्य (मिनी माइक्रो)	4.61	64
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर	6.43	1314
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	5.60	4187
ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र	0.38	1273
यूपीपीएमसीएल (रिहंद माताटीला)	0.40	114
एनएचडीसी इंदिरा सागर –	0.47	2646
पेंच टीएचपीएस –	0.50	262
बरगी एचपीएस –	0.63	481
सीएचपीएस गांधीसागर –	0.77	168
सरदार सरोवर	0.82	2059
जय प्रकाश पावर 1 – निगरी इकाई –	0.84	1655
जय प्रकाश पावर निगरी –इकाई 2 –	0.84	1655
बाण सागर टोंस एचपीएस – – सिलपरा	0.90	118
बाणसागर टोंस एचपीएस	0.92	1166
विरसिंहपुर एचपीएस –	1.06	36
बाण सागर टोंस एचपीएस – – IV (झिन्ना	1.21	99
बाण सागर टोंस एचपीएस – – देवलोंद	1.27	128
एनटीपीसी सिपत स्टेज –II	1.24	1365
एनटीपीसी कोरबा -III	1.30	558
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस , रायगढ़ इकाई 1-	1.30	2498
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस , रायगढ़ इकाई-2	1.30	111
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस , इकाई-1	1.30	697
एनटीपीसी कोरबा	1.30	3524
एनटीपीसी सिपत स्टेज -- 1	1.37	2408
सीएचपीएस राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	1.51	362
यूएमपीपी सासन इकाई 1	1.56	1805
यूएमपीपी सासन इकाई 2	1.56	1805
यूएमपीपी सासन इकाई 3&4	1.56	3610
यूएमपीपी सासन इकाई 5&6	1.56	3610
एटीपीएस – चचाई एक्सटेंशन	1.73	1529
लेको अमरकंटक	1.68	2012
एनटीपीसी विंध्याचल III	1.72	1749
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज - 5	1.75	976
एनटीपीसी विंध्याचल I	1.78	2701

स्टेशन	रु. प्रति यूनिट	उपलब्धता (.यू.एम)
एनटीपीसी विंध्याचल ।।	1.78	2063
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज - 4 इकाई 1	1.81	1013
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज - 4 इकाई 2	1.81	1013
एमबी पावर इकाई 1	1.92	1404
एमबी पावर इकाई 2	1.92	1404
एनटीपीसी 2- कहलगांव-	2.08	360
मढ़ीखेरा एचपीएस	2.17	100
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर एक्सटेंशन	2.19	3313
एमपीपीजीसीएल सतपुडा टीपीएस एक्सटेंशन इकाई – 10	2.22	1470
एमपीपीजीसीएल सतपुडा टीपीएस एक्सटेंशन इकाई – 11	2.22	1470
राजघाट एचपीएस	2.25	35
एनटीपीसी कवास –	2.19	298
डीब्हीसी -(एमटीपीएस, सीटीपीएस)	2.23	2084
केप्टिव	2.29	36
डीब्हीसी 1-डीटीपीएस इकाई –	2.41	263
डीब्हीसी 2-डीटीपीएस इकाई –	2.41	263
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर — फेस 1 & 2	2.47	3347
एनटीपीसी गंधार –	2.44	249
एसटीपीएस सारणी 1 फेस –, 2 एवं 3	2.55	1338
एनटीपीसी मौदा एसटीपीसीएस स्टेज 1-यूनिट 1-	2.49	185
एनटीपीसी मौदा एसटीपीसीएस स्टेज-1 यूनिट-2	2.49	185
एमपीपीजीसीएल - श्रीसिंगाजी फेस 1- इकाई 1	2.69	721
एमपीपीजीसीएल - श्रीसिंगाजी फेस - इकाई 12	2.69	721
जेपी बीना पावर इकाई 1	2.71	150
जेपी बीना पावर इकाई 2	2.71	150
झावुआ पावर	2.80	141
योग		72588

तीनों वितरण कंपनियों को आवंटित स्रोतों की कुल लागत (नियत लागत एवं चर लागत निम्नलिखित तालिका में) दर्शायी गयी है :-

तालिका 36 : वितरण कंपनियों को आवंटित (नियत एवं चर लागत)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2017							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
केन्द्रीय सेक्टर	673	805	710	2,187	1,076	1,134	1,287	3,497
एनटीपीसी -कोरबा	54	65	57	175	142	149	169	461
एनटीपीसी -कोरबा III	28	34	30	93	22	23	26	72
एनटीपीसी -विंध्याचल I	56	67	59	183	148	156	177	482
एनटीपीसी -विंध्याचल II	42	50	44	136	116	122	138	376
एनटीपीसी -विंध्याचल III	70	83	73	226	92	97	110	298
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई 1-	46	56	49	151	51	54	62	167
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई 2-	46	56	49	151	51	54	62	167
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 5-	30	35	31	96	41	43	49	133
एनटीपीसी सिपत स्टेज I	99	118	104	321	94	99	112	304
एनटीपीसी सिपत स्टेज II	66	78	69	213	50	52	59	161
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 1	33	39	35	107	11	12	13	36
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 2	33	39	35	107	-	-	-	-
एनटीपीसी -कवास	23	27	24	75	20	21	24	65

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2017							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
एनटीपीसी – गंधार	22	24	28	72	19	20	22	61
एनटीपीसी कहलगांव 2	25	20	23	80	20	21	24	64
काकरापार	-	-	-	-	58	61	69	187
तारापोर	-	-	-	-	143	150	170	463
म जेनको .प्र.	888	937	1,063	2,888	1,159	1,224	1,391	3,774
एटीपीएस – चचाई एक्सटेंशन	63	66	75	204	81	86	97	264
एसटीपीएस सारणी फेस-1, 2 & 3	113	119	135	367	76	80	85	241
मजेनको सतपुड़ा टीपीएस .प्र. 10-एक्सटेंशन इकाई	80	85	96	261	80	84	96	260
मजेनको सतपुड़ा टीपीएस .प्र. 11-एक्सटेंशन इकाई	80	85	96	261	80	84	96	260
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर – फेस 1 & 2	118	124	141	382	254	268	305	827
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर – एक्सटेंशन	136	143	162	442	222	235	267	724
मशी सिंगाजी जेनको .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 1-	136	143	162	441	138	147	170	455
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 2-	129	137	155	421	138	147	170	455
बरगी जल विद्युत	3	3	3	8	9	10	11	29

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2017							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
बाणसागर टोंस एचपीएस	20	21	24	66	32	34	38	104
बाणसागर टोंस एचपीएस सिलपरा	1	1	1	2	3	3	3	9
बाणसागर टोंस एचपीएस देवलोंद	1	1	1	2	5	5	6	16
बाणसागर टोंस एचपीएस IV (जिन्ना (1	1	1	4	4	4	5	13
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	2	1	1	1	4
मरही खेरा एचपीएस	3	4	4	11	7	7	8	23
राजघाट एचपीएस	0	0	0	1	2	2	3	7
सीएचपीएस गांधीसागर	1	1	1	3	4	4	5	12
सीएचपीएस राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0	0	0	0	17	18	21	57
पेंच टीएचपीएस	3	3	4	10	4	4	5	13
संयुक्त जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत	352	372	421	1,145	116	123	139	378
एनएचडीसी इंदिरा सागर	169	178	202	549	44	46	52	142
ओंकारेश्वर एचपीएस	124	131	149	404	15	16	18	50
सरदार सरोवर	50	53	60	163	57	60	68	184
अन्य (लघू सूक्ष्म)	9	10	11	30	-	-	-	-
यूपीपीएमसीएल (रिहंद	-	-	-	-	1	1	1	2

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2017							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
माताटीला)								
डीब्हीसी	153	161	183	497	183	193	219	595
डीब्हीसी एमटीपीएस), सीटीपीएस (120	126	143	390	144	152	172	468
डीब्हीसी (1-डीटीपीएस इकाई)	16	17	20	53	20	21	23	64
डीब्हीसी (2-डीटीपीएस इकाई)	16	17	20	53	20	21	23	64
आईपीपीएस	685	722	819	2,226	855	901	1,025	2,781
टोरेंट पावर	16	17	19	52	-	-	-	-
बीएलए पावर इकाई-1 एवं 2	6	6	7	20	-	-	-	-
जेपी बीना पावर इकाई-1	82	87	99	288	16	17	20	53
जेपी बीना पावर इकाई 2-	82	87	99	288	13	14	17	45
लेंको अमरकंटक	88	93	105	310	103	109	123	335
यूएमपीपी सासन इकाई 1-	10	10	12	32	77	81	92	251
यूएमपीपी सासन इकाई 2-	10	10	12	32	77	81	92	251
यूएमपीपी सासन इकाई 3 - एवं 4	20	21	23	63	154	163	185	502
यूएमपीपी सासन इकाई 5 - एवं 6	20	21	23	63	154	163	185	502
झाबुआ पावर	76	80	91	246	12	13	15	39
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1-	62	66	74	237	41	44	50	135

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2017							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
जय प्रकाश पावर इकाई 2-	62	66	74	237	41	44	50	135
एमबी पावर इकाई 1-	76	80	91	105	80	85	96	261
एमबी पावर इकाई 2-	76	80	91	105	80	85	96	261
केप्टिव	-	-	-	-	3	3	4	11
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा	591	623	707	1,920	-	-	-	-
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर	180	190	216	586	-	-	-	-
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	410	433	491	1,334	-	-	-	-
योग	3,342	3,524	3,997	10,863	3,389	3,575	4,061	11,025

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
केन्द्रीय सेक्टर	773	821	920	2,514	1,162	1,234	1,386	3,782
एनटीपीसी -कोरबा	54	57	64	175	141	150	168	459
एनटीपीसी -कोरबा III	28	30	34	93	22	24	27	72

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
एनटीपीसी -विंध्याचल I	56	60	67	183	147	156	176	480
एनटीपीसी -विंध्याचल II	42	44	50	136	113	120	135	368
एनटीपीसी -विंध्याचल III	70	74	83	226	92	98	110	301
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई-1	46	49	55	151	56	60	67	184
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई-2	46	49	55	151	56	60	67	184
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 5-	30	31	35	96	52	56	63	171
एनटीपीसी सिपत स्टेज I	99	105	117	321	101	108	121	330
एनटीपीसी सिपत स्टेज II	66	70	78	213	52	55	62	169
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 1	33	35	39	107	14	15	17	46
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 2	33	35	39	107	14	15	17	46
एनटीपीसी -कवास	23	24	27	75	20	21	24	65
एनटीपीसी - गंधार	22	24	26	72	19	20	22	61
एनटीपीसी कहलगांव 2	25	26	29	80	23	24	27	75
काकरापार	-	-	-	-	52	55	62	169
तारापोर	-	-	-	-	144	152	170	466
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 1-	18	19	21	58	10	11	12	32

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-2	9	9	11	29	4	5	5	14
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई 1-	74	79	88	241	28	29	33	90
म जेनको .प्र.	888	943	1,056	2,888	1,068	1,132	1,288	3,488
एटीपीएस - चचाई एक्सटेंशन	63	67	75	204	81	86	98	265
एसटीपीएस सारणी फेस-1, 2 & 3	113	120	134	367	104	109	128	341
मजेनको सतपुड़ा .प्र. -टीपीएस एक्सटेंशन इकाई 10	80	85	95	261	100	106	120	326
मजेनको सतपुड़ा .प्र. -टीपीएस एक्सटेंशन इकाई 11	80	85	95	261	100	106	120	326
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर - केस 1 & 2	118	125	140	382	254	270	303	827
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर - एक्सटेंशन	136	144	162	442	222	236	266	724
मसिंगाजी जेनको श्री .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 1-	136	144	161	441	58	62	74	194
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 2-	129	137	154	421	58	62	74	194

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
बरगी जल विद्युत	3	3	3	8	9	10	11	30
बाणसागर टोंस एचपीएस	20	22	24	66	33	35	39	108
बाणसागर टोंस एचपीएस सिलपरा	1	1	1	2	3	3	4	11
बाणसागर टोंस एचपीएस देवलोंद	1	1	1	2	5	5	6	16
बाणसागर टोंस एचपीएस IV (झिन्ना (1	1	1	4	4	4	4	12
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	2	1	1	1	4
मरही खेरा एचपीएस	3	4	4	11	7	7	8	22
राजघाट एचपीएस	0	0	0	1	2	3	3	8
सीएचपीएस गांधीसागर	1	1	1	3	4	4	5	13
सीएचपीएस राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	-	-	-	-	17	18	20	55
पेंच टीएचपीएस	3	3	4	10	4	4	5	13
संयुक्त जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत	352	374	419	1,145	107	114	125	346
एनएचडीसी इंदिरा सागर	169	179	201	549	38	41	45	124
ओंकारेश्वर एचपीएस	124	132	148	404	15	16	18	49
सरदार सरोवर	50	53	60	163	52	55	61	169
अन्य (लघू सूक्ष्म)	9	10	11	30	-	-	-	-
यूपीपीएमसीएल (रिहंद माताटीला)	-	-	-	-	1	1	2	5
डीब्हीसी	153	162	182	497	182	193	217	592

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
डीब्हीसी एमटीपीएस), सीटीपीएस (120	127	143	390	143	152	170	465
डीब्हीसी -डीटीपीएस इकाई) (1	16	17	20	53	20	21	23	64
डीब्हीसी -डीटीपीएस इकाई) (2	16	17	20	53	20	21	23	64
आईपीपीएस	685	727	815	2,226	916	972	1,090	2,979
टोरेंट पावर	16	17	19	52	-	-	-	-
बीएलए पावर इकाई-1 एवं 2	6	6	7	20	-	-	-	-
जेपी बीना पावर इकाई-1	82	87	98	268	13	13	15	41
जेपी बीना पावर इकाई 2-	82	87	98	268	13	13	15	41
लेंको अमरकंटक	88	93	104	285	104	110	124	338
यूएमपीपी सासन इकाई 1-	10	10	12	32	87	92	103	282
यूएमपीपी सासन इकाई 2-	10	10	12	32	87	92	103	282
यूएमपीपी सासन इकाई 3 - एवं 4	20	21	23	63	174	185	206	565
यूएमपीपी सासन इकाई 5 - एवं 6	20	21	23	63	174	185	206	565
झाबुआ पावर	76	80	90	246	12	13	15	39
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1-	62	66	74	202	43	45	51	139

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2018							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
जय प्रकाश पावर इकाई 2-	62	66	74	202	43	45	51	139
एमबी पावर इकाई 1-	76	80	90	246	83	88	99	270
एमबी पावर इकाई 2-	76	80	90	246	83	88	99	270
केप्टिव	-	-	-	-	2	3	3	8
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा	981	1,041	1,167	3,189	-	-	-	-
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर	260	276	309	845	-	-	-	-
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	721	766	858	2,345	-	-	-	-
योग	3,833	4,068	4,558	12,459	3,435	3,646	4,107	11,188

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
केन्द्रीय सेक्टर	898	949	1,052	2,899	1,283	1,355	1,507	4,145
एनटीपीसी -कोरबा	54	57	64	175	144	152	168	464
एनटीपीसी -कोरबा III	29	30	34	93	22	24	26	72
एनटीपीसी -विंध्याचल I	57	60	66	183	148	156	174	477
एनटीपीसी -विंध्याचल II	42	44	49	136	114	120	134	367
एनटीपीसी -विंध्याचल III	70	74	82	226	93	99	110	302
एनटीपीसी विंध्याचल								
एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई 1-	47	49	55	151	57	60	67	184
एनटीपीसी विंध्याचल								
एमटीपीएस स्टेज 4-इकाई 2-	47	49	55	151	57	60	67	184
एनटीपीसी विंध्याचल								
एमटीपीएस स्टेज 5-	30	31	35	96	45	47	53	145
एनटीपीसी सिपत स्टेज I	99	105	116	321	95	101	111	307
एनटीपीसी सिपत स्टेज II	66	70	77	213	53	56	62	171
एनटीपीसी मौदा								
एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 1	33	35	39	107	26	28	32	86
एनटीपीसी मौदा								
एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 2	33	35	39	107	31	32	38	101
एनटीपीसी -कवास	23	24	27	75	20	21	24	65
एनटीपीसी - गंधार	22	24	26	72	19	20	22	61
एनटीपीसी कहलगांव 2	25	26	29	80	23	24	27	73
काकरापार	-	-	-	-	48	51	56	155

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
तारापोर	-	-	-	-	149	157	174	481
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 1-	18	19	21	58	12	13	14	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-2	18	19	21	58	12	13	14	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-3	18	19	21	58	12	13	14	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-2	18	19	21	58	12	13	14	39
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई 1-	75	79	87	241	48	51	56	156
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई1-	75	79	87	241	48	51	56	156
म जेनको .प्र.	1,003	1,175	1,060	3,238	1,124	1,187	1,332	3,642
एटीपीएस – चचाई एक्सटेंशन	63	67	74	204	83	88	98	270
एसटीपीएस सारणी फेस-1, 2 & 3	114	120	133	367	143	150	168	460
मजेनको सतपुडा टीपीएस .प्र. 10-एक्सटेंशन इकाई	81	85	95	261	81	85	95	261
मजेनको सतपुडा टीपीएस .प्र. 11-एक्सटेंशन इकाई	81	85	95	261	83	87	97	267

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर - फेस 1 & 2	118	125	139	382	249	263	293	804
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर - एक्सटेंशन	137	145	160	442	228	241	268	736
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 1-	137	144	160	441	59	62	73	194
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 2-	130	138	153	421	59	62	73	194
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस-2 इकाई 1-	65	69	76	210	58	61	72	192
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस-2 इकाई 2-	43	46	51	140	-	-	-	-
बरगी जल विद्युत	3	3	3	8	8	8	9	25
बाणसागर टोंस एचपीएस	21	22	24	66	27	29	32	88
बाणसागर टोंस एचपीएस सिलपरा	1	1	1	2	3	3	3	9
बाणसागर टोंस एचपीएस देवलोंद	1	1	1	2	6	6	7	19
बाणसागर टोंस एचपीएस IV (झिन्ना (1	1	1	4	4	4	4	12
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	2	1	1	1	3
मरही खेरा एचपीएस	3	4	4	11	7	7	8	22

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
राजधानीएचपीएस	0	0	0	1	2	2	2	6
सीएचपीएस गांधीसागर	1	1	1	3	4	4	5	13
सीएचपीएस राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	-	-	-	-	18	19	21	59
पेंच टीएचपीएस	3	3	4	10	4	4	5	13
संयुक्त जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत	355	375	416	1,145	105	110	121	336
एनएचडीसी इंदिरा सागर	170	180	199	549	37	39	43	119
ओंकारेश्वर एचपीएस	125	132	147	404	14	15	16	45
सरदार सरोवर	50	53	59	163	53	56	61	169
अन्य (लघू सूक्ष्म)	9	11	10	30	-	-	-	-
यूपीपीएमसीएल (रिहंद माताटीला)	-	-	-	-	1	1	1	2
डीब्हीसी	154	163	180	497	165	174	193	533
डीब्हीसी एमटीपीएस), सीटीपीएस (121	128	141	390	144	152	169	466
डीब्हीसी (1-डीटीपीएस इकाई)	17	17	19	53	10	11	12	33
डीब्हीसी (2-डीटीपीएस इकाई)	17	17	19	53	10	11	12	33
आईपीपीएस	690	729	808	2,226	899	950	1,057	2,906
टोरेंट पावर	16	17	19	52	-	-	-	-

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
बीएलए पावर इकाई-1 एवं 2	6	6	7	20	2	2	2	5
जेपी बीना पावर इकाई-1	83	88	97	268	21	22	26	68
जेपी बीना पावर इकाई 2-	83	88	97	268	16	17	21	54
लेंको अमरकंटक	88	93	103	285	102	107	119	328
यूएमपीपी सासन इकाई 1-	10	10	11	32	88	93	102	282
यूएमपीपी सासन इकाई 2-	10	10	12	32	88	93	102	282
यूएमपीपी सासन इकाई 3 - एवं 4	20	21	23	63	156	164	182	502
यूएमपीपी सासन इकाई 5 - एवं 6	20	21	23	63	156	164	182	502
झाबुआ पावर	76	81	89	246	15	16	19	50
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1-	63	66	73	202	44	47	52	142
जय प्रकाश पावर इकाई 2-	63	66	73	202	44	47	52	142
एमबी पावर इकाई 1-	76	81	89	246	83	88	98	270
एमबी पावर इकाई 2-	76	81	89	246	83	88	98	270
केप्टिव	-	-	-	-	2	3	3	8

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2019							
	नियत लागतें				परिवर्तनीय लागतें			
	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग	पूर्व	मध्य	पश्चिम	योग
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा	1,012	1,069	1,185	3,267	-	-	-	-
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर	266	281	312	859	-	-	-	-
पुर्नवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	746	788	874	2,408	-	-	-	-
योग	4,130	4,3,63	4,836	13,329	3,575	3,776	4,210	11,561

तालिका 37: आवंटित केन्द्रों की नियत लागत एवं चर लागत

स्टेशन	वि .व. 17		वि .व.18		वि .व. 19	
	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)
केन्द्रीय सेक्टर	2,187	3,497	2,514	3,782	2,899	4,145
एनटीपीसी -कोरबा	175	461	175	459	175	464
एनटीपीसी -कोरबा III	93	72	93	72	93	72
एनटीपीसी -विंध्याचल I	183	482	183	480	183	477
एनटीपीसी -विंध्याचल II	136	376	136	368	136	367
एनटीपीसी -विंध्याचल III	226	298	226	301	226	302
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4- इकाई 1-	151	167	151	184	151	184
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 4- इकाई 2-	151	167	151	184	151	184
एनटीपीसी विंध्याचल एमटीपीएस स्टेज 5-	96	133	96	171	96	145
एनटीपीसी सिपत स्टेज I	321	304	321	330	321	307
एनटीपीसी सिपत स्टेज II	213	161	213	169	213	171
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 1	107	36	107	46	107	86
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस,स्टेज-1 इकाई 2	107	-	107	46	107	101
एनटीपीसी -कवास	75	65	75	65	75	65
एनटीपीसी - गंधार	72	61	72	61	72	61
एनटीपीसी कहलगांव 2	80	64	80	75	80	73
काकरापार	-	187	-	169	-	155

स्टेशन	वि .व. 17		वि .व.18		वि .व. 19	
	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)
तारापोर	-	463	-	466	-	481
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई 1-	-	-	58	32	58	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-2	-	-	29	14	58	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-3	-	-	-	-	58	39
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस रायगढ़ इकाई-2	-	-	-	-	58	23
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई- 1	-	-	241	90	241	156
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस इकाई- 1	-	-	-	-	241	156
म जेनको .प्र.	2,888	3,774	2,888	3,488	3,238	3,642
एटीपीएस – चचाई एक्सटेंशन	204	264	204	265	204	270
एसटीपीएस सारणी फेस-1, 2 & 3	367	241	367	341	367	460
मजेनको सतपुड़ा टीपीएस एक्सटेंशन .प्र. 10-इकाई	261	260	261	326	261	261
मजेनको सतपुड़ा टीपीएस एक्सटेंशन .प्र. 11-इकाई	261	260	261	326	261	267
एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर – फेस 1 & 2	382	827	382	827	382	804

स्टेशन	वि .व. 17		वि .व.18		वि .व. 19	
	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)
एसजीटीपीएस विरसिंहपुर - एक्सटेंशन	442	724	442	724	442	736
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 1-	441	455	441	194	441	194
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस 1-इकाई 2-	421	455	421	194	421	194
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस-2 इकाई 1-	-	-	-	-	210	192
मजेनको श्री सिंगाजी .प्र., एसटीपीएस फेस-2 इकाई 2-	-	-	-	-	140	-
बरगी जल विद्युत	8	29	8	30	8	25
बाणसागर टोंस एचपीएस	66	104	66	108	66	88
बाणसागर टोंस एचपीएस सिलपरा	2	9	2	11	2	9
बाणसागर टोंस एचपीएस देवलोंद	2	16	2	16	2	19
बाणसागर टोंस एचपीएस IV (झिन्ना (4	13	4	12	4	12
विरसिंहपुर एचपीएस	2	4	2	4	2	3
मरही खेरा एचपीएस	11	23	11	22	11	22
राजधाट एचपीएस	1	7	1	8	1	6
सीएचपीएस गांधीसागर	3	12	3	13	3	13
सीएचपीएस राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	-	57	-	55	-	59
पेंच टीएचपीएस	10	13	10	13	10	13

स्टेशन	वि .व. 17		वि .व.18		वि .व. 19	
	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)
संयुक्त जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत	1,145	378	1,145	346	1,145	336
एनएचडीसी इंदिरा सागर	549	142	549	124	549	119
ओंकारेश्वर एचपीएस	404	50	404	49	404	45
सरदार सरोवर	163	184	163	169	163	169
अन्य (लघू सूक्ष्म)	30	-	30	-	30	-
यूपीपीएमसीएल (रिहंद माताटीला)	-	2	-	5	-	2
डीब्हीसी	497	595	497	592	497	533
डीब्हीसी एमटीपीएस), सीटीपीएस (390	468	390	465	390	466
डीब्हीसी (1-डीटीपीएस इकाई)	53	64	53	64	53	33
डीब्हीसी (2-डीटीपीएस इकाई)	53	64	53	64	53	33
आईपीपीएस	2,226	2,781	2,226	2,979	2,226	2,906
टोरेंट पावर	52	-	52	-	52	-
बीएलए पावर इकाई-1 एवं 2	20	-	20	-	20	5
जेपी बीना पावर इकाई-1	268	53	268	41	268	68
जेपी बीना पावर इकाई 2-	268	45	268	41	268	54
लेंको अमरकंटक	285	335	285	338	285	328
यूएमपीपी सासन इकाई 1-	32	251	32	282	32	282
यूएमपीपी सासन इकाई 2-	32	251	32	282	32	282
यूएमपीपी सासन इकाई 3 -एवं 4	63	502	63	565	63	502
यूएमपीपी सासन इकाई 5 -एवं 6	63	502	63	565	63	502
झाबुआ पावर	246	39	246	39	246	50

स्टेशन	वि .व. 17		वि .व.18		वि .व. 19	
	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)	नियत लागत (रु . करोड़)	परिवर्तनीय लागत (रु . करोड़)
जय प्रकाश पावर निगरी इकाई 1-	202	135	202	139	202	142
जय प्रकाश पावर इकाई 2-	202	135	202	139	202	142
एमबी पावर इकाई 1-	246	261	246	270	246	270
एमबी पावर इकाई 2-	246	261	246	270	246	270
केप्टिव	-	11	-	8	-	8
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा	1,920	-	3,189	-	3,267	-
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर	586	-	845	-	859	-
पुर्णवीनीकरण ऊर्जा – सौर के अतिरिक्त	1,334	-	2,345	-	2,408	-
योग	10,863	11,025	12,459	11,188	13,272	11,561

उक्त लागत अतिरिक्त विद्युत के समायोजन पश्चात विद्युत वितरण कंपनियों में वितरण कंपनी की सीमा पर उनके माहवार आवश्यकता के अनुसार विभाजित किया गया है। निम्न तालिका तीनों वितरण कंपनियों में वित्तीय वर्ष 2017,2018 एवं 2019 के लिए (तालिका 24 आवंटन प्रतिशत वर्ष 2018 हेतु तालिका 25 आवंटन वर्ष 2019 हेतु) आवंटन के अनुसार विभाजन को दर्शाती है।

तालिका 38: लागत का विभाजन

लागतें	Amount in Rs Cr		
	FY 17	FY 18	FY 19
नियत लागत	10,863	12,459	13,372

लागतें	Amount in Rs Cr		
परिवर्तनीय लागत	11,025	11,188	11,561
कुल लागत	21,888	23,647	24,833
घटाएँ : आवश्यकता से अधिक ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व	(2,466)	(2,306)	(1,945)
कुल लागत	19,423	21,341	22,888
आरपीओ बाध्यता	848.63	138.37	414.53
म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. ARR	(175)	(194)	(214)
कुल ऊर्जा खरीद लागत	20,096	21,285	23,089
वितरण कंपनियों के मध्य हिस्सेदारी			
पूर्व क्षेत्र	6,172	6,538	7,143
मध्य क्षेत्र	6,510	6,939	7,548
पश्चिम क्षेत्र	7,414	7,808	8,398
कुल योग	20,096	21,285	23,089

4.3 आर.पी.ओ. लागत :-

विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.10.2015 से म.प्र. विद्युत नियामक आयोग पांचवा संशोधन (सह उत्पादन एवं ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों से विद्युत के उत्पादन) (पुनरीक्षित - 1) विनियमन, 2010 (ए.आर.जी.-33(I)(v) /2015 अधिसूचित किया गया है। आयोग द्वारा आर.पी.ओ. के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से अथवा लघु अवधि बाजार से विद्युत क्रय को भी विचारण में लिया गया है।

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये रेग्यूलेशन (सह उत्पादन एवं ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों से विद्युत के उत्पादन) रेग्यूलेशन 2010(ए.आर.जी.-33(I)(v) /2015 की केंडिका 4.1 के अनुसार विद्युत की न्यूनतम मात्रा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.25 प्रतिशत सौर एवं 6.50 प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1.50 प्रतिशत सौर एवं 7.00 प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.75 प्रतिशत सौर एवं 7.50 प्रतिशत गैर सौर स्रोतों से ली जाना है।

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा आर.पी.ओ. आवश्यकता की गणना की गई है। गणना को विद्युत खरीद लागत में पूर्व में ही सम्मिलित किया गया है जो निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है :-

तालिका- 39 वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 की आर.पी.ओ. संबंधी वचनबद्धता

पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा क्रय की वाध्यता की गणना		वि.व 17	वि.व. 18	वि.व. 19
सौर ऊर्जा	%	1.25%	1.50%	1.75%
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	%	6.50%	7.00%	7.50%
योग	%	7.75%	8.50%	9.25%
एक्स बस पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा जो आर.पी.ओ. की आवश्यकता को पूर्ण करता हो (मि.यू.)				
सौर ऊर्जा	मि.यू.	749	950	1176
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	मि.यू.	3897	4434	5040
	मि.यू.	4647	5384	6215
पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से उपलब्धता	मि.यू.			
सौर ऊर्जा	मि.यू.	912	1314	1336
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	मि.यू.	2382	4187	4299
	मि.यू.	3,294	5501	5635
आपूर्ति में कमी	मि.यू.			
सौर ऊर्जा	मि.यू.	-	-	-
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	मि.यू.	1515	247	740
	मि.यू.			
आर.पी.ओ. वाध्यताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यकता से अधिक उपलब्ध	मि.यू.	1515	247	740
एक्सचेंज दर	रु. /इकाई	2.43	4.43	2.43
आर.पी.ओ. वाध्यताओं के कारण आवश्यकता से अधिक उपलब्ध ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व	रु. करोड़	368	60	180
पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा क्रय की दरें				
सौर ऊर्जा	रु. /इकाई	6.43	6.43	6.43
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	रु. /इकाई	5.60	5.60	5.60
आर.पी.ओ. वाध्यताओं के पालनार्थ अतिरिक्त लागत				
सौर ऊर्जा	रु. करोड़			
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	रु. करोड़	848.63	138.37	414.53
आर.पी.ओ. वाध्यताओं की पूर्ति हेतु पुर्ण नवीनीकरण ऊर्जा क्रय नवीन/अन्य स्रोतों से	रु. करोड़	848.63	138.37	414.53

टीप – उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आर.पी.ओ. बाध्यता की पूर्ति हेतु पुर्ननवीनीकरण योजना 5384 मि.यू. (सौर ऊर्जा 950 और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 4434) की आवश्यकता है जबकि उपलब्धता 5501 मि.यू. (सौर ऊर्जा 1314 और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 4187) है।

4.4. अन्य विद्युत क्रय लागतों का आंकलन

4.4.1 अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें

अन्तर राज्यीय पारेषण प्रभार में म.प्र. द्वारा पश्चिम क्षेत्र एवं पूर्व क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार होते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में वास्तविक अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें 1419 करोड़ थीं एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें 1406 करोड़ हैं। यह अन्तर राज्यीय पारेषण लागत पिछले एक वर्ष में लगभग समान है तथापि वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 तक अन्तर राज्यीय पारेषण प्रभार केवल 2 प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया है।

तदानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक अनुमानित अन्तर राज्यीय पारेषण प्रभार क्रमशः 1434 करोड़, 1463 करोड़ एवं 1492 करोड़ आते हैं। इन लागतों को वितरण कंपनियों में वास्तविक लागतों के पूर्व रूझान के अनुसार निम्नानुसार आंकित किया गया है:-

तालिका 40 अन्तर राज्यीय पारेषण शुल्क

वितरण कंपनी	अन्तर राज्यीय पारेषण दरें (रु. करोड़ में)		
	वि.व. 17	वि.व. '18	वि.व. '19
पूर्व क्षेत्र	443	452	461
मध्य क्षेत्र	428	437	445
पश्चिम क्षेत्र	463	574	586
योग	1434	1463	1492

4.4.2. अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें - म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि. की नियत लागतें - अनुषंगी लाभ को छोड़कर (कैश आउट फ्लो)

अन्तः राज्यीय पारेषण लागतों की गणना हेतु एम.पी.पी.टी.सी.एल. को दिये गये विभिन्न व्यय (अनुषंगी लाभ देनदारियों को छोड़कर) लिए गये हैं जिन्हें माननीय म.प्र.विद्युत नियामक आयोग ने म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन की बहुवर्षीय दर आदेश दिनांक 10-06-2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निम्नांकित तालिका में दो मुख्य भाग सम्मिलित है :-

1. म.प्र.पॉवर पारेषण कं.लि. की नियत दरें, जैसा कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा दि. 10.06.2016 के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित हैं।
2. एस.एल.डी.सी. चार्जेस म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 अनुसार 10.19 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक एस.एल.डी.सी. चार्ज के गणना वितरण कंपनियों की पारेषण क्षमता के आधार पर की गई है एवं दीर्घकालीन अवधि उपभोक्ताओं हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा एस.एल.डी.सी. दर याचिका में वित्तीय वर्ष 2016 के लिए स्वीकृत दर रु 5567.53 प्रति मेगावाट के अनुसार ली गई है।

तालिका 41 अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क – अनुषंगी लाभों के अतिरिक्त

संक्र.	विवरण	वि.व. 16-17 (एमपीईआरसी आदेश) रु. करोड़	वि.व. 17-18 (एमपीईआरसी आदेश) रु. करोड़	वि.व. 18-19 (एमपीईआरसी आदेश) रु. करोड़
1	संचा-संधा व्यय	407.66	446.58	495.49
2	पी.पी.पी. लाइसेंस के भुगतान का व्यय	37.80	37.80	37.80
3	मूल्य हास	320.14	324.22	345.84
4	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	121.33	131.26	143.12
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	61.63	67.33	73.40
6	पूंजी पर प्रतिलाभ	340.19	364.33	388.46
7	एम.पी.ई.आर.सी. शुल्क एवं कर	1.22	1.33	1.47
8	घटाएं – टैरिफ से अन्य आय	-19.00	-20.00	-21.00
A	एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कं. की नियत लागत (अनुषंगी लाभों को छोड़कर)	1,270.97	1,352.85	1,464.58
B	अनुषंगी लाभ	1,047.09	1,177.90	1,282.38
C	एम.पी.पी.टी.सी.एल. चार्जेस	2,318.06	2,530.75	2,746.96
D	एस.एल.डी.सी. लागत	10.19	10.76	11.50
E	वितरण कंपनियों को आवंटित अन्तः राज्यीय पारेषण लागत	2,328	2,542	2,758

4.4.3 अन्तः राज्यीय पारेषण लागतें - अनुषंगी लाभ को जोड़कर म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि. की नियत लागतें (कैश आउट फ्लो)

नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य टर्मिनल लाभ, बोर्ड और उसके उत्तराधिकारी संस्थाओं के पेंशन भोगियों और कर्मियों के प्रति सभी पेंशनर को भुगतान के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नगदी बहिर्वाह (कैश फ्लो) में नियमन 3 के प्रावधान (आठ) के अन्तर्गत शामिल होंगे।

नियमों के अनुसार उपरोक्त वर्णित बहिर्वाह (कैश फ्लो) तीन भागों में है :-

(अ) कर्मचारियों के लिए जो 1.6.2005 तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने 1.6.2005 तक सेवाएं दी हैं।

(ब) कर्मचारी जो कि दिनांक 01.06.2005 के बाद सेवा निवृत्त होंगे, उनकी 1.6.2005 तक की सेवाओं पर

(स) कर्मचारी जो कि दिनांक 01.06.2005 के बाद सेवा देंगे और जो कि 01.06.2005 के पश्चात सेवा निवृत्त होंगे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 86 (1) (ए) के अन्तर्गत बहुवर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए प्रस्तुत की गई याचिका में माननीय आयोग द्वारा निम्नानुसार कथन किया गया है:-

"The Commission has considered the current terminal benefits and pension expenses of Rs 1047.09 Crore, Rs 1177.90 Crore and Rs 1282.38 Crore for FY 2016-17 to FY 2018-19 respectively

in this order on provisional basis and on ‘pay as you go’ principle as claimed by MPPTCL in the subject petition subject to true-up in each year on availability of the actual figures”

निम्न तालिका में अतीत की प्रवृत्ति के आधार पर वितरण कंपनियों के बीच अनुषंगी लाभ कुल अन्त राज्यीय पारेषण लागत के आवंटन को विस्तार से दर्शाया गया है।

तालिका -42 सकल अन्त: राज्यीय पारेषण लागतें एवं वितरण कंपनियों को आवंटन (रु. करोड़ में)

क्र. .	विवरण	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
	सकल अन्त: राज्यीय पारेषण दरें (अनुषंगी लाभों को जोड़कर)	2328	2542	2758
	वितरण कंपनियों को आवंटन			
	पूर्व क्षेत्र कंपनी	696	760	825
	मध्य क्षेत्र कंपनी	733	800	868
	पश्चिम क्षेत्र कंपनी	900	982	1066

अनुषंगी लाभ की दिशा में दावा राशि से संबंधित कोई भी अन्तर संबंधित वर्ष के लिए की जाने वाली टु-अप याचिकाओं में किया जाना प्रस्तावित है।

4.4.4 म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. की लागतें

म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. का व्यय जो कि वितरण कंपनियों को बहुवर्षीय दरों से संबंधित वर्षों हेतु आवंटित किया गया है, म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमि. की विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है और जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 08 में किया गया है। इन खर्चों का आवंटन तीनों वितरण कंपनियों को राज्य की परिधि पर उनकी ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

खर्चों का विवरण एवं वितरण कंपनियोंवार आवंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका- 43 : म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की लागतें विवरण एवं वितरण कंपनियों में आवंटन -

विवरण	वि.व. '17 (अनुमानित)	वि.व. '18 (अनुमानित)	वि.व. '19 (अनुमानित)
ऊर्जा का क्रय	(0.09)	(0.14)	(0.19)
अन्त: राज्य पारेषण लागत	50.19	54.18	58.47
मूल्य ह्रास लागत	5.29	4.86	4.47
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	33.49	42.77	27.23
मरम्मत एवं रखरखाव लागत	3.44	3.72	4.01

कर्मचारी लागत	62.90	64.79	66.73
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	40.83	44.07	47.57
अन्य लागत	2.29	2.47	2.67
म.प्र.पा.मै.कं.लि. की लागत	198.36	216.72	238.39
अन्य आय (ऋणात्मक)	373.84	411.22	452.34
म.प्र.पा.मै.कं.लि. की कुल लागत	(175.48)	(194.50)	(213.95)
	FY '17	FY '18	FY '19
पूर्व क्षेत्र	(53.86)	(59.74)	(66.18)
पश्चिम क्षेत्र	(56.81)	(63.40)	(69.92)
मध्य क्षेत्र	(64.80)	(71.37)	(77.85)
योग	(175.48)	(194.50)	(213.95)

4.4.5 सकल विद्युत क्रय लागत

उपरोक्त वर्णित विभिन्न लागत के घटकों के अनुसार प्रदेश में सकल विद्युत क्रय लागत एवं म.प्र. की प्रत्येक वितरण कंपनियों की लागत निम्नानुसार है :-

तालिका-44 - वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक के लिए कुल बिजली खरीद की लागत

	विवरण	पूर्व क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	18,404	19,456	20,786
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,342	3,833	4,112
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	2,884	2,765	3,098
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(53.86)	(59.74)	(66.18)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	6,172	6,538	7,143
E/A	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.35	3.36	3.44
H	बाह्य हानियां मि.यू.	460	491	522
I	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	443	452	461
J = (A - H)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	17,944	18,965	20,264
K = (I - E)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	6,615	6,990	7,604
K/J	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.69	3.69	3.75
L	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	696	760	824
M = (K+L)	वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी सीमा पर कुल ऊर्जा क्रय (रु. करोड़ में)	7,311	7,749	8,429
N	पारेषण हानि मि.यू.	515	545	582
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	17,429	18,420	19,681

M/O	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति कि.वाँ)	4.19	4.21	4.28
	विवरण	मध्य क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	19,413	20,649	21,960
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,524	4,068	4,344
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	3,043	2,935	3,273
D	म.प्र. पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(57)	(63)	(70)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	6,510	6,939	7,548
E/A	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वाँ)	3.35	3.36	3.44
H	बाह्य हानियां मि.यू.	485	521	552
I	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	428	437	445
J = (A - H)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	18,928	20,127	21,408
K = (I - E)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	6,938	7,376	7,993
K/J	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वाँ)	3.67	3.66	3.73
L	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	733	800	868
M = (K+L)	वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी सीमा पर कुल ऊर्जा क्रय (रु. करोड़ में)	7,671	8,175	8,861
N	पारेषण हानि मि.यू.	543	578	615
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	18,385	19,549	20,793
M/O	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति कि.वाँ)	4.17	4.18	4.26
	विवरण	पश्चिम क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	22,141	23,242	24,448
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	3,997	4,558	4,815
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	3,481	3,321	3,661
D	म.प्र. पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(65)	(71)	(78)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	7,414	7,808	8,398
E/A	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वाँ)	3.35	3.36	3.44
H	बाह्य हानियां मि.यू.	551	586	613
I	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	563	574	586
J = (A - H)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	21,589	22,657	23,835
K = (I -	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	7,977	8,383	8,984

E)				
K/J	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.69	3.70	3.77
L	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	900	982	1,066
M = (K+L)	वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी सीमा पर कुल ऊर्जा क्रय (रु. करोड़ में)	8,877	9,365	10,050
N	पारेषण हानि मि.यू.	620	651	685
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	20,970	22,006	23,150
M/O	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति कि.वॉ)	4.23	4.26	4.34
	विवरण			म.प्र.राज्य
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	एक्स बस यूनिट क्रय मि.यू.	59,958	63,347	67,193
B	नियत लागत (रु. करोड़ में)	10,863	12,459	13,272
C	चर लागत (रु. करोड़ में)	9,408	9,020	10,032
D	म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. की लागत	(175)	(194)	(214)
E = B+C+D	योग विद्युत खरीदी लागत – एक्स बस (रु. करोड़ में)	20,096	21,285	23,089
E/A	विद्युत खरीदी की दर (रु. प्रति कि.वॉ)	3.35	3.36	3.44
H	बाह्य हानियां मि.यू.	1,496	1,598	1,687
I	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत ((रु. करोड़ में)	1,434	1,463	1,492
J = (A - H)	म.प्र. परिधि में क्रय यूनिट (मि.यू.)	58,462	61,749	65,507
K = (I - E)	म.प्र. सीमा रेखा पर विद्युत क्रय लागत (रु. करोड़ में)	21,530	22,748	24,581
K/J	म.प्र. सीमा में विद्युत क्रय दरें (रु. प्रति कि.वॉ)	3.68	3.68	3.75
L	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत – एम.पी.पी.टी.सी.एल एवं एस.एल.डी.सी. सहित (रु. करोड़ में)	2,328	2,541	2,758
M = (K+L)	वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी सीमा पर कुल ऊर्जा क्रय (रु. करोड़ में)	23,858	25,290	27,340
N	पारेषण हानि मि.यू.	1,678	1,774	1,882
O = (K - N)	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय (मि.यू.)	56,784	59,975	63,625
M/O	वितरण कंपनी की सीमा पर यूनिट क्रय दर (रु. प्रति कि.वॉ)	4.20	4.22	4.30

4.4.6 ऊर्जा खरीद लागत में बढ़ोतरी

म.प्र. राज्य में ऊर्जा खरीदी लागत, कुल सकल राजस्व आवश्यकता का 80 प्रतिशत से ज्यादा होती है। ऊर्जा खरीदी लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं की विद्युत दरों पर पड़ता है।

निम्न तालिका वर्ष 2015-2016 के लिए स्रोतवार औसत ऊर्जा खरीद लागत का विस्तृत विवरण दर्शाती है :-

तालिका-45 स्रोतवार औसत ऊर्जा खरीद लागत का विवरण:- वित्तीय वर्ष 2016

स्रोत	ऊर्जा मि.यू.	रु. करोड़ में	औसत ऊर्जा खरीद लागत रु. प्रति यूनिट
म.प्र. जेनको	18961	7576.23	4.00
एनटीपीसी	21950	4648.56	2.12
आईपीपीस	6737	2724.64	4.04
यू.एम.पी.पी.	10866	1725.77	1.59
सौर ऊर्जा	809	573.42	7.09
पवन ऊर्जा	1290	683.31	5.30
अन्य	4319	3032.07	7.02
म.प्र. राज्य	64932	20964	3.23
पी.जी.सी.आई.एल.	64932	1300	0.20
एम.पी.ट्रांसको	64932	1246	0.19
कुल	64932	23510	3.62

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के अधिनियम – RG-38 of 2012 के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान दायित्व, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी की लागत में शामिल होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु माननीय नियामक आयोग द्वारा पेंशन दायित्व के एवज में 677 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी राशि पेंशन भुगतान दायित्व को छोड़कर है।

भविष्य में नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जुड़ने से ऊर्जा खरीद लागत में वृद्धि होती है। विगत 5 वर्षों में औसत विद्युत खरीदी लागत में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लागत वर्ष 2010-11 में रु. 2.11 से वर्ष 2015-16 में रु. 3.62 प्रति यूनिट हो गयी। वर्षवार औसत ऊर्जा खरीदी लागत निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका-46

वित्तीय वर्ष	खरीदी गई ऊर्जा (मि.यू.)	ऊर्जा खरीद लागत Cost (Rs. Cr.)	औसत ऊर्जा खरीद लागत (रु. प्रति यूनिट)
FY 2010-11	38285	8097	2.11
FY 2011-12	44030	11442	2.60
FY 2012-13	49037	14693	3.00
FY 2013-14	53714	18500	3.44
FY 2014-15	57977	19365	3.34
FY 2015-16	64932	23510	3.62

- औसत विद्युत खरीद लागत में वृद्धि के कारण :-

- जिस प्रकार से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई उसी अनुपात में मांग में वृद्धि नहीं हुई है।
- अधिकतर विद्युत खरीदी के अनुबंध लागत आधार के हैं। किसी भी प्रकार की ईधन, परिवहन तथा कर आदि में बढ़ोतरी होने पर इसका असर सीधा खरीददार पर होता है।

- अधिक अतिरिक्त विद्युत होने के कारण तथा उन उत्पादन केन्द्रों से कम दिनों के लिए थोड़ी महंगी दरों की बिजली खरीदना होती है, लेकिन पूरे संभावित उत्पादन के लिए नियम लागत का भुगतान करना होता है।
- पुर्णनवकणीय ऊर्जा के रिन्यूएबल परचेज आब्लीगेशन लक्ष्य को पूर्ण करने के कारण

विद्युत खरीद लागत में कमी में बाधाएँ :-

कुछ ऐसे कारण जो, विद्युत खरीदी लागत में कमी करने हेतु म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते हैं, नीचे दिये गये हैं :-

- अतिरिक्त क्षमता के बेक डाउन करने पर नियत प्रभार का भुगतान :- यह उल्लेखित करना आवश्यक है कुछ उत्पादन केन्द्रों की क्षमता का बेकडाउन किया गया है, तो उनके विद्युत खरीदी अनुबंध के अनुसार नियत प्रभार का भुगतान करना होता है। वर्ष 2014-15 में 7099 मि.यूनिट ऊर्जा का बेकडाउन किया गया था जिसके एवज में लगभग राशि रु. 870 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 17130 मि.यू. के विरुद्ध नियत प्रभार 2158 करोड़ का भुगतान किया गया।
- पवन ऊर्जा क्षमता का वर्ष 2015 में 489 मेगावॉट से बढ़कर वर्ष 2016 में 1290 मेगावॉट होना :- वर्ष 2015-16 में पूरे देश में अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी का 37 प्रतिशत क्षमता अकेले म.प्र. में बढ़ायी गयी जो लगभग 3423 मेगावॉट है। पिछले वर्ष की तुलना में पवन ऊर्जा क्षमता में इस वर्ष लगभग दोगुनी हुई है। पवन ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत रु. 5.30 है जो औसत ऊर्जा खरीद लागत से बहुत अधिक है। इस प्रकार यह ऊर्जा खरीदी लागत को बढ़ाने में एक कारक है।
- सासन पावर लिमिटेड एवं अन्य ताप विद्युत उत्पादकों को आकस्मिक दायित्व का भुगतान
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, के द्वारा एक्साइस ड्यूटी, क्लीन एनर्जी सेस, कोयले की रायल्टी के चार्जेस, आदि के भुगतान के एवज में रु. 523 करोड़ का बिल भुगतान हेतु प्राप्त हुआ।
- एप्टेल के आदेश दिनांक 31.03.2016 के अनुसार दि. 16.08.2013 की जगह दि. 31.03.2013 को सी.ओ.डी. को मान्य किये जाने के कारण राशि रु. 430 करोड़ के भुगतान हेतु कहा गया है। यद्यपि यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। मात्र 29 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- कोयले पर लगने वाली ड्यूटी, सेस, रायल्टी आदि में बढ़ोतरी होने के कारण ताप विद्युत केन्द्रों की लागत बढ़ी है।

5. विद्युत वितरण कंपनियों का संचालन एवं संधारण व्यय -:

विनियम के प्रावधानों पर आधारित संचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार है:-

5.1 कर्मचारी लागत

विनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी लगतों की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका47 कर्मचारी लागत

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
कर्मचारी लागत एरियर ,महंगाई भत्ता, अनुषंगी लाभ एवं अन्य हित लाभ एवं एरियर को छोड़कर	385	396	408	359	370	381	403	415	428
महंगाई भत्ता	504	566	632	470	529	591	528	593	663
अवकाश नगदीकरण	16	17	18	43	46	49	12	13	14
पीएफ /जीटीआईएस/ ईपीएफ एवं अन्य/ /एनपीएस/एन्यूटी	17	18	19	62	67	73	6	6	7
प्रोत्साहन राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग	922	998	1,078	934	1,01 2	1,09 4	950	1,02 9	1,11 3

मूल्यों निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित

तीनों वितरण कंपनी की कर्मचारी लागत की गणना में मुख्य मान्यताएँ निम्नानुसार हैं:-

अ. महंगाई भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन का स्तर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अनुसार एक ही स्तर पर रखा गया है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए तीनों वितरण कंपनियों के लिए 6 प्रतिशत की वृद्धि प्रति 6 माह में रखी गई है (प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई)। महंगाई भत्ता, म.प्र..विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून	125%	137%	149%
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही जुलाई से दिसम्बर	131%	143%	155%
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च	137%	149%	161%

- ब. कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन / बोनस राशि पिछले अंकेक्षित खातों की प्रवृत्ति के अनुरूप माने गये हैं।
 स. अवकाश नगदीकरण एवं पी.एफ./सी.एफ.ए/जी.टी.आई.एस./ एन.पी.एस.

- यह उल्लेख करना आवश्यक है कि म.प्र. पौरेषण कं.लि. द्वारा केवल वितरण कंपनियों को अनुषंगी लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन एवं कम्युटेशन पेंशन के लिए ही धन उपलब्ध करा रही है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य हित लाभों का भुगतान, वितरण कंपनियों द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि अवकाश नगदीकरण / पी.एफ. / सी.एफ.ए. / जी.टी.आई.एस. / एन.पी.एस.अतः अवकाश नगदीकरण / पी.एफ. / सी.एफ.ए. / जी.टी.आई.एस. / एन.पी.एस पर होने वाले खर्चों को अलग से लिया गया है, सेवांत लाभों की लागतों का, जैसा कि वे वितरण कंपनियों की कुल ऊर्जा क्रय लागतों के अन्तर राज्यीय पारेषण लागतों के रूप में दावा की गई है, के अतिरिक्त पृथक से दावा किया गया है।

- द तृतीय उच्च वेतनमान की पात्रता से कर्मचारी लागत की बढ़ोतरी इस अवस्था में नहीं मानी जा सकती। अतः इस व्यय को याचिका में शामिल नहीं किया गया है। तथापि इसे पृथक से टु-अप पिटीशन में लिया जाएगा।
 इ. याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों/पेंशनर्स को देय कर्मचारी लागत की गणना में सातवें वेतन आयोग की शिफारिश के प्रभावों को नहीं लिया या माना गया है। याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सातवें वेतन आयोग की शिफारिश के प्रभावों को जहां तक लागू करना संभव होगा उस पर आसान है तथा यह याचिकाकर्ता की तरफ से अंतर का भुगतान बकाया के रूप में (तनख्वाह अधिसूचना के तहत) अपने कर्मचारी को देना अनिवार्य होगा। इसलिये, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु टैरिफ की गणना के दौरान सातवें वेतन आयोग के प्रभाव को अनुमोदित करे या टूअप दाखिले के दौरान याचिकाकर्ताओं के दावों की अनुमति दे। याचिकाकर्ता फिर से माननीय आयोग से प्रार्थना करते हैं कि इस मामले को ध्यान में रखते हुये तथा जो भी उचित हो वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु टैरिफ की गणना के लिये करे।

5.2 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

विनिमय के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 48 : प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विनिमय के अनुसार (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस एवं टैक्स को छोड़कर)	168	179	192	96	103	110	129	138	147
राज्य शासन को देय कर	4	5	5	2	2	2	13	14	15
नियामक आयोग की फीस	0.35	0.37	0.39	0.37	0.39	0.42	0.42	0.44	0.46
योग	173	184	197	98	105	113	143	153	163

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना हेतु मुख्य अनुमान निम्नानुसार है :-

- अ - विनियम की कंडिका 34.1 के अनुसार प्रशासनिक एवं अन्य व्यय में नियामक आयोग की फीस एवं शासन का शुल्क शामिल नहीं किया गया है।
- ब - उपरोक्त के अनुसार नियामक आयोग की फीस एवं सरकार को देय अन्य शुल्कों को विनियम के अनुसार अलग से लिया गया है।

याचिकाकर्ता की अतिरिक्त प्रस्तुति

भारत सरकार की हाल ही में नीति की दिशा में, याचिकाकर्ता भी नगदी रहित अर्थव्यवस्था को तरफ जाने का प्रस्ताव करता है। हालांकि, वर्तमान में नगदी रहित भुगतान के तरीके में सर्विस शुल्क लगता है। याचिकाकर्ता प्रस्ताव करते हैं कि सर्विस शुल्क को भुगतान के समय उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाये। यह भी प्रस्ताव करता है कि सर्विस शुल्क नगदी रहित भुगतान मध्यवर्ती संस्थानों के देय को अलग से अनुमोदित जो सकल राजस्व आवश्यकता हेतु जायज व्यय हो। रु. 5/- प्रति लागत का अनुमान मानते हुए तथा आगे यह भी अनुमान करते हैं कि लगभग 25 प्रतिशत गैर कृषि उपभोक्ता नगदी रहित भुगतान की सेवा के तहत भुगतान करते हैं। माननीय आयोग से निवेदन करते हैं कि रूपये 15 करोड़ प्रति वर्ष(100,00,000*.25*5*12) की अतिरिक्त लागत को सकल राजस्व आवश्यकता में अनुमोदित करें। इस पर वास्तविक लागत की विस्तृत जानकारी वितरण कंपनियों द्वारा दू अप के समय प्रस्तुत की जायेगी।

इसलिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करते हैं कि रु. 15 करोड़ की राशि को अनुमोदित कर इसे नगदी रहित लेन-देन को याचिकाकर्ता के लाइसेंसी एरिया में प्रोत्साहन देने की दिशा में करें। याचिकाकर्ता इस राशि का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न ऑन-लाइन भुगतान गेटवे के लिए देय सेवा शुल्क को वहन करने के लिए इस्तेमाल करेगा।

5.3 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

विनियम के प्रावधानों के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 49 : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रेग्युलेशन के अनुसार (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. .	वि.व. '18	वि.व .	वि.व .	वि.व .'19
वित्तीय वर्ष की प्रारम्भिक सकल स्थाई परिस्पत्तियां	6,170	7,201	8,835	7,464	7,99 5	9,19 2	5,36 9	5,88 9	6,86 8
सकल स्थाई परि सम्पत्तियों का 2.3 प्र.श. मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	142	166	203	172	184	211	123	140	166

5.4 संचालन एवं संधारण व्ययों का सारांश

तालिका 50 : संचालन एवं संधारण के व्ययों का सारांश विनियमन के अनुसार निम्नानुसार है :-

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
कर्मचारी लागत (एरियर्स, डी.ए. एवं अन्य को जोड़कर)	922	998	1,078	934	1,012	1,094	950	1,029	1,113
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	172	184	197	98	105	112	142	152	162
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	142	166	203	172	184	211	123	140	166
सेवांत लाभ (कैश आउट फ्लो)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियामक आयोग की फीस	0.35	0.37	0.39	0.37	0.39	0.42	0.42	0.44	0.46
योग संचा-संधा व्यय	1,237	1,347	1,479	1,204	1,302	1,418	1,216	1,322	1,442

6. विद्युत वितरण कम्पनियों की निवेश योजना

6.1. पूंजीगत निवेश योजना

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए आने वाले वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने जा रही हैं। मुख्य रूप से नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण, अति उच्चदाब 33 के.व्ही. फीडरों के विभक्तिकरण तथा 11 के.व्ही.स्तर पर कृषि फीडरों का फीडर विभक्तिकरण, अतिरिक्त / नये पावर ट्रांसफार्मर तथा वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, निम्नदाब खुले तार लाइनों का ए बी केबल्स-में परिवर्तन एवं सर्विस लाइनों के प्रतिस्थापन पर ध्यान है।

प्रणाली में कुल वितरण हानि, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का योग है। तकनीकी हानियां मुख्य रूप से कमजोर अधोसंरचना के कारण होती हैं जिसके सुदृढ़ीकरण, लाईनों, उपकेन्द्रों एवं संबंधित अधोसंरचना के नवीनीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता रहती है। वाणिज्यिक हानियां मुख्य रूप से विद्युत की छुटपुट चोरी के कारण होती हैं जिसे वितरण प्रणाली की पुनः सुविचारिता के द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है जिसके लिए पूंजी निवेश एवं स्पष्ट प्रयासों की आवश्यकता है इन दोनों मुद्दों पर वितरण कंपनियां काम कर रही हैं और वितरण हानियों में उल्लेखनीय कमी भी आई है परन्तु वितरण हानियां मानक हानि स्तर तक नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 के लिये योजनावार पूंजीगत व्यय निम्न तालिका में प्रस्तुत है :-

तालिका 51 : योजनावार पूंजीगत व्यय (रु. करोड़ में)

योजना का नाम	पूर्व क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)	220	339	431
फीडर विभक्तिकरण योजना	112	348	234
नवीन कृषि पंप	76	103	105
33 / 11KV एस एस और डीटीआर के नवीनीकरण	48	36	6
आरएपीडीआरपी	40	10	0
आरजीजीव्हीव्हाय	100	169	185
डीडीयूजीव्हीव्हाय	32	168	200
डीडीयूजीव्हीव्हाय फेज II	0	0	0
आई पी डी एस	52	171	226
टीसी से पीसी का रूपांतरण	251	572	636
विफलता के खिलाफ डीटीआर की खरीद	2	29	7
स्मार्ट मीटर की खरीद	16	84	97
बकायाशहरी घरेलू कनेक्शन जिनकी वसूली नहीं हो सकी है। (147509 नं.)	0	0	0

योग	950	2,029	2,126
योजना का नाम	मध्य क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
प्रणाली को मजबूत बनाने	-	-	-
फीडर विभक्तिकरण	196	209	53
नये पंप कनेक्शन	163	288	312
एडीबी -II	11	5	-
एडीबी -III	-	-	-
आरजीजीहीव्हाय	80	182	213
आरएपीडीआरपी भाग अ	-	-	-
आरएपीडीआरपी भाग ब	10	4	-
हुड़को	-	-	-
आई पी डी एस	68	184	67
डीडीयूजीहीव्हाय	126	463	175
एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)	81	143	138
33 / 11KV उप-स्टेशनों और डीटीआर मीटरिंग (नई योजना) के नवीनीकरण ईएपी के रूप में पेश किया जाना है)	63	99	109
विफलता के खिलाफ वितरण ट्रांसफार्मर की खरीद	23	66	86
स्मार्ट मीटर की खरीद	14	21	23
योग	835	1,666	1,176
योजना का नाम	पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
एडीबी	49	91	30
टीएसपी एण्ड एससीएसपी	46	99	122
म.प्र. शासन (इक्किटी)	11	110	162
एफएसपी – एडीबी लोन	21	9	-
ग्रांट स्कीम (सरकारी अंशदान)	27	11	-
मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना	72	145	182
स्थायी पम्प कनेक्शन के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन के रूपांतरण (सरकार अंशदान)	51	685	448
ट्रांसफार्मर विफलता कमी योजना	35	51	53

स्मार्ट मीटर की खरीद	14	34	61
आरएपीडीआरपी (जीओआई)	79	34	-
जेबीआईसी	-	-	-
अन्य (नये ईएफी)	-	-	-
आरएपीडीआरपी	49	182	117
आईपीडीएस	102	166	175
डीडीयूजीन्हीन्हाय	73	220	277
केंद्र सरकार सहायता (एफएस)	-	-	-
आरईसी (विभागीय कार्य)	-	-	-
नेपा लिमिटेड, नेपालगढ़ के लिए इंक्रिटी	-	-	-
कुल	628	1,837	1,628

6.2 योजनावार पूंजीकरण

विद्युत वितरण कंपनियों का प्रस्तावित योजनावार पूंजीकरण निम्नानुसार है :-

तालिका 52: योजनावार पूंजीकरण (रु करोड़)

योजना का नाम	पूर्व क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
प्रारंभिक (सीडब्ल्यूआईपी)	556.73	334.04	222.69
एसटी एण्ड डी (म.प्र.शासन)	110	236	361
फीडर विभक्तिकरण योजना	56	208	244
न्यू कृषि पंपों	38	74	99
33/11kV एस.एस. तथा डी.टी.आर.मीटरों का नवीनीकरण	24	32	23
आरएपीडीआरपी	20	17	11
आरजीजीन्हीन्हाय	50	115	163
डीडीयूजीन्हीन्हाय	16	94	157
डीडीयूजीन्हीन्हाय फेज II	-	-	-
आईपीडीएस	26	101	175
टीसी से पीसी का रूपांतरण	126	361	540
विफलता के खिलाफ डीटीआर की खरीद	1	15	13

स्मार्ट मीटर की खरीद	8	47	77
बकाया शहरी घरेलू कनेक्शन जिनकी वसूली नहीं हो सकी है। (147509 no)	-	-	-
योग	1,032	1,633	2,084
योजना का नाम		मध्य क्षेत्र	
		वि.व. '17	वि.व. '18
प्रणाली को मजबूत बनाने		-	-
फीडर विभक्तिकरण	98	163	128
नई पंप कनेक्शन	81	193	275
एडीबी -II	6	6	4
आरजीजीव्हीव्हाय	40	115	177
आरएपीडीआरपी भाग अ		-	-
आरएपीडीआरपी भाग ब	5	5	3
हुड़को		-	-
आईपीडीएस	34	112	102
डीडीयूजीजेव्हाय	63	269	252
अन्य		-	-
एसटी एण्ड डी (म.प्र. शासन)	41	96	128
33 / 11KV उप-स्टेशनों और डीटीआर मीटरिंग (नई योजना) के नवीनीकरण ईएपी के रूप में पेश किया जाना है)	32	68	97
विफलता के खिलाफ वितरण ट्रांसफॉर्मर की खरीद	12	40	67
स्मार्ट मीटर की खरीद	7	15	20
CWIP से बाहर पूंजीकरण	113	113	113
योग	531	1,197	1,368
योजना का नाम		पश्चिम क्षेत्र	
		वि.व. '17	वि.व. '18
एडीबी	12	35	43
टीएसपी और एससीएसपी	11	36	67
GOMP (इक्विटी)	3	30	71
एफएसपी - एडीबी क्रृष्ण	5	8	8
ग्रांट स्कीम (सरकार अंशदान)	7	10	10

नई कृषि पंपों	-	-	-
मुख्यमंत्री स्थाई कृषि कनेक्शन योजना (सरकार अंशदान)	18	54	100
अस्थायी पम्प कनेक्शनों को स्थायी पम्प कनेक्शनों में परिवर्तन (शासन का योगदान)	13	184	296
ट्रांसफार्मर विफलता कमी योजना	9	21	35
स्मार्ट मीटर की खरीद	4	12	27
आरएपीडीआरपी (भारत सरकार)	20	28	28
लेबीआईसी	-	-	-
अन्य (न्यू ईएपी)	-	-	-
आरजीजीन्हीब्हाय	12	58	87
आईपीडीएस	25	67	111
डीडीयूजीन्हीब्हाय	18	73	143
केंद्र सरकार सहायता (एफएस)	-	-	-
आरईसी (विभागीय कार्य)	-	-	-
नेपा लिमिटेड, नेपानगर के लिए इंट्रिटी	-	-	-
उद्घाटन CWIP का पूँजीकरण	363	363	363
योग	520	979	1,386

6.3 पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी)

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का पूँजीगत कार्य प्रगति पर का वर्षवार विभक्तिकरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 53: पूँजीगत कार्य प्रगति पर (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
पूँजीगत कार्य प्रगति पर का प्रारम्भिक शेष	1,114	1,033	1,428	567	871	1,340	1,816	1,924	2,781
वर्ष के दौरान नवीन निवेश	950	2,029	2,126	835	1,666	1,176	628	1,837	1,628
पंजीकृत किया गया पूँजी निवेश	1,032	1,633	2,084	531	1,197	1,368	520	979	1,386
कार्य प्रगति पर का अंतिम शेष	1,033	1,428	1,470	871	1,340	1,148	1,924	2,781	3,023

6.4 स्थाई परिसम्पत्तियों का संयोजन

वर्षवार स्थाई परिसम्पत्तियों का संयोजन निम्नानुसार है :-

तालिका 54: स्थाई परिसम्पत्तियों में संयोजन (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि .व. '17	वि .व. '18	वि .व. '19	वि .व. '17	वि .व. '18	वि .व. '19	वि .व. '17	वि .व. '18	वि .व. '19
भूमि एवं भूमि अधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भवन	10	15	20	5	10	12	12	20	28
दृव्य संबंधी चलित कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य सिविल कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	321	508	648	174	393	450	165	287	391
लाइन, केबिल, नेटवर्क	594	941	1200	291	655	749	277	479	654
वाहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	0	0	0	0	0	0	0	1	1
कार्यालय उपकरण	4	6	8	16	37	42	35	61	84
RGGVY	103	163	208	44	100	114	30	131	230
अमूर्त संपत्तियां									
योग	1,032	1,633	2,084	531	1,197	1,368	520	979	1,386

7 विद्युत वितरण कंपनियों के - अन्य आय / व्यय

7.1 मूल्यहास

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रयोज्य मानदण्डों के अनुसार विस्तृत मूल्यहास प्रतिमान तैयार किया गया है, जो कि माननीय आयोग के विनियमन के परिशिष्ट ॥ में निर्दिष्ट दरों पर आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2019 के लिये मूल्य हास के लिए गणना की गई है, जो निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है :-

तालिका 55 : विनियम के अनुसार अवमूल्यन (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19
लीज की भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भवन	2	2	3	3	3	3	3	4	4
दृव्य संबंधी चलित कार्य	0	0	0	1	1	1	0	0	0
अन्य सिविल कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	80	98	129	136	151	138	86	93	103
लाइन, केबिल, नेटवर्क	168	193	249	170	154	184	110	123	140
वाहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कार्यालय उपकरण	4	5	5	9	10	14	3	5	8
आरजीजीव्हीव्हाय	23	26	26	26	30	36	23	26	32
अमूर्त संपत्तियां	0	0	0				2	2	2
योग	278	324	412	345	349	376	228	254	291

7.2 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

7.2.1 परियोजना ऋणों पर ब्याज

विनियम 31 पूंजीगत ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार की गणना का तरीका बताता है।

परियोजना ऋण पर ब्याज की एवं वित्तीय प्रभारों की गणना हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया टैरिफ आदेश वर्ष 2016 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार है। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका 56: परियोजना ऋणों पर ब्याज (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र		
	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19
1. सकल स्थाई परिसंपत्ति का प्रारम्भिक शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया ।	1,202	1,390	1,627
2. वर्ष के दौरान सकल स्थायी परिसंपत्ति में संयोजन	1,032	1,633	2,084
3. वर्ष में उपभोक्ताओं का योगदान वर्ष में आरजीजीन्हीवाय योजना / के अन्तर्गत स्थायी परिसंपत्तियां	366	832	945
4. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां (2-3)	666	802	1,140
5. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का 30% जिसका पोषण एक्स्ट्रीटी द्वारा किया गया)5=4*30%)	200	241	342
6. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया (6=4-5)	466	561	798
7. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर (278	324	412
8. सकल स्थायी परिसंपत्तियों का कुल शेष जो ऋण द्वारा पोषित किया गया ।	1,390	1,627	2,013
9. बकाया ऋण का औसत	1,296	1,509	1,820
10. समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर	11.89%	11.91%	9.96%
11. योग – परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज (11=7*10)	154	180	181
12. वित्तीय प्रभार	11	12	12
13. योग परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज तथा वित्तीय प्रभार -	166	191	193
विवरण	मध्य क्षेत्र		
	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19
1. सकल स्थाई परिसंपत्ति का प्रारम्भिक शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया ।	2,605	2,632	3,120
2. वर्ष के दौरान सकल स्थायी परिसंपत्ति में संयोजन	531	1,197	1,368
3. वर्ष में उपभोक्ताओं का योगदान वर्ष में आरजीजीन्हीवाय योजना / के अन्तर्गत स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-
4. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां (2-3)	531	1,197	1,368
5. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का 30% जिसका पोषण एक्स्ट्रीटी द्वारा किया गया (5=4*30%)	159	359	410
6. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया (6=4-5)	372	838	957
7. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	345	349	376
8. सकल स्थायी परिसंपत्तियों का कुल शेष जो ऋण द्वारा पोषित किया गया ।	2,632	3,120	3,702

9. बकाया ऋण का औसत	2,618	2,876	3,411
10. समस्त ऋणों पर भारित औसत व्याज दर	10.19%	9.93%	9.93%
11. योग – परियोजना ऋणों पर कुल व्याज (11=7*10)	268	310	367
12. वित्तीय प्रभार	21	19	17
13. योग परियोजना ऋणों पर कुल व्याज तथा वित्तीय प्रभार -	290	329	385
विवरण	पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वि. '17	वि.वि. '18	वि.वि. '19
1. सकल स्थाई परिसंपत्ति का प्रारम्भिक शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया।	1,137	1,274	1,705
2. वर्ष के दौरान सकल स्थायी परिसंपत्ति में संयोजन	520	979	1,386
3. वर्ष में उपभोक्ताओं का योगदान वर्ष में आरजीजीन्हीवाय योजना / के अन्तर्गत स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-
4. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां (2-3)	520	979	1,386
5. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का 30% जिसका पोषण एक्टिवी द्वारा किया गया (5=4*30%)	156	294	416
6. वर्ष में कुल जुड़ी सकल स्थायी परिसंपत्तियां का शेष जिसका पोषण उधार द्वारा किया गया (6=4-5)	364	686	970
7. वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	228	254	290
8. सकल स्थायी परिसंपत्तियों का कुल शेष जो ऋण द्वारा पोषित किया गया।	1,274	1,705	2,385
9. बकाया ऋण का औसत	1,205	1,490	2,045
10. समस्त ऋणों पर भारित औसत व्याज दर	9.85%	9.93%	9.86%
11. योग – परियोजना ऋणों पर कुल व्याज (11=7*10)	119	148	202
12. वित्तीय प्रभार	10	11	12
13. योग परियोजना ऋणों पर कुल व्याज तथा वित्तीय प्रभार -	129	159	214

7.2.2 कार्यशील पूँजी पर व्याज

विनियम के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है, जो निम्न तालिका में दर्शाई गई है:-

माननीय आयोग द्वारा निर्धारित कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना के समय, उपभोक्ताओं द्वारा जमा सुरक्षा निधि की कुल राशि को कुल कार्यशील राशि आवश्यकता में से काटे जाने के परिणाम स्वरूप वितरण कंपनियों की शुद्ध कार्यशील पूंजी आवश्यकता क्रृणात्मक आती है। आयोग द्वारा क्रृणात्मक कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर विचार करते समय कार्यशील पूंजी पर किसी भी ब्याज की राशि को अमान्य किया गया। आयोग से प्रार्थना है कि वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त जमा उपभोक्ता सुरक्षा राशि, कार्यशील पूंजी की गणना करने के लिए केवल एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आयोग से निवेदन है कि वर्ष के दौरान प्राप्त उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर केवल वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना हेतु विचार किया जावे। इस प्रकार अनुज्ञितियों की प्रार्थना है कि केवल वर्ष के अन्तराल में प्राप्त उपभोक्ता सुरक्षा जमा घटाने के बाद कार्यशील पूंजी पर ब्याज के कारण होने वाले व्ययों की गणना की जावे:-

तालिका 57 - कार्यशील पूंजी पर ब्याज (रु. करोड़)

विवरण	पूर्व क्षेत्र		
	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	9.77	11.40	13.99
B) संचालन एवं संधारण व्यय			
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	141.90	165.63	203.20
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	172.67	183.97	197.33
कर्मचारी व्यय	922.09	997.25	1,077.75
i) संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,236.66	1,346.85	1,478.28
ii) योग का बारहवां (1/12)	103.06	112.24	123.19
C) प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
i) चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	0.00	0.00	0.00
ii) चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
D) योग कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C ii)	112.82	123.64	137.18
E) ब्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
F) कार्यशील पूंजी पर ब्याज	15.85	17.37	19.27
खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
विवरण	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	0.51	0.60	0.74
B) प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00

i) टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	7,869.66	8,376.49	9,040.01
ii) दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	1,311.61	1,396.08	1,506.67
C) विद्युत क्रय संबंधी व्यय	7,310.71	7,749.42	8,428.85
i) विद्युत क्रय व्ययों का 12 वाँ भाग	609.23	645.79	702.40
D) उपभोक्ता प्रतिभूति निष्केप	455.72	469.42	483.54
E) कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C i) - D)	247.18	281.47	321.46
F) व्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
G) कार्यकारी पूंजी पर व्याज	34.73	39.55	45.17
योग चक्रण गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल व्याज	15.85	17.37	19.27
योग खुदरा गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल व्याज	34.73	39.55	45.17
कार्यशील पूंजी से शुद्ध व्याज	50.58	56.92	64.44
विवरण	मध्य क्षेत्र		
	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	10.40	11.82	12.66
B) संचालन एवं संधारण व्यय			
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	171.68	183.89	211.41
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	98.10	105.36	112.68
कर्मचारी व्यय	934.49	1,012.34	1,093.52
i) संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,204.28	1,301.59	1,417.60
ii) योग का बारहवां (1/12)	100.36	108.47	118.13
C) प्राप्तियां			
i) चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	0.00	0.00	0.00
ii) चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
D) योग कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C ii)	110.76	120.28	130.79
E) व्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
F) कार्यशील पूंजी पर व्याज	15.56	16.90	18.38
खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
विवरण	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	0.55	0.62	0.67
B) प्राप्तियां			

i) टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	9,114.19	9,874.88	10,796.10
ii) दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	1,519.03	1,645.81	1,799.35
C) विद्युत क्रय संबंधी व्यय	7,671.09	8,175.42	8,877.32
i) विद्युत क्रय व्ययों का 12 वां भाग	639.26	681.28	739.78
D) उपभोक्ता प्रतिभूति निष्केप	764.87	832.00	899.13
E) कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C i) - D)	115.45	133.15	161.11
F) व्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
G) कार्यकारी पूंजी पर व्याज	16.22	18.71	22.64
योग चक्रण गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल व्याज	15.56	16.90	18.38
योग खुदरा गतिविधियों से कार्यशील पूंजी पर कुल व्याज	16.22	18.71	22.64
कार्यशील पूंजी से शुद्ध व्याज	31.78	35.61	41.01
विवरण	पश्चिम क्षेत्र		
	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	7.16	7.85	9.16
B) संचालन एवं संधारण व्यय			
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	123.48	140.38	165.90
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	142.79	152.72	162.72
कर्मचारी व्यय	949.85	1,028.66	1,112.98
i) संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,216.12	1,321.76	1,441.60
ii) योग का बारहवां (1/12)	101.34	110.15	120.13
C) प्राप्तियां			
i) चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	3.26	3.26	3.26
ii) चक्रण प्रभारों दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.54	0.54	0.54
D) योग कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C ii)	109.05	118.54	129.83
E) व्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
F) कार्यशील पूंजी पर व्याज	15.32	16.66	18.24
खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु			
विवरण	वि.वि '17	वि.वि '18	वि.वि '19
A) पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां भाग (1/6)	1.79	1.96	2.29
B) प्राप्तियां			
i) टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति **	9,727.03	10,204.65	10,793.71
ii) दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	1,621.17	1,700.78	1,798.95

C) विद्युत क्रय संबंधी व्यय	7,413.73	7,808.19	8,415.60
i) विद्युत क्रय व्ययों का 12 वां भाग	617.81	650.68	701.30
D) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	768.26	807.34	854.83
E) कुल कार्यकारी पूँजी (A+B ii) - C i) - D)	236.89	244.71	245.11
F) ब्याज दर *	14.05%	14.05%	14.05%
G) कार्यकारी पूँजी पर ब्याज	33.28	34.38	34.44
योग चक्रण गतिविधियों से कार्यशील पूँजी पर कुल ब्याज	15.32	16.66	18.24
योग खुदरा गतिविधियों से कार्यशील पूँजी पर कुल ब्याज	33.28	34.38	34.44
कार्यशील पूँजी से शुद्ध ब्याज	48.60	51.04	52.68

7.2.3 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान माननीय आयोग के प्रतिभूति निक्षेप के विनियमन के अनुसार ही किया जाता है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शित है :-

तालिका 58 विनियम के अनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	35	36	37	59	64	70	60	63	66

अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता जमा प्रतिभूति निक्षेप की गणना आर.बी.आई. के बैंक दर के अनुसार 1 अप्रैल से संबंधित वर्ष पर की जावेगी जो वर्तमान में 7.75 प्रतिशत वार्षिक है।

7.3 अन्य आय

गैर-दर आय के मुख्य घटक मीटर किराया, चक्रण प्रभार, सुपरविजन चार्ज, रही सामान की बिक्री एवं उपभोक्ताओं से विविध प्रभार की वसूली है। मीटर किराया एवं विविध प्रभार का प्रक्षेपण दर आय के प्रतिशत के रूप में किया गया है। वितरण कंपनियों द्वारा अन्य आय का प्रक्षेपण उनके द्वारा विगत वर्षों में वास्तविक रूप से प्राप्त राजस्व के आधार पर किया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका 59:- अन्य आय (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
-------	---------------	--------------	----------------

	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
Income from Investment, Fixed & Call Deposits	2	4	4	36	43	39	35	25	25
Interest on loans and Advances to staff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest on Advances to Suppliers / Contractors	6	6	6	9	9	9	3	3	3
Income/Fee/Collection against staff welfare activities	0	0	0	0	0	0			
मिश्रित प्राप्तियां	63	61	62	9	10	9	31	37	34
मिश्रित शुल्क जैसे मीटर किराया आदि	37	38	39	84	88	86	53	55	54
डेफर्ड आय (उपभोक्ताओं का योगदान)	0	0	0						
चक्रण प्रभार	0	0	0	0	0	0	3	3	3
विद्युत के अलावा ट्रेडिंग से आय (जैसे स्क्रेप, टेंडर, फार्म की बिक्री)	25	30	32				19	12	12
पर्यवेक्षण शुल्क							16	16	18
चोरी से वसूली	9	9	9	0	0	0			
अन्य	28	29	29	1	1	1			
योग	170	177	182	139	150	144	160	151	148

7.4 अंश पूंजी पर प्रतिलाभ

अंश पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियम में निर्धारित नियम के अनुसार निम्नानुसार की गई है :-

तालिका 60: विनियम के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ (रु. करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	पूर्व क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	वर्ष के प्रारम्भ में कुल सकल स्थाई परिसंपत्तियां,(उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,529	2,917	3,395
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिवद्ध किया गया है	1,327	1,527	1,767
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें क्रहन के माध्यम से निधिवद्ध किया गया है	1,202	1,390	1,627
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसंपत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि छोड़कर)	666	802	1,140
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचित में से पूंजीकृत की गई परिसंपत्तियों का भाग	200	241	342
B2	परियोजना क्रहणों से निधिवद्ध की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों का अवशेष भाग (B-B1)	466	561	798
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	200	241	342
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त क्रहण (B 70%)	466	561	798
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य / कमी (B1-C1)	0	0	0
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त क्रहण में आधिक्य / कमी (B2-D1)	0	0	0

	C2)			
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (A1+(C1/2)) अथवा (A1+(B1/2)), इनसे जो भी कम हो	1,427	1,647	1,938
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	228	264	310
स. क्र.		मध्य क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	वर्ष के प्रारम्भ में कुल सकल स्थाई परिसंपत्तियां,(उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	7,464	7,995	9,192
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है	1,591	1,716	2,041
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है	5,225	5,597	6,434
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसंपत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि छोड़कर)	417	1,083	1,254
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचित में से पूंजीकृत की गई परिसंपत्तियों का भाग	860	597	366
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों का अवशेष भाग (B-B1)	-443	486	888
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	125	325	376
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B 70%)	292	758	878
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य / कमी (B1-C1)	735	272	-10
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य / कमी (B2-C2)	-735	-272	10
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (A1+(C1/2)) अथवा (A1+(B1/2)), इनसे जो भी कम हो	1,653	1,878	2,224
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	265	301	356
स. क्र.		पश्चिम क्षेत्र		
		वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
A	वर्ष के प्रारम्भ में कुल सकल स्थाई परिसंपत्तियां,(उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,435	2,727	3,453
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है	1,298	1,454	1,748
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसंपत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है	1,137	1,274	1,705
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसंपत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि छोड़कर)	520	979	1,386

B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक्त संचित में से पूंजीकृत की गई परिसंपत्तियों का भाग	156	294	416
B2	परियोजना ऋणों से निधिवद्ध की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों का अवशेष भाग (B-B1)	364	686	970
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	0	0	0
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B 70%)	0	0	0
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य / कमी (B1-C1)	156	294	416
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य / कमी (B2-C2)	364	686	970
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (A1+(C1/2)) अथवा (A1+(B1/2)), इनसे जो भी कम हो	1,376	1,601	1,956
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	220	256	313

7.5 डूबंत एवं संदिग्ध ऋण

लेख है कि आयोग द्वारा जारी टैरिफ विनियम के अनुसार विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का एक प्रतिशत की सीमा तक डूबत एवं संदिग्ध ऋण की अनुमति दी गई है। विगत वर्षों के बहुवर्षीय दर विनियमों में भी यही प्रावधान था। जबकि आयोग को यह देखना होगा कि वितरण कंपनियों ने वास्तव में राजस्व के निर्धारित 1 प्रतिशत से अधिक राशि का डूबंत एवं संदिग्ध ऋण माफ किया है। वितरण कंपनियों द्वारा विगत वर्षों में वास्तविक माफ किये गये डूबंत ऋण को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों हेतु प्रक्षेपण किया है।

तालिका 61: विनियम के अनुसार डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र		
	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण	78	84	90	91	99	108	96	101	106

8. म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड के आय/व्यय का ब्यौरा

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 2260-एफ-3-24-2009-xiii दिनांक 19 मार्च 2013 के आइटम क्रमांक 8 (ii) के अनुसार म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को म.प्र. नियामक आयोग द्वारा

निर्धारित/ अनुमोदित दरों पर विद्युत की आपूर्ति करेगी एवं अपने व्यय को वास्तविक आधार पर संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा ली गई ऊर्जा के अनुसार वसूल करेगी।

म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर कार्य करेगी। अतः अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड को प्राप्त समस्त क्रेडिट्स, एम.पी.पी.एम.सी.एल. का आय का भाग बनी है (फार्म एस-1 में अन्य आय में दर्शित), को संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा आहरित की गई ऊर्जा के अनुपात में वितरण कंपनियों की ऊर्जा क्रय लागत के रूप में दिया जा रहा है। एमपीपीएमसीएल की सकल राजस्व की आवश्यकता के मूल्य हिस्से इस भाग में विस्तार से बताया है।

8.1 आय

8.1.1 संचालन से प्राप्त राजस्व (आर्थिक सहायता सहित)

ऊर्जा क्रय से प्राप्त राजस्व वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में लिया गया था इसलिए यह म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्ट कं. के सकल राजस्व आवश्यकता में नहीं लिया गया है। हालांकि, श्रेय के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्थान को रूपये 192.77 करोड़ की आवश्यक बिक्री को वितरण कंपनियों के मासिक बिलों के जरिए पास नहीं किया जा सका। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 से यह माना गया है कि इस राशि को वितरण कंपनियों को नियमित मासिक बिलों के जरिए पास किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संचालन से आय शून्य है।

8.1.2 अन्य आय

वित्तीय वर्ष 2015-16 में एम.पी.पी.एम.सी.एल. की अन्य आय 339.85 करोड़ रूपये है। अन्य आय के प्रमुख हिस्सों में मुख्य रूप से दीर्घ अवधि के बिजली आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समय पर किए गए भुगतान के विरुद्ध दी गई छूट एवं लघु अवधि ओपन एक्सेस लेखा में पीजीसीआईएल से प्राप्त क्रेडिट है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में एम.पी.पी.एम.सी.एल द्वारा प्राप्त अन्य आय का व्यौरा इस प्रकार हैं:

तालिका 62 : अन्य आय (रु करोड़)

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
i) लंबी अवधि के पारेषण पर सेवा प्रदाताओं से खुली पहुंच हिस्सेदारी के खाते पर छूट (पीजीसीआईएल)	132.80
ii) समय पर शीघ्र भुगतान /के विरुद्ध प्राप्त छूट	187.39
iii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.97
iv) ब्याज प्राप्ति (प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज जोड़कर)	2.45
v) आम व्यय वसूली	5.07
v) अन्य आय	7.17
योग	339.85

वित्तीय वर्ष 16-17 एवं बाद के वर्षों के लिए अन्य आय हेतु, वित्त वर्ष 2015-16 की आय में 10% की वृद्धि दर ली गई है।

8.2 व्यय

विद्युत वितरण कम्पनीवार वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार केन्द्रवार विद्युत क्रय लागत एवं अपने संचालन-संधारण खर्च, अवमूल्यन ऋण प्रभार इत्यादि लिए गये हैं।

यद्यपि विद्युत क्रय संबंधित कुछ लागतें (नीचे दिये गये विवरण अनुसार) जो कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनके नियंत्रण में न होने के कारण नहीं ली गई हैं। इसलिए ऐसी विद्युत क्रय लागतों को वितरण कंपनियों द्वारा एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की विशिष्ट लागतों के रूप में लिया गया है एवं सकल राजस्व आवश्यकता में विचार हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

8.2.1 ऊर्जा की खरीद

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इसमें सम्मिलित हैं :-

- अ- विद्युत क्रय का बिल रु 205.66 करोड़।
- ब- ऊर्जा बैंकिंग के लिए देयता रु. (71.28) करोड़
- स- परिक्षण प्रभारों कि बल रूपये 2.15 करोड़
- द- ऊर्जा की बैंकिंग चमत्रेडिंग मार्जिन रु. 1.74 करोड़

(अ) विद्युत क्रय के बिल

वित्तीय वर्ष 15-2014 के बिलों में उपरोक्त वर्णित बिल शामिल हैं जिन्हें वितरण कंपनियों के मासिक बिलों में समाहित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 16-2015 से आगे सभी बिलों को वितरण कंपनियों द्वारा माहवारी बिलों में पारित किया जायेगा अतएव उन्हें भी वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता में शामिल किया जाएगा।

(ब) बैंकिंग के लिए देयता

वित्तीय वर्ष 2007-2008 से म.प्र.पा.में.कं.लि ने अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के दौरान राज्य के बाहर तीसरे पक्षों के साथ ऊर्जा के आदान प्रदान / बैंकिंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। ऊर्जा की कमी वाले पक्षों को विद्युत ऊर्जा प्रदाय की जाती है तथा राज्य में विद्युत की कमी की स्थिति में कंपनी द्वारा बैंकिंग की गई ऊर्जा वापस ली जाती है। बैंकिंग और लेन देन में किसी प्रकार की राशि का भुगतान या प्राप्तिया शामिल नहीं हैं, केवल उन संबंधित संस्थाओं को देय ओपिन एक्सेस एवं ट्रेडिंग मार्जिन की राशि जिनके द्वारा उक्त सुविधा का लाभ लिया जा रहा है।

(स) ऊर्जा की बैंकिंग के लिए देयता (71.28) करोड़

कंपनी पर वर्ष 2015-16 के दौरान की 517.94 मिलियन यूनिट बैंक की गई ऊर्जा की देयता है, जो वर्ष 2015-16 में बैंकिंग को छोड़कर कुल ऊर्जा क्रय लागत के आधार पर वर्ष 2015-16 की औसत विद्युत क्रय लागत रु. 3.60 प्रति यूनिट को विचारण में लेते हुए वित्तीय बाध्यता रु. 186.56 करोड़ में परिवर्तित होती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 में बैंकिंग के प्राप्त 743.50 मिलीनियन यूनिट वापिस की गई। इसकी वित्तीय बाध्यता रु. 257.84 करोड़ हुई जो वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत क्रय की औसत लागत रु. 3.47 प्रति यूनिट के आधार पर थी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नेट बैंकिंग देयता रु. (71.28) करोड़ रखी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंकिंग की देयता की गणना निम्नानुसार की गई है:-

तालिका 63 : अन्य आय (रु करोड़)

विवरण	रु. करोड़
वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक लौटाने हेतु आवश्यक मि.यू	517.94
वि.व. 2016-17 के अन्त तक लौटाने हेतु आवश्यक मि.यू (वित्तीय वर्ष 2015-16 से 10% की दर से घटाते हुए)	466.15
वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रय की औसत कीमत	3.60
वित्तीय वर्ष 2016-17 की क्रय की औसत कीमत (वित्तीय वर्ष 2015-16 से 10% की दर से बढ़ाते हुए)	3.96
बैंकिंग दायित्व का कुल दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु (रु करोड़)	184.59
वित्तीय वर्ष 2015-16 में वितरण कंपनियों को 3.60 पै. प्रति यूनिट की दर से 517.91 मि.यू. का क्रेडिट	186.56
वित्तीय वर्ष 2016-17 में वितरण कंपनियों को देय कुल दायित्व	-1.97
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 10% की दर से घटाते हुए)	-2.16
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 10% की दर से घटाते हुए)	-2.38

द. अन्तर्राजीय पारेषण शुल्क

वित्तीय वर्ष 2015-16 में, रूपये 2.15 करोड़ के परिक्षण यूटीलिटी के कुछ बिल वितरण कंपनी को मासिक बिलों के जरिये नहीं दे पाये थे। वित्तीय 2016-17 से इन सभी बिलों को मासिक बिल के जरिये वितरण कंपनियों को दिये जायेंगे, अतः इन्हें वितरण कंपनी की सकल राजस्व आवश्यकता में माना जायेगा।

8.2.2 विद्युत क्रय व्यवस्था प्रभार

आर ई ए / एस ई ए के अनुसार सीधे रूप से क्रय की गई विद्युत के अलावा जैसे कि बैंकिंग आफ एनर्जी, ओपन एक्सेस चार्जेज बैंकिंग में ट्रेडिंग मार्जिन, अल्पकालीन विद्युत क्रय को इसमें शामिल किया गया है।

मांग और आपूर्ति में अन्तर को प्रतिदिन के आधार पर लघु अवधि ऊर्जा क्रय से प्रबंधन किया जाता है और अधिक ऊर्जा की स्थिति में इसे विक्रय किया जाता है। इसलिए राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए लघु अवधि का ऊर्जा विक्रय एवं लघु अवधि का ऊर्जा क्रय महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इसी प्रकार राज्य में मानसून के मौसम तथा रबी अवधि में ऊर्जा की अस्थिर मांग को पूरा करने के लिए एम.पी.पी.एम.सी.एल. द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न संस्थाओं से ऊर्जा बैंकिंग की व्यवस्था की जाती है। ऊर्जा की बैंकिंग बिना राशि के लेन-देन की व्यवस्था है जिसमें बैंकिंग व्यवस्था के भागीदारों के मध्य ऊर्जा यूनिटों का आदान-प्रदान बिना किसी वित्तीय लेन-देन के होता है। यद्यपि कुछ क्रियात्मक व्यय जैसे ट्रेडिंग मार्जिन, ओपन एक्सेस प्रभार, आर.एल.डी.सी. / एस.एल.डी.सी. अनुमति प्रभार होते हैं। ऊर्जा की बैंकिंग के लिए लगने वाले प्रभार आगामी वर्ष में ऊर्जा वापिस करने की कुल देयता की काल्पनिक लागत दर्शाते हैं और यह संबंधित वित्तीय वर्ष की औसत विद्युत क्रय लागत पर आधारित होता है।

ऊर्जा की व्यवस्था तथा ऊर्जा को डिस्पोज हेतु, ऐसी सभी सूक्ष्म अवधि के लिये व्यवस्था में ओपन एक्सेस प्रभार वितरण बिंदु तक की लागत को देना होता है।

5. ऊपर वर्णित सभी लागतें आइटम नंके शीर्ष “अन्य स्वोतों से विद्युत खरीद तथा अन्तर राज्यीय पारेषण लागतें” के फार्म 1-एस-में सम्मिलित की गई है, जो कि यहां दर्शित सभी नगों के बारे में मपॉवर मैनेजमेंट .प्र. द्वारा प्रासंगिक प्रदर्शित टीप में निहित हैं। .लि.कं

8.2.3 अवमूल्यन

-: अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार है

तालिका 64 : अन्य आय (रु करोड़)

विवरण	वि.व.16	वि.व.17	वि.व.18	वि.व. 19
स्थायी सम्पत्तियां				
(i) मूर्त सम्पत्तियां				
सकल खंड	86.21	98.15	99.15	100.15
अवमूल्यन *	2.88	3.51	3.26	3.03
(ii) अमूर्त सम्पत्तियां				
सकल खंड	2.15	22.05	22.05	22.05
अवमूल्यन **	0.32	1.78	1.60	1.44
कुल अवमूल्यन (i + ii)	3.21	5.29	4.86	4.47
*वि.व.2016-17 में मूर्त संपत्ति के मामले में ईआरपी हार्डवेयर के खाते में रु. 10.94 करोड़ अतिरिक्त लिये गये हैं। इसके अलावा वि.व. 2016-17 व उसके बाद के लिए rupay 1 crore मूल हास 10 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।				
** वि.व. 2016-17 में अमूर्त संपत्ति के मामले में ईआरपी विस्तार के खाते में 19.90 करोड़ रु. अतिरिक्त लिये गये हैं। वि.व.				

2017-18 और उसके बाद के लिये कोई अतिरिक्त राशि नहीं मानी गयी है।

8.2.4 विद्युत व्यवस्था के लिए ब्याज और वित्त प्रभार:-

विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंधों के अनुसार विद्युत विक्रेताओं को लेटर आफ क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा का विस्तार करने के विरुद्ध बैंक द्वारा एल सी एवं अन्य बैंक प्रभार वसूल किया जाते हैं जिसे फार्म एस-1 में क्रृण एवं वित्तीय प्रभार में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय देयकों में किश्तों की सुविधा के लिए वित्तीय लागतें, विद्युत दरों में परिवर्तन के स्वरूप लगने वाला ब्याज, बैंक प्रभार, गारंटी प्रभार, प्रतिवद्धता प्रभार, स्टाम्प शुल्क, प्रसंस्करण प्रभार इत्यादि को भी वित्तीय एवं बैंकिंग प्रभार में शामिल किया गया है। वर्ष 16-2015 के लिए इनकी राशि रूपये 56.78 85. करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में एन एच डी सी को रूपये 50.29 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 और आगे के लिये वित्तीय अनुबंध के अनुसार एन एच डी सी को ब्याज के रूप में देय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 रु. 26.49 करोड़

वित्तीय वर्ष 2017-18 रु. 35.21 करोड़

वित्तीय वर्ष 2018-19 रु. 19.07 करोड़

एनएचडीसी को देय ब्याज प्रभार वित्तीय वर्ष 2017-18 से बढ़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था के लिये जनवरी 2017 से एनएचडीसी के साथ ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे 400 करोड़ किश्त के रूप में भुगतान की सुविधा का प्रस्ताव करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अन्य ब्याज वित्तीय प्रभार (एनएचडीसी को ब्याज छोड़ कर) रूपये 6.49 है (अर्थात् रूपये 56.78 करोड़ - रूपये 50.29 करोड़). वित्तीय वर्ष 2016-17 और आगे के वर्षों हेतु ब्याज तथा वित्तीय प्रभार (एनएचडीसी को ब्याज छोड़ कर) इससे वित्तीय वर्ष 2015-16 के खर्चों से 7.93 प्रतिशत प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा कर लिया गया है।

8.2.5 मरम्मत एवं रखरखाव

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मरम्मत एवं रख-रखाव का व्यय रु. 3.19 करोड़ लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 और आगे के वर्षों हेतु इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के खर्चों से 7.93 प्रतिशत बढ़ाकर लिया गया है।

8.2.6 वेतन, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय परिसंपत्ति प्रबंधन व्यय

(अ) कर्मचारी खर्चः

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कर्मचारी लागत 55.75 करोड़ है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक एसएमएचपीसीएल परियोजना हेतु वेतन के रिवर्सल के रूपये 5.32 करोड़ अदा की गई। यह एक बार की गतिविधि थी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 से कोई भी रिवर्सल नहीं होगा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से इस तरह के कर्मचारी खर्च के रूप में रूपये 61.07 करोड़ (55.75 करोड़ + 5.32 करोड़) वित्तीय वर्ष 2015-16 के सकल खर्च को 3% बढ़ा के लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से कर्मचारियों के खर्चे वित्तीय वर्ष 2016-17 के खर्चों से 3 प्रतिशत बढ़ा कर लिया गया है।

(ब) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

इस व्यय में विद्युत विक्रय के व्यय शामिल हैं अर्थात् जैसा कि तीसरे पक्ष को लघु अवधि विद्युत का विक्रय करने पर म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं.लि द्वारा :-

- (i) अनुबंध के अनुसार प्रदाय करने के बिन्दु पर ओपन एक्सेस चार्ज
- (ii) पी.पी.ए. अनुसार शीघ्र भुगतान पर खरीदी में छूट

इसी अनुसार, एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत का विक्रय करने पर म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा वहन :-

- (I) पारेषण ओपन एक्सेस प्रभार
- (II) संबंधित विनिमय को एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग करने के लिए 0.02 रु. प्रति यूनिट के शुल्क का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय रूपये 37.83 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 और आगे के लिये प्रशासनिक व्यय, वित्तीय वर्ष 2015-16 के व्यय से 7.93 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि से लिया गया है। यह दर व्यय प्रक्षेपण के लिये (7.93 प्रतिशत प्रति वर्ष) जिसके द्वारा प्रति वर्ष खर्चों में वृद्धि का प्रक्षेपण किया जाता है, नियामक आयोग की विनिमयन की धारा 34.6' *'Regulation for the control period from FY 13-14 to FY 15-16 on terms and condition for determination of tariff for supply and wheeling of electricity and methods of principles for fixation of charges'* में दी गई दर के बराबर है।

9 वार्षिक राजस्व आवश्यकता

9.1 म.प्र. पावर मैनेजमेंट लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

निम्न दर्शाई गई तालिका में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण दिया गया है। शुद्ध व्यय को विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत में शामिल किया गया है।

तालिका 65: एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश (रु. करोड़ में)

विवरण	वि.व 17	वि.व 18	वि.व 19
विद्युत क्रय	(0.09)	(0.14)	(0.19)
अन्तर राज्यीय पारेषण व्यय	50.19	54.18	58.47
अवमूल्यन व्यय	5.29	4.86	4.47
ऋण एवं वित्तीय प्रभार	33.49	42.77	27.23
मरम्मत एवं रख-रखाव	3.44	3.72	4.01
कर्मचारी व्यय	62.90	64.79	66.73
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	40.83	44.07	47.57
अन्य व्यय	2.29	2.47	2.67
कुल व्यय	198.36	216.72	238.39
संचालन से राजस्व	373.84	411.22	452.34
वर्ष के लिये लाभ/ (हानि)	(175.48)	(194.50)	(213.95)

9.2 विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

विनिमय के प्रावधानों के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों की सकल राजस्व आवश्यकता की गणना का सारांश वितरण कंपनियों की टुअप लागतें वित्तीय वर्ष 2006-07, पारेषण कंपनी की टुअप वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं म.प्र. जेनको कंपनी की टुअप वित्तीय वर्ष 2014-15 से पड़ने वाले प्रभाव भी को सम्मिलित करते हुए निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 66 : विनियम के अनुसार सकल राजस्व आवध्यकता का सारांश (रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			मध्य प्रदेश राज्य		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
राजस्व												
विद्युत विक्रय से राजस्व टैरिफ सम्बिंदी शामिल कर)) अन्य आय	7,870	8,376	9,040	8,212	9,114	9,875	9,567	10,054	10,645	25,649	27,545	29,560
अन्य आय (डीपीएस को छोड़कर)	170	177	182	139	150	144	160	151	148	468	478	475
कुल राजस्व अथवा आय	8,040	8,553	9,222	8,351	9,264	10,019	9,727	10,205	10,794	26,117	28,022	30,035
व्यय												
विद्युत का क्रय (एक्स बस, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. के व्ययों को वितरण कंपनियों को आवंटन सहित)	6,172	6,538	7,143	6,510	6,939	7,548	7,414	7,808	8,398	20,096	21,285	23,089
अन्तरराज्यीय पारेषण प्रभार	443	452	461	428	437	445	563	574	586	1,434	1,463	1,492
(म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. एवं राज्यभार प्रेषण केन्द्र प्रभारों एवं अनुशंषी लाभ सहित)	696	760	824	733	800	868	900	982	1,066	2,328	2,541	2,758
मरम्मत एवं रख रखाव	142	166	203	172	184	211	123	140	166	437	490	581
कार्मिक व्यय	922	998	1,078	934	1,012	1,094	950	1,029	1,113	2,807	3,039	3,285
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामक आयोग की फीस सहित)	173	184	197	98	105	113	143	153	163	414	442	473
अन्य व्यय								-	-	-	-	-
झूबंत एवं संदेहास्पद क्रठण	79	84	90	91	99	108	96	101	106	266	283	305
घटाये पूंजीगत व्यय –										-	-	-
व्ययों का योग	8,626	9,180	9,998	8,967	9,576	10,387	10,188	10,787	11,598	27,781	29,543	31,982
पीबीडीआईटी अवमूल्यन एवं आयकर के पूर्व लाभ	(587)	(627)	(776)	(616)	(311)	(367)	(461)	(582)	(804)	(1,664)	(1,521)	(1,947)
अवमूल्यन एवं संबंधित नामें लेखा	278	324	412	345	349	376	228	254	291	850	927	1,079

विवरण	पूर्व क्षेत्र			पश्चिम क्षेत्र			मध्य क्षेत्र			मध्य प्रदेश राज्य		
	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19	वि.व. '17	वि.व. '18	वि.व. '19
आयकर के पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	(865)	(951)	(1,188)	(961)	(661)	(743)	(689)	(836)	(1,095)	(2,514)	(2,448)	(3,026)
व्याज एवं वित्त प्रभार	251	285	295	381	429	496	237	272	333	869	986	1,124
कर एवं अंशपूँजी पर प्रतिलाभ के पूर्व लाभ /हानि	(1,116)	(1,236)	(1,483)	(1,341)	(1,090)	(1,239)	(926)	(1,109)	(1,427)	(3,383)	(3,434)	(4,150)
कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंशदान पूँजी पर लाभ	228	264	310	265	301	356	220	256	313	713	820	979
कर के पश्चात (अंशपूँजी पर प्रतिलाभ के बाद) लाभ/हानि	(1,344)	(1,499)	(1,794)	(1,606)	(1,390)	(1,595)	(1,146)	(1,365)	(1,740)	(4,096)	(4,254)	(5,129)
सकल राजस्व आवश्यकता(विद्युत के विक्रय से आय अन्तर)	9,214	9,876	10,834	9,818	10,504	11,470	10,713	11,419	12,386	29,745	31,799	34,689
विद्युत प्रदाय की औसत लागत	6.46	6.47	6.56	6.60	6.56	6.65	6.15	6.19	6.37	6.39	6.39	6.52
पूर्व के वर्षों के दूषप राशि का असर												
वितरण कंपनियों की दु अप का असर-वि.व.2006-07		119 (169) 123.63	136 (186) 132	168 (207) 158	423 -562 414	275 -	-	-	-	-	-	
उत्पादन कंपनी की दु अप का असर-वि.व. 2014-15												
पारेषण कंपनी की दु अप का असर-वि.व. 2014-15												
दूषप का कुल असर	-	74	-	-	82	-	-	119	-	-	275	-
योग सकल राजस्व आवश्यकता (दु- अप सहित)	9,214	9,949	10,834	9,818	10,586	11,470	10,713	11,538	12,386	29,745	32,073	34,689
योग राजस्व अंतर (दु अप सहित -)	(1,344)	(1,573)	(1,794)	(1,606)	(1,472)	(1,595)	(1,146)	(1,484)	(1,740)	(4,096)	(4,529)	(5,129)
विद्युत प्रदाय की औसत लागत (दु अप सहित -)	6.46	6.52	6.56	6.60	6.61	6.65	6.15	6.26	6.37	6.39	6.45	6.52

10. अनुषंगी लाभ (पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नगदीकरण) का प्रावधान

कर्मचारियों को देय अनुषंगी लाभों की गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मंडल एवं उसकी उत्तरावर्ती कंपनियों के कार्मिकों को देय पेंशन एवं अन्य अनुषंगी लाभों के भुगतान हेतु नियम व शर्तें) विनियम 2012 (जी-38/2012), जो मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 20 अप्रैल 2012 को प्रकाशित किया गया था, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा किये गये प्रावधान 2012 (मंडल एवं उसकी उत्तरावर्ती कंपनियों के कार्मिकों को देय पेंशन एवं अन्य अनुषंगी लाभों के भुगतान हेतु नियम व शर्तें) वितरण कंपनियों के दावों का निष्पादन निर्धारित (एक्चुरी प्रतिवेदन एवं वास्तविक नगद बाह्य प्रवाह के अनुसार किया गया है। एक्चुरीयल मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार तीनों विद्युत कंपनियों के लिये 31 मार्च 2009 के दायित्व निर्धारित हुए हैं। इन दायित्वों के अतिरिक्त भविष्य के मूल्यांकन निम्न दर्शाये गए प्रतिशत अंशदान दर (मूल वेतन, ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के प्रतिशत के रूप में) के अनुसार किया जायेगा इन दायित्वों का निर्वाहित भविष्य की सेवाओं हेतु तीनों कंपनियां स्वयं करेंगी।

तालिका 67: एक्चुरी के अनुसार भविष्य योगदान दायित्व की दर

धारणा	पूर्व क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग
योगदान दर	21.73%	4.95%	0.77%	27.45%	20.15%	4.56%	0.54%	25.25%	20.28%	4.67%	0.59%	25.54%
छूट दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

ऊपर निर्धारित पद्धति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दायित्व की गणना की गई है और यह दायित्व इस तरह के लाभ के लिए लाइसेंसधारी के सभी पात्र कर्मचारियों से संबंधित है। अनुषंगी लाभ प्रावधान की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 68 : अनुषंगी लाभ की गणना का प्रावधान (रु. करोड़ में)

विवरण	वि .व. 17 -पूर्व क्षेत्र				वि .व. 17 मध्य क्षेत्र				वि .व. 17 - पश्चिम क्षेत्र				वि .व. 17- म.प्र राज्य.			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग
31.03.2016 को प्रावधान	1,401.00	282.00	66.00	1,749.00	965.32	204.42	68.08	1,237.82	1,213.00	199.00	71.00	1,483.00	3,579.32	685.42	205.08	4,469.82
छूट @ 7%	98.07	19.74	4.62	122.43	67.57	14.31	4.77	86.65	84.91	13.93	4.97	103.81	250.55	47.98	14.36	312.89
वर्तमान सेवा लागत	193.26	44.02	6.85	244.13	188.79	43.47	5.49	237.76	167.10	37.82	4.48	209.40	549.15	125.31	16.82	691.28
वि.व 2017 के लिये कुल प्रावधान	291.33	63.76	11.47	366.56	256.37	57.78	10.26	324.41	252.01	51.75	9.45	313.21	799.70	173.29	31.17	1,004.17
विवरण	वि .व. 18 -पूर्व क्षेत्र				वि .व. 18 मध्य क्षेत्र				वि .व. 18 - पश्चिम क्षेत्र				वि .व. 18- म.प्र राज्य.			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग
31.03.2016 को प्रावधान	1,692.33	345.76	77.47	2,115.56	1,221.69	262.20	78.34	1,562.23	1,465.01	250.75	80.45	1,796.21	4,379.03	858.71	236.26	5,473.99
छूट @ 7%	118.46	24.20	5.42	148.09	85.52	18.35	5.48	109.36	102.55	17.55	5.63	125.73	306.53	60.11	16.54	383.18
वर्तमान सेवा लागत	209.10	47.63	7.41	264.15	204.51	47.09	5.95	257.56	181.17	41.00	4.86	227.02	594.79	135.73	18.21	748.73
वि.व.2018 के लिये कुल प्रावधान	327.57	71.84	12.83	412.23	290.03	65.45	11.43	366.91	283.72	58.55	10.49	352.76	901.32	195.84	34.75	1,131.91
विवरण	वि .व. 19 -पूर्व क्षेत्र				वि .व. 19 मध्य क्षेत्र				वि .व. 19 - पश्चिम क्षेत्र				वि .व. 19- म.प्र राज्य.			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	योग
31.03.2016 को प्रावधान	2,019.89	417.60	90.30	2,527.79	1,511.72	327.65	89.77	1,929.15	1,748.73	309.30	90.93	2,148.96	5,280.34	1,054.55	271.01	6,605.90
छूट @ 7%	141.39	29.23	6.32	176.95	105.82	22.94	6.28	135.04	122.41	21.65	6.37	150.43	369.62	73.82	18.97	462.41

वर्तमान सेवा लागत	226.08	51.50	8.01	285.59	221.34	50.97	6.44	278.74	195.77	44.30	5.25	245.32	643.18	146.77	19.70	809.65
वि.व. 2019 के लिये कुल प्रावधान	367.47	80.73	14.33	462.54	327.16	73.90	12.72	413.78	318.18	65.95	11.61	395.74	1,012.81	220.59	38.67	1,272.06

वितरण कंपनियों को सेवांत लाभ के उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट में वार्षिक योगदान करना अनिवार्य किया गया है। वि.व 2016 तक रुपये 4508 करोड़ की राशि संचित होने की संभावना है। हालांकि वितरण कंपनियां इतनी राशि ट्रस्ट में जमा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि माननीय आयोग ने ट्रस्ट के लिए किसी भी राशि की अनुमति नहीं दी है। नीचे दी गई तालिका से कंपनी की वार्षिक खातों में इस दायित्व के विरुद्ध वि.व. 2009-10 से वि.व. 2015-16 के लिए किए गए वास्तविक प्रावधानों तथा वि.व. 2016-17 से वि.व. 2017-18 के लिए अनुमानित प्रावधानों को दर्शाया गया है :-

तालिका 69 : वितरण कंपनियों के लिए अनुषंगी लाभ देयता के प्रावधान (रु करोड़ में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				म.प्र. राज्य			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व
एक्चुरी द्वारा निर्धारित पिछले सेवा काल दायित्व(1.6.2005 से 31.3.2009)	362.00	58.00	21.00	441	349	52	20	421	326.00	53.00	21.00	400.00	1,036.76	163.41	61.95	1,262.12
2009-10	101.00	21.00	4.00	126	102	23	3	128	103.00	17.00	7.00	127.00	305.60	61.40	13.96	380.96
2010-11	119.00	25.00	5.00	149	74	17	2	93	80.00	13.00	5.00	98.00	272.64	55.08	12.21	339.93
2011-12	139.00	30.00	6.00	175	79	18	2	99	78.00	13.00	5.00	96.00	295.65	61.36	13.44	370.44
2012-13	157.00	34.00	6.00	197	83	20	10	113	90.00	15.00	6.00	111.00	329.91	68.71	21.94	420.56
2013-14	185.00	40.00	7.00	232	90	23	12	126	170.00	26.00	11.00	207.00	444.72	89.48	30.41	564.61
2014-15	205.00	44.00	8.00	257	94	25	11	130	190.00	39.00	7.00	236.00	489.09	107.85	25.96	622.90
2015-16	133.00	30.00	9.00	172	96	25	7	128	176.00	23.00	9.00	208.00	404.96	78.13	25.21	508.30

विवरण	पूर्व क्षेत्र				मध्य क्षेत्र				पश्चिम क्षेत्र				म.प्र. राज्य			
	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व	पेंशन	ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदी करण	कुल दायित्व
2016 तक कुल	1,401	282	66	1,749	965	204	68	1,238	1,213	199	71	1,483	3,579	685	205	4,470
2016-17	291	64	11	367	256	58	10	324	252	52	9	313	799.70	173.29	31.17	1,004
2017-18	328	72	13	412	290	65	11	367	284	59	10	353	901.32	195.84	34.75	1,132
2018 तक कुल	2,020	418	90	2,178	1,512	328	90	1,496	1,749	309	91	1,927	5,280	1,055	271	5,601

वितरण कंपनियां माननीय आयोग से विनम्रतापूर्वक कम से कम एक मामूली राशि की अनुमति ट्रस्ट को देने के लिए प्रार्थना करती हैं जिससे वितरण कंपनियां ट्रस्ट में राशि जमा कर सकें तथा एक बार पड़ने वाले बोझ से बच सकें। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सेवांत लाभ देनदारियों को वितरण कंपनियों की सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना में शामिल नहीं किया गया है। इसके बजाय, वास्तविक रुझानों के आधार पर सेवांत लाभ (नकद बहिर्वाह), वितरण कंपनियों की कुल विजली खरीद लागत में अन्तः राज्य पारेषण शुल्क के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

11 बिजली खरीद लागत समायोजन (पीपीसीए)

11.1 माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 17 के टैरिफ आदेश केवल उत्पादन केन्द्रों के लिए में ईधन के मूल्य जैसे कि कोयला, तेल एवं गैस रूपी ईधन की लागत में वृद्धि अथवा कम के कारण अनियंत्रित लागतों की वसूली / समायोजन के लिए ईधन प्रभार समायोजन का एक विशेष सूत्र दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की याचिका में यह भी प्रस्तुत किया था कि तत्समय विद्युमान ऊर्जा क्रय लागत समायोजन गणना प्रक्रिया से विद्युत क्रय लागत में वृद्धि की वसूली नहीं होती जिसमें टैरिफ आदेश में चिन्हित विद्युत प्रदाय स्वोतों से विद्युत प्रदाय में कम के कारण वितरण अनुज्ञसिधारी को मांग की पूर्ति हेतु विद्युत बाजार तथा अन्य स्वोतों से उच्च दरों पर विद्युत क्रय करना भी सम्मिलित है।

11.2 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञसिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा किया जाना है। इसलिए विद्युत क्रय की मात्रा को मानक हानि के स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा तंत्र के किसी भी संचालन की स्थिति में, विद्युत प्रदाय एवं ऊर्जा की मात्रा अनियंत्रित परिवर्तनीय चर है। दरों के निर्धारण के उद्देश्य से प्रति यूनिट औसत विद्युत क्रय राशि को सावधानी एवं विवेकपूर्ण तरीके से सोचना आवश्यक है।

इसका अर्थ यह है कि मानक हानियों के आधार पर ऊर्जा मात्रा की प्रति यूनिट लागत पर आधारित औसत क्रय ऊर्जा लागत को उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहिए और उससे अधिक की लागत अनुज्ञसिधारी द्वारा वहन किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊर्जा क्रय लागत के पूर्ण नियत प्रभार घटक को उपभोक्ता तक वैधानिक लागत पर पहुंचाया जाना चाहिए। इस कार्यप्रणाली को उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञसिधारी के मध्य उचित संतुलन बनाये रखना होगा, क्योंकि यह सकल औसत पद्धति पर आधारित है, ताकि वार्षिक चक्रण में सभी कारकों का असर सम्मिलित हो सके तथा एक समान वितरित हो सके।

11.3 तथापि आयोग द्वारा इसका विश्लेषण कर निम्नांकित सूत्र दिया गया है।

$$FCA \text{ for billing quarter } \left(\frac{p}{u} \right) = \frac{IVC \text{ (Rs. in Cr.)} \times 1000}{\text{Normative Sale (MUs)}}$$

Where,

IVC = sum of – (a) difference in per unit variable cost actually billed by each long term coal or gas based power generator and variable cost as allowed in the Tariff Order, multiplied by (b) units availed from each such generating station in the preceding quarter. Variable costs of Hydel Generating Stations shall not be considered for the purpose of working out the increase in variable Cost of Power Purchase.

Preceding Quarter = the period of preceding three months excluding the period of two months immediately preceding to the billing quarter,

Billing Quarter = the period of three months for which FCA is to be billed and shall be a period commencing on first day to last day of quarter for the quarter commencing from 1st April ending 30th June and so on

- 11.4 तथापि याचिकाकर्ता यह महसूस करते हैं कि परिवर्तनीय लागतों के स्थान पर औसत ऊर्जा क्रय लागत पर विचार किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त प्रावधानों की लकीर में याचिकाकर्ता ऊर्जा क्रय लागत समायोजन हेतु माननीय आयोग के कृपा पूर्ण विचारण के लिए निम्नांकित सूत्र पुनः प्रस्तुत करते हैं।

$$PPCA \text{ for billing quarter } \left(\frac{p}{u} \right) = \frac{APPC (\text{Rs. in Cr.}) \times 1000}{\text{Normative Sale (MUs)}}$$

Wherein,

“APPC” shall mean Average Power Purchase Cost which is sum of – (a) difference in per unit average cost actually billed by each power generator/sources and as allowed in the tariff order, multiplied by (b) units availed from each such generating station in the preceding quarter.

“Preceding Quarter” means period of preceding three months excluding the period of two months immediately proceeding to the billing quarter.

“Billing quarter” means the period of three months for which PPCA is to be billed and shall be a period commencing on first day to last day of quarter for the quarter commencing from 1st April ending 30th June and so on.

“Normative Sale” means the sale grossed down from the total actual ex-bus drawl from all sources (Generators + Other sources) during preceding quarter by the normative PGCIL, transmission and distribution losses for the months of the preceding quarter as provided in the tariff Order.

- 11.5 ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार निकटतम अंक में पूर्णांकित पैसा प्रति यूनिट (केडब्लूएच) रहेगा। इस उद्देश्य के लिए 0.5 से नीचे के अंक की उपेक्षा की जाएगी एवं 0.5 के ऊपर को अगले उच्च अंक तक बढ़ाया जायेगा। इस प्रभार को, जैसा प्रकरण हो, प्रत्येक उपभोक्ता के विद्युत बिलों में विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा अथवा घटाया जायेगा और इसे ऊर्जा प्रभार का भाग माना जाएगा।

- 11.6 ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार राज्य में विद्युत वितरण कम्पनी के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। यह प्रभार सभी श्रेणी के ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं पर भी समान रूप से उनके द्वारा ली गई विद्युत मात्रा पर लागू होगा।

- 11.7 विभिन्न उपभोक्ताओं से क्रास सबसीडी सरचार्ज वसूल करने हेतु नेशनल टैरिफ पालिसी द्वारा निम्नलिखित फार्मूला दिया गया है :-

“Cross-subsidy surcharge and additional surcharge for open access

$$\text{Surcharge formula: } S = T - [C / (1-L/100) + D + R]$$

Where

S is the surcharge

T is the tariff payable by the relevant category of consumers, including reflecting the Renewable Purchase Obligation

C is the per unit weighted average cost of power purchase by the Licensee, including meeting the Renewable Purchase Obligation

D is the aggregate of transmission, distribution and wheeling charge applicable to the relevant voltage level L is the aggregate of transmission, distribution and commercial losses, expressed as a percentage applicable to the relevant voltage level

R is the per unit cost of carrying regulatory assets.

चूंकि विद्युत क्रय लागत समायोजन प्रभार ऊर्जा प्रभार का भाग है और सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर एक समान रूप से प्रभावशील है इसलिए औसत टैरिफ प्रभावशील विद्युत क्रय लागत समायोजन प्रभार के स्तर तक परिवर्तित होगा। इसलिए यह अधिक उचित होगा कि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के क्रास सब्सिडी सरचार्ज की गणना के सूत्र में “T” हेतु विद्युत क्रय लागत प्रभार को जोड़ दिया जाए।

- 11.8 एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी होल्डिंग कम्पनी है एवं वितरण कंपनी द्वारा उनकी ओर से उपभोक्ताओं की खुदरा विद्युत उपयोग के लिए विद्युत की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक तिमाही में ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार की गणना का उत्तरदायित्व म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी का होगा।

- 11.9 उत्पादन कम्पनियों द्वारा पूर्ववर्ती तिमाही में दिये गये देयकों के आधार पर म.प्र.पावर मैनेजमेंट कम्पनी जबलपुर औसत विद्युत क्रय राशि की गणना करेगी। यह जानकारी पूर्ववर्ती तिमाही के प्रत्येक माह के लिए आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में किये गये निर्धारण के अनुसार तैयार की जाएगी एवं इसके उपरान्त तिमाही हेतु जोड़ी जाएगी।

- 11.10 म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी प्रमाणिक विक्रय की गणना करेगी। इस उद्देश्य के लिये पूर्ववर्ती तिमाही मानक पीजीसीआईएल, पारेषण और वितरण हानि (प्रतिशत/मात्रा), जैसा की टैरिफ आदेश में दिया गया

है, को पिछले तिमाही के दौरान आहरित कुल एक्स बस ऊर्जा से घटाकर मानक विक्रय निकाला जाएगा।

- 11.11 ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार की गणना म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी, जबलपुर द्वारा आयोग द्वारा, निर्धारित तरीके से की जायेगी। राज्य की वितरण कंपनियों को समय-समय पर सलाह दी जाएगी की बिलिंग तिमाही में बिलिंग उद्देश्यों के लिए ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार को समाहित करें। यह अभ्यास बिलिंग तिमाही के 15 दिवस पूर्व पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. सभी गणना के प्रासंगिक तथा अन्य संबंधित विवरणों सहित ऐसे अभ्यास के 07 दिवस पूर्ण होने के अन्दर आयोग को प्रस्तुत करेगी।
- 11.12 यदि आयोग एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा प्रस्तुत विवरण की समीक्षा करने के उपरान्त ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार में किसी भी प्रकार की अधिक या कम वसूली पाता है तो आयोग को म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी जबलपुर एवं राज्य की वितरण कम्पनियों को ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार बिलिंग में, साथ ही उपभोक्ताओं के आगे आने वाले ऐसे समायोजन, जो यह उचित समझे, आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।
- 11.13 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियां ऊर्जा क्रय लागत समायोजन प्रभार को बिलिंग तिमाही के प्रथम दिन से वसूल करेगीं।
- 11.14 बिलिंग तिमाही को निम्नानुसार समझा जा सकता है:-
यदि जुलाई से सितम्बर को बिलिंग तिमाही माना जाय तब पूर्ववर्ती तिमाही फरवरी से अप्रैल होगी और मई एवं जून माह का समय ऊर्जा क्रय लागत समायोजन भार को निश्चित किए जाने हेतु आंकड़े/विवरण एकत्रित किए जाने एवं अंतिम रूप दिये जाने हेतु दिया गया समय है।
- 11.15 पी जी सी आई एल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तंत्र एवं मानक वितरण हानियों के विवरण को आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में दिया जाएगा।

12 वित्तीय वर्ष 2017-18 दर प्रस्ताव

माननीय नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत है कि वित्तीय वर्ष 2014 एवं वित्तीय वर्ष 2015 में विद्युत दरों में कोई भी प्रचुर वृद्धि न होने के कारण विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक प्रभावित हुई है। वित्तीय वर्ष 2016 के लिए माननीय आयोग ने 9.83 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2017 के लिए 8.4 प्रतिशत

विद्युत दर वृद्धि अनुमोदित की. तथापि बढ़ती महंगाई के दबाव से व्ययों में हो रही मूलभूत वृद्धियों, महत्वाकांक्षी मानक ऊर्जा हानियों का प्रक्षेपण, माननीय आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं राज्य तथा केन्द्रीय शासन की नीतिगत बाध्यताओं और पावर तथा ऊर्जा की मांग में हो रही संगत वृद्धियों के कारण वितरण कंपनियों को वर्तमान टैरिफ पर अपनी गतिविधियों को निरंतर रखना अत्यंत कठिन हो गया है।

मध्य प्रदेश राज्य की कुल स्थापित क्षमता 01 जून 2016 तक 17169 मे.वा. हो गई है, तथा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 24×7 ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टी से तथा मांग में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुये, अग्रिम में राज्य अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है। हालांकि, मांग में वृद्धि विभिन्न कारणों वश नहीं हो पाया है, जैसे की ओपन एक्सेस, रेल्वे अपने डीम्ड अनुज्ञासिधारी की स्थिति का इस्तेमाल किया है, औद्योगिक विकास की धीमी गति जिसका कारण सभी जानते हैं, आदि, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्य, (विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में) जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं की अधिशेष क्षमता है, जो उपयोग नहीं हो पा रही है। इस स्थिति के कारण, इसे उजागर करना आवश्यक है कि राज्य में मौजूदा उपलब्ध क्षमता के अनुसार ताप विद्युत गृहों से 80 प्रतिशत शेडयूल होती है। आगे, एमपीपीएमसीएल माननीय आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट आर्डर डिस्पेच को मानता है। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अक्षय ऊर्जा, परमाणु तथा पनविजली का मुख्य हिस्से को मस्टरन का स्टेटस प्राप्त है, इसलिये ताप विद्युत गृहों का बैक डाउन करना पड़ता है। अधिशेष स्थिति के कारण उपलब्ध क्षमता को बैक डाउन करना पड़ा चूंकि एक्सचेंज के दाम भी आकर्षक नहीं है तथा अन्तर क्षेत्रीय पॉवर हस्तांतरण में क्षमता बाधा भी एक कारण है। हालांकि जनरेटरों से किये गये पी.पी.ए. के कारण नियत प्रभार का भुगतान करना पड़ता है। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि भारी मात्रा में पॉवर को बैक डाउन करना पड़ा। तथा याचिकाकर्ताओं को इस पॉवर जिसे नहीं लिया गया के लिए जनरेटरों को नियत लागत देना पड़ा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा जनरेटरों के साथ किये गये करार का सम्मान करना पड़ा। निरपेक्ष संख्या से देखें तो :-

- (1) वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7099 मि.यू. की मात्रा का बैक डाउन करना पड़ा जिसकी नियत लागत करीब रूपये 870 करोड़ है और
- (2) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 17130 मि.यू. की मात्रा जिसकी नियत लागत रूपये 2158 करोड़ के करीब है।

मौजूदा प्राप्ति औसत बिजली प्राप्ति की खरीद, लागत की तुलना में अल्पसंख्यक बिक्री कम होने से हुई है। इस अतिरिक्त बिजली से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है। अतिरिक्त बिजली के प्रबंधन के लिए पहला कदम है, एनटीपीसी मौदा स्टेज I, एटीपीएस चचाई - फेज 1 और फेज 2, एनटीपीसी कवास और एनटीपीसी गांधार में एम.पी. के शेयर को सरेंडर करने का प्रस्ताव चालू है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका तथा जब तक इस क्षमता को किसी राज्य या (यूटीलिटी) को आवंटित नहीं होता तब तक मध्य प्रदेश राज्य को नियत लागत को वहन करना पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लगभग 15 राज्यों ने भी ऊर्जा मंत्रालय से उपरोक्त उपकेन्द्रों से उनके हिस्से को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की है।

इसके अलाव बिक्री आधार बढ़ाने हेतु तथा नये उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लाने के लिए, केप्टीव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से कई बार चर्चा हो चुकी है। बिजली की कीमत, दोनों निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से इस उद्योग की प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी केप्टीव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि प्रतिस्पर्धा बनाये रखने में ऊर्जा वितरण कंपनी के अलावा अन्य स्थोरों से लेते हैं। यदि वितरण कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकें हैं, तो वे उनकी मांग वितरण कंपनियों की तरफ मुड़ सकती हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि बिक्री को भी बढ़ाया जाये। इसलिए मौजूदा याचिका में केप्टीव तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई छूट प्रस्तावित की गई हैं, जिससे उनकी मांग को वितरण कंपनी की ओर मोड़ा जा सके। एमपीपीएमसीएल कल्पना करता है कि अगर ये रियायतें दी जायें तो उनकी मांग वितरण कंपनियों की तरफ मुड़ने का आशय है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि उपरोक्त आधार में वृद्धि का असर पूरे वितरण कंपनियों के पूरे उपभोक्ता आधार पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि लागत विभाजित हो जाती है तथा वितरण कंपनियों का राजस्व बढ़ जाता है।

इसके अलावा वितरण कंपनियों में रेलवे को वापस लाने के लिए विचार विमर्श किया गया है। तदानुसार मौजूदा याचिका में रेलवे को छूट का प्रस्ताव किया गया है, अगर वे वितरण कंपनियों से बिजली खरीदने का इरादा रखते हैं तो।

उपरोक्त प्रस्तुति को देखते हुये, याचिकाकर्ता रेलवे, केप्टीव तथा ओपर एक्सेस उपभोक्ताओं को रियायत देने का प्रस्ताव करती है। यह माना जाता है कि, बिना बिक्री का बढ़ाये यह मुमकिन नहीं है कि वितरण कंपनियों द्वारा परिचालन व्यवहारिकता बनाये रखें तथा इस याचिका के माध्यम से उचित खुदरा दर मांगते हैं।

माननीय आयोग को यह प्रस्तुत किया जाता है कि, याचिका कर्ताओं ने अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री आईईएक्स के प्रचलित दर पर करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान दर देश में चल रही मांग और आपूर्ति के परिदृश्य को प्रतिबिंधित करता है, हालांकि, अगर इन दरों में आगामी वर्षों में सुधार आता है तो, याचिकाकर्ता अवसर का लाभ उठाने के लिये बेहतर दरों में और वृद्धि की बिक्री से अतिरिक्त बिजली के बिक्री से अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करते हैं कि उन्नित राजस्व में अंतर की याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोत्तरी के बाद भी बच जाता है उसे रेग्यूलेटरी असेट माना जाये, आगामी वर्षों में एमपीईआरसी इसे निर्देशानुसार के अनुपालन के बाद टैरिफ वृद्धि हेतु माना जा सकता है। याचिकाकर्ता हमेंशा अपनी लागत को कम करने का प्रयास करते हैं कि जिससे वे अपने लाइसेंसी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर सकें। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित टैरिफ याचिका में जो लागत दर्शाई गई है वहां पहले से ही नीचे की ओर है तथा मानक हानी के स्तर पर आधारित है जैसा कि माननीय आयोग ने एमवायटी विनियम में निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविक नुकसान का स्तर अपने वितरण नेटवर्क में अनुभव और बाहरी नेटवर्क वास्तविक लागत बहुत अधिक है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनेमट राजस्व अंतर रेग्यूलेटरी असेट की दशा में अनुमोदित तथा मान्य करे जिससे की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उपभोक्ताओं को टैरिफ झटके से बचाया जा सके।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के दृष्टिगत याचिकाकर्ता विद्यमान राजस्व अन्तर की तुलना में कम वृद्धि प्रस्तावित कर रहे हैं। वितरण कंपनियों के लिए इस याचिका के माध्यम से खुदरा वितरण दर हेतु चाही गयी आवश्यक वृद्धि के बिना अपनी क्रियात्मक व्यवहारिता बनाये रखना संभव नहीं हो सकेगा। प्रस्तावित दर वृद्धि एवं अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का संक्षेप में विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका-70 ,वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दर प्रस्ताव का सारांश :-

	विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	योग म.प्र.राज्य
A	योग सकल राजस्व आवश्यकता टु-अप को जोड़कर	9,877	10,504	11,419	31,800
B	टु-अप का प्रभाव	74	82	118	273
C=A+B	योग सकल राजस्व आवश्यकता टु-अप को जोड़कर	9,950	10,586	11,537	32,073
D	मौजूदा दर से राजस्व	8,376	9,114	10,054	27,545
E=C-D	अन्तर की वसूली	1,574	1,472	1,483	4,528
	औसत विद्युत दर	6.52	6.61	6.26	6.45
	प्रस्तावित औसत विद्युत दर	6.06	6.30	6.04	6.13
F	प्रस्तावित दर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व	874	973	1078	2925
G=F+D	प्रस्तावित दर से प्राप्त कुल राजस्व	9251	10087	11132	30470
H=G-C	शेष राजस्व अन्तर	699	499	405	1603

माननीय विद्युत नियामक आयोग से वितरण कंपनियों का अनुरोध है कि लागतों की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित विद्युत दरों को आगामी वर्ष में प्रदेश में लागू करने की अनुमति प्रदान करें। वितरण कंपनियों की बढ़ी हुई राजस्व प्रस्तावित टैरिफ में बढ़ोत्तरी अनुसार होने के बावजूद शेष रह गये अंतर को रेग्युलेटरी असेट के रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हें कंपनियों की वार्षिक टु अप से प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत श्रेणीवार विद्युत दरों का प्रस्ताव एवं दरों के शेड्यूल याचिका के अध्याय 15 में प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तावित टैरिफ के कारण राजस्व में श्रेणीवार असर निम्नांकित है :-

तालिका 71 - प्रस्तावित टैरिफ से वितरण कंपनियों की श्रेणीबार राजस्व पर प्रभाव

विक्रय की श्रेणी	पूर्व क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र		मध्य प्रदेश राज्य	
	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व
निम्नदाब श्रेणी LV-1: घरेलू								
LV-2: गैर - घरेलू	2,405	2,650	2,424	2,684	2,103	2,338	6,933	7,672
LV 3.1: सार्वजनिक जल प्रदाय एवं पथ प्रकाश	777	860	766	844	810	892	2,354	2,596
LV 4: निम्नदाब औद्योगिक	214	239	188	208	247	274	648	721
LV 5.1: कृषि	281	301	214	229	435	464	930	994
LV 5.3: कृषि संबंधित अन्य उपयोग	2,698	3,018	3,086	3,458	4,062	4,547	9,846	11,023
योग निम्नदाब	5	5	55	62	1	1	61	68
निम्नदाब श्रेणी LV-1: घरेलू	6,379	7,073	6,734	7,485	7,657	8,517	20,771	23,075
उच्चदाब श्रेणी								
HV1: रेल्वे कर्षण	-	-	-	-	-	-	-	-
HV 2: कोयला खदान	322	348	28	30	-	-	350	379
HV 3.1: उच्चदाब औद्योगिक	1,230	1,342	1,660	1,816	1,428	1,557	4,318	4,714
HV 3.2: गैर औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल	193	212	341	375	305	336	839	923
HV 3.4: पाँवर इंटेसिव औद्योगिक	19	21	147	158	396	424	562	603
HV 4 मौसमी एवं गैर मौसमी	10	10	1	1	9	9	19	20

विक्रय की श्रेणी	पूर्व क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र		मध्य प्रदेश राज्य	
	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व	मौजूदा दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर से राजस्व
HV 5: सिंचाई एवं जल प्रदाय	60	67	103	114	241	268	405	449
HV 6: थोक रहवासी उपयोग	163	178	99	108	18	19	280	306
HV 7: सिंक्रोनाइजेशन/स्टर्ट-अप ऊर्जा	-	-	0	0	1	1	1	1
योग उच्चदाव	1,997	2,178	2,380	2,603	2,397	2,614	6,774	7,395
योग (निम्नदाव एवं उच्चदाव)	8,376	9,251	9,114	10,087	10,054	11,132	27,545	30,470

12.1 दर प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं

अनुज्ञासिधारियों द्वारा निम्नदाब एवं उच्चदाब विद्युत दर में सामान्य नियम एवं शर्तों के तहत आवश्यक परिवर्तनों के साथ वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वित्तीय वर्ष 17-18 के खुदरा दर प्रस्ताव की अनुसूची याचिका के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के भाग निम्न प्रकार हैं :-

12.1.1 LV 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय एवं LV 3.2 पथ प्रकाश के उपश्रेणियों का विवरण :-

प्रस्तावित परिवर्तन का कारण: LV 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय में नगर निगम / छावनी परिषद तथा नगर पालिका / नगर पंचायत उप श्रेणी के उपभोक्ताओं का विलीनीकरण का प्रस्ताव किया गया है। उसी प्रकार LV 3.2 पथ प्रकाश में नगर निगम / छावनी परिषद तथा नगर पालिका / नगर पंचायत उप श्रेणियों के उपभोक्ताओं का विलीनीकरण का प्रस्ताव किया गया है। दोनों उप श्रेणियों की दर संरचना एक जैसी होने के कारण तथा दोनों श्रेणियों की दर में मामूली अन्तर के कारण इनके विलीनीकरण का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा दोनों उप श्रेणियों शासन के स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं। इसलिए दोनों संरचना को सरल रखने हेतु इस विलीनीकरण का प्रस्ताव किया गया है। सभी श्रेणी उप श्रेणी को एक ही उप श्रेणी में विलय कर दिया गया है।

12.1.2 देयकों के ऑनलाइन भुगतान पर निम्नदाब उपभोक्ताओं को छूट :-

प्रस्तावित परिवर्तन का कारण – यह प्रस्तावित है कि सभी निम्नदाब उपभोक्ता जिनके ऊपर बकाया राशि नहीं है, को ऊर्जा देयक की पूर्ण राशि का आन लाइन भुगतान करने पर ५ प्रति बिल की छूट दी जाएगी। ऐसा उपभोक्ताओं के मध्य ऑनलाइन बिलों के भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। इससे उपभोक्ताओं द्वारा समय से भुगतान बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप वितरण कंपनियों के हाथ में नगद राशि की वृद्धि होगी।

12.1.3 प्रीपेड मीटर वाले सभी LV 1-घरेलू और LV 2- गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- प्रदेश में प्रीपेड मीटरिंग को प्रचारित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि वितरण कंपनियां ऐसे सभी घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं को जिनके पास प्रीपेड मीटर हैं अथवा वे इसके लिए विकल्प प्रस्तुत करते हैं, को 20 पैसे प्रति यूनिट छूट प्रस्तावित करेंगी।

12.1.4. एच .ही.6.2 में अपार्टमेन्ट कालोनी/टाउन शिप में /थोक रहवासी उपयोग हेतु जोड़ा जाने

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – इस श्रेणी का लाभ अपार्टमेन्ट कालोनी / टाउन शिप को भी दिया जाना / प्रस्तावित हैं। ये स्थापनाएं रहवासी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं और इसलिए इस श्रेणी के लिए पात्र हैं। यह इस शर्त के अध्याधीन होगा कि लिफ्ट, प्रकाश, पम्प इत्यादि गैर घरेलू भार स्थापना की कुल स्वीकृत भार संयोजित भार के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। /

12.1.5. एच .ही.3.2 गैर औद्योगिक उपयोग और एच .ही.3.3 शॉर्पिंग मॉल का विलय

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – दोनों उप श्रेणियों के बीच समान दर संरचना है तथा दोनों श्रेणियों की दर के मध्य मामूली अन्तर था। दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत गैर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के व्यापार में समानता है। अतएव दोनों श्रेणियों को विलय करना प्रस्तावित है।

12.1.6. देयकों के ऑनलाइन भुगतान पर उच्चदाव उपभोक्ताओं को छूट

प्रस्तावित परिवर्तन का कारण – यह प्रस्तावित है कि सभी उच्चदाव उपभोक्ता जिनके ऊपर बकाया राशि नहीं है, को ऊर्जा देयक की पूर्ण राशि का आन लाइन भुगतान करने पर रूपये प्रति बिल की छूट दी जाएगी। 100 ऐसा उपभोक्ताओं के मध्य आन लाइन भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। इस सुविधा से वितरण कंपनियों के हाथ में नगद राशि की वृद्धि होगी।

12.1.7. उच्चदाव उपभोक्ताओं एवं निम्नदाव उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मांग के लिए नियत प्रभार हेतु अतिरिक्त प्रभार की सीमा बढ़ाने हेतु

प्रस्ताव परिवर्तन का कारण :- उच्चदाव उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त नियत प्रभार नहीं लिया जाएगा यदि उनकी किसी महीने में अधिकतम दर्ज मांग अनुबंधित मांग से 115 % तक है तो नियत प्रभार में उनकी बिलिंग उसी दर से की जाएगी जिस श्रेणी में वे आते हैं। हालांकि नियत प्रभार मौजूदा नियम व शर्तों के अनुसार ही ली जाएगी।

105% की मौजूदा सीमा जिस पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं, 115% से 125% तक 1.3 गुना नियत प्रभार, 125 % से अधिक पर 2 गुना नियत प्रभार को, 115% तक अतिरिक्त प्रभार नहीं, 115% से 130% तक 1.3 गुना, नियत प्रभार तथा 130% से अधिक 2 गुना नियत प्रभार संशोधित किया जा सकता है।

यह परिवर्तन दोनों उच्चदाव एवं निम्नदाव में मांग आधारित टैरिफ और संयोजित भार आधारित टैरिफ के लिए लागू किया जा सकता है।

12.1.8. बिजली से चलने वाले वाहनों के चार्ज करने हेतु दर :

इस प्रस्ताव को लाने का कारण: मौजूदा टैरिफ आदेश में हाईब्रिड बिजली वाहन हेतु बैटरी निम्नाब/उच्चाब समायोजन से चार्ज हेतु कोई प्रावधान नहीं है। यह आवश्यक हो गया है कि हाईब्रिड बिजली वाहन की चार्ज हेतु दर को स्पष्ट करे कि (1) आवासीय परिसर (2) वाणिज्यिक, कार्यालय परिसर (3) औद्योगिक परिसर जो भी लागू हो, इन जगहों पर मौजूदा बिजली के कनेक्शन के माध्यम से संबंधित दरों पर मान्य हो, जिससे उनकी गलतफहमी या कठिनाई से बचाने के लिए ऐसे उपभोक्ता जो निकट भविष्य में इस तरह के वाहन के उपयोग करने का इरादा रखते हों।

इसलिए माननीय आयोग को प्रस्ताव है कि वाणिज्यिक संस्थान से चार्ज हाईब्रिड वाहन पर वाणिज्यिक टैरिफ लागू हो और व्यक्तियों द्वारा हाईब्रिड वाहन चार्ज आवासीय परिसर, वाणिज्यिक या औद्योगिक परिसर में स्थापित उनके विद्युत संयोजन के अनुसार वसूल किया जा सकता है।

12.1.9. HV 3 श्रेणी के उच्चाब उपभोक्ताओं को वृद्धि से संबंधित भार कारक पर ऊर्जा प्रभारों में छूट

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – यह प्रस्तावित है कि पिछले वर्ष की तुलना में HV 3 श्रेणी के उच्चाब उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर भार कारक में वृद्धि से संबंधित खपत पर ऊर्जा प्रभारों में पैसे प्रति 50 यूनिट की छूट का प्रस्तावित है।

12.1.10. HV 3 श्रेणी के अन्तर्गत नये उच्चाब संयोजनों पर छूट

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण : एच.व्ही.3 श्रेणी के अन्तर्गत नये उच्चाब उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार पर रु. 1/- प्रति यूनिट का प्रस्ताव करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यह छूट नये एच.व्ही.3.1 दर श्रेणी को दी गई थी। यह लाभ राज्य के आर्थिक विकास का समर्थन देने तथा उच्चाब उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, जिससे वे कम दर पर अधिक ऊर्जा खपत कर सकें।

इसलिए नये एच.व्ही. 3.1 टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं को मौजूदा छूट रु. 1/- प्रति यूनिट या 20% जो भी कम हो, को सभी नये एच.व्ही.3 टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं को रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट देने का प्रस्ताव करते हैं।

12.1.11. ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु छूट :

इस छूट को लाने का कारण :- बिजली की खपत में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए याचिकाकर्ता अपने लायसेंसी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को छूट देने का प्रस्ताव करते हैं। इस छूट का प्रस्ताव ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा आकर्षक बिजली की दरों से वितरण कंपनियों के पास वापस रखने के लिए प्रस्ताव किया है। याचिकाकर्ता राज्य में अतिरिक्त बिजली की स्थिति का सामना कर रहे हैं, और बिक्री में कोई भी वृद्धि वित्तीय व्यवहारिकता में सुधार करेगी। यह उपाय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत ही है। चूंकि याचिकाकर्ता प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कि लागू केवल उन इकाइयों पर है, जो ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने चक्रण की खपत से कम की है, और जिस वितरण कंपनी से लिया है। यह प्रस्तावित छूट ऐसे उपभोक्ताओं के लिए है, जो याचिकाकर्ताओं के लायसेंसी क्षेत्र में आते हैं।

- जो पिछले वित्तीय वर्ष में ओपन एक्सेस उपभोक्ता थे तथा लायसेंसी वितरण नेटवर्क से लिया था।
- जिसकी वृद्धिशील खपत की गई है अर्थात् पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2017 में इसी माह की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2018 के किसी भी माह में वितरण लायसेंसी से विद्युत खपत में वृद्धि दर्ज की गई है।

यूनिट की मात्रा जिस पर प्रस्तावित छूट लागू होगा, का निर्णय इन पर लिया जाएगा -

- Y, अगर $X > Y$,
- X, अगर $X = Y$ और
- X, अगर $X < Y$ जहां

X = ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की वृद्धिशील खपत चालू वर्ष के किसी भी माह में दर्ज की खपत पिछले साल में इसी माह की तुलना में।

और

Y = ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा हासिल व्हील्ड यूनिट वर्ष के किसी भी माह में, पिछले वर्ष में इसी माह की तुलना में

वृद्धिशील खपत के बाकी सभी प्रकरणों में (जहां $X > Y$, $X - Y$ यूनिट की मात्रा, मौजूदा छूट 50 पैसा प्रति यूनिट लागू होगा।

ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई यूनिटों पर लगाई गई पद्धति का विवरण जिस पर रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट लागू होगी की सेम्पल गणना नीचे दिखाया गया है :-

	वि.वर्ष 17		वि.वर्ष 18		वितरण कंपनी से वृद्धिशील खपत $X = A2-A1$	ओपन एक्सेस यूनिट में कमी $Y = B1-B2$	50 पैसा छूट जिन यूनिटों पर लागू होगा $Z = X-XX$	1/- छूट जिन यूनिटों पर लागू होगा XX
	वितरण कंपनी से खपत (A1)	यूनिट ली गई (B1)	वितरण कंपनियों से खपत (A2)	यूनिट ली गई (B2)				
Scenario 1	100	90	110	90	10	0	10	0
Scenario 2	100	90	110	80	10	10	0	10
Scenario 3	100	90	110	70	10	20	0	10
Scenario 4	100	90	100	80	0	10	0	0
Scenario 5	100	90	120	80	20	10	10	10

12.1.12. केप्टिव उपभोक्ताओं हेतु छूट

इस छूट को लाने का कारण : याचिकाकर्ताओं से वृद्धिशील खपत के लिए रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं, जो पिछले वर्ष की इसी माह की तुलना में चालू वर्ष के किसी भी माह के दौरान दर्ज की गई।

बिजली की खपत में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए याचिकाकर्ता अपने लायसेंसी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मौजूदा केप्टिव उपभोक्ताओं को छूट देने का प्रस्ताव करते हैं। इस छूट का प्रस्ताव केप्टिव उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा आकर्षक बिजली की दरों से वितरण कंपनियों के पास वापस रखने के लिए प्रस्ताव किया है। याचिकाकर्ता राज्य में अतिरिक्त बिजली की स्थिति का सामना कर रहे हैं, और बिक्री में कोई भी वृद्धि वित्तीय व्यवहारिकता में सुधार करेगी। यह उपाय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत ही है। चूंकि याचिकाकर्ता प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कि लागू केवल उन इकाईयों पर है, जो केप्टिव उपभोक्ताओं ने अपने केप्टिव की खपत से कम की है, और जिस वितरण कंपनी से लिया है। यह प्रस्तावित छूट ऐसे उपभोक्ताओं के लिए है, जो याचिकाकर्ताओं के लायसेंसी क्षेत्र में आते हैं।

a) जो पिछले वित्तीय वर्ष में केप्टिव उपभोक्ता थे।

b) जिसकी वृद्धिशील खपत की गई है अर्थात् पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2017 में इसी माह की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2018 के किसी भी माह में वितरण लायसेंसी से विद्युत खपत में वृद्धि दर्ज की गई है।

यूनिट की मात्रा जिस पर प्रस्तावित छूट लागू होगा, का निर्णय इन पर लिया जाएगा -

1. Y, अगर $X > Y$,
2. X, अगर $X = Y$ और
3. X, अगर $X < Y$ जहाँ

X = केप्टिव उपभोक्ताओं की वृद्धिशील खपत चालू वर्ष के किसी भी माह में दर्ज की खपत पिछले साल में इसी माह की तुलना में।

और

Y = केप्टिव उपभोक्ताओं द्वारा हासिल व्हील्ड यूनिट वर्ष के किसी भी माह में, पिछले वर्ष में इसी माह की तुलना में

वृद्धिशील खपत के बाकी सभी प्रकरणों में (जहाँ $X > Y$, $X - Y$ यूनिट की मात्रा, मौजूदा छूट 50 पैसा प्रति यूनिट लागू होगा।

ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई यूनिटों पर लगाई गई पद्धति का विवरण जिस पर रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट लागू होगी की सेम्पल गणना नीचे दिखाया गया है :-

	वि.वर्ष 17		वि.वर्ष 18		वितरण कंपनी से वृद्धिशील खपत X=A2-A1	ओपन एक्सेस यूनिट में कमी Y=B1-B2	50 पैसा छूट जिन यूनिटों पर लागू होगा Z=X-XX	1/- छूट जिन यूनिटों पर लागू होगा XX
	वितरण कंपनी से खपत (A1)	यूनिट ली गई (B1)	वितरण कंपनियों से खपत (A2)	यूनिट ली गई (B2)				
Scenario 1	100	90	110	90	10	0	10	0
Scenario 2	100	90	110	80	10	10	0	10
Scenario 3	100	90	110	70	10	20	0	10
Scenario 4	100	90	100	80	0	10	0	0
Scenario	100	90	120	80	20	10	10	10

12.1.13. ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण : वर्तमान में (वित्तीय वर्ष 2017 के अनुसार) ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा म.प्र.राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ-13/05/13/2006 दि. 25.03.2006 से संदर्भ लिया गया है। यह प्रस्तुत है कि राज्य सरकार ने लायसेंस के प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की तथा उक्त अधिसूचना को टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए जो कि माननीय म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के क्षेत्र में नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार दर केवल विद्युत अधिनियम 2004 की धारा 62 के आधार पर ही विभक्तिकरण किया जा सकता है। वर्तमान में म.प्र.राज्य में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तदानुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ में कोई समग्र अन्तर नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की वर्तमान परिभाषा के आधार पर शहरी क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में भी ग्रामीण टैरिफ पर ही बिलिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन के बाद इस तरह की अस्पष्टता को दूर करने का प्रस्ताव है।

“Rural Areas” shall be the places other than and beyond Municipal towns and places with population less than 5,000 and are located more than 8 kms away from the nearest Municipal Committee/ Notified Area Committee/Municipal Corporation limits. This will also include village Covered by SADA (Special Area Development Authority) where industrial development activities have not been started. The decision of the Executive Engineer of the distribution company for the area concerned whether or not the Industrial development activities have started shall be final.

“Urban Areas” shall be the places other than those covered under “Rural Areas”.

12.1.14. रेलवे संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार में छूट

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण – रेलवे पहले याचिकाकर्ताओं के लिए गर्व वाले उपभोक्ता थे। हालांकि, रेलवे को जब डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपने आपूर्ति क्षेत्र से रेलवे उपभोक्ता के रूप में नुकसान को देखा है। किसी वितरण कंपनी के लिए रेलवे जैसे उपभोक्ता मुख्य होते हैं।

चूंकि वे थोक उपभोक्ता होते हैं और उच्चदाब स्तर पर बिजली लेते हैं। रेलवे याचिकाकर्ताओं से सालाना लगभग 2300 एम.यू. की खपत करते थे जो कि याचिकाकर्ताओं की बिजली खरीद से राजस्व में एक महत्वपूर्ण योगदान करता था।

यह दुर्भाग्य है कि रेलवे बाहर चला गया है और इसे याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिति पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता इसलिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों के लिए रेलवे उपभोक्ताओं द्वारा खपत के लिए छूट की पेशकश करने पर विचार किया गया है।

- रेलवे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक आर्कषक दर सुनिश्चित करना
- प्रभावी ढंग से अतिरिक्त बिजली की स्थिति को संबोधित करना। और राज्य के भीतर ही बिजली की खपत को प्रोत्साहित करना।

याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं को वापस लाने और याचिकाकर्ताओं से बिजली खपत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा प्रभार में 2/- प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव करते हैं।

12.1.15. कैशलेश लेनदेन के कारण अतिरिक्त व्यय .

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण : भारत सरकार की हाल ही की नीति को साथ लेते हुए याचिकाकर्ता नगदी कम अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वर्तमान में कैशलेश तरीके से भुगतान पर सर्विस शुल्क लगता है। याचिकाकर्ता प्रस्ताव करते हैं कि भुगतान के समय उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाए। यह प्रस्ताव है कि कैशलेश विल भुगतान के लिए देय सेवा शुल्क इंटरमीडिटरी को देय को सकल राजस्व आवश्यकता में अलग से अनुमानित खर्च के रूप में अनुमति प्रदान करें। रु. 5/- प्रति लेन-देन की लागत को यदि माने और करीब 25 प्रतिशत गैर कृषि उपभोक्ता कैश लेश भुगतान सेवा का लाभ लेते हैं, को मानें तब माननीय आयोग से प्रार्थना है कि 15 करोड़ (100, 00,000*.25*5*12) प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुमानित लागत को प्रति वर्ष की सकल राजस्व आवश्यकता में अनुमोदित करें। इस पर वास्तविक खर्च की विस्तृत जानकारी वितरण कंपनियों द्वारा टू-अप के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

12.1.16. अस्थायी मीटर रहित कृषि उपभोक्ताओं के लिए खपत के मूल्यांकन के मानदण्डों में संशोधन

प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण :- याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि माननीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट मूल्यांकन की खपत के लिए मौजूदा मानदण्डों का महत्व नहीं है। और कृषि बिना मीटर श्रेणी के अस्थायी उपभोक्ताओं द्वारा की गई वास्तविक खपत मौजूदा मानदण्डों से ऊपर अच्छी तरह से कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय आयोग से प्रस्तुत करते हैं कि मौजूदा मानदण्डों को संशोधित करने के लिए इतना है कि अधिक यथात्वादी विलिंग मानदण्डों के बिना मीटर अस्थायी कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू करना तत्काल आवश्यक है।

एल.व्ही. 5.1 श्रेणी के अन्तर्गत बिना मीटर अस्थायी कृषि उपभोक्ताओं के मूल्यांकन की खपत के लिए प्रस्तावित मानदण्ड इस प्रकार है:-

विवरण	यूनिट की संख्या प्रति अश्व शक्ति या उनके भाग का स्वीकृत भार प्रतिमाह
-------	--

पम्प मोटरों के प्रकार	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
श्री फेस	250	210
सिंगल फेस	250	220

12.1.17. उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त प्रभार का भुगतान किया जाता है जिसे वही वोल्टेज लेबल के साथ संयोजित मांग से अधिक उसी वोल्टेज लेबल का प्रस्ताव करते हैं। (संदर्भ – खण्ड 1.18 से 1.20, उच्चदाब दर की अन्य सामान्य नियम व शर्तें)

परिवर्तन का कारण :- अतिरिक्त प्रभार के मौजूदा मानक 5 प्रतिशत (11 के.व्ही. लेवल) 3 प्रतिशत (33 के.व्ही. लेवल) तथा 2 प्रतिशत (132 के.व्ही.लेवल) नियत प्रभार की कुल राशि पर तथा माह में बिल की गई ऊर्जा प्रभार को कम कर क्रमशः 3 प्रतिशत (11 के.व्ही. लेवल), 2 प्रतिशत (33 के.व्ही. लेवल) और 1 प्रतिशत (132 के.व्ही. लेवल) पर करने का प्रस्ताव है।

13. वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें

13.1 आयोग के निर्देश

माननीय विद्युत नियामक आयोग ने अपने पत्र क्रमांक एम.पी.ई.आर.ई./2013/2780 दिनांक 25.10.2013 के द्वारा म.प्र. की वितरण कंपनियों को वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें निकालने हेतु निर्देश दिया है। माननीय आयोग ने विद्युत वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतें निकालने हेतु विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (अप्टेल) द्वारा अपील क्रमांक 103/2010 एवं आई.ए. क्रमांक 137 एवं 138/2010 में पारित निर्णय का संदर्भ दिया है।

अप्टेल के आदेश का सार निम्नानुसार विस्तृत रूप से है :-

Extract of APTEL's order

“32. Ideally, the network costs can be split into the partial costs of the different voltage level and the cost of supply at a particular voltage level is the cost at that voltage level and upstream network. However, in the absence of segregated network costs, it would be prudent to work out the voltage-wise cost of supply taking into account the distribution losses at different voltage levels as a first major step in the right direction. As power purchase cost is a major component of the tariff, apportioning the power purchase cost at different voltage levels taking into account the distribution losses at the relevant voltage level and the upstream system will facilitate determination of voltage wise cost of supply, though not very accurate, but a simple and practical method to reflect the actual cost of supply.

33. The technical distribution system losses in the distribution network can be assessed by carrying out system studies based on the available load data. Some difficulty might be faced in reflecting the entire distribution system at 11 KV and 0.4 KV due to vastness of data. This could be simplified by carrying out field studies with representative feeders of the various consumer mix prevailing in the distribution system. However, the actual distribution losses allowed in the ARR which include the commercial loss-

es will be more than the technical losses determined by the system studies. Therefore, the difference between the losses allowed in the ARR and that determined by the system studies may have to be apportioned to different voltage levels in proportion to the annual gross energy consumption at the respective voltage level. The annual gross energy consumption at a voltage level will be the sum of energy consumption of all consumer categories connected at that voltage plus the technical distribution losses corresponding to that voltage level as worked out by system studies. In this manner, the total losses allowed in the ARR can be apportioned to different voltage levels including the EHT consumers directly connected to the transmission system of GRIDCO. The cost of supply of the appellant's category who are connected to the 220/132 KV voltage may have zero technical losses but will have a component of apportioned distribution losses due to difference between the loss level allowed in ARR (which includes commercial losses) and the technical losses determined by the system studies, which they have to bear as consumers of the distribution licensee.

34. Thus Power Purchase Cost which is the major component of tariff can be segregated for different voltage levels taking into account the transmission and distribution losses, both commercial and technical, for the relevant voltage level and upstream system. As segregated network costs are not available, all the other costs such as Return on Equity, Interest on Loan, depreciation, interest on working capital and O&M costs can be pooled and apportioned equitably, on pro-rata basis, to all the voltage levels including the appellant's category to determine the cost of supply. Segregating Power Purchase cost taking into account voltage-wise transmission and distribution losses will be a major step in the right direction for determining the actual cost of supply to various consumer categories. All consumer categories connected to the same voltage will have the same cost of supply. Further, refinements in formulation for cost of supply can be done gradually when more data is available."

सविनय सूचित किया जाता है कि प्रकरण में अप्टेल के उपरोक्त संदर्भित आदेश को प्रकरण में प्रतिवादियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, और प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तथापि माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार वितरण कंपनियां अप्टेल द्वारा बतायी गई रीति के अनुसार वोल्टेज के आधार पर विद्युत प्रदाय की लागत की गणना का विवरण प्रस्तुत कर रही हैं।

13.2 वोल्टेज स्तर के अनुसार हानियां

माननीय आयोग ने टैरिफ विनियमन में वितरण लाइसेंस धारियों के मानक नुकसान को मानक तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के संबंध में वोल्टेज स्तरवार अलग नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को वोल्टेज स्तरवार तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में प्रामाणिक नुकसान को अलग करने में कठिनाई है।

वोल्टेज के लिहाज से नुकसान का निर्धारण करने हेतु तीनों वितरण कंपनियों के वितरण प्रणाली के विस्तृत तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागत की उदाहरणार्थ गणना हेतु, याचिकाकर्ताओं ने वोल्टेज स्तर के अनुसार हानियों को मान लिया है, परन्तु उसमें दिये गये आंकड़े सत्यापित नहीं हैं और इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

13.2.1 कार्यप्रणाली

वितरण कंपनियों द्वारा वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागत की गणना हेतु 3 श्रेणियों का प्रस्ताव किया गया है :-

- सी. अति उच्चदाव प्रणाली (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही.)
- डी. 33 के.व्ही. प्रणाली
- इ. 11 के.व्ही. एवं निम्नदाव प्रणाली

वोल्टेज स्तरवार लागत के निर्धारण के लिए प्रस्तावित कार्यप्रणाली में निम्न चरणों को शामिल किया गया :-

1. तीनों वोल्टेज स्तर के लिए वोल्टेज के अनुसार बिक्री का निर्धारण।
2. ऐतिहासिक संख्याओं के आधार पर वोल्टेज स्तर अनुसार हानियों का प्रक्षेपण। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हानि स्तर को अनुमानित आधार पर माना गया है और जिसके तकनीकी सत्यापन के लिये वितरण तंत्र के विस्तृत तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। अन्तर्राजीय पी.जी.सी.आई.एल. और राज्य की भीतर एम.पी.पी.टी.सी.एल. की हानियों का आवंटन अति उच्चदाव प्रणाली (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही.) को किया गया है।
- (ए) यहां यह भी उल्लेखित है कि तीनों वितरण कंपनियों हेतु आवंटित अति उच्चदाव हानियों के प्रतिशत अलग-अलग हैं क्योंकि वास्तविकता में विभिन्न जनरेटिंग स्टेशन विभिन्न कंपनियों को सौंपे गये हैं और प्रत्येक अलग 132 के.व्ही. सब स्टेशन से ऊर्जा लेते हैं।
3. विक्रय और हानियों के आधार पर वोल्टेज स्तरवार ऊर्जा के इनपुट का निर्धारण किया जाये। विक्रयों की संख्या को वर्तमान वोल्टेज स्तर के पारेषण एवं वितरण हानियों के साथ-साथ ही अगले वोल्टेज स्तर के प्रतिशत से बढ़ाया गया है।
4. चूंकि 11 के.व्ही. एवं निम्नदाव प्रणाली हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक हानियों का विवरण अलग-अलग उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वोल्टेज स्तर हेतु 50 प्रतिशत हानि को पूर्ण रूप से तकनीकी और शेष 50 प्रतिशत हानि को व्यवसायिक हानि माना गया है, जिसे विभिन्न वोल्टेज स्तर में उनकी बिक्री के अनुपात में भारित किया गया है।
5. प्रत्येक वितरण कंपनी की कुल विजली खरीद लागत को वोल्टेज स्तरवार ऊर्जा इनपुट के अनुसार तीनों वोल्टेज स्तरों में आवंटित किया गया है। वितरण कंपनी की अन्य सभी लागतें प्रत्येक वोल्टेज स्तर के लिए आवंटित बिक्री के आधार पर की गई हैं।
6. गैर टैरिफ आय को 11 के.व्ही. एवं निम्नदाव से तथा 33 के.व्ही. अति उच्चदाव स्तर पर प्राप्त राजस्व का हिस्सा माना गया है।
7. कुल लागतों के योग (गैर टैरिफ आय को कम कर) को शुद्ध ऊर्जा इनपुट से भाग देने पर संबंधित वोल्टेज स्तर हेतु वोल्टेज स्तर के अनुसार ऊर्जा की लागत प्राप्त होती है।

13.3 गणना

म.प्र. राज्य के लिए वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत की लागतों की गणना को नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका 72 : पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई दर की गणना

पूर्व क्षेत्र		अति उच्चदाव तन्त्र (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. एवं 132 के.व्ही.)	33 के.व्ही. तन्त्र	11 के.व्ही. + निम्नदाव तन्त्र	कुल
विक्रय	मि.यू.	1,507	1,240	12,524	15,271
हानि %	%	5.36%	6.62%	13.90%	21.51%
ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	1592	1,404	16460	19,456
ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	85	163	3936	
11 के.व्ही. व निम्नदाव की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.	-	-	1967.98	-
विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.	194	160	1614	-
नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	1786	1564	16106	19456
वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.	711	623	6415	7749
वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.	227	187	1890	2305
घटायें – वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित अन्य आय	करोड रु.	17	14	145	177
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	921	796	8160	9877
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता) टु-अप सहित	करोड रु.	927	801	8222	9950
औसत सप्लाई लागत (टु-अप रहित)	रु. /	6.12	6.41	6.52	6.47

	यूनिट				
औसत सप्लाई लागत (टु-अप सहित)	रु. / यूनिट	6.16	6.46	6.56	6.52

तालिका 73 : मध्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई दर की गणना

मध्य क्षेत्र		अति उच्चदाब तन्त्र (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. & 132 के.व्ही.)	33 के.व्ही. तन्त्र	11 के.व्ही. + निम्नदाब तन्त्र	कुल
विक्रय	मि.यू.	1430	2059	12530	16020
हानि %	%	5.37%	6.09%	1.18%	22.42%
ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	1512	2317	16820	20649
ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	81	258	4290	0
11 के.व्ही. व निम्नदाब की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.			2145	-
विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.	191.51	275.72	1677.53	-
नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	1703	2593	16352	20649
वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.	674	1027	6474	8175
वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.	221	319	1939	2479
घटायें – वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित अन्य आय	करोड रु.	13	19	118	150
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	882	1326	8296	10504
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता) टु-अप सहित	करोड रु.	888	1335	8363	10586
औसत सप्लाई लागत (टु-अप रहित)	रु. / यूनिट	6.17	6.44	6.62	6.56

औसत सप्लाई लागत (टु-अप सहित)	रु. / यूनिट	6.21	6.48	6.67	6.61
------------------------------	----------------	------	------	------	------

तालिका 74: पश्चिम क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई दर की गणना

पश्चिम क्षेत्र		अति उच्चदाव तन्त्र (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. & 132 के.व्ही.)	33 के.व्ही. तन्त्र	11 के.व्ही. + निम्नदाव तन्त्र	कुल
विक्रय	मि.यू.	794	2808	14833	18434
हानि %	%	5.35%	5.47%	13.98%	20.69%
ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	838	3138	19237	23242
ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	45	330	4434	
11 के.व्ही. व निम्नदाव की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.			2217	
विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.	95	338	1784	
नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	934	3475	18833	23242
वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.	376	1400	7588	9365
वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.	95	336	1774	2205
घटायें – वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित अन्य आय	करोड रु.	6	23	121	151
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	465	1713	9241	11419
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता) टु-अप सहित	करोड रु.	469	1729	9339	11537
औसत सप्लाई लागत (टु-अप रहित)	रु. / यूनिट	5.86	6.10	6.23	6.19

पश्चिम क्षेत्र		अति उच्चदाव तन्त्र (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. & 132 के.व्ही.)	33 के.व्ही. तन्त्र	11 के.व्ही. + निम्नदाव तन्त्र	कुल
औसत सप्लाई लागत (टु-अप सहित)	रु. / यूनिट	5.91	6.16	6.30	6.26

तालिका 75 : म.प्र. राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018 के लिए सप्लाई दर की गणना

मध्य प्रदेश राज्य		अति उच्चदाव तन्त्र (400 के.व्ही., 220 के.व्ही. & 132 के.व्ही.)	33 के.व्ही. तन्त्र	11 के.व्ही. + निम्नदाव तन्त्र	कुल
विक्रय	मि.यू.	3731	6107	39887	49725
हानि %	%	5.36%	5.91%	14.75%	21.50%
ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	3942	6859	52546	63347
ऊर्जा हानि (33 के.व्ही. तक तकनीकी तथा 11 के.व्ही. एवं एल.टी हेतु तकनीकी व वाणिज्यिक)	मि.यू.	211	751	12659	
11 के.व्ही. व निम्नदाव की कुल हानियों की 50 प्रतिशत अनुमानित की गई वाणिज्यिक हानि,	मि.यू.			6330	
विक्रय के अनुपात में सभी वोल्टेज हेतु शेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां	मि.यू.	481	773	5075	
नेट ऊर्जा इनपुट	मि.यू.	4423	7632	51292	63347
वोल्टेज वार हानियों के आधार पर ऊर्जा क्रय लागत का आवंटन	करोड रु.	1762	3050	20478	25290
वोल्टेज वार विक्रय के आधार पर आवंटित अन्य लागतें	करोड रु.	544	842	5603	6988
घटायें – वोल्टेजवार विक्रयों पर आधारित आवंटित अन्य आय	करोड रु.	37	57	384	478
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता)	करोड रु.	2268	3835	25697	31800
कुल लागतें (सकल राजस्व आवश्यकता) टु-	करोड	2285	3864	25924	32073

अप सहित	रु.				
औसत सप्लाई लागत (टु-अप रहित)	रु. / यूनिट	6.08	6.28	6.44	6.40
औसत सप्लाई लागत (टु-अप सहित)	रु. / यूनिट	6.13	6.33	6.50	6.45

13.4. क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना :-

टैरिफ नीति विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार का विनिश्चय करती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न केन्द्रों से सबसे सस्ती उपलब्ध विद्युत क्रय करने के लिए निर्धारित अनुमूल्य के लिए मेरिट आर्डर डिस्पेच को लागू किया गया है। जहां पर परिवर्तनीय लागत 2.50 पै. प्रति यूनिट (विक्रय मार्केट में उपलब्ध औसत दर) से अधिक है वहां याचिकाकर्ताओं ने यूनिट/स्टेशन के बैक डाउन का भी विचार किया है, ताकि सस्ते ख्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं महंगे ख्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खरीद को टाला जा सके। इसका परिणामी लाभ कुछ उपकेन्द्रों के बैकडाउन के साथ ऊर्जा क्रय की लागत में कमी है जिसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि उपरोक्त लिखित क्रास सब्सिडी अधिभार की गणना राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी 2016 के प्रावधानों के अनुसार के आधार की जाये।

माननीय आयोग ने पूर्व वर्ष के ऊर्जा क्रय लागत के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औसत दर का निर्धारण किया है। ईंधन लागत में किसी परिवर्तन के प्रभाव को उपभोक्ता तक एफ.सी.ए. के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जो औसत टैरिफ में एफ.सी.ए. राशि के बराबर वृद्धि में परिलक्षित होगा। अतः यह उचित होगा कि किसी विशेष अवधि के भुगतान के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को एफ.सी.ए. प्रभारों तक बढ़ा दिया जावे।

13.5 अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण

राष्ट्रीय दर नीति वर्ष 2016 के अनुसार ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार गणना की अनुमति प्रदान करती है।

याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि उपभोक्ताओं के द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से ऊर्जा खरीदी का चयन करने के कारण वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत चिन्ता जनक हो रही है। विगत कुछ वर्षों से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की संख्या में तथा उनके द्वारा खपत की जा रही ओपन एक्सेस ऊर्जा में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं के ओपन एक्सेस में जाने के कारण कंपनियों के पास अतिरिक्त ऊर्जा शेष रहती है एवं जिसके लिए वितरण कंपनियों को नियत प्रभार के रूप में अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ताओं ने माननीय नियामक आयोग के समक्ष अतिरिक्त अधिभार लगाने हेतु अलग से याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त प्रभार संबंधित राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जाँच के उपरान्त आदेश जारी किये गये हैं।

याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका में माननीय आयोग से राष्ट्रीय दर नीति वर्ष 2016 के प्रावधानों अनुसार अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण करने हेतु निवेदन करते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार की चाही गई अतिरिक्त जानकारी याचिकाकर्ताओं के द्वारा माननीय नियामक आयोग को उपलब्ध करा दी जावेगी।

14. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दर आदेश पर अनुपालन

माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 17 के लिए जारी खुदरा प्रदाय दर आदेश पर वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया निम्नानुसार है :-

14.1. वितरण हानियां

14.1.1. आयोग के दिशा निर्देश

यद्यपि सभी वितरण कंपनियों ने हानियों की प्रवृत्ति को कम होता दिखाया है, हानियों को कम करने के प्रयासों को भविष्य में तेज करने की आवश्यकता है। वितरण कंपनियों को न केवल मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए बल्कि आगे सुधार करना चाहिए ताकि हानियों में कमी और पद्धति को सुधार करने में पूँजीगत व्यय की सार्थकता सिद्ध की जा सके। वितरण कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि विद्युत चोरी रोकने को ध्यान में रखते हुये समुचित हानियों को कम करने हेतु योजना बनायें एवं इस पर अमल करें।

वित्तीय वर्ष 17 टैरिफ आदेश में आयोग का अवलोकन

आयोग ने डिस्कॉम की दलील पर विचार किया गया है। आयोग का निर्देशन एक बार है कि समयबद्ध कार्यक्रम तकनीकी और वाणिज्यिक के अलगाव के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा तैयार किया ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से और आगे के नुकसान वितरण हानियों के रोकने के लिए प्रयासों की रणनीति प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता के साथ-साथ उनके चरण बुद्धिमान अलगाव योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है 3 महीने के भीतर कार्यप्रणाली।

14.1.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. की प्रस्तुति :-

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. ने पत्र सं. EZ/ED (Com) / EA / 1581 दिनांक 06/09/2016 पहले से ही प्रस्तुत किया था कि विभक्तिकरण के लिए पहले कदम के रूप में प्रत्येक चक्र से दो फीडरों के पायलट के रूप में चयनित किया गया है तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण के लिए परियोजना।

अधोसंरचना सुदृढीकरण कार्य/पारेषण क्षमता की वृद्धि

तकनीकी हानियों को कम करने हेतु तंत्र अधोसंरचना सुदृढीकरण के कार्य/प्रणाली की क्षमता वृद्धि के कार्य किये जा रहे हैं।

माह अक्टूबर-2016 तक वितरण प्रणाली में निम्नानुसार अतिरिक्त कार्य किये गये हैं :-

क्रमांक	विवरण	इकाई	मार्च—14	वि.व. 2014-15 में वृद्धि	मार्च-15	वि.व. 2016-17 में वृद्धि (अक्टूबर- 2016 तक) कुल
1	33/11 के.व्ही. उप केन्द्र	नं.	964	29	993	12
2	पावर ट्रांसफार्मर	नं.	1694	74	1768	21
3	पावर ट्रांसफार्मर क्षमता	एम.व्ही.ए;	7493	776.25	8269.25	241
4	33 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	16815	678	17493	289
5	11 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	113330	6421	119751	4474
6	निम्नदाव लाइन	कि.मी.	115554	2773	118327	2486
7	वितरण ट्रांसफार्मर	नं.	143280	10246	153526	8226
8	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता	एम.व्ही.ए;	7502.60	384.82	7887.42	255

गैर - आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना का क्रियान्वयन

इस योजना को बंद कर दिया गया है और इन शहरों के आगे के कार्यों में प्रस्तावित IPDS योजना में RAPDRP कस्बों के साथ शामिल किया गया है। कुल 143 कस्बों / शहर IPDS के तहत कवर किया गया है।

14.1.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

MPMKVVCL, भोपाल, राजधानी के क्षेत्र में प्रभावी रूप से नुकसान का रोकने के लिए प्रस्तुत की है कि विभिन्न योजनाओं के तहत काम किए जा रहे हैं। संक्षिप्त विवरण और उनके प्रभाव को दिया जाता है यहां के तहत: -

क्र.सं.	कार्य योजना का नाम /	कवर क्षेत्र	प्रभाव
1	एलटी बिना मीटर के Meterization घरेलू उपभोक्ताओं	ग्रामीण क्षेत्र	बिक्री में वृद्धि, इस प्रकार टी एंड डी और एटी एंड सी नुकसान में कमी।
2	एलटी नेटवर्क की केवल विद्युत - नगे कंडक्टर का हटाया	शहरी / ग्रामीण क्षेत्र	उपभोक्ताओं को अधिकृत कनेक्शन लेने के लिए मजबूर करेगे। चोरी बंद कर देंगे, इनपुट कम होगा। एटी एंड सी नुकसान में कमी होगा
3	सिंचाई के पृथक्करण फीडर और घरेलू फीडर ग्रामीण क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्र	सीमित आपूर्ति कृषि क्षेत्र में और घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे आपूर्ति इनपुट को कम करेगा और बिक्री बढ़ने में घाटे को कम करेगा।
4	HVDs प्रणाली	शहरी में और ग्रामीण क्षेत्र	चोरी बंद हो जाएगा। उपभोक्ता अनधिकृत रास्ते में विजली का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा इस तरह नुकसान को कम करेगा।
5	RAPDRP पार्टी-	शहरों 31 बड़े /शहरों	तकनीकी घाटा नियंत्रित किया जाएगा। व्यावसायिक पहलू भी विभिन्न कार्यों अर्थात् के माध्यम से कवर किया जाएगा केवल विद्युत, HVDs, एटीपी मशीन, Meterization, की रिप्लेसमेंट पुराने दोषपूर्ण मीटर /, कंडक्टर वृद्धि, अतिरिक्त डीटीआर आदि सभी। एटी एंड सी नुकसान को कम करेगा।
6	छोटे कस्बों के लिए एडीबी योजना	छोटे 130 शहरों	तकनीकी घाटा नियंत्रित किया जाएगा। व्यावसायिक पहलू भी विभिन्न कार्यों अर्थात् के माध्यम से कवर किया जाएगा केवल विद्युत, HVDs, एटीपी मशीन, Meterization, की रिप्लेसमेंट पुराने दोषपूर्ण मीटर /, कंडक्टर वृद्धि, अतिरिक्त डीटीआर आदि सभी। एटी एंड सी नुकसान को कम करेगा।
7	कृषि Meterization	ग्रामीण क्षेत्र	जेब कदाचार / चोरी की पहचान करने में मदद मिलेगी

	DTRs		बिक्री बढ़ाने के लिए सतर्कता कार्यकलाप उपचारात्मक / उपायों के रूप में तो यह आगे वाणिज्यिक हानि कम करेगा।
8	फीडर पैमाइश	11 / 33KV सबस्टेशन	11KV फीडर में जुड़े लोड के अनुसार लोड तुलना करके चोरी का पता लगाने, सतर्कता गतिविधियों, बड़े पैमाने पर जाँच आदि भी वाणिज्यिक घाटा नियंत्रण कम करेगा।
9	11KV की स्थापना संधारित्र बैंकों	11 / 33KV सबस्टेशन	प्रणाली शक्ति कारक में सुधार और वाणिज्यिक हानियों कम होगी तकनीकी घाटे को कम करने के लिए लोडिंग कुछ हद तक नियंत्रण करेगा
10	ऑन लाइन भुगतान की सुविधा, एसबीआई पोर्टल के माध्यम से, के माध्यम से वेब पोर्टल	ग्रामीण क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र	यह राजस्व वसूली को बढ़ावा देने तथा वाणिज्यिक घाटा कम करने के लिए होगा संग्रह क्षमता में सुधार होगा एटी एंड सी घाटा को कम करेगा
11	उच्च मूल्य के एएमआर उपभोक्ताओं	ग्रामीण क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र	बड़े उपभोक्ताओं के माध्यम से चोरी, कदाचार की संभावना कम करेगा और कम बिलिंग छेड़छाड़ घटनाओं का पता लगाकर वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
12	न्यू 33 /11केवी s/s का निर्माण	ग्रामीण क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र	11KV फीडर को भार से अधिक लोड कम करने कम होगी तकनीकी हानि नियंत्रित करने में मदद करेगा।
13	स्पॉट बिलिंग	शहरी क्षेत्र	बिल यूनिट बढ़ाने में व वितरण हानि एंड एटी एंड सी हानि को कम करने में मदद मिलेगी
14.	बिलिंग सॉफ्टवेयर की जा रही है उन्नत आरएमएस से) सीसी एंड बी(ग्रामीण क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र	यह उपभोक्ताओं की निगरानी के लिए उपयोगी एमआईएस प्रदान करेगा और उपचारात्मक गतिविधियों और सतर्कता में उपयोगी

पिछले 5 वर्षों में कंपनी की टी एंड डी हानि और एटी एंड सी हानि नीचे सारणीबद्ध है और दिखाता है कि टी एंड डी घाटा जो वर्ष 2011-में 33 12.16% से कम वर्ष 2015-में 25 16.13% है। इसी तरह एटी एंड डी हानि 37.79% से कम 28.65% हो गई है।

क्र.सं.	साल	वर्ष वार टी एंड डी और एटी एंड सी घाटा					
		करोड़ों में लाख में इकाइयों और राशि					
		कुल इनपुट	कुल बिक्री	टी एंड डी के झड़ने (%)	बिलिंग दक्षता	संग्रह दक्षता	एटी एंड सी नुकसान (%)

1	2011-12	127455.87	85815.58	33.16	0.67	0.93	37.79
2	2012-13	146028.03	99383.47	31.94	0.68	1.00	31.94
3	2013-14	164201.39	115573.75	29.61	0.70	1.00	29.61
4	2014-15	177109.01	133496.14	24.62	0.75	0.93	30.15
5	2015-16	196493.37	147123.19	25.13	0.75	0.95	28.65

14.1.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. की प्रस्तुति :-

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. शुरुआत से वितरण प्रणाली का विस्तृत अध्ययन पालन करने के लिए उत्सुक है। डिस्कॉम के पत्र एमडी/WZ / 05/TRAC / 17066 इंदौर दिनांकित 30/09/2016 द्वारा अनुपालन प्रस्तुत कर दी है।

14.2 मीटर रहित कनेक्शनों का मीटरीकरण

14.2.1 आयोग के निर्देश :-

आयोग के निर्देश के अनुसार फीडर मीटरीकरण और डी.टी.आर. मीटरीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में वितरण कंपनी को विस्तृत योजना दिनांक 31.05.2015 तक प्रस्तुत करनी थी। तदुपरान्त आयोग ने पाया कि वितरण कंपनियों को 100 प्रतिशत मीटरीकरण ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का दिनांक 31.03.2015 तक करना था। इस संबंध में एक रिपोर्ट दि. 31.05.2015 को प्रस्तुत की गई। आयोग ने जून-2015 में स्थिति पुनरीक्षित की।

वित्तीय वर्ष 2017 के टैरिफ आदेश में आयोग का अवलोकन

.... *The commission has noted that all the Discoms have submitted their definite timeframe to achieve 100% meterisation target in respect of feeder metersiation & rural unmetered domestic connections. The Commision expects that Discoms shall adhere to the timelines without any further slippage. The Commission however regrets to note that East and West Discoms have not furnished any definite time frame due to paucity of finances in respect of 100% meterisation of pre-dominant Agricultural DTRs although the Commission has been repeatedly directing the Discoms to step up meterisation of agriculture pre-dominant distribution transformers. The agricultural supply in various areas remained un-metered and as such it became difficult to compute accurately the loss reduction level in the utility. The provisions in section 55 of the Act mandating metered supply within a stipulated timeframe and hence can not be put on hold for indefinite time period. The Commission direct East & West Discom to complete the 100% meterisation target of pre-dominant Agricultural DTRs by March 2017 without any slippage*

14.2.2 पूर्व क्षेत्र कंपनी की प्रस्तुति

अ) फीडर मीटरीकरण :- सभी 33 केवी और 11 केवी फीडरों को मीटरीकृत किया गया है।

ब) अमीटरीकृत घरेलू कनेक्शन के मीटरीकरण बाबत :- सभी शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत डी.एल.एफ संयोजन जो कि मार्च-2013 में 9,41,085 थे वे मार्च-2016 में 3,24,497 रह गये हैं। इस प्रकार कुल 6,16,588 मीटरीकरण का कार्य विगत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैं। इसी तारतम्य में वर्ष 2016-17 में सितम्बर-2016 तक कुल 11603 मीटर लगाये गये हैं। अमीटरीकृत डी.एल.एफ. संयोजनों का मीटरीकरण केन्द्र की DDUGJY में शामिल किया गया है। इस संबंध में निविदा जारी की गई और शीघ्र ही शेष अमीटरीकृत संयोजनों के कार्य भी पूर्ण किये जायेंगे।

स) कृषि डीटीआर का मीटरीकरण – मार्च2016 की स्थिति में कंपनी में 67470 कृषि विशेष डीटीआर हैं जिनमें से 5444 पर मीटर लगा दिये गये हैं। इसी तारतम्य में 20,000 डीटीआर 2017 में मीटरीकृत किये जायेंगे। कृषि डीटीआर का मीटरीकरण किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं है। यदि कंपनी को सप्लीमेन्टरी DDUGJY योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो इस कार्य को आगे किया जा सकता है।

14.2.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

निर्देश, पूर्व और पश्चिम वितरण कंपनी से संबंधित है।

14.2.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. की प्रस्तुति :-

पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा 11KV और 33 KV फीडरों की 100% meterization लक्ष्य प्राप्ति की है। फीडर की स्थिति 30.09.2016 तक meterization नीचे दी गई तालिका में दिया जाता है:

वर्तमान 33 के.व्ही. फीडर (अति उच्चावधि से)	कुल का प्रतिशत	वर्तमान फीडर 11 के.व्ही.		कुल का प्रतिशत	
		कुल	मीटरीकृत		
कुल	मीटरीकृत	%	कुल	मीटरीकृत	%
822	822	100%	5457	5457	100%

कुल 1,17,618 कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मर में से 21,076 मीटरीकृत किये गये हैं। वितरण कंपनी यह प्रस्तुत करती है कि कृषि बाहुल्य डीटीआर में मीटरीकरण योजना राशि की उपलब्धता पर निर्भर होती है। वितरण कंपनी राशि उपलब्ध करने की कोशिश में है और मीटरीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है जिससे कि आर्थिक सहायता किसी वित्तीय संस्था से प्राप्त की जा सके।

कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकरण में प्रगति हासिल की है एवं मात्र 410 ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजनों जो कि कुल ग्रामीण घरेलू संयोजनों का 0.02 प्रतिशत है, वही सितम्बर-2016 की स्थिति में अमीटरीकृत है। कंपनी नवम्बर-2016 तक सम्पूर्ण घरेलू संयोजनों में 100 प्रतिशत मीटरीकरण की कोशिश में थी।

14.3 तकनीकी हानि को कम करने हेतु कैपेक्स प्लान

14.3.1 आयोग के दिशा निर्देश

अनुज्ञसिधारी कैपेक्स प्लान के प्रतिपूर्ति की प्रगति का अवलोकन रखेंगे जिससे कि कोई ढील न हो। इस प्रकार वितरण कंपनी उससे होने वाले लाभ पर निगरानी रखेगी जिससे कि अतिरिक्त कैपेक्स द्वारा होने वाले वास्तविक लाभ योजना के अनुसार ही वाणिज्यक एवं तकनीकी रूप में प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2017 के टैरिफ आदेश में आयोग का अवलोकन

आयोग के अवलोकन के अनुसार इस प्रकार होने वाले फायदे कैपेक्स के अनुपात में नहीं किये गये हैं। आयोग ने निर्देशित किया है कि वितरण कंपनी को योजना अनुसार लक्ष्य की तुलना में कैपेक्स क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किये गये भौतिक व वित्तीय लाभ दर्शाना होगा।

14.3.2 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रस्तुति

पूर्व क्षेत्र कंपनी में विभिन्न योजनाएं जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, ए.डी.बी., फीडर विभक्ति करण, डी.डी.यू.जी.जी.वाय, आदि चल रही हैं। अतः योजना अनुसार होने वाले लाभ दर्शाना अत्यंत कठिन होगा अपितु वर्षवार नियोजन व टी.एण्ड.डी. हानि में गिरावट नीचे तालिका में दर्शायी गयी है :

विवरण	निवेश (Cr.)	टी.एण्ड.डी.हानि (%)
2012-13	857.63	26.02
2013-14	1016.47	23.68
2014-15	806.58	21.69
2015-16	659.22	22.65

इस प्रकार वर्ष 2015-16 में होने वाली टी.एण्ड.डी. हानि में बढ़ोतरी की तरफ आंशिक बदलाव है, उसका कारण रेलवे के उच्चावाह संयोजन का फरवरी-2016 में अनुज्ञसिधारी से विच्छेदन व ओपन एक्सेस में चले जाना है।

वितरण कंपनी प्रस्तुत करती है कि उपरोक्त योजनाओं के चलने के कारण यह स्वयं सिद्ध है कि विद्युत आपूर्ति के रख-रखाव एवं लगातार विद्युत प्रदाय में सुधार हुआ है। आगे इन योजनाओं के चलने के कारण तकनीकी हानियों में कमी परिलक्षित हुई है। तकनीकी हानियां कम करने की योजनाओं ने तकनीकी हानि के स्तर में कमी करने में मदद की है। तकनीकी हानियों में कमी होने के कारण ऊर्जा खरीद लागत में भी बचत हुई है।

निम्न तालिका याचिकाकर्ता के द्वारा कैपेक्स प्लान चालू करने की प्रगति को दर्शाती है। वर्षवार प्रगति का विवरण वितरण कंपनी द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

Year-on-year progress / Infrastructure Growth of MPPKVCL, Jabalpur

SN	Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	% increase wrt 2011-12
1	New 33/11 kV Sub-Station	No	914	922	947	964	983	8%
2	No of PTR	No	1416	1463	1597	1694	1705	20%
3	33 KV Line	Km	1492 9	15288	16045	16815	17099	15%
4	11 KV Line	Km	8163	95985	105542	113330	116273	42%

			5					
5	Distribution X-mer (S/S)	No	9502 2	116651	132001	143280	148195	56%
6	New L.T. Line	Km	1079 84	110614	113005	115554	116904	8%
7	Capacity of PTR	MVA	5556	5914.8	6776.65	7493	7832	41%
8	Capacity of DTR	MVA	5629	6431	7046	7503	7660	36%

वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू करके अपने अधोसंरचना में बढ़ोतरी किया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा अधोसंरचना पर भार भी कम हुआ है। वर्षावार प्रगति कंपनी द्वारा निम्न तालिका में प्रस्तुत किया है:-

Year wise Investment (Rs in Cr)							
S.No	Name of scheme	FY-12	FY-13	FY-14	FY-15	FY-16	Total
System Strengthening							
1	ST(N)	20.88	53.46	334.17	140.5	7.2	556.24
2	TSP	18.37	30.96	69.95	85.09	53.99	258.36
3	SCSP	29.01	37.71	59.83	60.09	104.5	291.11
4	KMP/Anudan Yojna	35.15	72.74	74.43	56.53	59.55	298.40
5	System Improve- ment	22.45	0	0	0	27.19	49.64
7	R-APDRP-Part-A	31.08	9.67	9.19	5.87	5.88	61.69
8	R-APDRP-Part-B	46.1	81.45	97.86	92.93	42.33	360.67
9	SCADA	0.035	0.035	2.10	1.47	2.05	5.69
10	RGGVY	169.5	131.6	140.3	110.3	198.1	749.90
11	ADB	185.2	149.7	57.33	67.23	71.49	530.95
12	Feeder Separa- tion-REC	48.44	102.9	67.83	44.18	14.39	277.77
13	Feeder Separa- tion-ADB	197.7	106.6	142.23	108.6	33.45	588.48
	Total	803.85	776.90	1055.2	772.8	620.1	4028.90

योजनावार लाभ का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

Sr. No	Benefit areas	SSTD- GoMP, TSP, SCP	Kisan Anudan Yojna	ADB	Feeder separation (ADB & REC)	RGGVY	RAPDRP (Part- A & B)
1	AT&C loss reduction	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	System strengthening (Load growth)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Reliability improvement	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Customer care						✓
5	Infrastructure development	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sr. No	Benefit areas	SSTD-GoMP, TSP, SCP	Kisan Anudan Yojna	ADB	Feeder separation (ADB & REC)	RGGVY	RAPDRP (Part- A & B)
6	New service connection		√		√	√	
7	Information technology			√			√

14.3.3. मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति

वर्ष 2016-17 के द्वितीय तिमाही के अंत में कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न तालिका में दी गई है:-

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016											
(रु. लाख में .)											
स .क्र.	विवरण	प्रथम त्रैमासिक		द्वितीय त्रैमासिक		तृतीय त्रैमासिक		चतुर्थ त्रैमासिक		कुल	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	फिडर विभक्तिकरण	5000.00	4082.00	6000.00	4932.00	8000.00		9000.00		28000.00	9014.00
2	आर-ए ए-पार्ट .पी.आर.डी.पी .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3	आर-ए बी-पार्ट .पी.आर.डी.पी .	1392.00	844.00	0.00	1613.00	0.00		0.00		1392.00	2457.00
4	स्काइ पार्ट बी+ए-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	3803.80	5852.66	3882.00	7411.84	2108.30		1580.30		11374.40	13264.50
6	ए .बी.डी.	2227.00	2569.00	2246.00	1748.00	2205.00		2322.00		9000.00	4317.00
7	नवीन पम्प कनेक्शन	3660.00	665.80	5235.00	1204.21	5235.00		5057.00		19187.00	1870.01
8	प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना	1518.30	1328.11	3007.90	1390.53	3736.00		3365.80		11628.00	2718.64
9	आई .एस.डी.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00	964.60		8681.40		9646.00	0.00
10	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	0.00	0.00	343.20	0.00	5963.75		11727.75		18034.70	0.00
11	अस्थायी से स्थायी संयोजन	818.00	0.00	1636.00	0.00	1636.00		0.00		4090.00	0.00
12	स्मार्ट मीटरिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		20.00	0.00
13	असफल ट्रासफार्मर सुधार योजना /	1100.00	0.00	600.00	0.00	1100.00		500.00		3300.00	0.00

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016

(रु लाख में .)

स .क्र.	विवरण	प्रथम त्रैमासिक		द्वितीय त्रैमासिक		तृतीय त्रैमासिक		चतुर्थ त्रैमासिक		कुल	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
	कुल	19519.10	15341.57	22950.10	18299.58	30958.65		42244.25		115672.10	33641.15

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016

(रु लाख में .)

स .क्र.	विवरण		प्रथम त्रैमासिक		द्वितीय त्रैमासिक		तृतीय त्रैमासिक		चतुर्थ त्रैमासिक		कुल	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	33/ 11 KV उपकेन्द्र											
	नवीन											
	5.00 MVA	No.	20	23	23	17	19		21		83	40
	3.15 MVA	No.	0	0	0	2	0		0		0	2
	अतिरिक्त											
	5.00 MVA	No.	4	1	10	2	12		15		41	3
	3.15 MVA	No.	0	0	0	2	0		0		0	2
	क्षमता वृद्धि											
	5 MVA to 8 MVA	No.	0	0	0	0	0		0		0	0
	3.15 MVA to 5 MVA	No.	4	6	19	2	22		5		50	8
	1.6 MVA to 3.15 MVA	No.	0	0	0	0	0		0		0	0
2	33 KV लाइन											
	नवीन (Single Circuit)	Kms.	189.00	129.24	194.00	139	183.00		229.00		795.00	268.56

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016													
(रु लाख में .)													
स .क्र.	विवरण	प्रथम त्रैमासिक			द्वितीय त्रैमासिक			तृतीय त्रैमासिक			चतुर्थ त्रैमासिक		कुल
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
	पुर्न सुदृढीकरण	Kms.	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3	11 KV Line												
	नवीन	Kms.	1319.00	1628.95	1641.00	1003	2423.00		3290.00		8673.00	2632.20	
	पुर्न सुदृढीकरण	Kms.	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00	0.00	
	लाइन विस्तार	Kms.	0.00	91.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00	91.00	
	नवीन आर्मड केबिल युक्त 11KV लाइन	Kms.	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00	0.00	
4	निम्नदाव लाइन												
	केबिल युक्त निम्नदाव लाइन	Kms.	343.30	427.85	210.00	312	676.60		837.70		2067.60	739.67	
	Existing LT line on bare conductor to Cable	Kms.	512.70	338.50	869.00	495	970.40		1007.30		3359.40	833.90	
5	वितरण ट्रांसफार्मर												
	नवीन अतिरिक्त /	No.	2254	2363	3630	2537	5958		8134		19976	4900	
	क्षमता वृद्धि	No.	0	0	0	0	0		0		0	0	
	DTR मीटिंग	No.	105	31	105	10	105		105		420	41	
6	नवीन संयोजन (सामान्य)												
	सिंगल फेस	No.	570	32193	570	42821	480		480		2100	75014	

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016													
(रु लाख में .)													
स .क्र.	विवरण	प्रथम त्रैमासिक			द्वितीय त्रैमासिक			तृतीय त्रैमासिक			चतुर्थ त्रैमासिक		कुल
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
	श्री फेस	No.	105	7742	105	7982	0		0			210	15724
	उच्चदाब	No.	0	34	0	16	0		0			0	50
7	ग्रामीण विद्युतीकरण												
	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत BPL संयोजन	No.	6000	23251	9000	23607	9000		7500			31500	46858
	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकृत / अविद्युतीकृत ग्राम	No.	0	0	0	0	0		0			0	0
	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सघन विद्युतीकरण	No.	600	0	150	42	600		1500			2850	42
8	पम्प कनेक्शन (विस्तार कार्य)	No.	2100	431	3000	828	3000		2900			11000	1259
9	मीटर और एम स्थापना.एस.ई.	No.	9464	2152	0	0	0		0			9464	2152
10	33 KV बे	No.	0	0	0	0	0		0			0	0
	11KV बे	No.	0	3	0	17	0		0			0	20

त्रैमासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 17-2016													
(रु लाख में .)													
स .क्र.	विवरण	प्रथम त्रैमासिक			द्वितीय त्रैमासिक			तृतीय त्रैमासिक			चतुर्थ त्रैमासिक		कुल
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
11	निम्नदाब लाइन से लाइन .व्ही.के 11 में रूपांतरण	Kms.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	संधारित बैंक	No.	15	30	15	0	0	0	0	0	0	30	30
13	मीटर और फीडर विभक्तिकरण के तहत विद्युत लाइन का नवीनीकरण	No.	0	6567	0	5269	0	0	0	0	0	0	11836
14 a)	फीडरों की संख्या (फीडर विभक्तिकरण)	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	फीडर विभक्तिकरण युक्त कुल गांवों की संख्या	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	उप केन्द्र (रखाव-मरम्मत एवं रख)	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	एच .एस.डी.व्ही.	No.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
17	अन्य एडवांस /मोबाइजेशन/पीएमसी/	LS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. की प्रस्तुति :-

वितरण कंपनी प्रस्तुत करती है कि उपरोक्त योजनाओं के चलने के कारण यह स्वयं सिद्ध है कि विद्युत आपूर्ति के रख-रखाव एवं लगातार विद्युत प्रदाय में सुधार हुआ है। आगे इन योजनाओं के चलने के कारण तकनीकी हानियों में कमी परिलक्षित हुई है। तकनीकी हानियां कम करने की योजनाओं ने तकनीकी हानि के स्तर में कमी करने में मदद की है। तकनीकी हानियों में कमी होने के कारण ऊर्जा खरीद लागत में भी बचत हुई है।

निम्न तालिका याचिकाकर्ता के द्वारा कैपेक्स प्लान चालू करने की प्रगति को दर्शाती है। वर्षावार प्रगति का विवरण वितरण कंपनी द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित.क.लि. इन्डौर							
स.क्र.	योजना	वर्षावार उपलब्धि					Total
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	प्रणाली सुदृढीकरण योजना						
i	मप्र.. शासन (एन)	23.35	82.12	279.05	152.07	135.05	671.64
ii.	अनुसूचित जाति उपयोजना	28.85	35.79	37.52	36.33	41.28	179.77
iii.	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	17.96	25.49	47.83	53.9	41.85	187.03
2	फीडर विभक्तिकरण	309.87	693.48	138.56	73.47	50.57	1265.95
3	नवीन पंप कनेक्शन	39.26	127.11	71.34	109.98	77.91	425.6
4	ए.वी.डी.	139.59	122.69	35.73	49.07	49.64	396.72
5	आर वाय.व्ही.जी.जी.	93.08	80.73	74.66	100.84	160.05	509.36
6	आरएपीडीआरपी भाग ए एवं भाग बी	70.4	138.3	97.3	106.87	62.77	475.64
7	सिंहस्थ 2016	3.09	2	2.78	4.37	70.14	82.38
	Total (Crore)	725.45	1307.71	784.77	686.9	689.26	4194.09

वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू करके अपने अधोसंरचना में बढ़ोतरी किया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा अधोसंरचना पर भार भी कम हुआ है। वर्षावार प्रगति कंपनी द्वारा निम्न तालिका में प्रस्तुत किया है:-

स.क्र. .	विवरण	इकाई	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	% Increase w.r.t 11-12
1	नवीन 33/11 KV उपकेन्द्र	No	1054	1091	1140	1160	1218	16%
2	No of PTR	No	1691	1805	2027	2091	2173	29%
3	नवीन 33 KV लाइन	KM	13232	13577	13942	14396	15225	15%
4	नवीन 11 KV लाइन	KM	69188	84238	95603	100845	106957	55%
5	नवीन/अतिरिक्त वितरण	No	110401	123805	146768	163475	189068	71%

स.के. .	विवरण	इकाई	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	% Increase w.r.t 11-12
	ट्रांसफार्मर							
6	नवीन निम्नदबल लाइन	KM	140616	145878	147621	150172	153735	9%
7	पीटीआर की क्षमता	MVA	7012	7693	8703	9366	9944	42%
8	DTR की क्षमता	MVA	9229	9956	10984	11675	12987	41%

योजना के लिहाज से उपार्जित लाभ का सारांश नीचे दी गई तालिका में है।

Sr. No	लाभ का क्षेत्र	SSTD-GoMP, TSP, SCP	Kisan Anudan Yojna	ADB	Feeder separation (ADB & REC)	RGGVY	RAPDRP (Part- A & B)
1	एटी एंड सी नुकसान में कमी	√	√	√	√	√	√
2	प्रणाली को मजबूत बनाने (भार वृद्धि)	√	√	√	√	√	√
3	विश्वसनीयता सुधार	√	√	√	√	√	√
4	ग्राहक सेवा केन्द्र						√
5	बुनियादी ढांचे का विकास	√	√	√	√	√	√
6	न्यू सर्विस कनेक्शन		√		√	√	
7	सूचना प्रोद्योगिकी				√		√

सभी योजनाओं के खिलाफ शुद्ध प्रभाव समझ से बाहर कर दिया गया है पश्चिम डिस्ट्रॉक्म के .Unit बचत नीचे दी गई है:

योजना का नाम	Saving (MU)- 2011-12	Saving (MU)- 2012-13	Saving (MU)- 2013-14	Saving (MU)- 2014-15
पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी	208.17	106.42	150.98	348.47

14.4 ग्रामीण फीडरों का कृषि एवं अन्य में पृथक्करण

14.3.4. आयोग के निर्देश:

इस विषय में प्रगति माननीय आयोग में प्राप्त हुई है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश फीडर विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी रिपोर्ट दर्ज की गई है। यद्यपि योजना के अन्य प्रावधान जैसे वितरण ट्रांसफार्मर लगाना, भीटर लगाना, एल.टी.केबल खिंचना इत्यादि कार्य पिछड़े हुए है। यह स्वभाविक है कि योजना के लागू करने की वर्तमान स्थिति उम्मीदों से कम है। याचिकाकर्ता को इस योजना के अन्तर्गत कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वित्त वर्ष 17 के आदेश में आयोग का अवलोकन

माननीय आयोग के द्वारा यह अवलोकन में यह पाया है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जबकि पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियां पिछड़ी हुई हैं। याचिकाकर्ता को योजना के अन्तर्गत शेष कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

14.4.2 पूर्व क्षेत्र कंपनी की प्रस्तुति:

कार्पोरेट कार्यालय द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना की लगातार निगरानी की जा रही है। योजना को गति देने हेतु 16 नं. ऐसे ठेकेदार जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है उनके कार्यों को समाप्त किया गया है और जिसके विरुद्ध 14 नयी कंपनियों को कायदिश जारी किये गये हैं। शेष 02 कार्य विभागीय तौर पर किये जा रहे हैं। योजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

14.4.3 मध्य क्षेत्र कंपनी की प्रस्तुति :

वर्ष 2016-17 के द्वितीय तिमाही के अंत में कार्यों की प्रगति निम्न तालिका में दी गई है:-

S. No.	Particulars	Status of Feeders(No.)
1	कुल मिश्रित फीडर	2452
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामीण फीडर (DDUGJY)	436
3	बकाया मिश्रित फीडर जिन्हें विभक्तिकरण योजना के तहत लिया जाना है	2016
4	सभी प्रकार से फीडर अलग किये गये	992
5	ऐसे फीडर जिन विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है लेकिन मीटर एवं केबल लगाने का कार्य शेष है।	382
6	कुल अलग किये गये फीडर एवं जिन 10 घन्टे विद्युत प्रदाय किया गया	1374
7	ऐसे फीडर जहां कार्य प्रगति पर है	405
8	ऐसे फीडर जहां कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	237

																Status as on 31.10.2016					
Total Feeders to be separated	Feeder Separated in all respect	Feeder Separated but balance work left like cabling, Meterization etc.	Feeders to be separated in all respect (Balance)	% Achievement				Financial Status													
								Project cost				Exp. Up to Aug. 16				Exp. Up to Sept-16			% achievement		
1	2	3	4=(1-2-3)	5=(2+3)/1*100				Rs.in Cr.				Rs.in Cr.				Rs.in Cr.					
2016	992	382	642	68.15%				2573				1789.77				1816.22			71%		

Month-wise Achievement against the action plan under Feeder Separation Project

1	Completion Plan for Feeders which are separated but balance work like cabling, Meterisation left (328Nos) as on 31.01.2016	Feb.-16	Ach.	March-16	Ach.	April-16	Ach.	May-16	Ach.	June-16	Ach.	July-16	Ach.	Aug-16	Ach.	Sept.-16	Ach.	Oct-16	Nov.-16	Dec.-16	Jan.-'17	Feb.-17
		3	4	4	5	4	5	10	4	10	11	15	6	15	13	15	15	10	15	15	30	27
		Mar.-17		April-17		May.-17		Jun-17		Jul-17		Aug.-17		Sept.-17		Oct.-17		Nov.-17	Dec.-17	Jan.-'18	Feb.-18	
		30		20		20		25		20		20		20		0		0	0	0	0	
2	Completion plan for balance feeders (768 No. Feeder)																					
a	Feeder separation only (From WIP to ES)	Feb.-16	Ach.	March-16	Ach.	April-16	Ach.	May-16	Ach.	June-16	Ach.	July-16	Ach.	Aug-16	Ach.	Sept.-16	Ach.	Oct-16	Nov.-16	Dec.-16	Jan.-'17	Feb.-17
		15	8	20	10	20	17	25	4	25	22	20	24	20	10	20	16	30	35	35	35	35
		Mar.-17		April-17		May.-17		Jun-17		Jul-17		Aug.-17		Sept.-17		Oct.-17		Nov.-17	Dec.-17	Jan.-'18	Feb.-18	
		40		25		25		25		30		30		50		60		65	83	0	0	
b	Feeder separation complete work in all respect including cabling, Meterisation	Feb.-16	Ach.	Mar.-16	Ach.	April-16	Ach.	May-16	Ach.	June-16	Ach.	July-16	Ach.	Aug-16	Ach.	Sept.-16	Ach.	Oct-16	Nov.-16	Dec.-16	Jan.-'17	Feb.-17
		3	2	3	0	3	1	5	0	5	6	6	3	6	1	6	2	12	12	35	35	30
		Mar.-17		April-17		May.-17		Jun-17		Jul-17		Aug.-17		Sept.-17		Oct.-17		Nov.-17	Dec.-17	Jan.-'18	Feb.-18	
		35		35		35		35		35		40		44		60		60	60	80	88	

14.4.4 पश्चिम क्षेत्र कंपनी की प्रस्तुति :

पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के थेट्राधिकार के भीतर सभी जिलों में कृषि एवं घरेलू फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य हो गया है। फीडर विभक्तिकरण का आंशिक कार्य 05 जिलों अर्थात् शाजापुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और धार में बकाया है।

14.5 नये टैरिफ के आधार पर पहले बिल के साथ टैरिफ कार्ड जारी करना**14.5.1 आयोग के दिशा निर्देश**

आयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 के टैरिफ आदेश के साथ टैरिफ कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखने का निर्देश देता है।

वित्त वर्ष 17 के आदेश में आयोग का अवलोकन

आयोग ने वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुति को संज्ञान में लिया है। तथा कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने हेतु निर्देश किया है।

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में अलग-अलग प्रकार के टैरिफ कार्ड मुद्रित करने की व्यवस्था की गई है और उसे संबंधित उपभोक्ताओं में वितरित किया गया है।

म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

निम्नदाव उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कार्ड जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्चदाव उपभोक्ताओं को टैरिफ पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है।

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए टैरिफ से संबंधित जानकारी को कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है।

14.6 सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जाना**आयोग के दिशा निर्देश**

सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्तावों के अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के बाद वितरण कंपनियों द्वारा हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया गया जो भागीदारों के लिये सार्वजनिक किया गया था। सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव को भविष्य में हिन्दी एवं अंग्रेजी में दायर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि आपत्तिकर्ताओं को, जिस भाषा में आपत्ति दर्ज की जा रही है उसी भाषा (अंग्रेजी / हिन्दी) में उत्तर दिये जावें।

वित्त वर्ष 17 के आदेश में आयोग का अवलोकन

ए.आर.आर. पिटीशन अंग्रेजी में दाखिल करने के पश्चात वितरण कंपनियों ने हिन्दी रूपांतरण प्रस्तुत किया है, जो हितधारकों को उपलब्ध किया गया था। अगली ए.आर.आर. अंग्रेजी और हिन्दी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वितरण कंपनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी भाषा में ही दिया जाये।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

विषयांकित याचिका का हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी में याचिका दायर करने के उपरान्त कुछ ही समय में प्रस्तुत किया जावेगा।

14.6.3 **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**

विषयांकित याचिका का हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी में याचिका दायर करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जावेगा। कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपत्तिकर्ता द्वारा जिस भाषा में (अंग्रेजी / हिन्दी) आपत्ति दर्ज कराई जावेगी उसी भाषा में जवाब दिया जाये।

14.6.4 **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिवेदन**

सकल राजस्व आवश्यकता का हिन्दी रूपांतरण अंग्रेजी याचिका दाखिल करने के बाद प्रस्तुत कराया जाएगा।

14.7 **झूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन**

14.7.1 **आयोग के दिशा-निर्देश**

वितरण कंपनियों को उच्चदाव उपभोक्ताओं से संबंधित विवरण एकत्र करना जारी रखने एवं अगली सकल राजस्व आवश्यकता / दर प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। कंपनियों को निम्नदाव उपभोक्ताओं के विवरण भी संकलित कर प्रस्तुत करना चाहिए।

वित्त वर्ष 17 के आदेश में आयोग का अवलोकन

निम्नदाव एवं उच्चदाव उपभोक्ताओं को हेतु प्रोत्साहन / झूट / अधिभार की विस्तृत जानकारी आगामी सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव में विद्युत वितरण कंपनियों को प्रस्तुत करने हेतु आयोग द्वारा निर्देशित किया गया।

14.7.2 **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**

उच्चदाव उपभोक्ताओं को झूट / प्रोत्साहन / अधिभार जून-2016 तक साफ्ट कापी में प्रस्तुत किये गये हैं। माह जुलाई-2016 से अगस्त-2016 की जानकारी साफ्ट कापी में ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है।

14.7.3 **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति**

वितरण कंपनी द्वारा आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

14.7.4 **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रतिक्रिया**

आर.ए.डी.आर.पी. क्षेत्रों में उच्चदाव एवं निम्नदाव के उपभोक्ताओं हेतु दी गई झूट / प्रोत्साहन / अधिभार की विस्तृत जानकारी वितरण कंपनी द्वारा शामिल की गई है।

14.8 एक समान लेखा का संधारण**आयोग के दिशा निर्देश:**

आयोग द्वारा जल्द से जल्द एक समान लेखा के संधारण करने हेतु कंपनियों को निर्देश दिये गए है।
मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को भी वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी होने के कारण निर्देश दिये गए है की सभी कंपनियों में एकरूपता लाने हेतु वितरण कंपनियों में समन्वय स्थापित करें।

वित्तीय वर्ष 2017 के टैरिफ आदेश में आयोग का अवलोकन

आयोग द्वारा वितरण कंपनी की प्रस्तुति को संज्ञान में लिया गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं है।

गैर घरेलू निम्न दाब उपभोक्ता जिनका भार 25 एच.पी से ज्यादा है के लिए अनिवार्य मांग अधारित टैरिफ :**आयोग के दिशा निर्देश :**

आयोग मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को शेष स्थापनाओं पर ए.एम.आर (आटोमेटिक मीटर रीडिंग) मीटर लगाने हेतु निर्देशित करता है।

वित्तीय वर्ष 17 के टैरिफ आर्डर में आयोग का अवलोकन

विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति को आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

पालनार्थ कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

पालनार्थ कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

पालनार्थ कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए है।

उपभोक्ताओं को बिल किए जाने हेतु खपत का आकलन :**आयोग के दिशा निर्देश :**

आयोग विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश देता है कि इस मामले में विनियमन के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए और जहां किसी मामले में उल्लंघन पाया जाता है वहाँ कड़ी कार्यवाही की जाये।

वित्तीय वर्ष 17 के टैरिफ आर्डर में आयोग का अवलोकन

माननीय आयोग ने वितरण कंपनियों को निर्देशित करता है कि विनियमन के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाये। जहां किसी मामले में उल्लंघन पाया जाता है वहाँ कड़ी कार्यवाही की जाये।

14.10.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :-

पूर्व क्षेत्र कंपनी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही है और इसके अनुपालन में सभी मैदानी अधिकारियों को सप्लाई कोड के प्रावधानों और जैसा कि टैरिफ आदेश के समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाये के अनुसार बिलिंग हेतु आंकलन सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं।

14.10.3 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

वितरण कंपनी आयोग के निर्देशों का पालन कर रही है।

14.10.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति

यह लेख है कि पश्चिम क्षेत्र कंपनी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही है और जब तक परसिर में मीटर खराब / टेम्पर्ड / अक्रियाशील होने अथवा ऊर्जा की चोरी का प्रमाण नहीं मिलता किसी उपभोक्ता को अनुमानित आधार पर बिल नहीं किया जाता है।

14.11 वोल्टेजवार सप्लाई लागत निर्धारित करने के लिए वितरण तंत्र का तकनीकी अध्ययन :

14.11.1 आयोग के दिशा निर्देश :

आयोग याचिका कर्ताओं को निर्देश देता है कि वोल्टेजवार हानियों की गणना करने के लिए वितरण तंत्र का विस्तृत तकनीकी अध्ययन किया जाए।

वित्तीय वर्ष 17 के टैरिफ आर्डर में आयोग का अवलोकन

आयोग कंपनी की प्रस्तुति से सहमत नहीं है तथा कंपनी को निर्देशित करता है कि वोल्टेजवार वितरण अद्योसंरचना के तकनीकी अध्ययन किया जा कर तीन माह के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

14.11.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :-

वर्तमान में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 33 KV तथा 11 KV + LT स्तर पर प्राणाली की हानियों की गणना करती है प्रणाली की हानियों अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि के लिए 33 KV स्तर पर 4.25 प्रतिशत तथा 11 KV + LT स्तर पर 27.18 प्रतिशत है। वितरण ट्रासफार्मर के स्तर पर मीटर के अभाव में 11 KV तथा LT स्तर पर अलग अलग प्रणाली की हानियों निकालना कठिन है। आगे उदय परियोजना के एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये जाने के कारण वितरण ट्रासफार्मर पर मीटर लगाने की योजना निम्नानुसार है:

क्र.	गतिविधि	उपगतिविधि	समय निर्धारण
3	वितरण ट्रासफार्मर मीटरीकरण	शहरी क्षेत्र	31.12.2017
		ग्रामीण क्षेत्र	31.12.2018

जबतक 100 प्रतिशत वितरण ट्रासफार्मर का मीटरीकरण नहीं हो जाता तब तक 11 KV तथा LT प्रणाली का अलग-अलग हानियों की गणना करना बहुत ही बोझिल काम है।

यद्यपि यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोल्टेजवार लागत की गणना के लिए माननीय एपटेल के द्वारा अपील क्र. 103/2010 तथा IA No. 137/138 of 2010 में आदेश पारित किया गया है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश निम्नानुसार है

Extract of APTEL's order

“32. Ideally, the network costs can be split into the partial costs of the different voltage level and the cost of supply at a particular voltage level is the cost at that voltage level and upstream network. However, in the absence of segregated network costs, it would be prudent to work out the voltage-wise cost of supply taking into account the distribution losses at different voltage levels as a first major step in the right direction. As power purchase cost is a major component of the tariff, apportioning the power purchase cost at different voltage levels taking into account the distribution losses at the relevant voltage level and the upstream system will facilitate determination of voltage wise cost of supply, though not very accurate, but a simple and practical method to reflect the actual cost of supply.

33. The technical distribution system losses in the distribution network can be assessed by carrying out system studies based on the available load data. Some difficulty might be faced in reflecting the entire distribution system at 11 KV and 0.4 KV due to vastness of data. This could be simplified by carrying out field studies with representative feeders of the various consumer mix prevailing in the distribution system. However, the actual distribution losses allowed in the ARR which include the commercial losses will be more than the technical losses determined by the system studies. Therefore, the difference between the losses allowed in the ARR and that determined by the system studies may have to be apportioned to different voltage levels in proportion to the annual gross energy consumption at the respective voltage level. The annual gross energy consumption at a voltage level will be the sum of energy consumption of all consumer categories connected at that voltage plus the technical distribution losses corresponding to that voltage level as worked out by system studies. In this manner, the total losses allowed in the ARR can be apportioned to different voltage levels including the EHT consumers directly connected to the transmission system of GRIDCO. The cost of supply of the appellant's category who are connected to the 220/132 KV voltage may have zero technical losses but will have a component of apportioned distribution losses due to difference between the loss level allowed in ARR (which includes commercial losses) and the technical losses determined by the system studies, which they have to bear as consumers of the distribution licensee.

34. Thus Power Purchase Cost which is the major component of tariff can be segregated for different voltage levels taking into account the transmission and distribution losses, both commercial and technical, for the relevant voltage level and upstream system. As segregated network costs are not available, all the other costs such as Return on Equity, Interest on Loan, depreciation, interest on working capital and O&M costs can be pooled and apportioned equitably, on pro-rata basis, to all the voltage levels including the appellant's category to determine the cost of supply. Segregating Power Purchase cost taking into account voltage-wise transmission and distribution losses will be a major step in the right direction for determining the actual cost of supply to various consumer categories. All consumer categories connected to the same voltage will have the same cost of supply. Further, refinements in formulation for cost of supply can be done gradually when more data is available."

माननीय एप्टेल के आदेश के परिपालन तथा माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश के तहत वितरण कंपनियां माननीय एप्टेल के द्वारा प्रस्तुत कार्यप्रणाली के अनुसार बोल्टेज वाइज सप्लाई की लागत की गणना प्रस्तुत करती है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि तकनीकी तथा व्यवसायिक हानियां को अलग-अलग करने का कार्य मेसर्स पी.डब्ल्यू.सी. को सौंपा गया है तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कंपनी द्वारा विश्वेषण कर विस्तृत जानकारी माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

14.11.3_ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

100 प्रतिशत मीटरीकरण पूर्ण होने तक इस प्रकार का अध्यन करना बहुत कठिन है यद्यपि वितरण कंपनी अध्यन करने हेतु सतत प्रयत्नशील है। LT, 11 KV एवं 33 KV पर लागत निर्धारित करने हेतु प्रत्येक बोल्टेज स्तर पर हानि के स्तर की गणना करना आवश्यक है। इसके लिए 100 प्रतिशत मीटरीकरण का होना आवश्यक है ताकि प्रत्येक स्तर पर सही खपत का आकलन ज्ञात हो। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मीटरीकरण की योजना पहले से ही माननीय आयोग को प्रस्तुत की गई है। यह बताना उचित है कि नवम्बर 2016 के अन्त तक 16 प्रतिशत मीटरीकरण का कार्य शेष है अतः माननीय आयोग से निवेदन है कि वर्ष 2017-18 के मध्य तक का समय प्रदान किया जाये (सितम्बर 2017 तक) इसके पश्चात अध्यन का कार्य किया जायेगा।

14.11.4 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :

यह कार्य कंसल्टेंट को दिया जा चुका है हानियों की गणना (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) शीघ्र माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। माननीय आयोग से निवेदन है कि इस संबंध में और कुछ समय प्रदान किया जाये।

14.12. KWh से KVAh विलिंग प्रणाली पर जाने का प्रभाव :

14.12.1 आयोग के दिशा निर्देश :

आयोग याचिका कर्ता को निर्देशित करता है कि 6 माह के अंदर KWh विलिंग से KVAh विलिंग पर जाने के प्रभाव की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

14.12.2 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :-

HT उपभोक्ताओं के संस्थानों में वर्तमान में लगाये गए मीटरों में TOD खण्डों में KVAh खपत दर्ज करने का प्रावधान है, यद्यपि यह मीटर संपूर्ण विलिंग अवधि के लिए KVAh खपत दर्ज करने के लिए विन्यस्त किया गया है। वैसे यह तकनीकी अधार पर KVAh विलिंग प्रणाली में जाना संभव है, यद्यपि KVAh आधार की विलिंग को लागू करने में कुछ परेशानियाँ हैं। राज्य में वितरण कंपनियों के पास बड़ी संख्या में ओपन एक्सेस उपभोक्ता हैं इन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को KWh में

अनुसूचित किया जाता है और इस ऊर्जा का समायोजन ओपन एक्सेस उपभोक्ता के एनर्जी बिल में 15 मिनिट के खण्ड में दिया जाता है। KWh आधारित बिलिंग सिस्टम में जाने से यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार ओपन एक्सेस उपभोक्ता को क्रेडिट दी जायेगी।

वितरण कंपनियों के द्वारा HT उपभोक्तावाद तथा बोल्टेजवार अलग-अलग बिलों का सेम्पल विश्लेषण किया गया है। वर्किंग मॉडल एवं उसका परिणाम आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

14.12.3

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :-

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (पिटीशन के पेंज नं. 174 पर) पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है KWh बिलिंग से KVAh बिलिंग पर जाना समस्याओं से भरा है क्योंकि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को ऊर्जा की क्रेडिट दिया जाना कठिन होगा क्योंकि इनकी एनर्जी KWh में सेड्यूल की जाती है तथा इन्हे 15 मिनिट के खण्ड में क्रेडिट दी जाती है। वर्तमान में स्थापित मीटरों में 15 मिनिट के खण्ड में KVAh दर्ज करने का प्रावधान नहीं है ये मीटर पूरी बिलिंग अवधि के लिए KVAh दर्ज करते हैं।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि KWh बिलिंग से KVAh बिलिंग में जाने हेतु इस मीटरों को फिर से कैलिब्रेट किया जाना होगा जिसकी भारी भरकम लागत आयेगी।

14.12.4

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की प्रस्तुति :-

HT उपभोक्ताओं के संस्थानों में वर्तमान में लगाये गए मीटरों में TOD खण्डों में KVAh खपत दर्ज करने का प्रावधान है, यद्यपि यह मीटर संपूर्ण बिलिंग अवधि के लिए KVAh खपत दर्ज करने के लिए विन्यस्त किया गया है। वैसे यह तकनीकि अधार पर KVAh बिलिंग प्रणाली में जाना संभव है, यद्यपि KVAh आधार की बिलिंग को लागू करने में कुछ परेशानियाँ हैं।

(i)

95 प्रतिशत के ऊपर पॉवर फेक्टर प्रोत्साहन समाप्त हो जायेगी :

वर्तमान में 95 प्रतिशत से ज्यादा पॉवर फेक्टर होने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अपरेन्ट अधारित टैरिफ में इस प्रकार का प्रोत्साहन उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होगा एवं 95 प्रतिशत से ज्यादा पॉवर फेक्टर होने के बावजूद भी उन पर चार्जस लगाये जायेगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ उपभोक्ता इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए कुछ निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसे अच्छे उपभोक्ता 95 प्रतिशत या ज्यादा पॉवर फेक्टर बनाये रखते हैं के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा एवं वे उपभोक्ता इस योजना का विरोध कर सकते हैं।

(ii)

The exemption of penalty above 90% threshold limit will be eliminated:

वर्तमान के दण्ड की अधिकतम सीमा 90 प्रतिशत थ्रिसोल्ड सीमा 90 प्रतिशत थ्रिसोल्ड सीमा पॉवर फेक्टर निर्धारित है। थ्रिसोल्ड सीमा से ज्यादा पॉवर फेक्टर दण्डीय प्रावधान से विमुक्त करता है जबकि थ्रिसोल्ड सीमा से कम पॉवर फेक्टर पर दण्ड लगाया जाता है। 95 प्रतिशत पॉवर फेक्टर से ज्यादा पर छूट उपभोक्ताओं को ज्यादा पॉवर फेक्टर बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करता है। KVAh आधारित टैरिफ बिलिंग के अनुसार स्वीकृत थ्रिसोल्ड सीमा पॉवर फेक्टर की मात्रा एक है। इसलिए 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की रेंज में पॉवर फेक्टर में दण्ड में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, जो इस प्रकार के उपभोक्ताओं पर एक अतिरिक्त भार होगा।

(iii)

एक बार KVAh बिलिंग चालू हो जाने पर यह संभावना बनती है कि उपभोक्ता KVAh एवं KWh को बराबर रखने हेतु रिएक्टिव पॉवर रिक्वारमेंट को ओवरकंपनसेट कर सकते हैं जिसके कारण पॉवर फेक्टर लीडि ग होगा एवं लीड एनर्जी ग्रेड

सिस्टम में डाली जायेगी। लीडिंग पॉवर फेक्टर को कंपनसेट करने के लिए वितरण कंपनियों को रिएक्टर्स लगाने होगे जिसके कारण वितरण कंपनियों पर फिक्स चार्ज का अनावश्यक भार पड़ेगा एवं हानियां भी बढ़ेगी।

- (iv) वितरण कंपनियों पॉवर KWh में खरीदती है यदि बेची गई एनर्जी KWh में दर्ज की जाती है तो ऊर्जा हानि की गणना में दिक्कत तथा त्रुटि होगी।
- (v) राज्य में वितरण कंपनियों के पास बड़ी संख्या में ओपन एक्सेस उपभोक्ता हैं इन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को KWh में अनुसूचित किया जाता है और इस ऊर्जा का समायोजन ओपन एक्सेस उपभोक्ता के एनर्जी बिल में 15 मिनिट के खण्ड में दिया जाता है। KWh आधारित बिलिंग सिस्टम में जाने से यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार ओपन एक्सेस उपभोक्ता को क्रेडिट दी जायेगी।
- (vi) कुछ उपभोगता वर्ग में बढ़ी हुई खपत पर रियायत है। जब के.व्हीएच अधार पर दर निधारण होगा तब इस रियायत की गणना प्रथम वर्ष में करना कठिन होगा क्योंकि गत वर्ष की खपत के डब्लू एच में उपलब्ध होगी।

14.13 न्यूनतम खपत दर के आधार पर बिलिंग का आकलन .

14.13.1 आयोग के निर्देश :

आयोग ने अनुज्ञसिधारी को न्यूनतम खपत दर के आधार पर बिलिंग के प्रभाव का आकलन विभिन्न उपभोगता वर्ग पर गत दो वर्षों हेतु करने का निर्देश दिया है वरिपोट 6 माह में प्रस्तुत किया जाना है।

14.13.2 पूर्व क्षेत्र प्रस्तुति :

अनुज्ञसिधारी यह प्रस्तुत करना चाहता है कि उच्च दाब बिलों की विस्तृत जानकारी आयोग को दी जानुकी है जिसमें कि टी.एम.एम. भी शामिल है। अपितु पूर्व क्षेत्र का यह मत है कि कंपनी के नियत खर्च, नियत दर द्वारा वसूले जा सकेंगे, परन्तु इस प्रकार से नियत दर में अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है। अतः नियत खर्च को कुछ मात्रा में ऊर्जा दर नियत दर व न्यूनतम खपत दर द्वारा वसूला जा सकता है।

वर्ष 2015-16 में पूर्व क्षेत्र कंपनी ने रु. 17.06 करोड़ न्यूनतम खपत दर के बिलिंग उच्च दाब उपभोगताओं पर एवं वर्ष 2016-17 में जून माह तक रु. 9.98 करोड़ की बिलिंग की है। यह कंपनी पश्चिम क्षेत्र कंपनी की प्रस्तुति से सहमत है।

14.13.3 मध्य क्षेत्र प्रस्तुति

उपभोगता वर्ग से प्राप्त न्यूनतम खपत दर द्वारा वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्राप्त विस्तृत जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत कि जा चुकी है इस संबंध में देखा हर उपभोगता वर्ग द्वारा प्राप्त राशि में बहुत अंतर है। अतः प्रस्तुत किया जाता है कि न्यूनतम दर के बिलिंग द्वारा प्राप्त राशि कि निश्चित रूप से दर्शायी नहीं जा सकती।

इस प्रकार से न्यूनतम दर बिलिंग को जारी रखने हेतु यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी के नियत खर्च वसूलने हेतु नियत दर ही उचित माध्यम है परन्तु उससे भी नियत दर पर अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है। अतः नियत खर्च को कुछ मात्रा में ऊर्जा दर नियत दर व न्यूनतम खपत दर द्वारा वसूला जा सकता है।

निम्न दाब उपभोगताओं से संबंधित जानकारी अत्याधिक बड़ीमात्रा में है अपितु उच्च दाब उपभोगताओं की जानकारी निम्नानुसार है:

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल उच्च दाब उपभोक्ताओं की न्यूनतम खपत (राशि रु लाख में)				
ट्रैरिफ वर्ग	2014-15		2015-16	
	उपभोक्ताओं की संख्या	न्यूनतम खपत दर के अनुसार राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	न्यूनतम खपत दर के अनुसार राशि
HV-1.1	0	0.00	3	396.27
HV-3.1	323	668.95	325	961.02
HV-3.2	257	489.79	186	1031.13
HV-3.3	5	14.53	2	11.32
HV-3.5	2	0.99	2	0.66
HV-4.1	1	1.93	2	2.90
HV-5.1	26	113.10	34	109.74
HV-6.1	2	1.25	1	15.72
Total	616	1290.55	555	2528.75

14.13.4 पश्चिम क्षेत्र प्रस्तुति :

माननीय आयोग का ध्यान इस ओर आर्कषित किया जाता है कि ट्रैरिफ रेग्लेशन 2015 की संबंधि त कणिका निम्ना नुसार है

42 Determination of tariffs for supply to consumers

42.1 The Commission shall determine the charges recoverable from different consumer categories based on the following principles:

.....
(d) Tariff minimum: Tariff minimum charges for a class or category of the consumers shall be recoverable from the consumers till the time fixed charges are aligned with recovery of full fixed costs.;

.....
 उपरोक्त प्रावधान के अनुसार न्यूनतम दर वसूली तब तक समाप्त नहीं की जा सकती जब तक कि नियत प्रभार पूरी नियत लागत को वसूला न जा सके

कंपनी माननीय आयोग को यह प्रस्तुत करना चाहती है कि मध्य प्रदेश राज्य में टू पार्ट ट्रैरिफ कंपनी द्वारा लिए गये नियत व ऊर्जा प्रभार को वस्तुतः प्रतिबिंब नहीं है जो कि कंपनी को विद्युत खरीदी की नियत व ऊर्जा प्रभार के रूप

में व कंपनी के नियत स्थापना खर्चों के रूप में व्यय करना पड़ता है। नियत लागत का कुछ भाग कंपनी को उपभोक्ता से ऊर्जा प्रभार द्वारा वसूलना होता है।

ट्रैरिफ आर्डर व राजस्व वसूली वर्ष 2015-16 की समीक्षा निम्नानुसार है।

वर्ष 2015-16 के ट्रैरिफ आर्डर के अनुसार (सम्पूर्ण राज्य)		
अनुमोदि ए. आर.आर.	26555	Rs Cr
प्रस्तावित ट्रैरिफ द्वारा प्राप्त राजस्व	26555	Rs Cr
विद्युत खरीदी लागत	20979	Rs Cr
विद्युत खरीदी की नियत लागत (फिक्स लागत)	9906	Rs Cr
विद्युत खरीदी की वैरिएबल लागत	11073	Rs Cr
कंपनी की अतिरिक्त नियत लागत (return on equity, depreciation, interest on loan, interest on working capital and O&M expenses)	5576	Rs Cr
कुल नियत लागत, विद्युत खरीदी का नियत भाग मिला कर	15482	Rs Cr
कुल वैरिएबल लागत	11073	Rs Cr
वास्तविक आधार पर (Rs-15 के आधार पर) (सम्पूर्ण राज्य)		
वसूली गई नियत लागत (Rs-15 के आधार पर)	3407	Rs Cr
वसूली गई वैरिएबल लागत (Rs-15 के आधार पर)	19311	Rs Cr

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता से नियत दर द्वारा प्राप्त राशि कंपनी द्वारा दिये गये नियत लागत से बहुत ही कम है। अतः न्यूनमत दर एक प्रकार का उपभोक्ता से वसूला जाने वाला नियम प्रभार है। जैसा की उपरोक्त दर्शाय गये कणिका 42 के प्रावधान में भी लेख है कि न्यूनतम दर वसूली हटाई नहीं जा सकती जबतक कि नियत प्रभार और पूर्ण नियत लागत एक समान न हो अतः यह भी कहा जा सकता है कि नियत प्रभार को बढ़ाने की आवश्कता है जबतक की कंपनी की नियत लागत के बराबर न हो।

माननीय आयोग के निर्देशा नुसार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की न्यूनतम खपत व प्राप्त राशि की विस्तृत जानकारी साप्ट कॉपी में संलग्न है।

14.14 तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को प्रथक प्रथक करना:

14.14.1 आयोग के दिशा निर्देश :

आयोग ने अनुज्ञयपती धारी को निर्देशित किया है कि अपने वितरण प्रणाली की समीक्षा की जाये व तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों से संबंधित रिपोर्ट 6 माह के अंदर प्रस्तुत की जाये

14.14.2 पूर्व क्षेत्र प्रस्तति :

पूर्व क्षेत्र द्वारा हर सर्किल के दो फीडर का अध्यन हेतु चयन किया गया जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र..	सर्किल का नाम	फीडर का नाम
1	जबलपुर सिटी सर्किल	11KV TRIMURTI NAGAR
		11KV VIJAY NAGAR
2	जबलपुर (ओ एण्ड एम) सर्किल	11KV SIHORA TOWN – II
		11KV SIHORA COLLAGE
3	छिंदवाड़ा सर्किल	11KV LINGA
		11KV TOWN 5
4	सविनी सर्किल	11KV GANJ T-5
		11KV TOWN-2
5	महाराजपुर सर्किल	11KV MAHARAJPUR
		11KV TOWN-1
6	नरसिंहगढ़ सर्किल	11KV JAIL ROAD
		11KV STATION ROAD
7	कटनी सर्किल	11KV CITY – 4
		11KV KUCHGAWA
8	सागर सर्किल	11KV CITY - 2
		11KV SHASTRI CHOUK
9	दमोह सर्किल	11KV TOWN – 1
		11KV TOWN - VI
10	छतरपुर सर्किल	11KV CHHATARPUR NEW BUS STAND-2
		11KV PANNA TOWN - 1
11	टीकमगढ़ सर्किल	11KV DHONGA
		11KV BADAGAON
12	रीवा सर्किल	11KV MAJHILA TOLA
		11KV SHILPI PLAZA
13	सतना सर्किल	11KV SATNA TRANSPORT NAGAR
		11KV MAIHAR TOWN - 2
14	सीधी सर्किल	11KV SIDHI HOUSING BOARD
		11KV SINGRAULI SARASWAH
15	शहडोल सर्किल	11KV SHAHDOL BUDHAR CHOWK
		11KV SOHAGPUR

तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को अलग अलग करने के लिए जो विधि अपनायी गई है उसके अन्तर्गत पहले तकनीकी हानि की गणना करनी होगी तब उसे कुल में से घटा कर वाणिज्यिक हानि की गणना करनी होगी तकनीकी हानि की गणना के लिए निम्न दो तरीके हैं:

- असल समय में संचय तरीका- इस तरीके में फीडर के तकनीकी हानि निकालने के लिए उसमें से जाने वाला औसत करेन्ट हर 30 मिनिट के कालखण्ड में नाप कर औसत हानि निकाली जा सकती है।
- पीक करेंट प्रक्रिया- इस प्रक्रिया में तकनीकी हानि निकालने हेतु फीडर में जाने वाला पीक करेंट व लोस्ट लोड फेक्टर के गुणा करने के द्वारा औसत ऊर्जा हानि की गणना की जा सकती है।
इस तरह हानियों को अलग अलग करने के प्रथम चरण में लिए हर सर्किल से दो फीडर का चयन किया गया था, लेकिन इसे पूरा करने में और समय लगेगा।

यह अध्यन पी.एफ.सी. द्वारा किया गया भोपाल शहर के लिए नवम्बर 2015 से फरवरी 2016 तक के ए.टी.एण्ड सी हानि 38.21 प्रतिशत पायी गई है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी व गणना का प्रारूप दिया गया है।

पूर्व क्षेत्र ने विभिन्न सर्किल के 33 के.व्ही के 9 फीडर का तकनीकी हानि हेतु अध्यन किया गया व प्रतिशत तकनीकी हानि के रूप में निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

Study of Technical Losses on 33kV Feeders			
क्र.	सर्किल का नाम	33kV फीडर	तकनीकी हानि
1	नरसिंहगढ़पुर	33 kV थेमी	3.15%
2	छिंदवाड़ा	33 kV सोसर	3.73%
3	सिवनी	33 kV घनसोर	3.65%
4	सीधी	33 kV मदवास	5.98%
5	रीवा	33 kV Baheradabar	5.54%
6	सतना	33 kV अमदरा	3.62%
7	टीकमगढ़	33 kV मोहनगढ़	4.95%
8	शहडोल	33 kV मानपुर	6.67%
9	छतरपुर	33 kV बसनापुर	2.33%

यह पाया गया है कि 33 के.व्ही. उमरिया मालनपुर फीडर की तकनीकी हानि 6.67 प्रतिशत है। यह फीडर अनुमानत: 70 कि.मी. लम्बा है व इस पर 23.2 एम.वी.ए लोड है कन्डक्टर पुराने तरीके का 0.075 एसीएसआर है अतः हानि अधिक है।

इसी तरह 33 के.व्ही. सीधी मदवास फीडर की तकनीकी हानि 5.98 प्रतिशत है। यह फीडर अनुमानत: 130 कि.मी. लम्बा है मदवास में नया 132/33 के व्ही सबस्टेशन प्रस्तावित है जिससे कि हानि में गिरावट हो सकती है।

दो सर्किल जिसमें 108 नं. 33 के.व्ही फीडर है उनका तकनीकी हानि हेतु अध्यन किया गया व रिपोर्ट संलग्न है। इस गणना हेतु सबस्टेशन से फीडर में भेजी जाने वाली खपत और 33 के व्ही स्टेशन पर पहुंचने वाली खपत को रिकॉर्ड किया गया। इस अंतरं को उस फीडर के प्रतिशत तकनीकी हानि के रूप में दर्शाया गया।

अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक माहवाह 33 के.व्ही फीडर पर तकनीकी हानि ब्रपत्र 15 में दर्शायी गई है।

14.14.3 मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति:

तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को अलग अलग करने के लिए जो विधि अपनायी गई है उसके अन्तर्गत पहले तकनीकी हानि की गणना करनी होगी तब उसे कुल में से घटा कर वाणिज्यिक हानि की गणना करनी होगी तकनीकी हानि की गणना के लिए निम्न दो तरीके हैं:

- a. असल समय में संचय तरीका- इस तरीके में फीडर के तकनीकी हानि निकालने के लिए उसमें से जाने वाला औसत करेन्ट हर 30 मिनिट के कालखण्ड में नाप कर औसत हानि निकाली जा सकती है।
 - b. पीक करेंट प्रक्रिया- इस प्रक्रिया में तकनीकी हानि निकालने हेतु फीडर में जाने वाला पीक करेंट व लोस्ट लोड फेक्टर के गुणा करने के द्वारा औसत ऊर्जा हानि की गणना की जा सकती है।
- इस तरह हानियों को अलग अलग करने के प्रथम चरण में लिए हर सर्किल से दो फीडर का चयन किया गया था, लेकिन इसे पूरा करने में और समय लगेगा।
 मध्य क्षेत्र द्वारा दिनांक 16.07.2016 के पत्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को अलग अलग करने के अध्यन के अन्तर्गत भोपाल शहर के कुल ए.टी.एण्ड सी हानि को चुना गया। यह अध्यन पी.एफ.सी. द्वारा किया गया भोपाल शहर के लिए नवम्बर 2015 से फरवरी 2016 तक के ए.टी.एण्ड सी हानि 38.21 प्रतिशत पायी गई है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी व गणना का प्रारूप दिया गया है।
- इस रिपोर्ट में ए.टी.एण्ड सी हानि को कम करने हेतु उपाय भी दर्शय गये हैं

14.14.4 पश्चिम क्षेत्र की प्रस्तुति:

यह कार्य कंसल्टेंट को दिया जा चुका है हानियों की गणना (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) शीघ्र माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। माननीय आयोग से निवेदन है कि इस संबंध में और कुछ समय प्रदान किया जाये।

14.15 ट्रेडिंग मार्जिन याचिका :**14.15.1 आयोग के दिशा निर्देश :**

आयोग ने एम.पी.पी.एम.सी.एल. को ट्रेडिंग मार्जिन हेतु याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है

14.15.2 पूर्व क्षेत्र की प्रस्तुति

एम.पी.पी.एम.सी.एल. द्वारा याचिका दायर की जायेगी

14.15.3 मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति:

एम.पी.पी.एम.सी.एल. द्वारा याचिका दायर की जायेगी

14.15.4 पश्चिम क्षेत्र की प्रस्तुति:

एम.पी.पी.एम.सी.एल. द्वारा याचिका दायर की जायेगी

14.15.5 एम.पी.पी.एम.सी.एल. प्रस्तुति

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन नंबर 2260-एफ-3-24- 2009-XIII/दिनांक 19.03.2013 के आइटम नं. 8 के अनुसार मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं. लिमि. द्वारा वितरण कंपनियों के विद्युत

एम.पी.आर.सी. से अनुमोदित दर पर प्रदाय की जायेगी। खुद के खर्च कंपनी असल आधार पर कंपनियों द्वारा ली गई विद्युत के अनुपात में बाटेगी।

एम.पी.पी.एम.सी.एल. बिना किसी फायदे नुकसयान के आधार पर कार्य कर रही है। अतः आज तक हर वित्तीय वर्ष के अन्त में एम.पी.पी.एम.सी.एल. में जीतना भी आवक होता है जो कि आय का हिस्सा है वह वितरण कंपनियों को उनके द्वारा ली गई विद्युत के अनुपात में विद्युत खरीदी कीमत के अन्तर्गत दे दीया जाता है।

14.16 पूँजीगत व्यय योजना के लिए स्वीकृति:

14.16.1 आयोग के निर्देशों:

आयोग ने निर्देश दिया है डिस्कॉम प्रति MPERC का विनियमन 10.3, 2004 (वितरण लाइसेंसधारी (डीम्ड लाइसेंसधारी) सहित के लिए वितरण लाइसेंस की शर्तें) के रूप में अपने पूँजीगत खर्च योजना के लिए उचित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया है।

14.16.2 पूर्व क्षेत्र की प्रस्तुति:

याचिका शीघ्र ही दायर की जा रही है।

14.16.3 मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति:

माननीय आयोग के निर्देश के पालन किया जाएगा।

14.16.4 पश्चिम क्षेत्र की प्रस्तुति:

पश्चिम डिस्कॉम वित्तीय वर्ष 2016-17 *to* 2020-21 के लिए जो कैपेक्स योजना तैयार की है शीघ्र ही आवश्यक अनुमोदन के लिए माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14.17 परिचालन दक्षता उपायों की खाई को पाठने के लिए विचार

14.17.1 आयोग के निर्देशों

आयोग ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं विभिन्न परिचालन दक्षता उपायों के माध्यम से राजस्व की खाई को पाठने के लिए एक ठोस योजना और मात्रात्मक विश्लेषण के साथ कार्यप्रणाली का प्रस्ताव किया है।

14.17.2 पूर्व क्षेत्र की प्रस्तुति

अपनी टैरिफ आदेश में माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए परिचालन दक्षता उपायों से बचत पहले से ही राज्य के लिए 600 करोड़ मात्रा और पूर्व डिस्कॉम के लिए 231.93 करोड़ रु निर्धारित किया है। इसके अलावा इस संबंध में यह प्रार्थना की जाती है कि मात्रात्मक विश्लेषण सच-अप दाखिल करने के समय पर किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा किए गए उपायों याचिकाकर्ता के अतिरिक्त प्रस्तुत करने में प्रदान की जाती हैं।

14.17.3 मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति

जवाब इस अध्याय के 14.1.3 में दिए गए में दिखाया गया है, काम बढ़ाने का असर पड़ेगा उनके प्रभाव भी डिस्कॉम की परिचालन क्षमता सुधार होगा जो बदले में राजस्व की खार्ड को पाठने में मदद मिलेगी।

14.17.4 पश्चिम क्षेत्र की प्रस्तुति:

परिचालन दक्षता उपायों का व्यौरा याचिकाकर्ता के अतिरिक्त प्रस्तुत करने में प्रदान की जाती हैं।

उपभोक्ता के लिहाज से बिक्री में वृद्धि की अलग रिकार्ड**14.18.1 आयोग के निर्देशों।**

आयोग के आदेश राज्य में बिजली की अधिशेष उपलब्धता को देखते हुए बिक्री को अधिकतम करने के लिए कुछ प्रोत्साहन / छूट प्रदान करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार किया गया है। आयोग इसलिए उपभोक्ता के लिहाज से बिक्री में वृद्धि का एक अलग रिकार्ड रखने के लिए और छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने के लिए एक ही याचिकाकर्ताओं का निर्देशन।

14.18.2 पूर्व क्षेत्र की प्रस्तुति

अप्रैल-16 से अगस्त 16 के लिए HV3.1 श्रेणी के उपभोक्ता के लिहाज से बिक्री में वृद्धि के रिकार्ड का एक स्थूल रिकार्ड है और ईमेल के माध्यम से, सॉफ्ट कॉफी में आयोग को प्रस्तुत किया जा रहा है।

14.18.3 मध्य क्षेत्र की प्रस्तुति:

FY16-17 के 1 तिमाही में उपभोक्ता बुद्धिमान बिक्री में वृद्धि का विवरण नीचे सारणीबद्ध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माह सितंबर 2016 के लिए कंपनी का अंतिम आर -15 बयान अभी तक उपलब्ध नहीं है यहाँ का उल्लेख करने के लिए है, इसलिए है कि द्वितीय तिमाही के विवरण यहाँ दिखाया नहीं जा सकता।

माह-वार, श्रेणी-वार Apr.16 से June.16 को (एमयू) में बिक्री

	वर्ग	Apr.16	Jun.16	% की वृद्धि
LV-1	घरेलू	274.42	354.80	29.29
LV-2	गैर घरेलू	65.35	82.90	26.84
LV-3	PWW स्ट्रीट लाइट	26.62	26.52	-0.37
LV-4	ओद्योगिक	21.30	22.66	6.40
LV-5.1	सिंचाई पंपों	224.71	216.45	-3.68
LV-5.2	अन्य कृषि	0.35	0.36	1.57

माह-वार, श्रेणी-वार Apr.16 से June.16 को (एमयू) में बिक्री				
	वर्ग	Apr.16	Jun.16	% की वृद्धि
	कुल एलटी	612.75	703.68	14.84
HV-1	रेलवे कर्पण			
HV-2	कोयले की खदानें	2.58	2.62	1.22
HV-3	गैर औद्योगिक	241.21	247.24	2.50
HV-4	मौसमी	0.21	0.21	-0.87
HV-5.1	एचटी सिंचाई	0.21	0.17	-19.21
HV-5.2	अन्य उच्च दाव सिंचाई	0.72	0.67	-7.44
HV-5.3	वाटर वर्क्स	14.53	14.48	-0.35
HV-6	थोक आपूर्ति EXEMP को	0.04	0.05	20.96
HV-7	बल्क RESIDENCIAL	14.61	15.59	6.73
	कुल उच्च दाव	274.12	281.03	2.52
	कुल (कम दाव + उच्च दाव)	886.88	984.71	11.03

यह उपरोक्त तालिका एलटी उपभोक्ताओं में बिक्री में 14.84% की वृद्धि है कि वहाँ जबकि यह एचटी उपभोक्ताओं के मामले में 2.52% देखा जा सकता है।

वांछित विवरण पहले से ही MPERC के लिए प्रस्तुत किया गया है, यह प्रस्तुत की है कि जहाँ तक बिक्री में वृद्धि के विश्लेषण का संबंध है, बिक्री मॉडल के साथ ARR MPERC को प्रस्तुत वर्षवार वृद्धि को दर्शाता है प्रत्येक श्रेणी और उप-श्रेणी FY2017-18 के लिए सबसे उपयुक्त विकास दर लेने के लिए कारण के साथ प्रस्तुत की है, । अप्रैल-16 से दिसंबर 16 के लिए HV3.1 श्रेणी के उपभोक्ता के लिहाज से बिक्री में वृद्धि के रिकार्ड का एक स्थूल रिकॉर्ड है और ईमेल के माध्यम से, सॉफ्ट कॉफी में आयोग को प्रस्तुत किया जा रहा है।

14.18.4 पश्चिम क्षेत्र की प्रस्तुति:-

उपभोक्ता ऊर्जा के आरोप में छूट के कारण 16 जुलाई को 16 अप्रैल से अवधि के लिए बिक्री में वृद्धि का सारांश के लिए एचटी उपभोक्ता के रूप में किया जा रहा है।

महीना	उपभोक्ता की संख्या	पिछले साल के इसी महीने की खपत	चालू माह की खपत	इंक्रीमेंटल खपत	रूपये में ऊर्जा के आरोप में 10% छूट।
16 अप्रैल-16 जुलाई	3479	32,42,19,949	43,15,58,756	10,73,38,807	5,61,04,774.00

बिक्री में वृद्धि की उपभोक्ता वार खपत विस्तार में, एचवी 3.1 टैरिफ श्रेणी के लिए घोषित छूट के बाद, वृद्धिशील मासिक खपत w.r.t पिछले साल के इसी माह की खपत की तुलना में तैयार है और soft में संलग्न है।

निर्देशों के अनुपालन का सारांश नीचे दिया गया है :-

क्र.	निर्देश	पूर्व क्षेत्र कंपनी	मध्य क्षेत्र कंपनी	पश्चिम क्षेत्र कंपनी
1.	तकनीकी हानियों को कम करने हेतु कैपेक्स योजना	विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया है।	विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया है।	विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया है।
2.	वितरण नेटवर्क पर वोल्टेजवार विद्युत आपूर्ति की लागत पता लगाने के लिए तकनीकी अध्ययन		प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत किया जाएगा।	
3.	के.डब्ल्यू.एच. बिलिंग से के.व्ही.ए.एच. बिलिंग के परिवर्तन पर उसका प्रभाव के आंकलन का अध्ययन।	नमूने के तौर पर प्रतिरूप पर किये गये कार्य और उसके परिणाम प्रस्तुत किया जा रहा है। विस्तृत प्रतिवेदन चार माह में प्रस्तुत किया जाएगा।	विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन चार माह में प्रस्तुत किया जाएगा।	विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन चार माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	न्यूनतम खपत की दर पर बिलिंग के प्रभाव का आकलन।	विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं।	विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं।	विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं।
5.	तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का पृथक्कीरण	पायलट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। विस्तृत विवरण छःमाह में प्रस्तुत किया जाएगा।	पायलट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत है कर चुके। विस्तृत विवरण छःमाह में प्रस्तुत किया जाएगा।	सलाहकार को कार्य सौंपा गया है। विस्तृत विवरण छःमाह में प्रस्तुत किया जाएगा।
6.	अन्तर को पाठने के लिए माने गये परिचालन दक्षता के उपाय।	उपायों का विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। वितरण कंपनी टु-अप के दौरान विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे।	उपायों का विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। वितरण कंपनी टु-अप के दौरान विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे।	उपायों का विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। वितरण कंपनी टु-अप के दौरान विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
7.	उपभोक्तावार विक्रय में वृद्धि का पृथक से प्रतिवेदन।	जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं।	जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं।	जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं।
8.	ट्रेडिंग मार्जिन	<p>म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी का उत्तर:-</p> <p>राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक 2260-एफ-3-24-2009-XIII दि. 19.03.2013 की मद संख्या 8 (II) के अनुसार म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा वितरण कंपनियों को माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत प्रदाय कर रही है, और इसके अपने खर्चों को वास्तविकता के आधार पर वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा के समानुपातिक आधार पर वितरित किये जा रहे हैं।</p> <p>म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. बगैर लाभ हानि के आधार पर कार्य कर रही है, अतः अब तक वित्त वर्ष के अंत में म.प्र. पावर मैनेजमेंट कं.लि. द्वारा प्राप्त समस्त श्रेय को, वितरण कंपनियों को, उनके द्वारा प्राप्त की गयी विद्युत ऊर्जा के समानुपात में विद्युत क्रय लागत में अंश के तौर पर वितरित किया जा रहा है।</p>		

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियाँ

विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूची-एल.व्ही-1 घरेलू:-

प्रयोज्यता : -

यह दर केवल आवासीय उपयोग हेतु प्रकाश, पंखा तथा पावर के लिए प्रभावशील होगी। धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों के लिए देख रेख केन्द्र (डे केयर सेंटर्स, उद्धारगृह (रेसक्यू हाउस), अनाश्रालय, पूजा के स्थल तथा धार्मिक संस्थाएं भी इसी श्रेणी में शामिल होंगी।

विद्युत दर :-

एल.व्ही 1.1 (स्वीकृत भार 100 वाट (0.1 किलोवाट) से अधिक न होने वाले उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है)

(अ) ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार - मीटरीकृत संयोजन के लिए

विवरण				
मासिक खपत (यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार	
	शहरी एवं ग्रामीण		वर्तमान	प्रस्तावित
30 यूनिट तक	290	300	निरंक	निरंक

(ब) न्यूनतम प्रभार - इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40.00 प्रति संयोजन प्रति माह प्रयोज्य होंगे।

एल.व्ही-1.2

(अ) ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार - मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत खंड (यूनिट)	विद्युत शुल्क दूरबीन पद्धति लाभ सहित पैसे) प्रतियूनिट (मासिक स्थाई प्रभार (.रु.)				
	शहरी /ग्रामीण क्षेत्र						
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	365	400	रु 45 प्रति संयोजन	रु 30 प्रति संयोजन	रु 60 प्रति संयोजन	रु 50 प्रति संयोजन	
51 से 100 यूनिट	435	480	रु 80 प्रति संयोजन	रु 55 प्रति संयोजन	रु 100 प्रति संयोजन	रु 90 प्रति संयोजन	
101 से 300 यूनिट तक	560	610	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के लिए रु 90	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के लिए रु 70	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के लिए रु 105	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के लिए रु 95	
300 यूनिट से अधिक	610	625	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के	अधिकृत भार के प्रत्येक 0.5 किलोवॉट के लिए	

		लिए रु 95	लिए रु 90	लिए रु 110	रु 100
--	--	-----------	-----------	------------	--------

न्यूनतम प्रभार:- उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभारों के रूप में न्यूनतम प्रभार रूपये 100 प्रति संयोजन प्रति माह प्रयोज्य होंगे।

टीप: अधिकृत भार को म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 (समय समय पर संशोधित) में परिभाषित किया जाएगा। (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण: यदि माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो, तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। यदि खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

अस्थाईमीटरीकृत / वितरण ट्रांसफार्मर संयोजन	ऊर्जा प्रभार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार				
		वर्तमान	प्रस्तावित		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
वर्तमान	प्रस्तावित	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन अधिकतम एक वर्ष) (की अवधि हेतु	790	625	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु3.70	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु2.85	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु.400	प्रत्येक किलोवाट हेतु स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु280.
सामाजिकवैवाहिक / प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	790	810	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु .60	रु प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु .45	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु .80	प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, के लिए रु .60
झुग्गीझोपड़ी समूह - हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नहीं कराये	300	350	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

जाते					
------	--	--	--	--	--

न्यूनतम प्रभार: अस्थाई संयोजन के लिए ऊर्जा प्रभार रु. 1000/- प्रति संयोजन प्रति माह लागू होगा एवं ज्ञानगी झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय किये जाने पर कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन	100 यूनिट हेतु, 510 प्रति यूनिट की दर से	100 यूनिट हेतु, 540 प्रति यूनिट की दर से	रु 90 प्रति संयोजन	रु 110 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन	75 यूनिट हेतु, 400 प्रति यूनिट की दर से	75 यूनिट 430 प्रति यूनिट की दर से	रु 45 प्रति संयोजन	रु 70 प्रति संयोजन

न्यूनतम प्रभार - इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम प्रभार प्रयोज्य नहीं होंगे।

एल.व्ही. 1 श्रेणी के लिए विशिष्ट निबन्धन तथा शर्तें

- (अ) बिलिंग के प्रयोजन हेतु, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित की गई खपत के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर-बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञसिध्धारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी।
- (ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हैं, की बिलिंग भी की जाएगी।
- (स) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाव उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (द) पूर्व भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मासिक आधार पर खपत की गई सभी यूनिट पर 20 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट प्रभावशील होगी और छूट उपरांत प्राप्त होने वाली प्रभावशील दर पर अन्य सभी प्रभारों की गणना की जायेगी। पूर्व भुगतान मीटर का विकल्प देने वाले उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के लिये कोई अमानत राशि जमा नहीं करनी होगी।
- (ई) स्वयं के उपयोग हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत की आवश्यकता होने पर, स्थायी घरेलू संयोजन से स्वीकृत भार के 20 प्रतिशत तक के ऊर्जा का उपयोग स्थायी कनेक्शन को लगने वाली दर पर मान्य होगा।

विद्युत - दर अनुसूची-एल.व्ही.-2 गैर-घरेलू

एल.व्ही.-2.1

प्रयोज्यता:

यह विद्युत-दर शैक्षणिक संस्थाओं जिनमें अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पालिटेक्निक /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (जो किसी प्रासंगिक शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की कर्मशालाएं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाएं सम्मिलित हैं), विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को प्रकाश, पंखा तथा पावर विद्युत एवं चलित वाहन के बैटरी चार्जिंग हेतु लागू होगी।

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)			
	शहरी / ग्रामीण क्षेत्र	वर्तमान	प्रस्तावित		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	वर्तमान	प्रस्तावित	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर (केवल 10 किलो वाट संयोजित भार तक)	575	640	110 प्रति किलो वाट	80 प्रति किलो वाट	130 प्रति किलो वाट	90 प्रति किलो वाट
अनिवार्य मांग आधारित विद्युत दर 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु	575	640	210 प्रति किलोवाट अथवा रु. 168 प्रति केवीए विलिंग मांग पर	150 प्रति किलोवाट अथवा रु. 120 प्रति केवीए विलिंग मांग पर	230 प्रति किलोवाट अथवा रु. 176 प्रति केवीए विलिंग मांग पर	170 प्रति किलोवाट अथवा रु. 128 प्रति केवीए विलिंग मांग पर

एल.व्ही.-2.2

प्रयोज्यता:

यह विद्युत-दर रेलवे (कर्षण तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय के प्रयोजन के अतिरिक्त), दुकानों/प्रदर्शन कक्षों, बैठक-कक्ष (पार्लर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा परिचर्या सुविधाएँ जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्लीनिक (शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के) नर्सिंग-होम सम्मिलित हैं, सार्वजनिक भवनों, अतिथि-गृहों (गेस्ट हाऊस), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष-किरण संयंत्र, मान्यता-प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टारेंट, खान-पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक-हाल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस-प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक कक्षों (यथा अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि) बाटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान-स्थलों, विवाह-घरों, विज्ञापन-सेवाओं, विज्ञापन पटलों/ होडिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों, सिलाई दुकानों, वन्न धुलाई-घर, व्यायाम-घरों, स्वास्थ्य-क्लबों, मोबाइल संचार हेतु दूरसंचार टावर तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक-कर/सेवा-कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन-कर/विलास-कर का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को प्रकाश, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)		मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)			
	शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित		
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	600	660	60 प्रति कि.वा.	40 प्रति कि.वा.	65 प्रति कि.वा.	45 प्रति कि.वा.
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है।	695	770	105 प्रति कि.वा.	80 प्रति कि.वा.	115 प्रति कि.वा.	90 प्रति कि.वा.
अनिवार्य मांग आधारित विद्युत दर 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु	600	670	220 प्रति किलोवाट अथवा 176 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	150 प्रति किलोवाट अथवा 120 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	230 प्रति किलोवाट अथवा 180 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	170 प्रति किलोवाट अथवा 130 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
मेला* हेतु निम्रदाव पर बहु-बिन्दु अस्थाई संयोजन सहित अस्थाई संयोजन	800	840	200, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो	150, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो,	220, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो,	165, प्रत्येक किलोवाट अथवा उसके अंश हेतु के लिये स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, जो भी सर्वाधिक हो,

वैवाहिक प्रयोजनों हेतु विवाह उद्यान स्थलों अथवा विवाह-घरों अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	800 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम रु. 500 की होगी)	840 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो, रु. 75 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 55 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 85 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,	रु. 65 प्रति किलोवाट या इसके अंश हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष-किरण संयंत्र	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)				
एकल फेज	वर्तमान 500	प्रस्तावित 500			
तीन फेज	700	700			
दांतों हेतु क्षय किरण संयंत्र	100	100			

* केवल उसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एल.व्ही-2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(अ) न्यूनतम खपत: उपभोक्ता को स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश पर 360 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश पर 180 यूनिट न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष-किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की विलिंग की विधि निम्न दाव विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

(ब) आधिक्य मांग के लिए अतिरिक्त प्रभार: इनकी विलिंग निम्न-दाव विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में दिये अनुसार की जायेगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाव विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(द) एल.व्ही. 2.1 एवं एल.व्ही. 2.2 के लिए: संयोजित भार 10 किलोवॉट से अधिक होने पर मांग आधारित टैरिफ अनिवार्य होगा। अनुज्ञसिधारी के.व्ही.ए/किलोवॉट, के.डब्ल्यू.एच, के.व्ही.ए.एच माँग अभिलिखित करने की क्षमता वाला ट्राईवेक्टर / बाइवेक्टर मीटर उपलब्ध करायेगा।

(इ) पूर्व भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मासिक आधार पर खपत की गई सभी यूनिट पर 20 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट प्रभावशील होगी और छूट उपरांत प्राप्त होने वाली प्रभावशील दर पर अन्य सभी प्रभारों की गणना की जायेगी। पूर्व भुगतान मीटर का विकल्प देने वाले उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के लिये कोई अमानत राशि जमा नहीं करनी होगी।

विद्युत-दर अनुसूची एल.व्ही.-3 - सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ-प्रकाश

प्रयोज्यता:

यह प्रस्तावित किया गया है कि सार्वजनिक जल प्रदाय तथा पथ-प्रकाश श्रेणी के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध उप श्रेणियों नगर निगम/छावनी परिषद तथा नगर पालिका / नगर पंचायत को विलय किया जाए।

एल.व्ही. 3.1 दर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या स्थानीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय संयंत्रों/ जल-मल संस्थापनों के प्रदाय/ संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, की सार्वजनिक

उपयोगिता वाली जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल शोधन संयंत्रों, जल-मल पंपिंग संयंत्रों और स्थानीय निकाय /न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शब-दाह गृहों पर लागू होगा।

टीप: निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं द्वारा स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों / टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएँ आदि इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत के लिए उच्चतर विद्युत-दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

एल.व्ही. 3.2 दरें यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़क बत्तियों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवनों, स्मारकों तथा इनके संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक वाचनालयों तथा सुलभ शौचालय पर भी लागू होंगी।

उपभोक्ता की श्रेणी प्रयोज्यता क्षेत्र /	ऊर्जा प्रभार		मासिक स्थाई प्रभार		न्यूनतम प्रभार
	(ऐसे प्रति यूनिट)	(.वा.रूपये में प्रति कि)	वर्तमान	प्रस्तावित	
L.V.3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	
नगर निगमछावनी परिषद्/	450		215		कोई न्यूनतम प्रभार नहीं
नगर पालिकानगर पंचायत/	450	500	200	250	
ग्राम पंचायत	450	500	90	150	
अस्थाई विद्युत प्रदाय			प्रयोज्य विद्युत दर का 1.3 गुना		
L.V.3.2 पथ प्रकाश-					
नगर निगमछावनी परिषद्/	465	500	320	300	कोई न्यूनतम प्रभार नहीं
नगर पालिकानगर पंचायत/	455		300		
ग्राम पंचायत	455	500	75	150	

*सार्वजनिक जल प्रदाय तथा पथ-प्रकाश श्रेणी के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध उप श्रेणियों नगर निगम/छावनी परिषद तथा नगर पालिका / नगर पंचायत को विलय प्रस्तावित किया गया है।

एल.व्ही-3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(अ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब विद्युत दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची-एल.व्ही.-4 निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता:

विद्युत दर एल.वी-4 प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं (जहां कोई प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण कार्य, टायर-रीट्रेडिंग को सम्मिलित करते हुए, सम्पन्न हो) के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु लागू होगी। ये विद्युत-दरें शीतागार, गुड बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों, मसाला चक्कियों, हल्लर, खाण्डसारी

इकाईयों , ओटाई (जिनिग) तथा प्रेसिंग इकाईयों , गन्ना पिराई क्रेशरों (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत-करघों , दालमिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों तथा अन्य कोई विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाईयों (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य पदार्थों का उत्पादन / प्रसंस्करण अथवा उसका संरक्षण/इसके शेल्फ जीवन काल में अभिवृद्धि के लिए की जाने वाली प्रोसेसिंग तथा डेरी इकाईयों (जहां दूध का प्रसंस्करण अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए, शीतलीकरण , पाश्वुरीकरण आदि को छोड़कर होता हो) हेतु भी लागू होंगी।

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)				ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	
		वर्तमान		प्रस्तावित			
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र		
4.1	गैर-मौसमी (नॉन सीजनल) उपभोक्ता						
4.1 अ	मांग आधारित विद्युत दर (विद्यमान संयोजनों हेतु प्रभावशाली टैरिफ पर संविदा मांग 150 अश्वशक्ति तक एवं प्रस्तावित टैरिफ में 100 अ.श. तक)	बिलिंग मांग पर 270 प्रति किलोवाट अथवा रु 216 प्रति केवीए	बिलिंग मांग पर 160 प्रति किलोवाट अथवा रु 128 प्रति केवीए	बिलिंग मांग पर 300 प्रति किलोवाट अथवा रु 242 प्रति केवीए	बिलिंग मांग पर 190 प्रति किलोवाट अथवा रु 158 प्रति केवीए	605	630
4.1 ब	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत दर का 1.3 गुना					

*25 अ.श. तक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं के मामले में ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार , उपरि सारिणी में दर्शित विद्युत दर श्रेणी 4.1 अ की दरों से 30 प्रतिशत कम पर प्रभारित किये जावेंगे ।

4.2 मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि निरतंर 180 दिवस से अधिक की न होगी) यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो विद्युत-दर तत्संबंधी अवधि हेतु प्रयोज्य होगी।

4.2 अ	मौसम के दौरान	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर
----------	---------------	---	---	---

4.2 ब	मौसम बाह्य	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग पर, जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग पर, जो भी अधिक हो	गैर-मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत-दर का 120 प्रतिशत
----------	-----------------------	--	--	--

निबंधन तथा शर्तें

- अ. उपभोक्ता की प्रत्येक माह में अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में किन्हीं निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के चार गुना के बराबर मानी जाएगी।
- ब. सभी निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को मांग आधारित दर अनिवार्य है एवं अनुज्ञसिध्धारी मांग, के.व्ही.ए./ किलो वॉट, के.डब्ल्यू.एच., के.डब्ल्यू.ए.एच. तथा खपत के समय, को दर्ज करने में सक्षम बाइवेक्टर / ट्राइवेक्टर मीटर उपलब्ध कराएगा।
- स. न्यूनतम खपत निम्नानुसार होगी।
- I. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु:** उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग पर प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
 - II. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु:** उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग अथवा उसके किसी अंश पर 420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
 - III. **ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता को न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 35 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी, यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।**
 - IV. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगी।**
- द **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार:** इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।
- इ **अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी, जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युतदर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।**

फ **मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें:**

- I. उपभोक्ता को इस टैरिफ आदेश के जारी होने के 60 दिनों के अंदर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मौसमी एवं बाह्य मौसमी माहों को घोषित करना होगा। यदि उपभोक्ता ने इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व मौसमी एवं बाह्य मौसम अवधि घोषित कर दी है तो उसे इस उददेश्य के लिए संज्ञान में लिया जायेगा एवं अनुज्ञासिधारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
- II. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- III. यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार हैं।
- IV. उपभोक्ता को उसकी मौसम-बाह्य मासिक खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता की विलिंग, प्रभावशील गैर मौसमी विद्युत दर के अनुसार की जाएगी।

उपभोक्ता को बाह्य - मौसम के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग की 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित बाह्य - मौसम के किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तो सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, उपभोक्ता की विलिंग प्रभावशील गैर मौसमी विद्युत दर के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची-एल.व्ही.-5 कृषि एवं संबंधित गतिविधयां :

प्रयोज्यता:

टैरिफ दर एल.व्ही-5.1 कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, श्रेशर, अनाज पद्धारने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों तथा पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल सहित उद्धरण सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप के संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर एल.व्ही-5.2 नरसरी-फूल / पौधे / पौध (सैपलिंग) / फल उगाने वाली रोपणियों, चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरूम) उगाने हेतु लिए गए संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर एल.व्ही-5.3 मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुकुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्रों तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों, जहाँ केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने जैसे कि शीतलीकरण, पाश्वुरीकरण आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

टैरिफ दर एल.व्ही-5.4 स्थायी कृषि पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, श्रेशर, आनाज पद्धारने वाली मशीनों, बीजारोपण मशीनों एवं पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल सहित उदवहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगी।

क्रमांक	उप-श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		वर्तमान		प्रस्तावित	

एल.व्ही - 5.1

अ) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	30	390	40	430
(ii)	माह में 300 यूनिट से अधिक 750 यूनिट तक		460		510
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों हेतु		485		540
ब)	अस्थाई संयोजन	30	507	40	560
स)	समूह उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मर	निल	355	निल	390

एल.व्ही - 5.2

अ) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	30	390	40	430
(ii)	माह में 300 यूनिट से अधिक 750 यूनिट तक		460		510
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों हेतु		485		540
ब)	अस्थाई संयोजन	30	507	40	560

क्रमांक	उप-श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		वर्तमान		प्रस्तावित	
एल.व्ही -5.3					
a)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	75 प्रति अश्वशक्ति	450	85 प्रति अश्वशक्ति	500
b)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	45 प्रति अश्वशक्ति	430	60 प्रति अश्वशक्ति	480
c)	मांग आधारित विद्युत- दर शहरी क्षेत्रों में (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	200 प्रति किलोवॉट अथवा 160 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	540	220 प्रति किलोवॉट अथवा 160 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	600
d)	मांग आधारित विद्युत दर ग्रामीण क्षेत्रों में (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	100 प्रति किलोवाट अथवा 80 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	540	120 प्रति किलोवाट अथवा 80 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	600
एल.व्ही 5.4					
	कृषि सम दर (फ्लेट रेट) अनुदान रहित *	माह अप्रैल से सितम्बर हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति प्रति माह	माह अक्टूबर से माह मार्च हेतु उपभोक्ता द्वारा देय राशि प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह	पुराने टैरिफ आदेश के अनुसार	
अ)	तीन फेस-शहरी	700	700		
ब)	तीन फेस-ग्रामीण	700	700		
स)	एकल फेस-शहरी	700	700		
द)	एकल फेस-ग्रामीण	700	700		

*कृपया निबंधन एवं शर्तों हेतु पैरा 1.2 देखें

निबंधन तथा शर्तों :-

- 1.1 विद्युत दर सूची एल व्ही 5.1 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग: विद्युत दर सूची एल व्ही 5.1 के तहत उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर में दर्ज की गई खपत के आधार पर मासिक आधार पर की जायेगी। इस अनुसूची के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई संयोजन की बिलिंग टैरिफ अनुसूची 1.3 (III) के आधार पर आंकलन की गई खपत के लिये की जायेगी।
- 1.2 विद्युत दर सूची एल व्ही 5.4 के अंतर्गत उपभोक्ता की बिलिंग:- विद्युत दर अनुसूची एल.व्ही. 5.4 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा देय दरें अनुदान के अतिरिक्त हैं। विद्युत दर सूची एल व्ही 5.4 के तहत आने वाले उपभोक्ता के बिल की गणना अनुसूची एल व्ही 5.1 की दरों के आधार पर, इस अनुसूची की शर्त क्रमांक 1.3 में वर्णित प्रति अ.श. खपत आंकलन के आधार पर की जायेगी। उपभोक्ता द्वारा विद्युत दर अनुसूची एल व्ही 5.4 के तहत निर्दिष्ट दरों पर भुगतान किया जायेगा तथा बिल की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वितरण लाईसेंसी को अग्रिम अनुदान के रूप में किया जायेगा।
- 1.3 एल.वी. 5.1 और एल.वी. 5.4 के लिए ऊर्जा लेखा एवम लेखांकन के आधार
- दर अनुसूची एलवी 5.1 और एल.वी. 5.4 के लिए लेखापरीक्षा और लेखा प्रयोजनों, हेतु मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिल की गई वास्तविक खपत पर विचार किया जाएगा।
 - एल.वी. 5.4 श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु आंकलित खपत निम्न तालिका में दर्शयेनुसार होगी:

विवरण	यूनिट प्रति माह, प्रति अ.श. स्वीकृत भार अथवा उसके अंश हेतु			
	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
मोटर पम्प का प्रकार	अप्रैल से सितंबर	अक्टूबर से मार्च	अप्रैल से सितंबर	अक्टूबर से मार्च
तीन फेज	90	170	80	170
एकल फेज	90	180	90	180

- III. ऐसे कृषि पम्प उपभोक्ता जो शहरी फीडर से विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। उनकी बिलिंग वास्तविक मीटर की खपत के आधार पर एल.व्ही. 5.1 श्रेणी के अन्तर्गत करना चाहिए।
- IV. एल.वी. 5.1 श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु, आंकलित खपत निम्न तालिका में दर्शयेनुसार होगी:

विवरण	प्रति अ.श.या उसके अंश के स्वीकृत भार के लिए यूनिट प्रतिमाह	
मोटर पम्प का प्रकार	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र

तीन फेज	250	210
एकल फेज	250	220

- 1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा। इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं। यह बढ़ाई गई अवधि हेतु समय-समय पर की गई संपूर्ति तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्याधीन होगा। फसलों की श्रेणिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर अस्थाई संयोजन प्रदाय किया जा सकेगा।
- 1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं व्दारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर निम्न प्रोत्साहन * प्रदान किये जायेगे :

क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	झूट की दर
1.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों वाले पंप सेट हेतु	15 पैसे प्रति यूनिट
2.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों वाले पंप सेट तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग पर	30 पैसे प्रति यूनिट
3.	आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों वाले पंप सेट तथा उपयुक्त क्षमता के शंट कैपेसिटर की संस्थापना सहित घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

* मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि बिल की पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर खपत किये गये समस्त यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जायेगा। प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों के उपयोग के माह के अगले माह से, अनुज्ञसिध्धारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञसिध्धारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। अनुज्ञसिध्धारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 न्यूनतम खपत:

- i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एल व्ही-5.1 एवं एल व्ही-5.2): उपभोक्ता को माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रतिमाह संयोजित भार पर प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम खपत 30 यूनिट तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार पर प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह

अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम खपत 90 यूनिट प्रत्याभूत करनी होगी, चाहे माह के दौरान किसी विद्युत की खपत की गई हो या नहीं।

ii) कृषि के अलावा अन्य उपयोग हेतु (एल व्ही-5.3):

- (अ) अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता को सविंदा मांग अथवा उसके अंश पर 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग अथवा उसके अंश पर 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति न्यूनतम वार्षिक खपत प्रत्याभूत करनी होगी, जो इस तथ्य से असंबद्ध होगी कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत की खपत की गई है अथवा नहीं।
- (ब) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो तो उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।
- (स) न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाव विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

- 1.7 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार: इनकी बिलिंग विधि निम्न दाव विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।
- 1.8 विलंबित भुगतान अधिभार एल.व्ही. 5.4 फ्लैट दर पर कृषि उपभोक्ताओं के मामले में - तत्संबंधी 100/- की बकाया राशि के प्रत्येक ब्लॉक या अंश के लिए 1 रुपए प्रति माह की दर से लगाया जाएगा। इस टैरिफ अनुसूची की अन्य उप श्रेणियों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार निम्न दाव टैरिफ की शर्तों के तहत निर्दिष्ट अनुसार बिल किया जाएगा।
- 1.9 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशेष शर्तें:

- (अ) वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- (ब) अनुग्रसिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी।
- 1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप 20 वॉट का एक सी.एफ.एल. / एल.ई.डी./ बल्व लगाने की अनुमति होगी।
- 1.11 एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना से तीन-फेज कृषि पंप के उपयोग को विद्युत की अवैध निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरुद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों से अभिप्राय है उन क्षेत्रों का है, जो कि नगरीय निकाय सीमा के अलावा व जिनकी संख्या पांच हजार से कम है एवं समीपी नगर निगम समिति / अधिसूचित क्षेत्र समिति / नगर निगम की सीमा से 8 किलो मीटर दूर एवं वह क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक है। इसके अन्तर्गत वे ग्राम जो कि SADA (Special Area Development Authority) जिनमें कि औद्योगिक प्रगति गतिविधियां प्रारम्भ नहीं हुई हैं। तत्संबंध में संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति गतिविधियां प्रारम्भ हुई हैं या नहीं का फैसला, वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री द्वारा दिया गया फैसला मान्य होगा।

शहरी क्षेत्रों से अभिप्राय है उन क्षेत्रों का है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं आते हैं

2. पूर्णांक करना :- समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।
3. बिलिंग मांग: मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, माह के दौरान उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या अधिक भाग को अगले उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 0.5 से नीचे के भाग की उपेक्षा की जाएगी।
4. स्थाई प्रभारों की बिलिंग - स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार को, जब तक अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या अधिक भाग को अगले उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा 0.5 से नीचे के भाग को छोड़ दिया जाएगा। तथापि एक अ.श. / कि.वॉ. से कम भार को एक अ.श. / कि.वॉ. माना जाएगा।
5. न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि:
 - (अ) मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर हॉटीकल्चर गतिविधियों हेतु एल व्ही 5.1 एवं एल व्ही 5.2 की बिलिंग: उपभोक्ता, जिसकी वास्तविक खपत उस श्रेणी के लिये निर्धारित मासिक न्यूनमत खपत से कम है, को निर्धारित न्यूनतम मासिक खपत का बिल किया जायेगा।
 - (ब) अन्य उपभोक्ताओं के लिए: (जहां लागू हो)

- उपभोक्ता की बिलिंग उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत (किलोवाट आँवर में) के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई न्यूनतम खपत से कम है।
- माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।
- जिस माह में उपभोक्ता की संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी मासिक समानुपातिक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जायेगी उस माह में न्यूनतम टैरिफ खपत को समायोजित किया जायेगा । यदि वास्तविक संचयी खपत उस माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट आवर वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (किवा. घंटे)	संचयी न्यूनतम खपत (किवा. घंटे)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (किवा. घंटे)	यनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4-5) (किवा. घंटे)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार हेतु अतिरिक्त प्रभार: इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:
- a. उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) का विकल्प प्रस्तुत करते हैं: मांग आधारित विद्युत दर पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम अभिलिखित मांग, संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत-दर संविदा मांग की 115 प्रतिशत की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक के अध्याधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा:-
 - i. आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :- अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त संयोजित भार की वजह से कोई अतिरिक्त शुल्क ऊर्जा पर लागू नहीं कर रहे हैं।
 - ii. आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार: इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी:

1. आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग की 130 % तक हो:- संविदा मांग के 115 % से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा ।
2. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 % से अधिक हो:- उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30% प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।
- b. वे उपभोक्ता जो सन्योजित भार आधारित टैरिफ के लिए विकल्प प्रस्तुत करते हैं :जो उपभोक्ता संयोजित भार आधारित टैरिफ के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है वह अपने वास्तविक सन्योजित भार को स्वीकृत भार के अंदर प्रतिबंधित करेगा । हालांकि, किसी महीने में यदि वास्तविक सन्योजित भार, स्वीकृत भार के 115% से अधिक हो जाता है तो इस सूची में दी गई विद्युत दर स्वीकृत भार के 115% तक ही लागू होगी । उपभोक्ता को स्वीकृत भार के 115% से अधिक पाये गये संयोजित भार)जिसे आधिक्य भार कहा जाता है (एवं तत्संबंधी खपत को निम्नांकित दरों के अनुसार प्रभारित किया जा
 - i. आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार : अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त संयोजित भार की वजह से कोई अतिरिक्त शुल्क ऊर्जा पर लागू नहीं कर रहे हैं ।
 - ii. आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार :उस अवधि के लिए जिसके लिए आधिक्य भार का उपयोग उपरोक्त कंडिका (एक) की स्थिति में निर्धारित किया गया हो, ये प्रभार निम्नानुसार बिल किये जायेंगे ।
 1. आधिक्य भार हेतु नियत प्रभार यदि सन्योजित स्वीकृत भार के 130 %तक पाया जाता है: स्वीकृत भार के 115% से अधिक पाये गये संयोजित भार के लिए आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार की विलिंग सामान्य दर की 1.3 गुना की जायेगी ।
 2. आधिक्य भार हेतु नियत प्रभार यदि भार स्वीकृत भार के 130 %से अधिक पाया जाता है : उपरोक्त)एक (के अतिरिक्त स्वीकृत भार के 30 प्रतिशत से अधिक पाये गये भार पर स्थाई प्रभार की सामान्य दर की 2 गुना विलिंग की जायेगी ।
- c. उपभोक्ताओं को अतिरिक्त संयोजित भार या आधिक्य मांग, के लिए उपरोक्त विलिंग किसी आयोग या किसी अन्य कानून के तहत अधिसूचित विनियमों के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों एवं वितरण अनुज्ञासिधारी के अनुबंध पुनरीक्षित करने की मांग के अधिकार पर पूर्वाग्रह बिना हैं।
प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग की गणना, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान किसी 15 मिनट की निरन्तर अवधि हेतु प्रदाय की गई अधिकतम किलो बोल्ट एम्पीअर आवर्स का चार गुना के रूप में की जाएगी ।

7. अन्य निबंधन तथा शर्तें:-

- a. अग्रिम भुगतान :- खपत की अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि पर, जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, उसके बदारा अनुज्ञासिधारी को देय राशि को समायोजित कर उस राशि पर)प्रतिभूति निष्केप राशि को छोड़कर (जो अनुज्ञासिधारी के पास कैलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उपभोक्ता के खाते जमा कर दी जाएगी ।
- b. तत्पर भुगतान हेतु छूट : ऐसे प्रकरणों में, जहां देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि)बकाया राशि, सुरक्षा जमा, मीटर किराया एवं शासकीय कानूनी उगाही यथा विद्युत शुल्क एवं उपकर आदि को छोड़कर (के तत्पर भुगतान पर0 . 25प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। वे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध देयकों की राशि बकाया हो, को इस छूट की पात्रता नहीं होगी ।

- c. देयकों के ऑनलाइन भुगतान पर निम्नदाब उपभोक्ताओं को छूट :- –सभी निम्नदाब उपभोक्ता जिनके ऊपर बकाया राशि नहीं है, को ऊर्जा देयक की पूर्ण राशि का आन लाइन भुगतान करने पर रूपये 5 प्रति बिल की छूट दी जाएगी ।
- d. सभी निम्नदाब उपभोक्ताओं जिनके ऊपर कोई बकाया राशि नहीं हो, को ऊर्जा देयक का पूर्ण भुगतान ऑनलाइन करने पर 5 रु.प्रति बिल पर छूट दी जाएगी ।
- e. जहां उच्चतर सीमा निर्धारित की गई हो अथवा श्रेणी को संयोजित भार की उच्चतम सीमा से छूट दी गई हो, को छोड़कर स्वीकृत भार या संयोजित भार या संविदा मांग 112 किलोवाट / 150 अधिकतम से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि उपभोक्ता उसके संयोजित भार/ संविदा मांग की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अंतर्गत दो विलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता है, तो अनुज्ञासिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा ।
- f. माप यंत्र प्रभारों की विलिंग,मीटरिंग तथा अन्य प्रभारों के निर्धारण के अनुसार, जैसा कि इसे, मप्रविनिआ) विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युतलाइन प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली (विनियम)पुनरीक्षण प्रथम (2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, की जायेगी । विलिंग के प्रयोजन से माह के अंश को पूर्ण माह माना जायेगा ।
- g. ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश को अनादरित कर दिया गया हो, वहां प्रासंगिक विधि में उपलब्ध ऐसी किसी कार्यवाही जो अनुज्ञासिधारी के अधिकार के पूर्वाग्रह बिना हो, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त रु.4 00प्रति चेक का सेवा शुल्क भी अधिरोपित किया जायेगा ।
- h. अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे ।
- i. बेलिंग अधिभार, बेलिंग ट्रांसफार्मरों वाली ऐसी संस्थापनाओं पर लागू होगा जहां बेलिंग ट्रांसफार्मर का संयोजित भार कुल संयोजित भार के 25प्रतिशत से अधिक हो जाता है और जहां ऊर्जा कारक को 75 प्रतिशत लैगिंग से कम नहीं रखने हेतु निर्धारित क्षमता के उपयुक्त केपीसीटर संस्थापित नहीं किये गये हैं । माह के दौरान पूरी संस्थापना की खपत पर 75) पञ्चतर (ऐसे प्रति यूनिट की दर से बेलिंग अधिभार प्रभारित किया जायेगा । तथापि, जब ऊर्जा कारक 0. 8या उससे अधिक हो जायेगा तो कोई बेलिंग अधिभार प्रभारित नहीं किया जायेगा ।
- j. बेलिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार किलोवाट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे बेलिंग ट्रांसफार्मरों के अधिकतम करेंट अथवा केवीए रेटिंग का भार कारक 0.6 (60 प्रतिशत (प्रयोज्य होगा ।
- k. विद्यमान निम्नदाब पावर उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा उसके द्वारा उचित क्षमता)रेटिंग (के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, समय समय पर संशोधित, का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता पर यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत ऊर्जा-कारक 0.8 (80 प्रतिशत (से कम न रहे जिसमें असफल रहने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों की सम्पूर्ण बिल राशि पर निम्नांकित दरों के अनुसार निम्न ऊर्जा-कारक अधिभार भुगतान करना होगा :-
- i. उपभोक्ता जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक अधिभार अभिलेखन हेतु सक्षम है :
- a) 80 प्रतिशत से नीचे 75 प्रतिशत तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1 प्रतिशत की दर से अधिभार।
 - b) 75 प्रतिशत से नीचे 70 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 125 प्रतिशत अधिभार।

अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों का 10 प्रतिशत होगी।

- ii. ऐसे निम्न दाव उपभोक्ता जिनका भीटर औसत ऊर्जा कारक)पावर फैक्टर (अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाव कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, समय समय पर संशोधित, 2013, का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये जाने की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरुद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10 प्रतिशत की दर से निम्न ऊर्जा कारक अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर लेता।
- I. यदि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा-कारक में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना हेतु कदम नहीं उठाये जाते तो उपरोक्तानुसार दर्शये गये वेलिंग / भार-कारक सरचार्ज की उगाही , अनुज्ञसिध्धारी के उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन -विच्छेद किये जाने के अधिकारों के पूर्वाग्रह से रहित होगी ।
- m. भार कारक प्रोत्साहन :मांग आधारित विद्युतदर के अतंगत, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के स्तरैव खण्ड निम्नानुसार अनुज्ञेय होगे:

भार-कारक) लोड फेक्टर(ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार-कारक) लोड फेक्टर (पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक)लोड फेक्टर (की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{मासिक खपत} \times 100$$

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक}}{}$$

- i. मासिक खपत माह के दौरान खपत की गई यूनिटों)के.डब्लू.एच (.के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञपितधारी के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी ।

- ii. बिलिंग माह में घंटों की संख्या में अनुसूचित विद्युत अवरोध घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।
- iii. मांग, अधिकतम अभिलिखित मांग या संविदा मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।
- iv. ऊर्जा कारक 0. 8अथवा / या वास्तविक मासिक ऊर्जा कारक जो भी अधिक हो होगा।

टीप : भार कारक) लोड फेक्टर (प्रतिशत को निकटतम निम्न संख्या तक पूर्णक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता के बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रूप में विचाराधीन हो।

- (1) किसी विशिष्ट निम्न दाव श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (m) विद्युत-दर में, विद्युतऊर्जा पर किसी प्रकार के कर, उपकर अथवा शुल्क आदि सम्मलित नहीं हैं, जो तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हों। ऐसे प्रभार, यदि कोई हों, टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त उपभोक्ता व्यारा भुगतान योग्य होंगे।
- (n) सभी श्रेणियों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार :-:

देयको का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर सम्पूर्ण राशि पर)बकाया सहित(, प्रतिमाह या उसके भाग पर

1. 25प्रतिशत की दर से अधिभार, 500रुपये तक के कुल बकाया देयक पर न्यूनतम रु .5 एवं 500रुपये से अधिक के देयक राशि पर न्यूनतम रु.10 भुगतान योग्य होगा। विलंबित भुगतान अधिभार के लिए माह के भाग को पूर्ण माह माना जाएगा। विलंबित भुगतान अधिभार को उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय को स्थायी रूप से विच्छेदित करने उपरान्त प्रभारित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान उस श्रेणी के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जहां विलंबित भुगतान अधिभार को प्रभारित किया जाना पृथक से निर्धारित किया गया है।

- (o) निम्नदाव संयोजन से उच्चदाव संयोजन में परिवर्तन के प्रकरण में, उच्चदाव संयोजन प्राप्त करने से पूर्व उपभोक्ता एवं अनुज्ञानिकारी को उच्चदाव अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा।

- (p) ऊर्जा कारक)पावर फैक्टर (प्रोत्साहन:-: यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :-:

भार कारक)पावर फैक्टर(बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0

91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन हेतु “औसत मासिक ऊर्जा कारक” को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोबोल्ट आवर्स एवं कुल किलोवाट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

(q) एक ही संयोजन में मिश्रित भारों का उपयोग :जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों के उपयोग हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ताओं को उस प्रयोजन हेतु विद्युत-दर की विलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।

(r) शहरी नियमावली के अंतर्गत अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के क्षेत्र में विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की विलिंग शहरी विद्युत दर से की जायेगी ।

(s) आयोग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए न्यूनतम प्रभारों सहित विद्युत दर अथवा विद्युत दर संरचना में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी । आयोग की लिखित अनुमति के बिना किया गया कोई भी कार्य शून्य एवं प्रभावहीन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होगा ।

(t) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञासिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध के प्रावधानों से विपरीतात्मक हो ।

8 निम्नदाव पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

- a. किसी प्रत्याशित /विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञासिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जायेगी, जब यथोचित नोटिस देते हुये मांग की जाये । विद्यमान उपभोक्ता के अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को भी पृथक सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा । तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत आयोग के आदेश में विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ।

- b. नियत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की 1.3 गुना की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।
- c. प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान, अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय-समय पर सम्पूर्ति की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अंतिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।
- d. स्वीकृत भार या संयोजित भार 112 किलोवाट /150 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।
- e. अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन के माह से अभिप्रेत है, संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।
- f. संयोजन एवं विच्छेदन प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पृथक से करना होगा।
- g. अस्थाई संयोजन खपत हेतु भार-कारक रियायत को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- h. ऊर्जा-कारक प्रोत्साहन / अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरूप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अनुसूची

दर अनुसूची	पृष्ठ क्रमांक
ए.ल.व्ही-1 रेलवे कर्षण	263
ए.च.व्ही.-2 कोयला खदानें	265
ए.च.व्ही-3 औद्योगिक, गैर-औद्योगिक एवं शार्पिंग माल	266
ए.च.व्ही-4 मौसमी एवं गैर- मौसमी	272
ए.च.व्ही-5 सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय एवं कृषि के अतिरिक्त उपयोग	274
ए.च.व्ही-6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	276
ए.च.व्ही- 7 ग्रिड से संयोजित जनरेटर के सिन्क्रोनाइजेशन एवं स्टार्टअप हेतु	278
उच्चदाब विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें	279

विद्युत-दर अनुसूची-एच.व्ही-1 रेलवे कर्षण:**प्रयोज्यता :**

यह विद्युत-दर रेलवे के केवल कर्षण भारों हेतु प्रयोज्य होगी।

विद्युत-दर

उपभोक्ता श्रेणी	नियत मासिक प्रभार (बिलिंग मांग प्रतिमाह पर रूपये प्रति के.व्ही.ए)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	नियत मासिक प्रभार (बिलिंग मांग प्रतिमाह पर रूपये प्रति के.व्ही.ए)	ऊर्जा प्रभार (पैसा / यूनिट)
	वर्तमान			प्रस्तावित
132 के.व्ही.ए. / 220 के.व्ही.ए. पर रेलवे कर्षण	310	570	310	570

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तेः :

- (a) एचवी 1 रेलवे ट्रैक्शन उपभोक्ता के लिए टैरिफ अनुसूची में INR 2 प्रति यूनिट की ऊर्जा की छूट लागू के रूप में उल्लेख किया जाएगा।
- (b) समर्पित संभरक संधारण प्रभार लागू नहीं होंगे।
- (c) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत 1500 यूनिट प्रति केव्हीए संविदा मांग होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाव विद्युत-दर हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये अनुरूप होगी।
- (d) ऊर्जा कारक अर्थदण्ड :

- i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे औसत मासिक ऊर्जा कारक के 90 प्रतिशत से नीचे गिरने वाले प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट हेतु सकल ऊर्जा प्रभारों पर एक प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। पॉवर

फ्रेक्टर अर्थदण्ड लैग प्रकार के ऊर्जा कारक के अभिलिखित होने की दशा में लागू रहेगा। ऊर्जा कारक लीड होने की दशा में कोई अर्थ दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे सकल ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत + औसत मासिक ऊर्जा कारक के 85 प्रतिशत से नीचे गिरने वाले प्रत्येक 1 प्रतिशत गिरावट हेतु 2 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्याधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन हेतु, औसत मासिक ऊर्जा कारक को बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित किये गये कुल किलोवाट आवर्स तथा कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अनुपात (प्रतिशत) को निकटतम पूर्ण संख्या तक लिया जायेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक के अंश को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम के अंश को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छ:) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता इसका सुधार कर कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा :-

- यह छ: माह की अवधि उस माह से समझी जायेगी जिसमें औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।
- समस्त प्रकरणों में उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माहों (इस प्रकार कुल मिलाकर चार माहों में) में औसत ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से कम नहीं, संधारित करता है तो कथित छ: माह की अवधि में निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में समायोजित किया जाएगा।
- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छ: माह के दौरान कभी भी 90 प्रतिशत से कम रहा हो। तत्पश्चात, यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भाँति ही करना होगा।

(e) आकस्मिक फ़ीड एक्सटेंशन: वर्तेर्ने यदि किसी कर्षण उपकेन्द्र में अथवा विद्युत प्रदाय करने वाली पारेषण लाइन में आकस्मिकता के परिणाम स्वरूप भार अथवा उसका अंश, निकटवर्ती कर्षण उपकेन्द्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उस निकटवर्ती कर्षण उपकेन्द्र की उस माह की अधिकतम मांग उन तीन माहों की औसत अधिकतम मांग होगी, जब कोई आकस्मिकता उत्पन्न न हुई हो।

(f) अन्य निवन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निवन्धन एवं शर्तों में उल्लेखित की गई हैं।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-2 कोयला खदानें :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर कोयला खदानों को पावर, वातायन, प्रकाश, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्राय है और जिसमें कोयला खदानों तथा कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि में उपभोग की गई समस्त ऊर्जा तथा आवासीय उपयोग में की गई खपत सम्मिलित है।

उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (बिलिंग मांग प्रतिमाह.पर रू प्रति केव्हीए)		खपत हेतु ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत भार कारक तक (पैसे प्रति यूनिट)		खपत हेतु ऊर्जा प्रभार 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक पर (पैसे प्रति यूनिट)	
कोयला खदानें	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
11 के.व्ही. प्रदाय	600	625	620	680	560	620
33 के.व्ही. प्रदाय	610	630	610	670	540	590
132 के.व्ही. प्रदाय	620	640	600	660	520	570
220 के.व्ही. प्रदाय	630	650	570	630	510	560

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें:

(अ) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट आवर में) प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग पर
220/132 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620

33/11 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200
---------------------------------------	------

टीप : न्यूनतम खपत की विलिंग विधि उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निवन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(ब) भार कारक प्रोत्साहन :- ऊर्जा प्रभारों पर उपभोक्ता को, उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निवन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार भार कारक प्रोत्साहन लागू होगा ।

(स) दिवस के समय (टाईम आफ डे) अधिभार / छूट:- यह अधिभार / छूट उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निवन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

(द) अन्य निवन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निवन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं ।

दर अनुसूची-एच.व्ही-3 औद्योगिक, गैर-औद्योगिक तथा शार्पिंग माल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.1 (औद्योगिक): समस्त उच्चदाव औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर), पावर, प्रकाश, पंखा आदि के लिए लागू होगा जिससे अभिप्राय है एवं जिसमें फैक्टरी में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण प्रकाश व्यवस्था एवं औद्योगिक इकाईयों के परिसरों में सामान्य तथा आनुषंगिक गतिविधियाँ यथा बैंक, सामान्य उद्देश्य की दुकानें, जल प्रदाय, भूमिगत मल पंप, पुलिस स्टेशन आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर) अन्य दुर्ध पदार्थों के उत्पादन हेतु किया जाता हो, में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा सम्मिलित है ।

एच.व्ही.3.2 गैर औद्योगिक एवं एच.व्ही. 3.3. शार्पिंग मॉल उप श्रेणियों को इन संस्थानों के व्यवसाय की प्रकृति को गैर औद्योगिक एवं व्यावसायिक मानते हुए एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.2 (गैर-औद्योगिक एवं शार्पिंग मॉल): रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं, के पावर प्रकाश तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हेतु लागू होगा जिससे अभिप्राय है और जिनमें सम्मिलित है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता, जो निम्नदाव गैर-घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, भी सम्मिलित होंगे, बशर्ते उच्चदाव उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति को विद्युत ऊर्जा न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप-भाटक (सब-लेट) पर देगा। यह गैर औद्योगिक उपभोक्ता समूहों वाले शार्पिंग माल की संस्थापनाओं पर भी लागू होगा व इस अनुसूची (ड.) में दर्शायी गयी विशिष्ट निवन्धनों तथा शर्तों के अध्याधीन होगा ।

शार्पिंग माल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्गों की व्यवस्था सहित स्वतंत्र खुदरा स्टोर तथा पार्किंग क्षेत्र होंगे जिसका संधारण संस्था / विकास -अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में किया जाता है ।

टैरिफ क्रमांक एच.व्ही.-3.4: (गहन विद्युत उद्योग) लघु इस्पात संयन्त्रों, एक ही परिसर में स्थित मिनी स्टील प्लांट मय रोलिंग मिल/स्पॉन्ज आयरन संयन्त्र, विद्युत रासायनिक/ विद्युत ताप उद्योग, फैरो-अलाय उद्योग पर प्रभावशील होगा, जिसका तात्पर्य है तथा जिसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी तथा कार्यालयों की प्रकाश व्यवस्था, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों, केन्टीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों में विद्युत व्यवस्था आदि में खपत की गई समस्त विद्युत आदि ।

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक नियत प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए.(विलिंग माँग प्रति माह पर	50 % भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 % भार कारक से अधिक पर खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(मासिक नियत प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए.(विलिंग माँग प्रति माह पर	50 % भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 % भार कारक से अधिक पर खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(
		वर्तमान			प्रस्तावित				
3.1	औद्योगिक								
	11 के.व्ही.प्रदाय	300	620	555	320	690	620		
	33 के.व्ही.प्रदाय	470	610	510	490	680	580		
	132 के.व्ही.प्रदाय	560	570	485	580	630	560		
	220/400 के.व्ही.प्रदाय	590	545	465	620	600	520		
3.2	गैर-औद्योगिक								
	11 के.व्ही.प्रदाय	280	650	585	300	710	650		
	33 के.व्ही.प्रदाय	400	640	565	420	710	630		
	132 के.व्ही.प्रदाय	510	590	510	530	650	570		
3.3	शार्पिंग माल)गैर औद्योगिक श्रेणी में विलीन किया जाना है(
	11 के.व्ही.प्रदाय	240	650	590	गैर औद्योगिक श्रेणी में विलीन किया जाना है				
	33 के.व्ही.प्रदाय	355	630	565					
	132 के.व्ही.प्रदाय	500	570	510					
3.4	गहन विद्युत उद्योग *								
	33 के.व्ही.प्रदाय	490	460	460	530	500	500		
	132 के.व्ही.प्रदाय	600	440	440	620	480	480		
	220 के.व्ही.प्रदाय	640	425	425	670	460	460		

*एच.व्ही. 3.2 गैर औद्योगिक एवं एच.व्ही. 3.3 शॉपिंग माल श्रेणियों को एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

*श्रेणी एच वी 3.4 –को भार कारक प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी। इस श्रेणी हेतु पूरी खपत पर भार कारक से अप्रभावित रहते हुए समान ऊर्जा प्रभार लागू होंगे।

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें:

- प्रत्याभूत न्यूनतम खपत उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप-श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट आवर में प्रति के.व्ही.ए संविदा मांग)
220/132 के.व्ही.पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाएं	720
	अन्य	1800
33/11 के.व्ही.पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाएं	600
	100 के.व्ही.ए संविदा मांग तक	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की विलिंग विधि उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

- भार कारक प्रोत्साहन :-** उपभोक्ता को उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार भार कारक प्रोत्साहन, की पात्रता होगी यद्यपि एच.व्ही. 3.4 श्रेणी के उपभोक्ताओं को भार कारक प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।
- दिवस के समय (टाईम आफ डे-टीओडी) अधिभार / छूट :** यह अधिभार/ छूट उच्चदाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुखता से विद्युत प्रदाय करने वाले संभरकों से प्रदाय की स्थिति में छूट :-** इस श्रेणी के उच्चदाव उपभोक्ताओं, जिन्हें ग्रामीण संभरकों से विद्युत प्राप्त हो रही हो, को उपरोक्त वर्णित संबंधित वोल्टेज स्तर के न्यूनतम खपत (के.डब्ल्यू.एच.) में 20 प्रतिशत की कमी एवं नियत प्रभारों में 5 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
- मौजूदा उच्चदाव कनेक्शन के लिए छूट:** पिछले साल के वृद्धिशील मासिक खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट 50 पैसे की छूट एच.वी 3 टैरिफ श्रेणी के लिए इसी माह से लागू है।
- नवीन उच्चदाव कनेक्शनों के लिए छूट :-** नवीन उच्च दाव उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायत के अन्तर्गत खपत की गई ऊर्जा पर रूप्रति यूनिट या ऊर्जा -/1 प्रभार का प्रतिशत जो भी कम हो की छूट प्रदान की जाएगी यदि उन्हें ग्रीन फ़िल्ड परियोजना 20 के अन्तर्गत कनेक्शन प्रदाय किया जाता है। यदि कोई नया उच्चदाव उपभोक्ता जो कि मालिकाना हक परिवर्तन किया हो उसे यह छूट प्रदाय नहीं की जाएगी। यह छूट उन सभी उच्चदाव उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाएगी जिन्होंने कि वर्ष में 17-2016 ग्रीन फ़िल्ड परियोजना के अन्तर्गत कनेक्शन प्राप्त किया हो।
- कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ताओं के लिए छूट:-** रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट उन कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका कि कैप्टिव पावर प्लांट से खपत कम होकर अनुज्ञसिध्धारी से बढ़ गयी हो। यह प्रस्तावित छूट सिर्फ अनुज्ञसिध्धारी के लाइसेंस क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं हेतु रहेगी :-

- जो कि गत वर्ष में कैप्टिव उपभोक्ता रहे हों।

- b. जिनकी कि मासिक खपत बढ़ी हुई दर्ज की गई हो, अर्थात् खपत की यूनिट वित्तीय वर्ष 18 के किसी माह में वित्तीय वर्ष 17 के उसी माह से अधिक दर्ज हुई हो।

खपत की गई यूनिट पर प्रस्तावित छूट निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :-

1. Y , यदि $X > Y$,
2. X , यदि $X = Y$ एवं
3. X , यदि $X < Y$ जहां कि

यदि $X =$ बढ़ी हुई खपत जो कि वर्तमान वर्ष के किसी माह में दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में।

एवं

$Y =$ कम हुई केप्टिव पावर प्लांट से की गई खपत (स्वयं की खपत) जो कि वर्तमान वर्ष के किसी माह में दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में।

सभी प्रकार के प्रकरण जिनमें बढ़ी हुई ऊर्जा खपत पर (अर्थात् $X > Y$, 50 पैसा की छूट $X - Y$ पर) पूर्वानुसार 50 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदाय की जाएगी।

उदाहरण हेतु निम्न तालिका में केप्टिव उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट की गणना दर्शायी गयी है।

	वि 17 वर्ष.		वि 18 वर्ष.		बढ़ी हुई विकंपनी से खपत $X =$ $\therefore -\text{ए}2$ ए(1-	केप्टिव उत्पादन में कमी $Y =$ बी-1 - बी 2-	पैसे की 50 छूट हेतु यूनिटस $Z=X-X X$	की रु 2 छूट हेतु यूनिट XX
परिदृश्य 1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य 2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य 3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य 4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य 5	100	90	120	80	20	10	10	10

8. वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए छूट:- रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट उन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका कि व्हीलिंग से खपत कम होकर अनुज्ञसिधारी से ली गयी हो। यह प्रस्तावित छूट सिर्फ अनुज्ञसिधारी के लाइसेंस क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं हेतु रहेगी :-

- जिन्होंने कि गत वित्तीय वर्ष में ओपन एक्सेस द्वारा ऊर्जा अनुज्ञाप्रिधारी के वितरण परिक्षेत्र से बहील की हो ।
- जिनकी कि मासिक खपत बढ़ी हुई दर्ज की गई हो, अर्थात् खपत की यूनिट वित्तीय वर्ष 18 के किसी माह में वित्तीय वर्ष 17 के उसी माह से अधिक दर्ज हुई हो ।

खपत की गई यूनिट पर प्रस्तावित छूट निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :-

- Y , यदि $X > Y$,
- X , यदि $X = Y$ एवं
- X , यदि $X < Y$ जहां कि

यदि $X =$ बढ़ी हुई खपत जो कि वर्तमान वर्ष के किसी माह में वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में । एवं

$Y =$ कम हुई च्छीलिंग की गई खपत जो कि वर्तमान ओपन एक्सेस उपभोक्ता ने वर्ष के किसी माह में दर्ज की गई हो, उसकी गत वर्ष के उसी माह की तुलना में ।

सभी प्रकार के प्रकरण जिनमें बढ़ी हुई ऊर्जा खपत पर (अर्थात् $X > Y$, 50 पैसा की छूट $X - Y$ पर) पूर्वानुसार 50 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदाय की जाएगी

उदाहरण हेतु निम्न तालिका में केप्टिव उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले रु. 1/- प्रति यूनिट की छूट

	वि 17 वर्ष.		वि 18 वर्ष.		बढ़ी हुई विकंपनी से खपत $X =$ ० - ए२) ए१-	च्छील्ड यूनिट्स में कमी $Y =$ बी१ - बी२-	पैसे की 50 छूट हेतु यूनिट्स $Z = X - X$	की रु 1 छूट हेतु यूनिट ए११
	वि कंपनी से खपत (1-ए)	च्छील्ड यूनिट्स (बी१)	विकंपनी से खपत (2-ए)	च्छील्ड यूनिट्स (बी२)				
परिदृश्य 1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य 2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य 3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य 4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य 5	100	90	120	80	20	10	10	10

9. शार्पिंग माल हेतु अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (अ). अनंतिम छोर के व्यक्तिगत प्रयोक्ता को निम्न दाव संयोजन के प्रकरण में, गैर-घरेलू वाणिज्यिक विद्युत-दर (उप श्रेणी एल.बी. 2.2) जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, से अधिक -दर अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(ब). इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अनंतिम छोर प्रयोक्ताओं को शॉपिंग माल के प्रबन्धक प्रतिष्ठान/ डेवलपर तथा अनुज्ञासिधारी से शॉपिंग माल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु इस श्रेणी की विद्युत-दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि-पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

10. अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होगी जैसी कि वे उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

विद्युत दर अनुसूची-एच.ब्ही-4 मौसमी एवम गैर-मौसमी :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत-दर ऐसे मौसमी उद्योगों/ उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें उत्पादन के प्रयोजनों हेतु निरंतर अधिकतम 180 दिवस की तथा न्यूनतम 90 दिवस की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत-दर प्रयोज्य होगी। अनुज्ञासिधारी इस विद्युत-दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

यह दर मिनी/ माइक्रो एवम छोटे हाईडल संयंत्रों पर संयंत्रों के संधारण हेतु आवश्यक विद्युत आवश्यकता पर उस अवधि के लिए जिसमें ऐसा विद्युत प्रदाय लिया जाना किसी सीमा से बंधनहीन हो, भी लागू होगी।

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए .बिलिंग माँग प्रति माह(50प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार) पैसे प्रति यूनिट(50प्रतिशत भार कारक से अधिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार) पैसे प्रति यूनिट(
मौसम)सीजन (के दौरान						
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तवित	वर्तमान	प्रस्तवित
11के.व्ही . प्रदाय	310	350	58	610	520	550
33के.व्ही . प्रदाय	340	380	570	600	500	530
बाह्य मौसम)आफ सीजन (के दौरान						
11के.व्ही . प्रदाय	रूपये 310, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के 10प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रूपये 350, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के 10प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रु 696 अर्थात, मौसमी ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	732 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं
33के.व्ही . प्रदाय	रूपये 340, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के दस प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रूपये 380, मौसम के दौरान अभिलिखित वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के दस प्रतिशत पर, जो भी अधिक हो	रु 684 अर्थात, मौसमी)सीजनल (ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	720 अर्थात, मौसमी)सीजनल (ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत संविदा मांग पर 900 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

2. भार कारक प्रोत्साहन :- :- ऊर्जा प्रभारों पर उपभोक्ता को, उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार भार कारक प्रोत्साहन लागू होगा ।
3. दिवस के समय (टाईम आफ डे) छूट : यह छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य बन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
4. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मौसमी तथा बाह्य- मौसम (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञासिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता ने इस अवधि के जारी होने से पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए मौसमी / बाह्य- मौसम माहों के बारे में अनुज्ञासिधारी को पूर्व से ही सूचित कर दिया हो , तो उसे स्वीकार किया जाएगा और वह अवधि इस विद्युत दर आदेश के लिए वैध होगी ।
5. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
6. यह विद्युत-दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं ।
7. उपभोक्ता को उसकी मासिक बाह्य -मौसम खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी बाह्य-मौसम माह में इस सीमा का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की विलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु एचव्ही-3.1 औद्योगिक अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी ।
8. उपभोक्ता को बाह्य -मौसम के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी माह में अधिकतम मांग घोषित बाह्य मौसम के दौरान इस सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की विलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एच व्ही-3.1 औद्योगिक अनुसूची के अनुसार की जाएगी ।
9. अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं ।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-5 सिंचाई, सार्वजनिक जल-प्रदाय तथा कृषि के अतिरिक्त उपयोग प्रयोज्यता :

विद्युत दर श्रेणी एच.व्ही. 5.1 में उदवहन सिंचाई योजनाओं, समूह सिंचाई , सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल-मल उपचार संयंत्रों/ जल-मल पंपिंग संयंत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की गई ऊर्जा हेतु लागू होगी।

विद्युत दर श्रेणी एच.व्ही. 5.2 में कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों, कुकुट पालन केन्द्रों, पशु-प्रजनन केन्द्र ,चारागाहों, सब्जी/ फल/ पुष्प, कुकरमुत्ता उगाने वाली इकाईयों आदि तथा डेरियों (वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण ,पाश्चरीकरण आदि किया जाता है) हेतु लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में,

जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग एचवी-3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएं, संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/ कर्मचारियों टाइनशिपों आदि हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत-दर प्रयोज्य होगी।

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक नियत प्रभार (रूपये प्रति के.व्ही.ए .बिलिंग माँग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार)पैसे /यूनिट(
सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उदवहन सिंचाई योजनाएं				
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
11के.व्ही .प्रदाय	225	245	490	540
33के.व्ही .प्रदाय	245	265	465	520
132के.व्ही .प्रदाय	270	290	440	490
कृषि संबंधी अन्य उपयोग				
11के.व्ही .प्रदाय	235	255	505	560
33के.व्ही .प्रदाय	250	270	480	530
132के.व्ही .प्रदाय	280	300	460	510

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- a. **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग पर 720 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
- b. **दिवस के समय (टाईम आफ डे) छूट :** छूट की पावता उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार होगी।
- c. **मांग-परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :** ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर (जैसे कि पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक व्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटर), उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को प्रयोग में लाये जाने वाले माह तथा इसका सत्यापन अनुज्ञितधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने के आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञितधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञितधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।
- d. **अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।**

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-6 थोक आवासीय प्रयोक्ता

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.1 औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप (उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों , सैनिक अभियांत्रिकी सेवाओं, सीमान्त ग्रामों आदि) के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी बशर्ते अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर-घरेलू विद्युत प्रदाय , पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत हो :-

- (1) जलप्रदाय तथा जल-मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु - सीमा का कोई बंधन नहीं।

(2) समन्वित रूप से गैर-घरेलू/ वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु - कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत।

टैरिफ श्रेणी एचवी-6.2: भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह-निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह-निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। इस श्रेणी हेतु उपभोक्ताओं को निवन्धन तथा शर्तें म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के उपबन्धों, जैसे कि ये समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

यह श्रेणी उन रहवासी कल्याणकारी समितियों/ संघों तथा रहवासी श्रूंखलाओं / अपार्टमेन्ट/कालोनियों / टाउनशिप जहां विद्युत का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश, पंखे, ऊर्जा प्रदाय (हीटिंग) हेतु किया जा रहा हो , पर भी लागू होगी बशर्ते अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर-घरेलू विद्युत प्रदाय , पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार, स्वीकृत संविदा माँग / संयोजित भार 20 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत हो।

स.क्र.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक नियत प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए.(बिलिंग माँग प्रति माह पर	50 प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 प्रतिशत से अधिक भार कारक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(मासिक स्थाई प्रभार)रूपये प्रति के.व्ही.ए.(50 प्रतिशत भार कारक तक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(50 प्रतिशत भार कारक से अधिक की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार)पैसे प्रति यूनिट(
			वर्तमान		प्रस्तावित		
1	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.1 हेतु						
	11 के.व्ही.प्रदाय	270	545	490	290	600	540
	33 के.व्ही.प्रदाय	290	520	470	310	570	510
	132 के.व्ही.प्रदाय	315	490	440	335	540	480
2	टैरिफ उप-श्रेणी एचवी-6.2 हेतु						
	11 के.व्ही.प्रदाय	175	550	490	195	600	540
	33 के.व्ही.प्रदाय	175	535	475	195	590	520
	132 के.व्ही.प्रदाय	180	505	455	200	550	500

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

- (अ) प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत : संविदा मांग पर 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की विलिंग की विधि उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।
- (ब) भार कारक प्रोत्साहन :- :- ऊर्जा प्रभारों पर उपभोक्ता को, उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार भार कारक प्रोत्साहन लागू होगा।
- (स) समस्त वैयक्तिक अनंतिम छोर प्रयोक्ता इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युतदर के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति के प्रबंधन तथा अनुज्ञासिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय अनुबंध करेंगे। वैयक्तिक अनंतिम छोर प्रयोक्ता को संबंधित निम्न दाव श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत-दर से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।
- (द) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी, जैसी कि वे उच्च दाव टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

विद्युत दर अनुसूची-एच.व्ही-7 ग्रिड से जुड़े जनरेटरों के सिन्क्रोनाइजेशन एवं स्टार्टअप पावर हेतु

प्रयोज्यता :-

यह दर सूची उन जनरेटरों पर लागू होगी जो ग्रिड से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं लेकिन जो वितरण अनुज्ञासिधारी के उपभोक्ता नहीं हैं और ग्रिड से सिन्क्रोनाइजेशन अथवा स्टार्टअप हेतु विद्युत लेना चाहते हैं।

सभी वोल्टेज हेतु दर

क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	ऊर्जा प्रभार)पैसा प्रति यूनिट (
		विद्यमान	प्रस्तावित
	ग्रिड के साथ सिन्क्रोनाइजेशन हेतु अथवा स्टार्टअप पावर जनरेटर हेतु	675	740

निबंधन एवं शर्तें

- a. ग्रिड से सिन्क्रोनाइजेशन अथवा स्टार्टअप पावर हेतु प्रदाय पावर प्लांट की उच्चतम रेटिंग वाले यूनिट की क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- b. जनरेटर जिसमें सी.पी.पी. भी सम्मिलित है के लिए न्यूनतम खपत की शर्त लागू नहीं होगी। प्रत्येक अवसर पर ली गई ऊर्जा की खपत के लिए बिलिंग की जाएगी।
- c. सी.पी.पी. को विद्युत प्रदाय की अनुमति उत्पादन के उद्देश्य के लिए नहीं होगी। इसके लिए वे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्टेंडबाई सपोर्ट ले सकते हैं।
- d. ग्रिड के साथ सिन्क्रोनाइजेशन अथवा स्टार्टअप पावर केवल प्लांट के क्रियाशील हो जाने के उपरान्त और वार्षिक निर्धारित सुधार कार्य के कारण हुए आउटेज, अन्य सुधार कार्य, जनरेटिंग यूनिट के बाध्यकारी आउटेज और जनरेटर के ग्रिड से अलग हो जाने की स्थिति में ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- e. ग्रिड के साथ सिन्क्रोनाइजेशन हेतु प्रत्येक अवसर पर अधिकतम दो घन्टे के लिए विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह समय-सीमा स्टार्टअप गतिविधि के लिए प्रभावशील नहीं होगी।
- f. सी.पी.पी. सहित जनरेटर अनुज्ञसिधारी के साथ ग्रिड के साथ सिन्क्रोनाइजेशन अथवा स्टार्टअप पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों का समाहन करते हुए एक अनुबंध निष्पादित करेंगे।

उच्चदाव विद्युत-दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाव उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित विद्युत दर अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन होंगी :

1. संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा।
2. सेवा का स्वरूप : सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 समय समय पर संशोधित, के अनुसार होगा।
3. **प्रदाय बिन्दु :-**
 - (a) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।
 - (b) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

- (c) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। तथापि उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय, तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु मीटरीकरण तथा बिलिंग अलग-अलग की जाएगी।
4. **मांग का अवधारण :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के स्लाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार, प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलो वोल्ट एम्पीयर घंटे की चार गुना होगी।
5. **बिलिंग मांग:** माह के दौरान माह हेतु बिलिंग मांग उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के कंडिका 3.4 में विषय से संबंधित जानकारी का उल्लेख किया गया है।
मामले में बिजली की खुली पहुँच के माध्यम से लाभ उठाया है, महीने के लिए बिलिंग मांग महीने मांग जिसके लिए खुला पहुँच लाभ उठाया है या अनुबंध मांग का 90% की अवधि के लिए खुला पहुँच के माध्यम से लाभ उठाया छोड़कर दौरान वास्तविक अधिकतम केवीए मांग की जाएगी,
- टीप –** बिलिंग मांग को निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0. 5या अधिक अंश को अगले उच्चतर अंक तक पूर्णांकित किया जायेगा तथा 0. 5से कम अंश को उपेक्षित किया जायेगा।
6. **टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :**
- (d) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) से विनिर्दिष्ट संविदा मांग प्रति केवीए के आधार पर यूनिट बिलिंग की जाएगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युतमात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।
- e) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) के बारहवें भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत ऊपर दर्शाई गई मासिक खपत से कम हो।
- f) उस माह में, जिसमें वास्तविक संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर अथवा अधिक हो जाती है, वित्तीय वर्ष के दौरान उसके अनुवर्ती महीनों में मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।
- g) उस माह, जिसमें उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत या प्रभारित की गई मासिक खपत आनुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाये तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा। यदि वास्तविक संचयी खपत इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलो वाट आवर वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर है।

माह	वास्तविक संचयी खपत	संचयी न्यूनतम खपत	तीन अथवा दो में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान बिल की जा चुकी खपत	यूनिट जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है
	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)(4-5)

माह	वास्तविक संचयी खपत	संचयी न्यूनतम खपत	तीन अथवा दो में से जो भी अधिक हो	वर्ष के दौरान बिल की जा चुकी खपत	यूनिट जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है
	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)	(कि.वॉ.घंटे)(4-5)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

7- पूर्णांकित करना: समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे एवं उससे अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड :

8. ऊर्जा कारक प्रोत्साहन

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
------------	---

95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0(एक प्रतिशत)
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0(दो प्रतिशत)
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0(तीन प्रतिशत)
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5.0(पांच प्रतिशत)
99 प्रतिशत से अधिक	7.0(सात प्रतिशत)

9. भार कारक की गणना

(क) भार-कारक की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

मासिक खपत \times 100

भार कारक (प्रतिशत में)= -----

बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या \times मांग \times ऊर्जा कारक

- मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों की संख्या होगी जिसमें अनुज्ञासिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।
- बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधि के घंटे शामिल न होंगे।
- मांग : अधिकतम अभिनिवित मांग या संविदा मांग , इनमें से जो भी अधिक हो ,होगी
- ऊर्जा कारक : वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक या 0.9, इनमें से जो भी अधिक हो,होगा

टीप : भार कारक (प्रतिशत) को निकटतम निम्नतर अंक तक पूर्णक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट को सेटआफ कर उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से लिया जाएगा। उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से, माह के दौरान मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती तिथियों के बीच की दिवस संख्या बिलिंग माह होगी।

(ब) भार कारक प्रोत्साहन : की गणना निम्नांकित योजना के अनुसार की जाएगी एवं उन श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाएगी जहां इसे निर्धारित किया गया है:-

भार कारक मात्रा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार पर प्रतिशत प्रोत्साहन की
-----------------	------------	---------------------------------------

		गणना
75प्रतिशत के बराबर या उससे कम	कोई प्रोत्साहन नहीं	= 0.00
75प्रतिशत से अधिक	ऊर्जा प्रभारों पर 75प्रतिशत भार कारक से प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि पर 0. 10शून्य प्रतिशत का प्रोत्साहन, 75 प्रतिशत से ऊपर भार कारक के खपत में अनुपातिक वृद्धि पर	= (भार कारक प्रतिशत -75)*0.10

उदाहरण

72 प्रतिशत भार कारक वाले उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

82 प्रतिशत भार कारक वाले उपभोक्ता को 75 प्रतिशत भार कारक से ऊपर की वृद्धि के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों में $[0.10*(82-75)\%]$ =0.7 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा।

टीप – वृद्धि के अनुरूप खपत की गणना करने हेतु कुल खपत में से 75 प्रतिशत भार कारक के समतुल्य खपत घटाई जाएगी। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन, वृद्धि के अनुरूप होने वाले केवल उस खपत के ऊर्जा प्रभारों पर प्रभावशील होगा जिनके लिए पृथक दरें निर्धारित की गई हैं।

सभी उच्चदाव उपभोक्ताओं को पिछले माह के समान माह की तुलना में भार कारक में वृद्धि से संबंधित मासिक खपत के ऊर्जा प्रभारों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाएगी। छूट के लिए विद्युत यूनिट की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

भार कारक में अन्तर प्रतिशत में = वर्तमान विलिंग माह का भार कारक -पिछले वर्ष का समान माह का भार कारक

यदि यह अन्तर शून्य से अधिक है तो

छूट = भार कारक का अन्तर प्रतिशत में *वर्तमान विलिंग माह की संविदा मांग *विलिंग माह में दिवस संख्या *24 घन्टे *0.50 पैसे प्रति यूनिट यह छूट भार कारक के अन्तर के शून्य अथवा ऋणात्मक होने पर लागू नहीं होगी।

10. खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी अग्रिम भुगतान की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उस राशि पर, जो कि अनुज्ञसिधारी के पास कैलेण्डर माह के अंत में(प्रतिभूति निष्क्रेप राशि को छोड़कर) शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञसिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में समायोजित कर दी जाएगी।
11. सभी उच्चदाव उपभोक्ता जिन पर कोई बकाया राशि नहीं होगी, को ऊर्जा देयक के ऑनलाइन पूर्ण भुगतान करने पर प्रति देयक रु. 100/- की छूट दी जाएगी।
12. **त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन :-** जहां किसी चालू माह हेतु देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि पर (बकाया राशि, सुरक्षा प्रतिभूति, मीटर किराया तथा शासकीय उगाही यथा विद्युतशुल्क को छोड़कर) 0.25 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध देयकों की राशि बकाया हो, को इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।
13. **ऑन लाइन भुगतान पर छूट :-** सभी उच्चदाव उपभोक्ता जिन पर बकाया राशि नहीं है उन्हें रु. 100/- प्रति बिल की छूट ऑन लाइन बिजली बिल के भुगतान पर दी जाएगी।

14. दिवस के समय (टाईम आफ डे) अधिभार / छूट: यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग-अलग अवधियों हेतु, अर्थात् सामान्य अवधि, शीर्ष-भार तथा शीर्ष-बाह्य भार अवधि हेतु प्रयोज्य होगी। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/ छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/ बाह्य शीर्ष अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युतपर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/ छूट
1	शीर्ष अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	0 प्रतिशत अधिभार
2	बाह्य शीर्ष अवधि(रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत छूट

टीप : स्थाई प्रभारों की विलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात् दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/ छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

15. ऊर्जा कारक अर्थदण्ड (रेलवे कर्षण एचवी-1 श्रेणी को छोड़कर)

- a.. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 % (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, कुल बिल राशि पर 1 % (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान "ऊर्जा प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत करेगा ।
- b. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को प्रत्येक 1 % (एक प्रतिशत) गिरावट जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5 % (पांच प्रतिशत) +औसत भार कारक में 85 % से प्रत्येक 1 % गिरावट के लिए 2 % (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35 % से अधिक न होगा ।
- c. यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञसिध्धारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि अनुज्ञसिध्धारी की संतुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने वाल उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञसिध्धारी बिना किसी भेद-भाव के निम्न ऊर्जा कारक हेतु दांडिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।
- d. इस प्रयोजन से, औसत मासिक ऊर्जा कारक को विलिंग माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल किलोवाट आवर्स तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रतिशत निकटतम अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक अंश को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम अंश को उपेक्षित किया जाएगा।
- e. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छ.) माह के दौरान किसी भी समय 90 % से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा:

i. यह 6 माह की अवधि उस माह से मान्य की जाएगी जिस माह में औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 % से कम पाया गया हो ।

ii. समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की विलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता आगामी माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90 % औसत मासिक ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण कथित 6 माह की अवधि के लिए बिल किये गये प्रभारों को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें खाते में जमा किया जाएगा ।

iii. उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 % से कम रहा हो। तत्पश्चात, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 % से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भाँति ही करना होगा।

16. आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

a. उपभोक्ताओं को समस्त समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। यदि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के 115 % से अधिक हो जाती है तो विभिन्न अनुसूची में दर्शाई गई विद्युत-दरों संविदा मांग के 115% तक ही प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग, जिसकी गणना अभिलिखित अधिकतम मांग एवं संविदा मांग के 115 % के अंतर से की जायेगी, हेतु ऊर्जा प्रभार तथा नियत प्रभार प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निवन्धन तथा शर्तें, हेतु कोई हो , भी ऐसी आधिक्य मांग हेतु प्रभावी होगी । किसी माह में इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग पर , यदि कोई हो, को रेल्वे कर्षण छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं पर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :-

b. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग के तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत-दर की प्रभावशील दर पर ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

c. **आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार :** इन प्रभारों की विलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

i. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग से 130 प्रतिशत तक हो :-** संविदा मांग की 115 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, नियत प्रभारों को , इनकी सामान्य दर की 1.3 गुना पर प्रभारित किया जाएगा।

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130 प्रतिशत से अधिक हो:-** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये नियत प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग के 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, नियत प्रभारों को सामान्य दर की 2 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभारों का

उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा विलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की नियत प्रभारों की विलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(1) 115 केवीए तक, सामान्य विद्युत-दर पर

(2) 115 केवीए से अधिक तथा 130 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 1.3 गुना दर पर

(3) 130 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत-दर की 2 गुना दर पर

- d. रेल्वे कर्षण के प्रकरण में आधिक्य भार, यदि है, की उपरोक्तानुसार गणना, किसी माह में किये जाने पर निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा –
- (i) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग की 130% तक है: संविदा मांग के 115 % से अधिक मांग पर ₹ 341 प्रति केवीए की दर से
- (ii) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130% से अधिक है: तब उपरोक्त (1) में लिये गये नियत प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग की 30 % से अधिक अभिलिखित मांग पर ₹ 465 प्रति केवीए की दर से नियत प्रभार प्रभारित होगे। यदि ऐसा किया जाता है तो विद्युत टैरिफ (जैसे न्यूनतम प्रभार आदि) के सभी प्रावधान उपरोक्त अतिरिक्त मांग पर भी लागू होंगे।
- e. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।
- f. आधिक्य मांग की उच्चतर विद्युत दर पर बिलिंग, म.प्र.वि.प्रदाय संहिता 2013 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञासिधारी के विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।
17. **विलंबित भुगतान अधिभार :** देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को शेष राशि (बकाया राशि को समिलित कर), पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से माह अथवा उसके भाग के लिए करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।
18. **अनादरित धनादेशों पर सेवा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (धनादेशों), को अनादरित कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त रूपये 2000/- प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान, अनुज्ञासिधारी के, विना किसी पक्षपात के किसी अन्य प्रभावशील कानून के अन्तर्गत, कार्यवाही किये जाने के अधिकार के अध्याधीन होगा।
19. **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अल्प अवधि के लिए अस्थायी विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो म.प्र.वि.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्याधीन प्रभारित किया जाएगा :
- a. नियत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। नियत प्रभारों की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी। माह की गणना उस माह के कुल दिवसों की मानी जाएगी।
- b. उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि स्थायी उपभोक्ताओं पर आनुपातिक आधार पर दिवस संख्या अनुसार प्रभावशील है। विवरण नीचे दिया गया है :-
- अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत =
$$(स्थाई विद्युत प्रदाय \times प्रयोज्य वार्षिक) / (स्थाई विद्युत प्रदाय \times अस्थायी संयोजन दिवस संख्या)$$
- (वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या)

- C बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरणार्थ -:अनुबंध मांग उपभोक्ता द्वारा मांग, 100केरीए है तो

माह	अभिलिखित अधिकतम मांग)के.व्ही.ए.(.	बिलिंग मांग)के.व्ही.ए.(.
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

- D. उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय-समय पर की गई संभूति के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अनितम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- E. उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु किराये का भुगतान करना होगा।
- F. संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।
- G. विद्यमान उच्चदाव उपभोक्ता के प्रकरण में, निम्नांकित मूल्यांकन कार्यप्रणाली के आधार पर विद्यमान स्थाई उच्चदाव उपभोक्ता के माध्यम से अस्थाई संयोजन प्रदान किया जा सकता है :-
- i. डीम्ड संविदा मांग= स्थाई संयोजन हेतु संविदा मांग + अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग

ii. माह के लिए बिलिंग मांग की गणना निम्नानुसार रीति से की जावेगी :

- (1) नियत प्रभार सामान्य प्रभारों के 1.3 गुणा लिए जाएंगे ।
- (2) डीम्ड संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु संविदा मांग + अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग
- (3) माह के लिए बिलिंग मांग एवं नियत प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

- a. जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग माह के लिए मान्य संविदा मांग से कम हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100 प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युतदर के अनुसार नियत प्रभारों एवं “च” अथवा “छ” में से उच्चतर मांग पर सामान्य विद्युतदर पर नियत प्रभारों का योग होगा (जहां “च” अभिलिखित मांग और अस्थाई स्वीकृत मांग का अंतर है और “छ” स्थाई संयोजन की संविदा मांग का 90 प्रतिशत है) ।
- b. जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग माह के लिए मान्य संविदा मांग के बराबर हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100 % अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत दर के अनुसार नियत प्रभारों एवं स्थाई संयोजन की 100 % संविदा मांग पर सामान्य विद्युतदर पर नियत प्रभारों का योग होगा ।
- c. जब माह के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग, माह के लिए मान्य संविदा मांग से अधिक हो, माह के लिए नियत प्रभार, 100% अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत दर के अनुसार नियत प्रभारों, स्थाई संयोजन की 100% संविदा मांग पर सामान्य विद्युतदर पर नियत प्रभारों एवं मान्य संविदा मांग से अधिक की मांग के 100% पर अस्थाई विद्युतदर के 1.5 गुना पर नियत प्रभारों का योग होगा ।
- d. नियत प्रभारों की वसूली मासिक नियत प्रभारों को अनुपातिक रूप से लेते हुए उन दिवस संख्या के लिए की जावेगी जिनके लिए संयोजनों का माह में उपयोग किया गया है । माह को उस माह के कुल दिवसों की संख्या से माना जाएगा ।

4. माह के दौरान स्थाई संयोजन से संबंधित खपत अर्थात् (ए) की बिलिंग निम्नानुसार रीति से की जावेगी

संविदा मांग (स्थाई)

ए = ----- X कुल खपत

मान्य संविदा मांग या वास्तविक मांग जो भी उच्चतर हो

5. माह के दौरान स्वीकृत अस्थाई मांग के तदनुसार खपत अर्थात् (बी) की बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की 1.3 गुना दर से निम्नांकित रीति से की जायेगी :

अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग

बी = ----- X कुल खपत

मान्य संविदा मांग या वास्तविक अभिलिखित मांग जो भी अधिक हो

6. माह के दौरान अधिक मांग से संबंद्ध खपत अर्थात् (सी), यदि कोई है, की गणना निम्न रीति से की जावेगी
 सी = कुल अभिलिखित खपत में से (स्थाई संयोजन के अनुसार खपत ए + अस्थाई स्वीकृत मांग के अनुसार खपत बी के योग को घटाकर)
7. मान्य संविदा मांग से अधिक अभिलिखित मांग को आधिक्य मांग समझा जायेगा । ऐसी आधिक्य मांग को बिलिंग उददेश के लिये किसी माह में, यदि कोई है, अस्थाई संयोजित भार से संबंद्ध माना जायेगा और इसे अस्थाई संयोजन हेतु लागू नियत प्रभारों के 1.5 गुणा की दर से एवं ऊर्जा प्रभारों को 1 गुणा की दर से प्रभारित किया जायेगा । अस्थाई संयोजन की अवधि में अभिलिखित आधिक्य मांग के लिए अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :
- आधिक्य मांग हेतु नियत प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति केव्हीए नियत प्रभार X आधिक्य मांग X 1.5
- आधिक्य मांग के अनुरूप खपत हेतु ऊर्जा प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार X आधिक्य मांग के अनुरूप खपत(यथा सी)
- (h) अस्थाई संयोजन की खपत पर भार कारक प्रोत्साहन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- (i) पावर फेक्टर प्रोत्साहन / दंड तथा टाइम ऑफ डे अधिभार/द्लूट की स्थिति स्थाई संयोजनों के समान दर पर प्रभावशील होगी ।
- स्थाई संयोजनों हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें**
- i. विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 11 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
 - ii. विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10,000 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 33 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
 - iii. विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो स्वयं के अनुरोध पर 132 केवी पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।
 - iv. मापयंत्र प्रभारों की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009, समय समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।
 - v. विद्युत दर में विद्युत ऊर्जा पर किसी प्रकार का कर अथवा चुंगी सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त भुगतान योग्य होंगे ।
 - vi. इस विद्युत-दर आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत-दर की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा वाध्यकारी होगा ।

- vii. आयोग की बिना किसी पूर्व लिखित अनुमति के विद्युतदर अथवा विद्युतदर संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव, न्यूनतम प्रभारों सहित, नहीं किया जा सकता। आयोग की लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई आदेश शून्य एवं प्रभावहीन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होगा।
- viii. यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी विलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किये गये वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।
- ix. ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिन्हें नियत प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्यके माह में नियत प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युतऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।
- x. यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई विपरीत उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञातिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध में विद्यमान हों।